ला, खंड 13, अंक 7

Friday, 17th July, 1992

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 8, शुक्रवार, 17 जुलाई, 1992/26 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का मामला और न्यायाधीशों के पुतले जलाए जाने के बारे में		1—12, 176—185
प्रश्नों के लिखित उत्तर:		
तारांकित प्रश्न संख्या:	143 से 153 और 155 से 162	12—28
अतारांकित प्रश्न संख्या:	1477 से 1509, 1511 से 1574, 1577 से 1592 और 1594 से 1665	29—175
सभा पटल पर रखे गए पत्र:		185—194, 251
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव:		194—220
	श्री पी० वी० नरसिंह राव	194—208
	श्री जसवन्त सिंह	208—211
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति:		
	ग्यारहवां प्रतिवेदन — स्वीकृत	220
भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में संकल्प:		221—240
	—वापस लिया गया—	
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	221—223
	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	223—225
	श्री दिग्विजय सिंह	225—229
	श्री सत्यनारायण जटिया	229—231
	श्री कमला मिश्र मधुकर	231—233
	प्रो० रासा सिंह रावत	233—234
	श्री ओस्कार फर्नान्डीज	234
	डा० चिन्ता मोहन	234—236
	श्री सत्यगोपाल मिश्र	239—240
अपनियोजन नीति की समीक्षा के बारे में संकल्प:		
	श्री रूप चन्द पाल	241—249
सभा का कार्य:		249—250
मंत्री द्वारा वक्तव्य:		
म्यांमार सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ		
	श्री एम० एम० जैकब	251

लोक सभा

शुक्रवार, 17 जुलाई, 1992/26 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का मामला और न्यायाधीशों के पुतले जला जाने के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, मैंने नियम 388 के तहत क्वेश्चन ऑवर को सस्पेंड कर का नोटिस दिया है। अब तक के हिन्दुस्तान के इतिहास में जजों का कभी पुतला नहीं जलाया गया था लेकि अब जजों का पुतला जलाया जा रहा है। विश्व हिन्दू परिषद् ने घोषणा की है कि 20 जुलाई से वह न्यायालय धरना देगी, उसके सामने प्रदर्शन करेगी और तब प्रधानमंत्री से बातचीत शुरू होगी।

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कांस्टीट्यूशन का ब्रेकडाउन हुआ है। मैंने नियम 388 के तहत क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड करके इस पर चर्चा कराने की मांग की है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड किया जाये और अयोध्या के मामले में प्रधानमंत्री आकर यहां पर स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, पहले क्वेश्चन ऑवर तो होने दिया जाये औ पिछले दो दिनों से नो कांफिडेंस मोशन आ रहा है और आज तो प्रधानमंत्री का भाषण होना है...... क्वेश्चन ऑव हमारा अपना ऑवर है, उसे होने दिया जाये......(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, अयोध्या में स्थिति बहुत विस्फोटक है। अदालती आदेश बावजूद वहां पर जानबूझकर निर्माण कार्य चल रहा है। हमारी नवीनतम जानकारी के मुताबिक वे खम्भों औ सिंहद्वार का निर्माण कर रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार उन्होंने न्यायाधीशों के पुतले जलाए हैं (व्यवधान) महोदय, सारा देश इस बारे में चिंतित है। (व्यवधान) उन्होंने खुले तौर पर कहा कि न्यायाल के आदेश लागू नहीं होंगे और निर्माण कार्य होगा। यह बहुत गंभीर मामला है। इस सत्र के प्रथम दिन से हम यह मामला उठा रहे हैं। महोदय, 9 अप्रैल से निर्माण शुरू हुआ है। और गृहमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि प्रथम दृष्टि में यह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी निर्माण है। हम सरकार से कार्यवाही करने के लिए बार-बार कह रहे हैं। महोदय, यदि उन्होंने 9 और 10 को कार्यवाही की होती तो स्थिति को का रखा जा सकता था। महोदय, यह गंभीर स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजू पर लोगों को जानबूझकर ले आया गया और न्यायालय के आदेशों का खुले आम उल्लंघन किया गया मी बार है कि एक राजनैतिक पार्टी या इसके सहयोगी विश्व हिन्दू परिषद् खुलेआम कह रहे हैं कि के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, न्यायलय के आदेशों का उल्लंघन करके लोगों को कार सेवा के

नाम पर वहां एकत्र होने के लिए कहा गया है और विवादित स्थल पर निर्माण चल रहा है। यह स्थिति तो स्वीकृत है और सरकार कोई क़दम उठाए बगैर ही निष्क्रिय है। हम इसके लिए बार-बार कह रहे हैं। महोदय, भाजपा को छोड़ प्रत्येक विपक्षी दल इसमें शामिल है। उन्होंने बार-बार सरकार से कहा है कि जमीन का तत्काल अधिग्रहण करे। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहां हैं। **(व्यवधान)** हम ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते।

महोदय, क्या आपने भारत में कहीं भी न्यायाधीशों के पुतले जलते देखे हैं? न्यायाधीशों के पुतले सुनियोजित तरीके से जलाए गए हैं। क्या कानून व्यवस्था है? महोदय, यह धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता पर आघात किया गया है। इस देश में क्या हो रहा है? संविधान को नष्ट किया जा रहा है। वहां क्या हो रहा है? महोदय, हम अविश्वास प्रस्ताव के फैसले का इन्तजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सरकार अब यहां पर कार्यवाही करे। सरकार क्या करेगी? महोदय, अनेक दिन बीत चुके हैं, हम 8 जुलाई से इसे उठा रहे हैं, आज 17 जुलाई है, लगभग दस दिन बीत चुके हैं और यह सरकार निष्क्रिय बैठी है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तुरन्त इसका उत्तर दे। मैं जानना चाहता हूं कि गृहमंत्री कहां हैं। उन्हें स्वयं यहां आना चाहिए था और अगर स्थिति विस्फोटक है तो वक्तव्य देना चाहिए था। महोदय, क्या देश धर्म के आधार पर विभाजित होगा? मैं यहां पर अभी सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वह कुछ कार्यवाही करे। यदि वहां पर निष्क्रियता रहती है तो यह देश के लिए गंभीर बात है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यहां आएं और वक्तव्य दें। हम आगे कार्यवाही करें उससे पूर्व वक्तव्य दिया जाए। हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा देरी से आया और इस कारण मैं श्री सोमनाथ जी द्वारा उठाए पूरे मुद्दे को नहीं सुन सका लेकिन, मैंने उनकी टिप्पणी के अन्तिम भाग पर गौर किया जिसमें उन्होंने अयोध्या के संबंध में सरकार की निष्क्रियता का आरोप लगाया। इस मामले पर गत दिनों में अनेक अवसरों पर इस पक्ष से अनेक सदस्यों ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। हमने अपना मत बताया है और मैं आज इसे दोहराना नहीं चाहता सिर्फ उन द्वारा न्यायाधीशों या न्यायपालिका इत्यादि के विरूद्ध प्रदर्शन पर बोलूंगा। मैं पुतले जलाने या न्यायालय में नारे लगाने आदि जैसे प्रदर्शन करने वालों की निन्दा करता हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसकी निन्दा करता हूं और भा॰ज॰पा॰ का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं है। **(व्यवधान)**

महोदय, अयोध्या की स्थिति पर मैं पुनः सदस्यों को कहना चाहूंगा कि 'यदि आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए।' लेकिन अयोध्या में स्थिति शान्तिपूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश में मोहर्रम अनेक वर्षों में पहली बार पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, कोई घटना नहीं हुई। कोई तनाव, साम्प्रदायिक दुर्भावना नहीं है और यदि हम साम्प्रदायिक सद्भावना पर वास्तव में चिंतित हैं तो हमें गुजरात को देखना चाहिए। यहां पर कोई भी सदस्य गुजरात का उल्लेख नहीं कर रहा। मेरी पार्टी यह कहती रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायपालिका और न्यायालयों के प्रति पूर्ण सम्मान रखती है और न्यायालय ने जो भी आदेश दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें लागू करती रही है, लेकिन, उत्तर प्रदेश सरकार लोगों से प्राप्त जनादेश को भुला नहीं सकती। मेरा यही अनुरोध है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी के हस्तक्षेप के इस भाग को सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने पुतले जलाने या न्यायालयों का अनादर करने की निन्दा की। मेरे विचार से न्यायाधीशों के पुतले जलाने और वहां न्यायालयों के सम्मुख प्रदर्शन का आह्वान करने के विरूद्ध, इस सभा को एक होकर अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए। आडवाणी जी को याद होगा कि मैं राष्ट्रीय एकता [illegible] और

अन्य मंचों पर यही कहता रहा हूं कि यह मन्दिर या मस्जिद का मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतन्त्र, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार का मुद्दा है। आज हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर हमला हो रहा है और खुलेआम इस पर आघात किया जा रहा है और कार्यपालिका लगभग असहाय है और संसद केवल साक्षी बनी हुई है, जानकारी प्राप्त कर रही है और कोई हल नहीं कर पा रही। महोदय, यह मुद्दा मन्दिर और मस्जिद से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या हम लोकतांत्रिक संस्था को बनाए रखे हुए हैं? क्या हम यह देख रहे हैं कि वे इसे ढहा रहे हैं और हम इसे देख रहे हैं या इसमें शामिल हैं? यही मुद्दा है और मैं हर जगह यही मुद्दा उठा रहा हूं। हम अपने धर्म के प्रति सम्मान दर्शाने के योग्य हैं लेकिन, जब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर है, तो यह धार्मिक राज्य की स्थापना है जो किसी न किसी आवरण अथवा रूप में स्थापित किया जा रहा है। हमारे सार्वजनिक जीवन और भारत में लोकतन्त्र की यह सार्वजनिक बहस है। आपने यह बीज बोए हैं। यह आज नियन्त्रण से बाहर हो सकती है। आडवाणी जी ने इसकी निन्दा की है। संभवतः स्थिति उनके नियन्त्रण से बाहर हो रही है। हमारे उनसे और भा॰ज॰पा॰ से गंभीर मतभेद हैं। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का संबंध है, यह संविधान की संरक्षक है। यह जब शपथ लेती है और देश चलाने के दायित्व को लेती है, तो लोकतन्त्र और संविधान की संस्थाओं को कायम रखना इसका कर्त्तव्य है। अब न्यायपालिका, संविधान पर आक्रमण हो रहा है।

मैं कार्यपालिका और सरकार से जानना चाहता हूं कि वह संसद, इस केन्द्रीय विधानमंडल, जो, इस देश की सर्वोच्च संस्था है, को आज क्या बताना चाहती है। वह स्पष्ट रूप में यह व्यक्त करे, पहेलियां न बुझाए कि हम यह अनुमान ही करते रहें कि वह क्या करना चाहती है। हां, नरम प्रक्रिया नरम है क्या यह निर्विवाद है अथवा नहीं ' विवादित 'है' या 'नहीं है', 'है' और 'नहीं है'। इस दार्शनिक चर्चा के कारण हम इस स्थिति में फंस गए हैं। यह आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि हम इस मुद्दे पर वाद-विवाद करेंगे। मैं इस पर विस्तार पर बोलने के लिए आपका अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन, लोकतन्त्र का आधार ही खतरे में है और मैं समझता हूं कि जो मार्ग भा॰ज॰पा॰ ने अपनाया है, वह लोकतन्त्र की संस्था के हित में नहीं है और यह अन्ततः वहां ले आया है जिसकी हमें आशंका थी। यह भूलना नहीं चाहिए......**(व्यवधान)**........

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: शाह बानो के फैसले पर भी तो आपने जजेज़ की एफीजीज़ जलायी थीं, उस वक्त आपने क्यों सपोर्ट किया था। **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): उस वक्त आपने समर्थन किया था, जब कि हम लोगों ने उसे कण्डैम किया था। संविधान के पुतले जलाये गये थे। **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अभी आडवाणी जी बोल रहे थे तो हमने कुछ नहीं कहा, जब हमारे नेता बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है यह इनका व्यवहार ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): आडवाणी जी जब बोल रहे थे तो हम सब शांत थे, जब हमारी तरफ से बोला जा रहा है तो ये शोर मचा रहे हैं। हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा ही ऐसी घटना होती है, हमारी तरफ से कोई बोलता है तो शोर हो जाता है। हमने अनेक बार हाउस में इस मामले में कहा है।

महोदय, मुझे याद है कि आपके कक्ष में यह मुद्दा उठाया गया था और संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री अर्जुन सिंह और अन्य मंत्री वहां मौजूद थे और अटल जी ने यह प्रश्न किया था कि आप शिलान्यास की आलोचना कर रहे हैं और जब हम अपनी कार्यवाही कर रहे थे, आप वहां पर थे और शिलान्यास कराया था। आप राम-राज्य के लिए कह रहे हैं। फैजाबाद से चुनाव अभियान में राम-राज्य का मुद्दा किसने शुरू किया? यह बताया गया कि साधू एक मास पूर्व प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि "हम कार्य

शुरू कर रहे हैं।" इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई। कोई उत्तर नहीं मिला। हमारी पार्टी देखती है कि बीज दूसरे पक्ष द्वारा बोये गये। खाद और पानी इस पक्ष द्वारा डाला गया। तब हम यह फल देखते हैं जिसे आप प्राप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

सरकार स्पष्ट रूप से सामने आए और बताए कि वह इन संस्थाओं, संविधान को कैसे कायम रखेगी और ऐसे कार्यों को कैसे रोकेगी। आडवाणी जी, जब यह मामला संसद के समक्ष आया तो यह तय किया गया था। आपने इस मुद्दे पर वचन दिया था कि आप संसद के फैसले को मानेंगे। संसद इस मुद्दे पर निर्णय करे और स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर सामने आए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आएं और वक्तव्य दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): आप पहले मुझे सुनें और यदि संतुष्ट न हों तो कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, हमने 388 का नोटिस दिया है। इसका मतलब क्या यह है कि नोटिस की कोई कीमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपने बोला, आपने ही तो शुरू किया था।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली): शाहबानो के केस में श्री आरिफ मोहम्मद खां को निकाला गया क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शाहबानों के केस में समर्थन किया। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, हमने नियम 388 के तहत नोटिस दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। मैं इसी सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: स्पीकर सर, ...

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आजाद जी आप क्या कहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हमने यह समाचार पढ़ा है कि कल न्यायाधीशों के पुतले जलाए गए थे। निस्संदेह इस सभा में यह मामला बहुत चिंता का है। वास्तव में यह पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है।

मैं अनुभव करता हूं कि किसी व्यक्ति और राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक दल को न्यायपालिका का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महोदय, मैं उन व्यक्तियों की निंदा करता हूं जिन्होंने न्यायाधीशों के पुतले जलाए।

जहां तक माननीय सदस्यों की इस मांग का संबंध है कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को सभा में आना चाहिए। (व्यवधान)

शाहबानो के मामले में आपने न्यायालय के निर्णय की प्रतियां जलाई थीं। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव भी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): कृपया एक सेकिंड रुकिए। जब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने वक्तव्य

दिया था, तब उन्होंने यह कहा था कि वे न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब न्यायालय का आदेश आ गया है। सरकार पिछले तीन दिनों से क्या कर रही है? आपने कहा था कि आप आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: प्रधान मंत्री प्रश्न काल के तत्काल बाद अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 388 के तहत आपको नोटिस दिया है और आग्रह किया है कि आज क्वश्चन आवर को सस्पैंड किया जाए। अयोध्या के संबंध में कांस्टीट्यूशन ब्रेक-डाउन हो गया है, विश्व हिन्दू परिषद द्वारा जजों के पुतले जलाए जा रहे हैं। मैं आडवाणी जी से आग्रह करूंगा, आज के अखबार में निकला है कि आपकी पार्टी के एक एम॰ पी॰ उसमें शामिल थे। श्री सिंगल के साथ मिलकर गोरखपुर के एम॰ पी॰ ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में 20 तारीख को कहीं पर भी कोर्ट की कार्यवाहीं नहीं चलने देंगे। आपने यहां निन्दा की है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन आप इस बात का भी पता लगाइए। आपने कहा कि वहां सारा काम ठीक चल रहा है, वहां कोई काम ठीक नहीं चल रहा है। फैज़ाबाद के डी॰ एम॰ श्री श्रीवास्तव और एस॰ पी॰ श्री राय ने कहा कि हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में न्यायालय के घेराव की धमकी दी गई है। .....(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: फिर क्या हुआ?

श्री राम विलास पासवान: यदि पार्लियामेंट के मैम्बर कहें कि क्या होगा तो फिर क्या होगा, इसका किसी को पता नहीं है।

कल प्रधान मंत्री के यहां विश्व हिन्दू परिषद के लोग गए थे। श्री विष्णु हरि डालमिया, जो विश्व हिन्दू परिषद के प्रैज़ीडैन्ट हैं, उन्होंने साफ प्रधान मंत्री से कहा है कि हम किसी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा निर्माण जारी रहेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता है। भारत की सरकार यहां बैठी हुई है जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, देश की एकता की शपथ ली है, वहां संविधान टूट रहा है। प्रधान मंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वे गद्दी पर रहें। जो सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर सकती उसको एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है, आज़ाद जी, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, संविधान की हत्या हो रही है।

हम आग्रह करेंगे कि हमने जो नोटिस दिया है उसको एक्सैप्ट कीजिए। प्रधान मंत्री जी को यहां बुलाइए, आज उनका प्रश्न-काल था, उनको यहां आना चाहिए था। वे यहां आएं और अयोध्या के संबंध में क्या एक्शन ले रहे हैं, वह बताएं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो नोटिस दिया है मैं उसका विरोध करना चाहूंगा। इतने दिन हो गए, रोज उस मामले को उठाया जा रहा है, नो-कॉनफीडैंस मोशन आ रहा है, अभी प्रधान मंत्री जी बोलने वाले हैं, उसके बाद यदि कुछ रह जाए तब उस पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट के बारे में जो निन्दा की है, जो हुआ है वह गलत हुआ है, हम भी उसकी निन्दा करते हैं। लेकिन मैं एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे मित्रों को डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिये। जिस समय शाहबानो का केस हुआ था, उस समय इन्होंने कोर्ट के फैसले का क्या हाल किया था, वह भी मुझे अच्छी तरह से याद है। कोर्ट के आर्डर के बाद जब अयोध्या का ताला खुला था तो उसके बाद ही बाबरी ऐक्शन कमेटी शहाबुद्दीन जी ने बनायी थी। उसके बाद इसी बोट क्लब पर एक सभा हुई थी। उसमें ये सब मौजूद थे। उसमें शहाबुद्दीन जी ने कहा था कि हम किसी भी ऐसे कोर्ट के आर्डर को मानने को तैयार नहीं है और 26 जनवरी को हम

"नैशनल डे" के बजाय "ब्लैक डे" मनायेंगे। यह संविधान की हत्या करना चाहते हैं। हम कोर्ट का और संविधान का पूरा आदर करते हैं लेकिन किसी कानून की एक धारा का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि हम पूरे संविधान का विरोध करते हैं। जहां हम कोर्ट और संविधान का आदर करते हैं, वहीं उसके साथ-साथ हम मन्दिर का मामला कोर्ट की जूरिस्डिक्शन के बाहर मानते हैं .....(व्यवधान)......

[अनुवाद]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर): उन्हें अपना वक्तव्य वापिस लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: भगवान राम कहां पैदा हुए, यह फैसला कोर्ट नहीं कर सकती है। यह हमारी मान्यता का सवाल है। अगर उनमें हिम्मत है तो .....(व्यवधान)..... जो गलती मुलायम सिंह और वी॰ पी॰ सिंह ने की थी, अगर वही गलती कांग्रेस की सरकार करेगी तो उसका भी वही हाल होगा जो वी॰ पी॰ सिंह और मुलायम सिंह का हुआ था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, यदि सरकार अभी कार्यवाही नहीं करती है तो देश में फासिस्टवाद प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि न्यायाधीशों के पुतले जलाए गए हैं। कल उच्चतम न्यायालय के गलियारों में न्यायालय के विरुद्ध नारे लगाए जा रहे थे। न्यायाधीशों को धमकी दी जा रही है। अब यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि कुछ कट्टरपंथियों ने पहले भी ऐसी कार्यवाही की थी। देश में बुद्धिमान और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इस बात की उस समय भी निंदा की थी और अब भी कर रहे हैं। लेकिन, इस देश को समाप्त करने के लिए उनकी बराबरी करना ठीक नहीं है (व्यवधान)

इस सभा में अपने देश के संस्थानों के प्रति चिंता दर्शाने का कोई अर्थ नहीं है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वह न्यायाधीशों के पुतले जलाने की निंदा करते हैं .....(व्यवधान) लेकिन, वह इस सभा में कहते हैं कि अयोध्या मसले का निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह भी न्यायालय को समाप्त करने का एक तरीका है।

मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी से मांग करता हूं कि वह सभा में खड़े होकर उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल वहां निर्माण कार्य रोकने के लिए कहें। अन्यथा यहां चिन्ता दर्शाने का कोई लाभ नहीं है। वे यह बात समझ नहीं पाएंगे कि वे इस देश में क्या कर रहे हैं। लेकिन, सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और यह समय कार्यवाही करने का भी है। यदि वह कार्यवाही करेंगे, तो सभी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति उनकी सहायता करेंगे। मैं सरकार से कार्यवाही करने की मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं चाहता हूं कि न्यायालय अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अपमान संबंधी इस विशेष मुद्दे को समाप्त कर दिया जाए। महोदय, आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने यह मामला उठाया था, तब मैंने कोई 'किन्तु' 'परंतु' नहीं लगाए थे। मैंने शाहबानों मामले का उल्लेख नहीं किया था। ऐसा तभी कहा था जब कुछ सदस्यों ने यह टिप्पणी की थी कि मेरे सहयोगियों ने कुछ अन्य सदस्यों के आचरण के बारे में कुछ कहा था। लेकिन, जहां तक इस सभा तथा मेरे दल का संबंध है मैं न्यायपालिका का अपमान करने की निंदा करता हूं चाहे वह पुतले जला कर किया जाए अथवा नारे लगाकर किया जाए। लेकिन, मेरे एक सहयोगी द्वारा कही गई बात को गलत नहीं समझना चाहिए। मेरे पास स्थायी समिति का बोम्मई प्रतिवेदन है। इस बोम्मई प्रतिवेदन में न्यायालय के 1989 के निर्णय का उल्लेख किया गया है। यह

89 का सिविल 'मिसलेनियस' आवेदन संख्या 98 है जिसमें फैज़ाबाद जिला न्यायालय की टिप्पणियां दी गई हैं। इसमें कहा गया है:

"यह संदेहजनक है कि वाद में अंतविष्ट कुछ मुद्दे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुलझाए जा सकते हैं।"

अब यह न्यायालय ऐसा कह रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका न्यायालय अथवा न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर विश्वास नहीं है। अतः मेरे दल ने सदैव यही कहा है कि यदि कोई यह सुझाव देता है कि न्यायालय यह निर्णय करे कि राम का जन्म यहां हुआ था अथवा नहीं, तो यह न्यायालय द्वारा निर्धारित होने वाला मामला नहीं है। यह विश्वास का मामला है। अतः यह कहना कि हम विश्वास को न्यायालय तथा संविधान से ऊपर मानकर धार्मिक राज्य का पक्ष ले रहे हैं, सही नहीं है मैं एक बार फिर यह बात दोहराना चाहता हूं कि मेरा दल धार्मिक राज्य के विचार को अस्वीकार करता है। मेरा दल धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का विचार संविधान निर्माताओं ने शामिल किया था न कि मेरे दोनों पक्षों के मित्रों ने जिन्हें, मैं दिखावटी धर्मनिरपेक्षवादी मानता हूं उनका रवैया यह है कि भारत में यदि कोई मुसलमान यह कहता है कि "मुझे इस्लाम पर गर्व है" तब ठीक है। लेकिन, यदि कोई हिन्दू यह कहता है कि उसे "हिन्दुत्व पर गर्व है" तब वह संप्रदायवादी है **(व्यवधान)** जहां तक न्यायालय का संबंध है, यही चिंता का विषय है। हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सभा किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका का अपमान करने की निंदा करती है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करे जिन्होंने न्यायपालिका का अपमान किया है और मैं उसका समर्थन करूंगा **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री आडवाणी जी ने जो कुछ भी कहा है वह भड़काने वाली वाली बातें हैं। यदि न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता है .....

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): यह बात सही है **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी तथा विश्व हिन्दू परिषद कैसे निर्णय ले सकते हैं? वे इस प्रश्न पर कैसे निर्णय ले सकते हैं? अतः उनको कहना चाहिए कि कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः समाचार-पत्रों की रिपोर्ट ने केवल चौंकाने वाली हैं बल्कि, गंभीर भी है क्योंकि यदि हम विधि के शासन में विश्वास करते हैं तब उत्तर प्रदेश राज्य को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठे जाइए।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): अब तक ये लोग क्या कर रहे थे? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूं तब आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): यह चुनौती किसको दी गई है। गंभीरता से सोचिए। ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय: आप पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप भी तो वैसा ही कर रहे हैं। आप पहले बैठ जाइए। पहले आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्यों बोल रहे हैं, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर यह विषय महत्व का है और अगर यह सदन हमारे देश का सबसे बड़ा सदन है, तो मैं आप सब लोगों से यह विनती करूंगा कि आप यहां पर शान्ति से जो कुछ कहना है, कहिए। एक-के-बाद-एक कहिए और अगर आप अपनी जगह पर बैठ कर जोर-जोर से बोलेंगे और एक ही दफा में चार-चार और पांच-पांच लोग बोलेंगे, तो आपके बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता है। उससे कोई चीज़ हल नहीं हो सकती है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम तो आपको मत प्रकट करने के लिए संधि दे रहे हैं। मगर इसके बाद भी यह समझाना चाहते हैं, इस विषय पर आपके मन की भावनायें कितनी तीव्र हैं, आप लॉजिक बताने के बजाए, अपनी-अपनी जगह से चार-चार और पांच-पांच सदस्य उठ कर बोलेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरी आप से विनती है कि जो कुछ कहना है, कहिए। अगर यह विषय गम्भीर है, और है। यह सदन बड़ा है, है सदन बड़ा, तो उसी गम्भीरता से उसको होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यदि हम विधि का शासन चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार अथवा कोई भी राज्य देश के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उल्लंघन करने का प्रश्न है। श्री आडवाणी ने अभी न्यायाधीशों के पुतले जलाने की निंदा की है लेकिन, पूर्णतः उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने स्पष्ट रूप से उसकी निंदा की है।

श्री मनोरंजन भक्त: उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच करेगी और साथ ही उन्होंने कहा है कि उसके लिए उन्हें जनादेश प्राप्त हुआ था। यह प्रश्न विधि के शासन के बारे में है और कोई राजनीतिक दल इसे अपना अधिकार नहीं मान सकता चाहे उनके चुनाव घोषणा पत्र में कुछ भी हो। वे उस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने आदेश दिए हों।

महोदय, इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करे और चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देशभक्त हैं तथा वे स्थिति का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे और वे अपनी राज्य सरकार से भी ऐसा ही अनुरोध करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करे।

महोदय, अंत में एक बात और है। महोदय, इस सभा के सभी पक्ष संकेत दें और उन्हें पूरे देश को यह संदेश देना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक नीति विधि के शासन से संबद्ध है और विधि का शासन स्थापित किया जाएगा तथा हम उसकी रक्षा करेंगे। मेरा यही कहना है।

[हिन्दी]

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल करीब-करीब, भले ही आपने समाप्त नहीं किया, समाप्त हो रहा है। संसद के सामने, राष्ट्र के सामने एक ज्वलंत सवाल आया है और हम को लगता है कि आज हमारे इस संसद में जो दुनिया में सर्वोत्तम गणतान्त्रिक संस्था है...

मैं आज आपके माध्यम से सारे सांसद दोस्तों से निवेदन करूंगा कि हम जब दसवीं लोक सभा में, लोक सभा बनने के बाद हमने शपथ ली और हम सारे संविधान के प्रति शपथ लिए हैं, कसम खाए हैं और मैं आज बहुत तकलीफ के साथ देख रहा हूं कि हमारी इस संसद में हमारा राष्ट्र थियोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है उस पर भी प्रश्न-चिन्ह आ गया है और यह संदेह लोगों के दिमाग में आ रहा है। (व्यवधान)

मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ होगी कि हम लोग इतिहास को देख चुके हैं और एक बार हिन्दुस्तान धर्म के आधार पर विभाजित हो चुका है और हम लोगों को कोई पीछे से कह रहा है कि फिर होगा। हमको बहुत तकलीफ है कि कोई सांसद, हिन्दुस्तान का कोई सांसद अपने मन में इस तरह से कह सकता है कि धर्म के आधार पर फिर दोबारा देश विभाजित होगा। मैं थरथरा जाता हूं जब इस बात को सुनता हूं। मेरा सीधा सवाल है और इसलिए मैं खास करके आडवाणी जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो वक्तव्य है, वह जो कह रहे हैं कि यह जो पुतला जलाया गया, इस विषय में मैं कहना चाहता हूं और खास करके पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजादी से, कि मुझे आपका भाषण सुन करके खुशी हुई आपने एफसीजी जलाने के लिए निन्दा किया। हमें अपने हाल ही के इतिहास को नहीं भुलाना चाहिए। क्या यह सदन भूल गया? हम तो नहीं भूलेंगे, आडवाणी तो नहीं भूलेंगे कि राजनारायण जी के मामले पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, 12 जून, 1975 को, तो क्या कोर्ट के जज का पुतला नहीं जलाया गया था? उनको सी आई ए एजेंट नहीं कहा गया था। अध्यक्ष जी, मैं नहीं भूला, जो-जो हम लोग शिकार हुए हैं। हम लोग संसद के सदस्य थे। हम लोगों को जिस तरीके से डेढ़ लाख लोगों के साथ जेल में भेज दिया गया और उसके बाद जस्टिस जगमोहन लाल के एफसीजी को सारी दिल्ली में और भारतवर्ष में जलाया गया। क्या हम भूल गए, हम नहीं भूले, उसी तरह हमको खुशी हुई कि आडवाणी जी ने इसकी निन्दा की (व्यवधान)

मैं बहुत नम्रता से आपके जरिए आडवाणी जी से कहूंगा कि हम लोगों को लगता है, मेरा मन कहता है कि एक मेसेज इस सदन से जाना चाहिए, दुनिया को और देश को और हमारे 80 करोड़ देशवासियों को कि हम लोग संविधान की गरिमा के ऊपर कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं लगाएंगे। संविधान की गरिमा के अनुसार, प्रिएंबल के अनुसार हम एक धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, प्रजातांत्रिक, समाजवादी राष्ट्र कायम करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसी के आधार पर हम लोग कोर्ट का जो फैसला है उसको मानेंगे। कल्याण सिंह सरकार का परम कर्तव्य है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बैंच के फैसले को लेटर एण्ड स्पीरिट के साथ उसको कार्यान्वयन करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं लेनी चाहिए और मैं आज कहता हूं, अपने निवेदन के बाद मैं आज सारे बी जे पी के सांसदों से खास करके अटल जी और आडवाणी से, ये इस राष्ट्र के नेता हैं, ये स्टेट्समैन हैं। इन्हें एक पिटे-पिटाए रास्ते पर, जो पोलिटिशियन होते हैं उसके ऊपर उठ करके आज इस सदन को, देशवासियों को यह आश्वासन देना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का जो फैसला है उस फैसले को कल्याण सिंह मानें। कल्याण सिंह सरकार को भी दोनों नेताओं और बी जे पी हाई कमांड का परसुएंट करना चाहिए और कोई हिचक न रख करके ये कल्याण सिंह सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच के फैसले को मानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम लोगों के पास दो रास्ता बोल करके कहा गया था—एक तो नेगोसिएशन,

लेकिन नेगोसिएशन अब नहीं रहा, अब एन आई सी के फैसले के अनुसार हाई कोर्ट का फैसला हम लोगों के सामने आ गया। हाई कोर्ट का जो भी फैसला हो, उस फैसले को मानना चाहिए। हम लोगों के पास एक ही रास्ता रह गया है हिन्दुस्तान को बचाने के लिए और थीयोक्रेसी से जो हम नफरत करते हैं और डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते हैं, संविधान की गरिमा को रखने के लिए मैं कहूंगा कि आज एकमत से यहां से एक मैसेज जाना चाहिए और कल्याण सिंह सरकार को कहना चाहिए कि और कोई चारा नहीं है, सिवाए इसके कि लखनऊ बैंच के फैसले को वे मानें। यह काम तुरंत होना चाहिए, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

महन्त अवेद्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कहा है की मैं अयोध्या में जजों के एफिजी जलाने में साथ रहा हूं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं दो दिन से दिल्ली में हूं और शायद यह कल की घटना है इसलिए यह बात ठीक नहीं है। हमने हमेशा जजों का सम्मान किया है, उनका आदर किया है, लेकिन हमारे पक्ष को भी समझना चाहिए, हमारे पक्ष को समझने का प्रयास इस सदन में कोई नहीं कर रहा है। हमने स्पष्ट रूप से यह कहा है, कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जजों के निर्णय के क्षेत्र से बाहर होते हैं। मैं आपको दृष्टांत देता हूं। जिस तरह से ईसाई समाज का यह विश्वास है कि ईसा मसीह बेचलर कन्या से पैदा हुए हैं, आज यदि कोई इसका फैसला करे तो क्या यह संभव है, यद्यपि यह जागतिक नियम के विरूद्ध है। इसी तरह से मुसलमान बंधुओं का विश्वास है कि कश्मीर की हजरतबल मस्जिद में मोहम्मद साहब का बाल सुरक्षित है, यदि कोर्ट में इस चीज की शिकायत की जाए तो कोर्ट क्या कोई निर्णय कर सकता है, कोई कोर्ट यह कह सकता है कि यह बाल सचमुच में मोहम्मद साहब का है या नहीं। इसी प्रकार से अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो कोर्ट की सीमा से बाहर हैं। इसलिए हमारा यह कहना है कि रामजन्म भूमि के संबंध में भी करोड़ों हिन्दुओं का यह विश्वास है कि राम यहां पैदा हुए हैं, इसलिए आज यह बात कोर्ट की सीमा के बाहर है, करोड़ों हिन्दुओं के विश्वास के विरुद्ध कोई भी कोर्ट फैसला नहीं कर सकता है और इस बारे में अभी आडवाणी जी ने कोर्ट के फैसले का एक अंश पढ़कर सुनाया है, उसमें यह स्पष्ट हो जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, लेकिन जो विषय कोर्ट की सीमा के बाहर हैं, उन विषयों पर निर्णय देने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। राम जन्म भूमि के बारे में करोड़ों हिन्दुओं का यह विश्वास है, इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि जन्म भूमि आंदोलन देश के विभाजन के लिए यह किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर देश का विभाजन कौन कर रहा है पाकिस्तान बनने के बाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज को कौन बांट रहा है। आज अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार और छूट दी गई है, यह छूट किसने दी है और अल्पसंख्यक आयोग आज कौन बना रहा है। कश्मीर में धारा 370 लगाकर हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग कौन कर रहा है। आप आइने में अपना चेहरा देखिए। यदि देश का कोई विभाजन करना चाहता है तो वे लोग करना चाहते हैं जो दोहरे मापदण्ड रखते हैं, हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग-अलग रखने के लिए जिन्होंने दोहरी नागरिक संहिता बनाई है, वे लोग देश को बांटना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज साधु-संतों को राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब देश के अंदर, संसद के अंदर सब के लिए समान कानून बनाए जाते, समान नागरिक संहिता होती, किसी को जाति या धर्म के आधार पर विशेष सुविधाएं ने दी जातीं, **हम जानते हैं कि हिन्दू समाज रहेगा, तभी देश रहेगा, यह धर्म रहेगा, संस्कृति रहेगी। (व्यवधान)

आज कोर्ट का कौन असम्मान कर रहा है, हम लोग सम्मान कर रहे हैं। हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया

**अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

है, लेकिन कोर्ट को जिस विषय में निर्णय देने का अधिकार नहीं है, उस पर कोर्ट को निर्णय नहीं देना चाहिए। शाहबानों के मामले में क्या किया गया, आज ये लोग इस संसद में राष्ट्रीयता का गुणगान कर रहे हैं, यहां पर संविधान को बदल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ है, सुन्नियों के कब्रिस्तान में **(व्यवधान)**

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उसको संसद नहीं बदल सकती है। लेकिन आज किसी को यह साहस नहीं हो रहा है कि वहां पर उस क़ब्र को निकाल दिया जाए। विश्व हिन्दू परिषद कोर्ट और जजों का सम्मान कर रही है और हमेशा से करती रही है। **(व्यवधान)**

इसलिए आज केवल विश्व हिन्दू परिषद् हमेशा से कोर्ट का और जजों का सम्मान करती रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि मुसलमान लोग वहां पर 15 हजार हैं। उसमें इसी दल के लोग हैं जो वहां पर अपमान कर रहे हैं। इनके दल के लोग मिले हुए हैं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आप सरकार को रास्ता दिखाने में असफल रहे हैं। **(व्यवधान)** वे ऐसा मानेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उससे आप सहमत हैं।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): तीन महीने से हम देख रहे हैं। इन्होंने तीन बार व्यवस्था का सवाल उठाया।... **(व्यवधान)**... यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय अध्क्षय, महोदय, जहां तक कि मैं समझ सका हूं, माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि इस देश के अल्पसंख्यकों को इतना सिर पर चढ़ाया गया, जैसा कि अब किया जा रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य जनक बात नहीं होगी, यदि कुछ समय बाद पूरा देश ही पाकिस्तान में बदल जाए।

इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस देश के अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यकों को किसी भी कारण से पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कार्यवाही वृतान्त को पढ़ें और उसमें से इसे हटा दिया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जो कुछ भी उन्होंने कहा है क्या आप ने उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया है?... **(व्यवधान)**...

श्री तरित वरण तोपदार: सभा में ऐसे कथनों को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ... **(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप किस बात पर शोर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप हमेशा शोर क्यों मचाते रहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसको देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जायें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं इसको देखूंगा।

(व्यवधान)

11.53 म०प०

इस समय, श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा आधे घंटे तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नई निर्यात एवं आयात नीति

*143. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई निर्यात एवं आयात नीति का हमारे निर्यात-व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) 1 अप्रैल, 1992 से विभिन्न क्षेत्रों में कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात की स्थिति में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ङ) नीति की घोषणा किए जाने के बाद के केवल एक माह के आंकड़े उपलब्ध हैं। अतः यह मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है कि निर्यात पर नई निर्यात-आयात नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, नई नीति में नीतिगत उपायों के प्रति पूर्णतया प्रतिक्रिया व्यक्त करने में निर्यातकों को समय लगेगा।

चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए माह अप्रैल, 1992 के व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं। क्षेत्रवार अलग-अलग आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 1992 के दौरान भारत का कुल निर्यात 3960.01 करोड़ रु० मूल्य का हुआ जबकि अप्रैल, 1991 के दौरान यह 2952.29 करोड़ रु० मूल्य का हुआ था। इस प्रकार उसमें 34.1% की वृद्धि हुई। अप्रैल, 1992 के दौरान

भारत से सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी० सी० ए०) के देशों को 3671.87 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ जबकि अप्रैल, 1991 में यह निर्यात 2561.64 करोड़ रु० मूल्य का हुआ था। इस प्रकार, इस निर्यात में 43.3% की वृद्धि हुई है।

जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक संशोधन क्रियान्वित किए गए। इनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक कम करना और आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। विदेशी मुद्रा आय और निर्यात को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से रुपये को आंशिक तौर पर परिवर्तनीय बनाया गया है। इन सबको नई निर्यात-आयात नीति में और बेहतर ढंग से समेकित किया गया है जिनका अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उद्देश्य है कि उत्पादकता को बढ़ाया जाए, भारतीय उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाए तथा उसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और उसके परिणामस्वरूप उसकी निर्यात क्षमता बढ़ाई जाए।

[हिन्दी]

निर्यात करने वाली फर्मों का निरीक्षण

*144. श्री चेतन पी० एस० चौहान:
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निर्यात करने वाली फर्मों का निरीक्षण किया गया;

(ख) निर्यात करने वाली ऐसी कुल कितनी फर्में हैं जिनके विरुद्ध परिषद् को शिकायतें मिली हैं और जिन्हें काली सूची में रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार काली सूची में रखी गयी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं का क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई आई सी) के प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण के अधीन पांच निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ई आई ए) स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान इन निर्यात निरीक्षण अभिकरणों ने क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के संबंध में 954 निर्यात फर्मों का निरीक्षण किया।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी निर्यात फर्मों के विरुद्ध क्वालिटी के संबंध में सोलह शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें से किसी फर्म को काली सूची में नहीं रखा गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर अपवंचन

*145. श्री अर्जुन सिंह यादव:
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर आयुक्तों को गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों से कर-अपवंचन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा लंबित शिकायतों को कब तक निपटाया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) विगत 3 वित्त वर्षों के दौरान कर-अपवंचन से संबंधित संसद सदस्यों की सत्रह शिकायतें आयकर आयुक्तों को प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग) जी, हां। इन सभी मामलों में सर्वेक्षण अथवा तलाशी अथवा अन्य जांच-पड़ताल विषयक कार्यवाहियों के रूप में समुचित कार्यवाही शुरू की गई थी।

(घ) भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

सोने व अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी

*146. डा० लाल बहादुर रावल:
श्रीमती गिरिजा देवी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से अब तक प्रत्येक महीने के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना तथा अन्य निषिद्ध वस्तुएं जब्त की गयीं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने तस्करों तथा तस्करी करने वाले गिरोहों का पता लगाया गया और उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जनवरी से जून, 1992 तक प्रत्येक महीने के

दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने की मात्रा तथा मूल्य और अन्य निषिद्ध वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है। तथापि, राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

1992*	सोना		अन्य निषिद्ध वस्तुएं
	मात्रा (कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
जनवरी	423.60	20.66	33.19
फरवरी	279.20	12.60	27.41
मार्च	296.50	12.53	47.43
अप्रैल	204.87	8.98	13.00
मई	337.79	13.87	19.21
जून	128.30	5.28	17.67

* ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) जनवरी से जून, 1992 तक की अवधि के दौरान, 81 व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें, प्रत्येक मामले में, एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की निषिद्ध वस्तुओं के अभिग्रहण के 28 मामलों में तस्करी संबंधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

विदेशी बैंकों की तुलना में भारतीय बैंकों को हुआ लाभ/हानि

*147. श्री गया प्रसाद कोरी:
श्री मदन लाल खुराना:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में (जून, 1992 तक) भारतीय तथा विदेशी बैंकों के लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जून 1991 से जून 1992 तक विदेशी बैंकों द्वारा किया गया कारोबार भारतीय बैंकों के कारोबार से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):

(क): यथा उपलब्ध और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्च 1991 और मार्च 1992 को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लाभ/हानि के ब्यौरे संलग्न विवरण-i और ii में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.1991 और 31.3.1992 को समाप्त अवधि के लिए विदेशी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए कारबार की मात्रा (जमाराशियों और अग्रिमों के अनुसार आंकी गई) निम्नलिखित थीं:

(करोड़ रुपये)

सरकारी क्षेत्र के बैंक		कुल जमाराशियां (अन्तर बैंक जमाराशियों के अतिरिक्त)	बैंक ऋण (अन्तर बैंक अग्रिमों के अलावा)
1.	31.3.1992 को समाप्त वर्ष	179836.74	108096.64
2.	31.3.1992 को समाप्त वर्ष	207807.60	116411.51
3.	वृद्धि की प्रतिशत दर	15.55%	7.69%
	विदेशी बैंक		
1.	31.3.1991 को समाप्त वर्ष	11298.15	6827.38
2.	31.3.1992 को समाप्त वर्ष	17112.80	8837.53
3.	वृद्धि की प्रतिशत दर	51.47%	29.44%

अतः यह प्रतीत होता है कि जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए कारबार की मात्रा विदेशी बैंकों द्वारा किए गए कारबार की अपेक्षा अधिक थी, कारबार की वृद्धि विदेशी बैंकों के मामले में अधिक थी।

(ग): सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में भारत में विदेशी बैंकों का कार्यनिष्पादन तुलना करने योग्य नहीं है क्योंकि भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं महानगरीय शहरों और पत्तन नगरों में स्थित हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती हुई समस्त देश में फैली हुई हैं। इसके अलावा-विदेशी बैंकों का विश्वव्यापी जाल फैला हुआ है जो उन्हें अनिवासी भारतीयों से अधिक जमाराशियां दे सकती है। अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी बैंकों के बेहतर कार्यनिष्पादन में परिचालनों में यंत्रिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण, निम्न निदेशात्मक उधार और गैर-निधि कारबार के उच्च स्तर का भी योगदान हो सकता है।

विवरण—I

31 मार्च 1991 और 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रकाशित लाभों को दर्शाता विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	प्रकाशित लाभ 1990-91	प्रकाशित लाभ 1991-92
1	2	3	4
क.	भारतीय स्टेट बैंक समूह		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	107.01	175.05
2.	स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर	5.50	9.50
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.51	12.75
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2.94	3.22
5.	स्टेट बैंक मैसूर	2.87	3.85
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	14.59	29.78

1	2	3	4
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4.50	6.00
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	4.00	5.09
ख.	राष्ट्रीयकृत बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	21.04	28.11
2.	बैंक आफ बड़ौदा	35.05	95.10
3.	बैंक आफ इंडिया	22.46	56.63
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	4.10	4.04
5.	केनरा बैंक	76.04	156.59
6.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12.53	30.49
7.	देना बैंक	8.51	9.10
8.	इंडियन बैंक	21.00	36.50
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.41	9.05
10.	पंजाब नेशनल बैंक	43.69	112.44
11.	सिंडिकेट बैंक	5.25	4.46
12.	यूनाइटेड बैंक	5.78	6.68
13.	यूनियन बैंक	11.56	29.45
14.	यूको बैंक	— 42.96 (Loss)	—20.99
15.	आंध्रा बैंक	8.21	8.42
16.	कार्पोरेशन बैंक	4.65	5.20
17.	न्यू बैंक आफ इंडिया	— 45.00 (loss)	N.A.*
18.	ओरिएंटल बैंक	23.68	26.78
19.	पंजाब एंड सिंध बैंक	— 5.45(loss)	N.A.*
20.	विजया बैंक	0.25	1.84

*वार्षिक रिपोर्टों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण—II

31 मार्च 1991 और 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्षों के लिए विदेशी बैंकों के प्रकाशित लाभों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	बैंक का नाम	प्रकाशित लाभ	
1	2	3	4
		1990-91	1991-92
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि॰	22.42	N.A.*
2.	अल्गेमन बैंक निदरलैण्ड एन॰ वी॰	5.50	N.A.*
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि॰	0.32	1.21
4.	ए एन जेड ग्रिंडलेज बैंक	34.10	N.A.*
5.	बैंक आफ अमेरिका एन टी एण्ड एस ए	22.08	63.51
6.	ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	5.43	7.29
7.	बैंक आफ टोक्यो	6.05	9.62
8.	बांक्वे नेशनल दे पेरिस	1.93	9.37
9.	बैंक आफ ओमान लि॰	0.59	1.53
10.	बांक्वे इण्डोसुएज	2.76	7.92
11.	बी॰सी॰सी॰आई॰	5.24	N.A.*

1	2	3	4
12.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	1.72	N.A.*
13.	बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवेत बी॰एस॰सी॰	1.50	2.80
14.	सिटी बैंक एन॰ ए॰	58.61	N.A.*
15.	क्रेडिट लायोनाइस	4.46	6.62
16.	ड्यूश बैंक	6.68	15.48
17.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि॰	14.67	38.27
18.	सकूरा बैंक लि॰	2.56	3.85
19.	ओमान इंटरनैशनल बैंक एस॰ए॰ओ॰	2.84	1.53
20.	सोसिएटी जनरल	1.87	3.72
21.	स्टेण्र्ड चार्टर्ड बैंक	31.18	N.A.*
22.	सोनाली बैंक	0.31	N.A.*
23.	बारक्लेज बैंक	(—) 0.81	1.81
24.	सन्वा बैंक लि॰	—	N.A.*

N.A. — उपलब्ध नहीं

*भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना प्राप्त नहीं हुई।

[अनुवाद]

नई ऋण नीति

*148. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई ऋण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और पिछली नीति की तुलना में इसमें किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण किस सीमा तक समाप्त हो जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 की पहली छमाही के लिए ऋण नीति 21 अप्रैल, 1992 को घोषित की गई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के समर्थन हेतु वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का न्यायोचित ढंग से उपयोग करें। ऋण नीति में किए गए उपायों में ये शामिल हैं: 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकद प्रारक्षित निधि अनुपात को वापस लेना और वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)—जमा अनुपात को समाप्त करना, उधार दर ढांचे को और युक्तिसंगत बनाना, 46 दिनों से 3 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की जमा दरों की संख्या कम करके एक ही जमा दर निर्धारित करना, बचत जमा ब्याज दर में वृद्धि, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के ऋणों और अन्य गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋणों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, शाखाओं की पुर्नस्थापना के लिए बैंकों को स्वतंत्रता आदि।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र का नियंत्रण क्रमिक रूप से कम करने की नीति अपना रहे हैं जो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के अनुरूप है और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका को बिना कम करके किया जा रहा है। नवीनतम ऋण नीति ने बैंकों को विभिन्न परिपक्वता अवधियों पर 13% कैप के अन्दर ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। बैंक आवधिक आधार पर जमा दरें संशोधित कर रहे हैं। बैंकों को अपने विद्यमान शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत

बनाने में सक्षम करने के प्रयोजन से बैंकों को शाखाओं की पुर्नस्थापना करने, विशेषज्ञ शाखाएं खोलने, कारोबार अन्य स्थानों पर बढ़ाने, नियंत्रक कार्यालय/प्रशासनिक एकक स्थापित करने और विस्तार काउंटर स्थापित करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

स्वापक औषध की तस्करी

*149. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले तीन महीनों के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रतिमाह कितनी मात्रा में हेरोइन तथा अन्य स्वापक औषध पकड़े गए; और

(ख) सरकार द्वारा स्वापक औषधों की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान पूरे भारत में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में जब्त की गई हेरोइन तथा अन्य नशीले पदार्थों के संबंध में उपलब्ध सूचना नीचे तालिकाओं में दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

सम्पूर्ण भारत

(कि०ग्रा० में)

नशीले पदार्थ का नाम	अप्रैल	मई	जून
अफीम	114	54	—
मारफीन	—	—	—
हेरोइन	21	10	356
गांजा	1086	275	667
हशीश	3	363	39
मैथाक्वालोन	1470	532	7

उत्तर प्रदेश

(कि०ग्रा० में)

नशीले पदार्थ का नाम	अप्रैल	मई	जून
अफीम	—	1	—
मारफीन	—	—	—
हेरोइन	1	4	—
गांजा	10	—	0.2
हशीश	—	—	—
मैथाक्वालोन	—	—	—

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के समन्वय से स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की कड़ी व्यवस्थाओं को विभिन्न केन्द्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, पुलिस, राज्य उत्पाद शुल्क आदि के माध्यम से सक्रियता से लागू कर रही है।

[हिन्दी]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आवास योजना

*150. श्री एन०जे० राठवाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विचार आवास विकास वित्त निगम के सहयोग से एक आवास योजना प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) किन-किन राज्यों में मकान बनाये जायेंगे, कुल कितने मकान बनाये जायेंगे और उक्त योजना किन-किन आय वर्गों के लिये होगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने आवास विकास निगम के सहयोग से 25 जून, 1992 से एक आवास यूनिट स्कीम शुरू की है। निवासी एवं अनिवासी व्यक्ति (अप्रत्यावर्तनीय आधार पर) न्यूनतम 20 यूनिट तक प्रत्येक 100 रुपए के अंकित मूल्य वाली यूनिटों में निवेश कर सकते हैं। जुटाई गई निधियों का निवेश आवास वित्त कम्पनियों, इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों और अन्य पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार पत्रों में किया जाएगा। स्कीम के अन्तर्गत यूनिट धारक, क्रमशः चार और सात वर्षों की धारणा अवधि के पश्चात् खरीदी गई यूनिटों के तीन गुने और चौगुने मूल्य के बराबर धनराशि आवास विकास वित्त निगम से आवास ऋण लेने के हकदार होंगे। ऋण की वापसी अदायगी दस वर्षों में की जायेगी तथा आवास विकास वित्त निगम के पास यूनिट धारक के प्रतिबद्ध यूनिटों की पुनः खरीद से यह वापसी अदायगी भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। चूंकि आवास ऋण का फायदा उठाना व्यक्तिगत यूनिट धारकों की इच्छा पर निर्भर होगा, अतः निर्माण किये जाने वाले मकानों की संख्या, ऐसे मकानों का स्थान, स्कीम के अन्तर्गत आने वाले संभावित आयवर्ग समूहों तथा स्कीम पर होने वाले संभावित अनुमानित व्यय का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

अध्ययन दौरों के लिए संसद सदस्यों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा

*151. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संसद सदस्यों को अध्ययन दौरों के लिए इस समय कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राशि में वृद्धि करने का है जिससे संसद सदस्य अपने अध्ययन दौरों का अधिकतम उपयोग कर सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) एक संसद सदस्य विदेश में अध्ययन यात्रा के लिए 27,000/- रुपए प्रति अवधि विदेशी मुद्रा-कोटा पाने का हकदार है।

(ख) से (घ) इस समय इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है परन्तु सरकार का इस स्थिति को समीक्षाधीन रखने का प्रस्ताव है। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होने पर इसमें वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

तम्बाकू की खरीद

*152. **श्री धर्मभिक्षम**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तंबाकू उत्पादों को व्यापारियों से अपने उत्पादों का न्यूनतम मूल्य मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तम्बाकू उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य उपलब्ध कराने हेतु खुले बाजार से तंबाकू की खरीद करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का कौन सा अन्य उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन): (क) से (घ) तम्बाकू बोर्ड आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में अपने नीलामी मंचों पर नीलामियां करता है, जहां पर तम्बाकू के उपजकर्ता बिक्री के लिए अपना तंबाकू लाते हैं। सिगरेट के विनिर्माता, निर्यातक तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य तंबाकू व्यापारी नीलामियों में भाग लेते हैं तथा तम्बाकू खरीदते हैं। आंध्र प्रदेश में नीलामियां इस वर्ष 14 फरवरी, 1992 को शुरू हुई थीं। ऐसे कुल 23 नीलामी प्लेटफार्म हैं।

वर्ष 1990 तक आंध्र प्रदेश में नीलामी प्लेटफार्मों पर औसत कीमत 17/- रु० प्रति कि०ग्रा० से अधिक नहीं बढ़ी थी। वास्तव में 1990 में औसत कीमत केवल 14.69 रु० प्रति कि०ग्रा० थी। वर्ष 1990 में, मांग में तीव्र वृद्धि हुई, और इसलिए आंध्र प्रदेश में नीलामी की औसत कीमत 33 रु० प्रति कि०ग्रा० तक बढ़ गई।

तथापि, इस वर्ष आंध्र प्रदेश में नीलामियों में औसत कीमत में कमी आई है। इस वर्ष नीलामी की औसत कीमत लगभग 28 रु० प्रति कि०ग्रा० है जबकि पिछले वर्ष औसत कीमत 33 रु० प्रति कि०ग्रा० थी। यह कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा निर्यात लगभग 16 प्रति कि०ग्रा० की न्यूनतम समर्थन कीमत तथा व्यापारियों द्वारा निश्चित 18.50 प्रति कि० ग्रा० से 21.50 रु० प्रति कि०ग्रा० की न्यूनतम गारंटी कीमत के विपरीत था।

कीमतों में गिरावट आने के कई कारण रहे हैं। इस वर्ष कुछ प्रतियोगी देशों जैसे ब्राजील, जिम्बाब्वे, मालवी, अर्जेनटीना तथा मैक्सिको में अत्यधिक उत्पादन हुआ है। रूस ने अब तक वर्ष 1992 के लिए भारत-रूस व्यापार संलेख में परिकल्पित 25,000 मी० टन की तुलना में केवल 9,600 मी० टन के लिए ही साख पत्र खोले हैं। यू०के० के सौदागर, जो हमारे प्रमुख क्रेताओं में से है, इस वर्ष कम सक्रिय रहे हैं।

जिम्बाबवे में हाल के मुद्रा के अवमूल्यन के कारण भारतीय तंबाकू को उस देश से कीमत के मामले में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

चालू मौसम के दौरान एस॰सी॰वी॰ तंबाकू की कीमत पिछले वर्ष को छोड़कर अब तक की सबसे अधिक कीमत थी। सरकार की दृष्टि में तंबाकू के उपजकर्ताओं का हित सर्वोपरि है। तंबाकू बोर्ड के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की दी हुई स्थिति में किसानों को जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक कीमत मिले।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

*153. श्री परसराम भारद्वाज:
श्री बापू हरि चौरे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिकों की भागीदारी से राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों के कार्यकरण में सुधार आया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मिलों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों में श्रमिकों की भागीदारी शुरू करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निदेशक मंडल के स्तर पर श्रमिकों की कोई भागीदारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) एन॰टी॰सी॰ मिलों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुई है।

(ख) श्रमिकों की सहभागिता की योजना राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 80 वस्त्र मिलों में प्रबंधन-समितियों के रूप में शुरू की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निदेशक बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने से पहले यह प्रस्ताव है कि एन॰टी॰सी॰ की सभी मिलों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, प्रबंधन समितियों के रूप में शुरू की जाए।

चन्दन के लट्ठों की तस्करी

*155. श्री गुरुदास कामत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी राज्यों से चन्दन के लट्ठों की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष और 30 जून, 1992 तक सरकार ने कितने मामलों का पता लगाया;

(ग) इस संबंध में कितने तस्कर पकड़े गये; और

(घ) चन्दन की लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) चन्दन के लट्ठों की दक्षिणी राज्यों से तस्करी करने का प्रयत्न करने का जो एक मामला ध्यान में आया था उसमें मद्रास स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों ने, मार्च, 1992 में, 23.418 मीट्रिक टन चन्दन के लट्ठे/ छड़ें पकड़ी थीं जिनका मूल्य लगभग 82 लाख रुपये था। इस मामले की छानबीन की जा रही है और इसमें अभिकथित रूप से शामिल 6 व्यक्तियों ने अदालत से पहले ही जमानत ले रखी है।

(घ) सीमाशुल्क अधिकारी तस्करी की गतिविधियों के प्रति चौकस रहते हैं। अवैध निर्यातों की रोकथाम के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाता है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के कार्य में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

[हिन्दी]

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

156. **श्री दाऊदयाल जोशी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा 1992 में अब तक किन-किन देशों को हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय हथकरघा वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) भारत के हथकरघा सामान का निर्यात विश्व के सौ से अधिक देशों को किया जाता है। वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रमुख बाजारों को सूती हथकरघा फैब्रिक तथा मेड-अप के निर्यात के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे कि बिक्री-सह-अध्ययन दलों को भेजना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, शुल्क वापसी की मंजूरी तथा उपयुक्त कोटा नीति संबंधी उपाय करना।

विकास आयुक्त (हथकरघा) हथकरघों पर निर्मित फैब्रिक की उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार लाने के लिए करघों के आधुनिकीकरण (नवीकरण) खरीद के लिए सहायता प्रदान करने की एक योजना चला रहा है। देश में फैले हुए 23 बुनकर सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र तथा 3 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान नए डिजाइन का विकास करने, बुनाई और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी में सुधार लाने, हथकरघा शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के लिए सहयोग दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास, बुनकर सेवा केन्द्रों, हथकरघा निदेशालय तथा अन्य संबंधित संगठनों के समन्वय से मुख्यतः निर्यात के लिए हथकरघा उत्पादन सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए एक कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में मौजूदा प्रौद्योगिकी तथा प्रयुक्त प्रक्रियाओं का पता लगाना, इन केन्द्रों में उत्पादन की क्वालिटी में सुधार लाने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करना शामिल है।

विवरण

प्रमुख आयातक देशों को निर्यात

(आंकड़े करोड़ रु॰ में)

क्रम सं॰	देश	1989-90			1990-91			1991-92		
		पैकिट	थोक-अप	कुल	पैकिट	थोक-अप	कुल	पैकिट	थोक-अप	कुल
1.	सं॰ रा॰ अमरीका	26.6	101.3	127.9	22.3	111.4	133.7	38.1	215.4	253.5
2.	जापान	8.7	18.1	26.8	10.2	28.5	38.7	16.0	63.5	79.4
3.	ब्रिटेन	2.4	9.1	11.5	5.6	13.6	19.2	10.1	27.3	37.2
4.	जर्मनी	4.2	20.2	24.4	3.6	27.2	30.8	4.3	33.2	37.4
5.	इटली	0.8	9.7	10.5	0.4	12.7	13.1	0.3	29.6	29.4
6.	स्वीडन	3.9	12.7	16.6	4.0	15.4	19.4	7.1	22.2	29.3
7.	आस्ट्रेलिया	2.4	17.2	19.6	1.6	16.1	17.7	3.5	27.7	31.2
8.	सिंगापुर	12.6	1.0	13.6	14.3	0.6	14.9	18.[illegible]	1.2	19.8
9.	फ्रांस	1.7	5.0	6.7	1.8	7.8	9.5	2.0	10.9	12.9
10.	डेनमार्क	1.2	3.9	5.1	1.2	5.7	6.9	1.6	7.7	9.3
11.	नार्वे	0.6	5.8	6.3	0.4	7.6	8.0	0.6	8.7	9.3
12.	कनाडा	0.3	8.8	9.1	0.2	8.4	8.6	0.3	12.9	13.1
13.	अन्य	46.8	16.9	63.8	57.1	29.1	86.6	86.7	42.8	129.7
	अन्य :	112.2	229.7	341.9	122.7	284.6	407.3	189.1	503.1	692.2

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

157. **श्री राजेश कुमारः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकिंग उद्योग के कम्प्यूटरीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990-94 की अवधि के लिए बैंकों में कम्प्यूटरीकरण के लिए एक संदर्श योजना तैयार करने के वास्ते सितम्बर 1988 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1989 में प्रस्तुत की।

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है:—

(i) पांच वर्ष की अवधि (1990-94) के लिए बैंक कम्प्यूटरीकरण का जोर अधिकांशतः 30 बड़े व्यावसायिक केन्द्रों में स्थित 750 वाउचरों या इससे अधिक के दैनिक कार्यभार वाली 2000-2500 बड़ी शाखाओं के सभी परिचालनों को कम्प्यूटीकृत करना होना चाहिए।

(ii) पहले दो/तीन वर्षों में कम्प्यूटरीकरण के लिए, कार्यालय के बैंक आफिस कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ लगभग 500 बड़ी शाखाओं (प्रतिदिन 1500 या इससे अधिक वाउचरों वाली प्रत्येक शाखा) को चुना जा सकता है। दूसरे चरण में, शेष 1500-2000 शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा सकता है।

(iii) क्षेत्रीय/अंचल/मंडल कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करना होगा। बैंक प्रधान कार्यालयों में यथाशीघ्र मेन फ्रेम लगाने और उसे परिचालित करने के लिए समन्वित प्रयास भी कर सकते हैं।

(iv) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सामान्य आंकड़ा सम्प्रेषण नेटवर्क के रूप में सहयोग के आधार पर बैंकनेट स्थापित किया जा सकता है। इस नेटवर्क का प्रयोग वाह्य-बैंक और अंतर-बैंक कार्यों के लिए किया जा सकता है जैसेः— ग्राहक द्वारा किसी भी शाखा से नकदी आहरित करना/जमा करना, निधियों का अंतरण, क्रेडिट कार्ड प्रमाणीकरण, सांख्यिकी, बैंकों की निधियों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, विदेशी मुद्रा कारोबार, स्विफ्ट तक पहुंच आदि।

(v) भारतीय बैंक संघ द्वारा यथा प्रस्तावित स्वचालित टेलर मशीनों के मिश्रित नेटवर्क का प्रारंभ में बम्बई में एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे अनुकूल स्थानों पर स्वचालित टेलर मशीनें लगाकर परीक्षण किया जा सकता है। अलबत्ता, परियोजना को अन्य केन्द्रों में शुरू करने से पहले, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी ताकि इसमें अन्तर्ग्रस्त निवेश और व्यय के मुकाबले उसकी क्षमता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जा सके।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति की सिफारिशें स्थूल रूप से स्वीकार कर ली गई हैं।

4—91 LSS/93.

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

*158. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डीः
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमरीका ने यह संकेत दिया है कि भारत से सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात-कोटे में वृद्धि, अमरीकी वस्त्र उद्योग को पारस्परिक आधार पर भारत में विपणन की सुविधा दिये जाने पर ही की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस मांग पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) अधिकांश औद्योगिकीकृत देशों मुख्यतः अमरीका ने उरुग्वे दौर की वार्ताओं में यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जो देश वस्त्रों और पहनावों में उनके बाजार में व्यापक प्रवेश प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं उन्हें इन उत्पादों के लिए अपने स्वयं के बाजार खोलने में भी प्रगति करनी चाहिए।

(ख) से (ङ) भारत भुगतान-संतुलन संबंधी कारणों से उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने के संबंध में प्रतिबंधित नीति बनाए हुए है। चूंकि वस्त्र और पहनावे की अधिकांश मदें उपभोक्ता वस्तुएं हैं इसलिए इनका आयात भी लाइसेंस के आधार पर होता है। भारत के व्यापारी सहभागियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में वस्त्रों के आयात में कोई विशेष ढील के लिए 'भुगतान-संतुलन' की स्थिति में पर्याप्त सुधार आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना

*159. श्री एस० बी० चन्द्रशेखर मूर्तिः
श्री बी० श्रीनिवास प्रसादः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब का एक प्रमुख कारण पर्याप्त ऋण वितरण का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) विश्व बैंक स्विस सहायता प्राप्त 555 करोड़ रु० के परिव्यय वाली राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत 17 राज्य आते हैं। इस परियोजना की जटिलता के बावजूद इसके क्रियान्वयन की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत ऋण की आवश्यकता 165.6 करोड़ रु० आंकी गई है। इसमें से 5 परम्परागत राज्यों के लिए 143.5 करोड़ रु० ऋण की आवश्यकता है तथा बाकी 22.1 करोड़ रु० अन्य 12

प्रायोगिक राज्यों के लिए है, जबकि (मार्च, 92 तक) परम्परागत राज्यों के लिए ऋण का प्रवाह लक्ष्य का 46 प्रतिशत रिकार्ड किया गया है। फिर भी, यह प्रायोगिक राज्यों के लिए निर्धारित समग्र लक्ष्य का लगभग 10 प्रतिशत रहा है। तथापि, ऋण के प्रवाह की धीमी गति के फलस्वरूप परियोजना के अन्तर्गत व्यवस्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, शहतूती एकड़ क्षेत्र का विस्तार करने आदि में विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा 5 परम्परागत राज्यों (अर्थात् कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड 12 गैर-परम्परागत राज्यों (अर्थात् केरल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) के 20 राज्यों में यह परियोजना क्रियान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसियां अपने संबंधित संघटकों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठा रही है तथा इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर परियोजना की प्रगति का मानीटर किया जा रहा है।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रायोगिक राज्यों, जिलाधिशों तथा जिला अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण, कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त प्रयोजना के विभिन्न कार्य-अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि वे परियोजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट रेशम उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर सकें। परियोजना क्षेत्र के प्रभारी अधिकारियों के कार्यशालाओं क्षेत्रीय दिवस का आयोजन करने का परामर्श दिया गया है ताकि परियोजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का आवश्यक मार्ग-निर्देशन किया जा सके।

परियोजना के अन्तर्गत ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है ताकि बैंकों और ऋणदाता संस्थानों को रेशम उत्पादन क्षेत्र की आर्थिक क्षमता तथा ऋण आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस उद्देश्य के लिए "एन० एस० पी० न्यूज लेटर" नामक मासिक पत्रिका भी प्रचालित कर रहा है। हाल ही में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 22 और 22 मई, 1992 को बंगलौर में रेशम उत्पादन को ऋण देने संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

*160. श्री रूप चन्द पाल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनेक संगठनों की ओर से राष्ट्रीय कपड़ा निगम को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के निर्णय के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को चालू रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत रुग्ण मिल कम्पनियों के मामले बी० आई० एफ० आर० को न भेजे जायें।

(ग) सरकार एन० टी० सी० द्वारा प्रस्तावित "सर्वांगीण सुधार की नीति" पर विचार कर रही है जिसमें उसका पुनर्निमाण, समामेलन, आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर सड़क कर

*161. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले बसों और ट्रकों जैसे वाणिज्यिक वाहनों पर सड़क कर लगाने के लिये कोई नयी योजना बनायी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उससे प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी विभागों द्वारा हथकरघा वस्तुओं की खरीद

*162. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में हथकरघा और खादी से बनी वस्तुएं बुनकरों के पास जमा हो गई हैं;

(ख) क्या यह स्थिति सरकारी विभागों द्वारा हथकरघा से बनी वस्तुएं न खरीदे जाने के कारण उत्पन्न हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जहां तक हथकरघा का संबंध है हथकरघा उत्पादों का संचय सामायिक है। क्योंकि हथकरघा कपड़े की बिक्री त्यौहारों के मौसम में अधिक होती है। तथापि कपड़े का संचय बुनकरों के पास नहीं है बल्कि यह उन अभिकरणों के पास है जो हथकरघा कपड़े की बिक्री करते हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार खादी बुनकरों के पास खादी उत्पादों का कोई स्टाक संचय नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) कई राज्यों में सरकार के ऐसे आदेश हैं कि हथकरघा उत्पादों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाए। केन्द्र सरकार ने भी हथकरघा और खादी क्षेत्रों के उत्पादों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी है। केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रमों को भी निदेश दिए गए हैं कि अपनी वस्त्र मदों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हथकरघा क्षेत्र को प्राथमिकता दें।

हथकरघा उत्पादों के स्टाक को समाप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के बराबर-बराबर सहयोग से राज्य हथकरघा निगमों/शीर्ष निकायों और अन्य मान्यता प्राप्त हथकरघा अभिकरणों को विपणन विकास सहायता के रूप में 50 करोड़ रुपये वार्षिक सहायता देती है। सरकार हथकरघा उत्पादों के विपणन में संवर्धन लाने के लिए बड़े महानगरों में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां भी आयोजित करती है। खादी मदों की बिक्री पर भी विशेष छूट दी जाती है और खादी उत्पादों की शीघ्र बिक्री के लिए समय-समय पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय (अहस्तांतरणीय) रुपया जमा योजना

1477. **श्री एन० डेनिस:**

कुमारी विमला वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीय (अहस्तांतरणीय) रुपया जमा योजना घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सभी अनिवासी भारतीयों के लिए है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन देशों के नागरिक इस योजना में शामिल नहीं हो सकते और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

अनिवासी भारतीय (अहस्तांतरणीय) रुपया जमा योजना के अन्तर्गत जमा-राशियों का खाता 6 महीने से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत व्यापारियों के पास खोला जा सकता है, जो विदेशों से प्रेषित मुक्त परिवर्तनीय धनराशि में से खोले जाएंगे, जिसे सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिए अथवा जमाकर्ता के मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य खातों के जरिए भुगतानों द्वारा भेजा गया हो। नई योजना में अन्तरित धनराशियों को बाजार आधारित विनिमय दर पर रुपयों में परिवर्तित किया जाएगा और ये धनराशियां अथवा इन पर संचयित ब्याज परिवर्तनीय नहीं होगा। इन जमाराशियों पर की जाने वाली जमा राशियों और अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर विनियम प्रवृत्त नहीं होंगे और बैंक जमाराशियां तथा उधार की दरें निश्चित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जमाराशियों से होने वाली आय भारतीय आयकर से मुक्त होगी और केवल अनिवासी भारतीयों के मामलों में एक समय पर दिए गए उपहार के लिए उपहार कर से मुक्त होगी। निवासी दाताओं को आयकर से छूट उपलब्ध नहीं है, और ऐसे निवासी व्यक्तियों को भी उपलब्ध नहीं है जो संयुक्त धारक होने के कारण अनिवासी जमाकर्ताओं के उत्तराधिकारियों के रूप में जमाराशियों के मालिक हो जाते हैं। इन राशियों पर ऋण तथा इन जमाराशियों में से धनराशियों का निवेश भी अहस्तांतरणीय आधार पर अनुज्ञेय है। समयपूर्व आहरणों के बारे में जमाकर्ता को दंडस्वरूप ब्याज की अदायगी करनी होगी।

(ग) और (घ) यह योजना पाकिस्तानी और बंगलादेशी राष्ट्रिकों को छोड़कर विदेशी निगमित निकायों और गैर और गैर-भारत मूल के विदेशी नागरिकों सहित सभी अनिवासी भारतीयों के लिए है।

[हिन्दी]

बिहार पॉलिटेकनिक के लिए विश्व बैंक से सहायता

1478. **श्री ललित उरांव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य पॉलिटेकनिक के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) बिहार में प्रत्येक पॉलिटेकनिक द्वारा उपयोग में लाई गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक मामले में इन धन-राशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) I और II तकनीकी शिक्षा परियोजनाओं के

लिए 13.8.90 और 16.12.91 को 5100 लाख अमेरिकी डालर के समतुल्य विश्व बैंक सहायता की वचनबद्धता की गई है। शुरू की गई परियोजना के क्रियाकलापों के आधार पर जारी की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे (संलग्न विवरण) में दिए गए हैं।

(ख) परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उपस्कर, सिविल निर्माण कार्यों आदि जैसी व्यय-श्रेणियों से संबंधित दावों पर कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक पॉलिटेकनिक द्वारा इस्तेमाल की गई निधियों के ब्यौरे राज्य सरकार के पास ही उपलब्ध होंगे।

(ग) वर्तमान पॉलिटेकनिकों के उन्नयन और आधुनिकीकरण तथा महिलाओं, ग्रामीण समुदाय, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए नए पॉलिटेकनिक खोलने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)	
		1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	—	—
2.	असम	—	—
3.	बिहार	38.23	89.75
4.	गुजरात	3.12	100.49
5.	हरियाणा	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	कर्नाटक	0.85	5.62
8.	केरल	13.15	—
9.	मध्य प्रदेश	51.82	139.95
10.	महाराष्ट्र	—	—
11.	उड़ीसा	—	1152.22
12.	पंजाब	—	—
13.	राजस्थान	15.43	540.01
14.	तमिलनाडु	340.12	—
15.	उत्तर प्रदेश	—	1267.57
16.	पश्चिमी बंगाल	—	1.38

राजभाषा समितियों की बैठकें

1479. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत परिवहन निदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इन समितियों की बैठकें किन-किन तारीखों को हुई,

(ग) क्या ये बैठकें निर्धारित अन्तराल पर आयोजित की गई,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी हां। सरकारी कार्य में हिन्दी भाषा के प्रयोग में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रशासन के परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में 16 जुलाई, 1992 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकें अभी आयोजित की जानी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजभाषा के प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग दवारा जारी किए गए अनुदेश सभी विभागों पर समान रूप से लागू है।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों द्वारा जमीन की बिक्री

1480. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घाटे में चल रही कपड़ा मिलों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु जमीन को बेचने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या है जिन्हें अनुमति दे दी गई है और अब तक कितनी मिलों ने अपनी जमीन बेच दी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) एन टी सी की फालतू भूमि को बेचने की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। निजी वस्त्र मिलों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से केन्द्रीय और राज्य सरकार के संबद्ध कानून के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

[हिन्दी]

बंद कपड़ा मिलें

1481. **श्री सत्य नारायण जटिया:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं और वे किन-किन तारीखों को बंद हुई तथा मिल-वार कितने श्रमिक बेकार हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मिल के बेकार हुए श्रमिकों के पुनर्वास अथवा उन्हें राहत देने हेतु क्या प्रबंध किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार ने रूग्ण/बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाने और उसका संचालन करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की आई एफ आर की स्थापना की है। मिल की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की गई है। मिलों के स्थाई/आंशिक रूप से बन्द होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि की स्थापना की गई है। प्रभावित श्रमिकों को पुनः नियुक्त तथा पुनः प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की सूची

क्र०सं०	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख	प्रभावित कामगार
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	दि आन्ध्र कोआप० स्पि० मिल्स	30.7.91	1240
2.	करीम नगर कोआप० स्पि० मिल्स लि०	1.12.91	339
3.	मै० पेन्नो पावरर्स लि०	14.4.91	234
4.	दिवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लि०	1.6.91	641
बिहार			
5.	पंडुअल कोआप० स्पि० मिल्स लि०	19.11.91	500
6.	मै० सिवान कोआप० स्पि० मिल्स लि०	8.11.90	83
गुजरात			
7.	दि नूतन मिल्स लि०	20.1.92	2161
8.	श्री अम्बिका मिल्स लि० नं० 1	20.9.91	4875
9.	श्री अमुता मिल्स लि०	3.11.90	1744
10.	श्री मधुवा स्पि० मिल्स कोआप० लि०	31.3.92	260
11.	दि अरुणा मिल्स	28.11.91	3210
12.	कान्टीनेन्टल टैक्स० मिल्स लि०	2.2.92	2019
हरियाणा			
13.	मोहन स्पि० मिल्स	11.11.91	1276
14.	एलसन काटन मिल्स प्रा० लि०	19.10.91	1038
15.	भिवानी टैक्स० मिल्स	19.5.92	2968
कर्नाटक			
16.	चन्द्र स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	4.4.91	150
17.	टी० आर० मिल्स प्रा० लि०	6.7.90	79
केरल			
18.	अलगप्पा टैक्स० कोचीन मिल्स	3.1.92	1108
मध्य प्रदेश			
19.	बिलासपुर स्पि० मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	14.5.91	1226
20.	बिनोद मिल्स कं० लि०	18.9.91	3249
21.	दि हुकुमचन्द मिल्स लि०	9.12.91	5659

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
22.	यवतमाल जिला साह सूत व कपड़ा गिरनी लि०	27.3.91	1588
23.	किरन स्पि० मिल्स	23.12.91	1197
24.	औरंगाबाद जिला साह सूत गिरनी लि०	1.11.91	385
उड़ीसा			
25.	गंगापुर वीवर्स कोआप० स्पि० लि०	1.1.92	1540
26.	लिंगराज टैक्स० प्रा० लि०	8.7.91	1
27.	उड़ीसा टैक्स० मिल्स लि०	7.5.92	4812
राजस्थान			
28.	सराफ सिंथेटिक्स (राज०) लि०	4.3.92	1196
तमिलनाडु			
29.	श्री अरुणाचलेश्वरर मिल्स	16.3.92	152
30.	के० पी० वी० टैक्सटाईल्स	15.3.92	219
31.	सुविधा टैक्स्टाईल्स	22.4.91	45
32.	सूर्य स्पि० मिल्स प्रा० लि०	15.11.90	200
33.	दि कुमारन मिल्स लि० यूनिट-II	19.5.92	403
34.	रुकमणि मिल्स लि०	12.2.92	672
35.	शिवकुमार स्पि० मिल्स प्रा० लि०	22.8.91	160
36.	श्री अम्मन टैक्सटाईल्स	1.8.91	48
37.	गाब्रलिन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	11.6.90	160
38.	श्री बालकृष्ण स्पिनर्स प्रा० लि०	15.10.90	34
39.	श्री योगलक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०	1.9.91	130
40.	आइडियल स्पि० मिल्स लि०	18.1.92	271
41.	मुदालियरनादन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	14.7.91	100
उत्तर प्रदेश			
42.	सन्त कबीर साह मिल्स लि०	1.6.91	1255
43.	यू०पी० सहकारी कताई मिल्स	3.10.91	1377
44.	यू० पी० स्टेट स्पि० मिल्स कं० लि०	19.6.90	2909
45.	लार्ड कृष्णा टैक्स० मिल्स	3.9.91	2424

1	2	3	4
46.	मोदी स्पि० एण्ड वी० मिल्स कं० लि०	1.4.92	1404
47.	रजा टैक्सटाइल्स लि०	21.9.91	2344
पं० बंगाल			
48.	पोद्दार प्रोजेक्ट्स लि०	11.9.91	1277
49.	इंडिया जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	14.7.91	1484

[अनुवाद]

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

1482. श्री सैयद शाहबुद्दीन:
श्री विजय नवल पाटील:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना और कितने मूल्य का पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या विश्व बाजार में पटसन से बनी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है तथा परिणामस्वरूप निर्यातकर्ता देशों की औसत यूनिट कमाई में भी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या प्रमुख पटसन उत्पादक देशों के बीच उत्पादन, निर्यात और निर्यात मूल्य को नियमित करने के लिए कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए पटसन माल की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार है:—

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1989-90	2.36	296.30
1990-91	2.41	298.00
1991-92	2.23	358.62 (अनंतिम)

(ख) पटसन माल का विश्व निर्यात जोकि वर्ष 1984-85 से 1986-87 के दौरान औसत 11.37 लाख टन का था घटकर वर्ष 1990-91 के दौरान 8.75 लाख टन के स्तर तक रह गया है। निर्यातक देशों द्वारा औसत यूनिट अर्जन में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी, पटसन, केनफ और सम्बद्ध फाइबरों संबंधी एफ० ए० ओ० के० अन्तर-सरकारी समूह ने बंगलादेश जूट और थाईकिनफ के लिए निर्देशक निर्यात कीमतों की सिफारिश की है।

गोवा से लौह-अयस्क का निर्यात

1483. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान गोवा से किस-किस श्रेणी के लौह अयस्क का कितनी-कितनी मात्रा में व कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ख) इस समय लौह-अयस्क निर्यातकों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और लौह-अयस्क के निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान एम॰एम॰टी॰सी॰ तथा गोवा के निजी जहाज मालिकों द्वारा गोवा से निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80 एच॰एच॰सी॰ जो 1991-92 में संसाधित खनिजों पर भी लागू थी, के लाभों के अतिरिक्त लौह अयस्क के निर्यातक उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था योजना के अंतर्गत आंशिक परिवर्तनीयता के लाभ पाने के भी हकदार हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान एम॰एम॰टी॰सी॰ द्वारा गोवा से निर्यात किए गए लौह अयस्क की ग्रेडवार मात्रा

मूल्य करोड़ रु॰ में

ग्रेड	मात्रा (लाख मी॰ टन में)	मूल्य
65/63 चूरा	4.86	20.18
एल॰ओ॰ए॰ चूरा	1.39	5.60
62/60 ढेला	0.51	2.25

वर्ष 1991-92 के दौरान निजी जहाज मालिकों द्वारा गोवा से निर्यात किए गए लौह अयस्क की ग्रेड-वार मात्रा

ग्रेड	मात्रा (मी॰ टनों में)	मूल्य
1	2	3
63/63	2,536,527	100.66
62/62	5,821,550	211.88
62/60	423,968	15.40
61/61	417,377	14.56
60/60	811,616	25.69
60/59	444,638	15.77

1	2	3
59/59	164,419	5.35
58/58	55,695	1.79
61/60	107,150	4.11
58/57	37,489	0.97
53/48	205,913	6.27
57/57	131,248	3.62
50/50	138,151	3.48
54/53	53,171	8.82

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय माल और सेवाएं

1484. **श्री यशवन्तराव पाटिल:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीय माल और सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) विदेशों में भारतीय माल और सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। फिर भी, माल तथा सेवाओं का निर्यात बढ़ाने हेतु 1.4.1992 से 31.3.1997 की अवधि के लिए एक उदारीकृत निर्यात और आयात नीति तैयार की गई है

[अनुवाद]

पोत खरीद संबंधी नई नीति

1485. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत खरीद के लिए एक नई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नई नीति के कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) जहाज मालिकों को "बेयर बोट चार्टर-कम-डिमाइज" विधि के माध्यम से जहाज खरीदने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति लागू की गई है। जहाज अधिग्रहण हेतु वित्त पोषण की इस विधि से भारतीय नौवहन कंपनियां शीघ्रता से जहाज खरीद सकेंगी और स्वयं जहाज से हुई आय में से अधिग्रहण का वित्त पोषण कर सकेंगी। यह निर्णय लिया गया है कि यदि एक नौवहन कम्पनी के पास जहाज अधिग्रहण के लिए वैध मंजूरी है, तो वह "बेयर-बोट-चार्टर कम-डिमाइज" विधि से जहाज खरीदने के लिए इस मंजूरी का प्रयोग कर सकती है। तथापि, "बेयर-बोट चार्टर-कम-डिमाइज" के लिए भुगतान संबंधी शर्तों संबंधी मंजूरी लेने तथा विदेशी मुद्रा संबंधी पहलू की स्वीकृति लेने के लिए नौवहन कंपनी को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की और स्वीकृति के लिए नौवहन कंपनियों को सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं होगी।

पटसन उद्योग में मन्दी

1486. **श्री सनत कुमार मंडलः**
श्री चित्त बसुः
श्री सत्यगोपाल मिश्रः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पटसन से बनी वस्तुओं के मूल्य आगामी अपेक्षित स्तर से काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ मिलों ने इस संकट से उबरने के लिए अपने नियमित कार्य निष्पादन में कमी कर दी है और उत्पादन घटा दिया है जिसके कारण अन्ततः मजदूरों की छंटनी करनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो पटसन उद्योग में व्यापक इस मन्दी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) सैकिंग की कीमतें, जिसका उत्पादन पटसन के सामान कुल उत्पादन का आधा होता है, पूर्ववर्ती सोवियत संघ को निर्यात में गिरावट आने तथा खाद्यान्न की खरीद के लिए एफ सी आई तथा अन्य एजेंसियों द्वारा कम उठान के फलस्वरूप मांग के कम होने के कारण इस समय निम्न स्तर पर बनी हुई हैं।

(ग) कुछ मिलों ने अपने काम करने की शिफ्टों को 20121 से घटा कर 18 प्रति सप्ताह कर दिया है ताकि कम हुई मांग के अनुरूप उत्पादन किया जा सके। इसका स्थाई तथा अर्ध-स्थाई कामगारों के रोजगार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) सरकार जबकि एक ओर पटसन के सामान के लिए परम्परागत बाजार को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर पटसन उद्योग के संकट को दूर करने के लिए निर्यात बाजार हथियाने की दृष्टि से आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के जरिए उसके विधीकरण अन्त-प्रयोग को प्रोत्साहन भी दे रही है।

मुम्बाई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बन्द करना

1487. **श्री मोहन रावलेः** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बम्बाई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कुछ कपड़ा मिलों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कपड़ा मिलों को बन्द करने से कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे;

(घ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा पहले कुछ कपड़ा मिलों को बन्द किए जाने के कारण पहले से ही भुखमरी की पीड़ा झेल रहे हजारों मजदूरों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार निर्णय अपने की पुनरीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ङ) सरकार ने एन टी सी की

"सर्वांगीण सुधार नीति" पर विचार किया है जिसमें उसका पुनर्निर्माण, समामेलन, आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण आदि शामिल हैं लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

टायरों का निर्यात

1488. श्री राम नरेश सिंह: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान डालरों और रुपयों में कितने मूल्य के टायर का निर्यात किया गया;

(ख) टायरों के निर्यातोन्मुखी उत्पाद के रूप में पहचान किये जाने के बावजूद इसके निर्यात वृद्धि की गति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने टायर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आटो टायरों और ट्यूबों के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:

वर्ष	निर्यात करोड़ रुपये में	निर्यात मिलीयन डालर में
1989-90	150.50	90.28
1990-91	182.60	101.78
1991-92	198.08	80.36

(ख) 1991-92 के दौरान आटो टायरों और ट्यूबों के कम निर्यात होने के मुख्य कारण यह है कि कराची से होकर जाने वाले पारगमन गलियारे के बंद होने तथा पूर्व सोवियत संघ विघटन के कारण ओडेसा होकर जाने वाले वह वैकल्पिक मार्ग में बाधा उत्पन्न होने से अफगनिस्तान को निर्यात में भारी गिरावट आई।

(ग) तीव्र निर्यात वृद्धि के लिए तब से आटो टायर उद्योग की पहचान की गई है और मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस, ई०पी० सी०जी० योजना की शुरुआत इत्यादि जैसे कई उपाय किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

1489. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा इसकी यूनिटें चल रही हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हथकरघा यूनिटें अभी तक कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संस्थान को इस क्षेत्र में कुटीर और हथकरघा उदयोग के संवर्धन के लिए श्रीनगर, पौढ़ी, गोपेश्वर आदि में स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) इस समय एक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है जो वाराणसी में स्थित है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चमोली में एक बुनकर सेवा केंद्र की स्थापना की है। इस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कई अभिकरण कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन केन्द्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। वाराणसी में स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र की पूरी जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश से 11 अभ्यर्थियों को प्रवेश देता है जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अभ्यर्थी भी शामिल हैं।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को कमीशन

1490. **श्री जितेन्द्र नाथ दास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम का एजेंटों की कमीशन दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

अतिरिक्त रक्षा भूमि का अंतरण

1491. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ब्रह्मपुर स्टेडियम के परिसर के भीतर और बाहर की अतिरिक्त रक्षा भूमि राज्य सरकार के खेल-कूद विभाग को अंतरित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने 1986 में राज्य सरकार की भूमि के बदले में ब्रह्मपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय की 17.63 एकड़ भूमि दिए जाने का अनुरोध किया था।

इस भूमि में से 8.50 एकड़ भूमि उड़ीसा सरकार को 1986 में सौंप दी गई थी। शेष 9.13 एकड़ भूमि राज्य सरकार को अभी तक नहीं सौंपी गई है क्योंकि इस क्षेत्र से राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिट को उस क्षेत्र में भेजा जाना है जो इसके बदले में ब्रह्मपुर में उपलब्ध करवाया गया है और जहां राज्य सरकार ने पहले से किए गए समझौते के अनुसार कैडेट कोर की उक्त यूनिट के लिए आवास का निर्माण अभी तक नहीं किया है।

स्टाक निवेश योजना

1492. **श्री जीवन शर्मा:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु "स्टाक निवेश योजना" लागू करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा;

(ग) क्या बैंकों के लिए यह योजना वैकल्पिक है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, द्वारा इस योजना को लागू न करने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी हां। योजना जनवरी, 1992 में लागू की गई थी।

(ख) से (घ) योजना को पूरी तरह लागू होने से पहले समय लगेगा और स्थिति की समीक्षा यथा समय की जाएगी। यह योजना जो वैकल्पिक है, उसे कई बैंकों द्वारा पहले ही लागू किया जा चुका है।

नेपाल के साथ व्यापार संबंध

1493. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाना चाहता है;

(ख) क्या नेपाल ने इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या ब्योरा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) भारत और नेपाल के बीच नई व्यापार और पारगमन संधियों तथा अवैध व्यापार को नियंत्रित करने में सहयोग करने के लिए समझौते पर 6 दिसम्बर, 1991 को हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाया जा सके।

रेशम के उत्पादन में कमी

1494. **श्री विजय नवल पाटील:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेशम के उत्पादन में पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेशम के उत्पादन में आई गिरावट को रोकने के लिये रेशम उत्पादकों को प्रोत्साहन देने और केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान रेशम के उत्पादन में कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के रेशम उपजाने वाले प्रमुख राज्यों में पेबरीन रोग के अचानक फूट पड़ने के कारण गिरावट आई थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड और

संबंधित राज्य सरकारों ने इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक उपचारी कदम उठाए हैं। ऐसी आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1992-93 के दौरान रेशम का उत्पादन पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिक होगा।

(ग) और (घ) देश में रेशम उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य के रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उद्योग की अनुसंधान व विकास, विस्तार प्रशिक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए एककों का देश व्यापी नेट-वर्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त देश में रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्रियान्वित की जा रही कुछेक योजनाएं निम्नोक्त अनुसार हैं:

(क) 50 प्रतिशत लागत पर शहतूती कलमों/ पौध की सप्लाई।

(ख) मामूली किसानों को कीटपालन उपस्करों की निशुल्क सप्लाई।

(ग) यूजी फलाई पर नियंत्रण पाने के लिए 50 प्रतिशत लागत पर नायलोन के जालों की सप्लाई।

(घ) द्विफसलीय रेशम कीट पालकों तथा रीलरों को प्रोत्साहन बोनस।

(ङ) किसानों के अध्ययन दौरों का आयोजन।

(च) रीलिंग का प्रशिक्षण।

(छ) मल्टीएण्ड रीलिंग एककों की स्थापना के लिए रीलरों को सहायता।

अरण्डी के तेल का निर्यात

1495. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरण्डी के तेल आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात से संबद्ध कुछ निर्यातकर्ता, निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत से कम मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कदाचार के परिणामस्वरूप देश को काफी विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यातकों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कदाचार को रोकने और इन वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जैसा कि अरण्डी के तेल तथा अरण्डी के तेल पर आधारित संजातों के निर्यात संवर्धनात्मक कार्य में लागू हुई एजेंसी, मूल रसायन, भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद (कैमेक्सिल), बंबई ने बताया है कि निर्यात बढ़ाने के लिए अरण्डी के तेल जैसी पण्य वस्तुओं का उनकी उत्पादन लागत से कम मूल्य पर निर्यात नहीं किया जा रहा है। चूंकि इस तरह का कोई कदाचार नहीं हो रहा है इसलिए अरण्डी के तेल के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय की हानि तथा उस कदाचार को रोकने के लिए उपचार संबंधी उपाय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

खुम्बी का निर्यात

1496. **श्री गोविन्दराव निकाम:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुम्बी के निर्यात से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां। (ख) कुकुरमुत्ता सहित फलों तथा सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण निर्यातकों को विभिन्न विकास योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों के लिए डी०टी०सी० आल रूट रियायती पास

1497. **श्री प्रवीन डेका:** क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्यार्थियों को डी०टी०सी० के आल रूट रियायती पास जारी करने में कुछ विसंगतियां रही हैं;

(ख) क्या कुछ विद्यार्थियों को ये पास जारी करने के मामले में भेदभाव बरता गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव को रोकने हेतु डी०टी० सी० द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ख): इस समय, दिल्ली की शिक्षण संस्थाओं के, जो निम्नलिखित द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सभी वास्तविक छात्रों को आल-रूट छात्र रियायती पास उपलब्ध कराए जाते हैं:—

(i) संसद के अधिनियमों द्वारा गठित विश्व विद्यालय।

(ii) केन्द्र सरकार दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम।

(iii) मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए छात्र, जो सरकार, दिल्ली प्रशासन स्थानीय निकायों अथवा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में अध्ययनरत हैं।

पत्राचार पाठ्यक्रमों के छात्र केवल छात्र गंतव्य मासिक रियायती पासों के लिए ही पात्र होते हैं।

सड़क क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से सहायता

1498. **श्री वासुदेव आचार्य:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक देश में सड़कों के विकास हेतु 250 मिलियन डालर तक की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है,

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा क्या शर्तें रखी गई हैं, और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (जगदीश टाईटलर): (क): जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास के लिए कुल 306 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण तथा उधार सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ 18.6.92 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सहायता विश्व बैंक के ऋण तथा उधार समझौते पर लागू सामान्य शर्तों के अनुसार होगी।

[हिन्दी]

डिब्बा-बन्द खाद्य पदार्थों का निर्यात

1499. श्री केशरी लाल: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) डिब्बा बंद फलों और रसों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मूल्य (लाख रु०)
1989-90	7134
1990-91	6197
1991-92	8837

(ख) प्रमुख देश जिनको डिब्बा बंद फलों और रसों का निर्यात किया गया है वे हैं: सोवियत संघ, सऊदी अरब यू के, यू ए ई आदि।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में कपास खरीद केन्द्र

1500. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कपास उत्पादकों से कपास की खरीद के लिए इस समय भारतीय रुई निगम के कितने खरीद केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) पिछले वर्ष इस राज्य में ऐसे कितने खरीद केन्द्र कार्य कर रहे थे; और

(ग) इस वर्ष बन्द किए गए केन्द्रों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (अशोक गहलोत): (क) चालू कपास मौसम (सितम्बर 91—अगस्त, 92) के दौरान भारतीय कपास निगम ने तमिलनाडु में कपास उपजकर्ताओं से कपास की खरीद के लिए अभी तक 5 खरीद केन्द्र चलाए हैं।

(ख) पिछले मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम ने तमिलनाडु में 7 खरीद केन्द्र चलाए थे।

(ग) भारतीय कपास निगम ने चालू मौसम के दौरान अभी तक पोलाची और कुम्भकोणम में कोई भी खरीद केन्द्र नहीं चलाया है क्योंकि उसने इस क्षेत्र में उपजाई जाने वाली कपास के लिए मिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण कपास की खरीद नहीं की।

विदेशी बैंकों की लेखा-परीक्षा

1501. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में पता लगाये गयें प्रतिभूति घोटाले को ध्यान में रखते हुए भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की लेखा-परीक्षा कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी बैंकों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1 बी) की शर्तों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसने 4 विदेशी बैंकों अर्थात स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ए एन जेड ग्रिंडलेज बैंक और बैंक आफ अमेरिका के राजकोषीय/निवेश परिचालनों की विशेष लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 21 की मरम्मत

1502. **श्री बी॰एल॰ शर्मा 'प्रेम':**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 21 के हिमाचल प्रदेश में आने वाले भाग की स्थिति यातायात के योग्य नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के इस खण्ड की मरम्मत व रख-रखाव के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख): राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला खण्ड आमतौर पर यातायात योग्य स्थिति में है। भारी वर्षा, भूस्खलन इत्यादि के कारण जब कभी भी क्षति पहुंचती है तो सड़क को यातायात योग्य बनाने के लिए निधियों की उपलब्धता के अन्तर्गत राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र मरम्मत की जाती है।

लोहे के निर्यात का आर्डर

1503. **श्री के॰पी॰ रेड्डय्या यादव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशों से प्राप्त लोहे के निर्यात आर्डरों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन आर्डरों को कब पूरा किया जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान स्पंज लोह के निर्यात के लिए कोई निर्यात आर्डर नहीं मिला। नीति के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान ढलवां लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण आयात नीति को उदार बनाना

1504. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदार नीति के अन्तर्गत स्वर्ण आयात के उत्साहवर्धक परिणाम निकले है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वर्ण आयात नीति को और अधिक उदार बना दिया है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसका स्वर्ण मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या सरकार ने स्वर्णाभूषण निर्यात हेतु आयात किए जाने वाले सोने पर सीमा शुल्क हटा दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) और (ख): जी, हां। उदारीकृत नीति के अन्तर्गत आयातित सोने की मात्रा नीचे दी गई है:—

	आयातित सोने की मात्रा (किलोग्राम)
मार्च, 1992	123.33
अप्रैल, 1992	3226.84
मई, 1992	8668.63
जून, 1992	8926.70

(ग) और (घ) वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर दिनांक 30.4.1992 से 450/- रुपए प्रति 10 ग्राम से घटाकर 220/- रुपए प्रति 10 ग्राम कर दी गई है।

(ङ) सोने के घरेलू मूल्यों में गिरावट आई है, जो नीचे दर्शायी गई है:—

	सोने का औसत मासिक मूल्य (रुपए प्रति 10 ग्राम) बम्बई बाजार
जनवरी, 1992	4910
फरवरी, 1992	4708
मार्च, 1992	4245
अप्रैल, 1992	4465
मई, 1992	4173
जून, 1992	4109

(च) और (छ) जी, हां। वर्तमान आयात-निर्यात नीति के पैराग्राफ 88-घ के अन्तर्गत स्वर्ण आभूषण और उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात के वास्ते सोने के शुल्क-मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस का प्रावधान है।

[हिन्दी]

संयुक्त सैन्य अभ्यास

1505. श्रीमती भावना चिखलिया:
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्री देवी बक्स सिंह:
श्री रामकृष्ण कुसमरिया:
डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री चन्द्रजीत यादव:
श्री श्रीकान्त जेना:
श्री शरद यादव:
श्री रवि राय:
श्री सत्यदेव सिंह:
श्री श्रवण कुमार पटेल:
श्री गोविन्दराव निकाम:

क्या रक्षा मंत्री यही बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में किये गये भारत-अमेरिका संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों से भारत को क्या लाभ होगा;

(ख) क्या सरकार को भविष्य में ऐसे ही संयुक्त अभ्यासों के संबंध में कई अन्य देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारत-अमेरिका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हमारे सैन्य-कार्मिकों को कतिपय नवीनतम प्रोद्योगिकियों की जानकारी देने के अलावा परस्पर विश्वास पैदा करने के लिए भी उपयोगी था।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास

*1506. श्री तेज नारायण सिंह: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम से औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियन ब्राउन बोवरी इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव सौदे की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1507. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो एशियन ब्राउन बोवरी इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव सौदे की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो एशियन ब्राउन बोवरी इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव सौदे में सूचना लीक होने के कथित मामले की सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत जांच कर रहा है। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा जांच अभी चल रही है।

[हिन्दी]

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम

1508. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में सावधि ऋण इत्यादि के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए राज्य वित्तीय निगम स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या ये निगम औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने में समान मानदंड अपनाते हैं अथवा उनके मानदंड विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कुछ राज्यों में राज्य वित्तीय निगमों द्वारा इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पृष्ठभूमि वाले नये उद्यमियों को ऋण मंजूर करते समय उनके साथ भेदभावपूर्ण समझौते किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां। इस समय 18 राज्य वित्तीय निगम (एस एफ सी) हैं।

(ख) और (ग) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित राज्य वित्तीय निगम स्वायत्तता प्राप्त राज्य स्तरीय निगम हैं और नीतिगत मामलों के बारे में ऐसे दिशानिर्देशों जैसाकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से और इससे सलाह लेने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, के अधीन उनके निदेशक मंडल को ऋण नीतियों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन परिस्थितियों में अलग-अलग राज्यों में राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था निगम के संसाधनों की स्थिति इत्यादि पर निर्भर राज्य वित्तीय निगम की ऋण नीतियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। तथापि, भारतीय लघु

उद्योग विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय राज्य वित्तीय निगम एक समान मानदंडों का पालन करते हैं।

दवाओं पर आयात शुल्क

1509. **श्री देवी बक्स सिंह:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ दवाओं पर लगने वाले विशेष आयात शुल्क को कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी दवाओं के नाम क्या हैं और इनके आयात शुल्क पर कितनी छूट दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) वर्ष 1992-93 का बजट प्रस्तुत करने के बाद, औषधि निर्माण सूत्रों और बल्क औषधियों के लिए आयात शुल्क में निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं:—

(i) दिनांक 30 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 165/92-सी०शु० के अंतर्गत, तीन बल्क औषधियों को आयात शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(ii) दिनांक 30 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 167/92-सी०शु० के अंतर्गत, 33 विनिर्दिष्ट औषधियों को आयात शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(iii) दिनांक 19 जून, 1992 की अधिसूचना संख्या 216/92-सी०शु० के तहत 52 थोक औषधियों पर आयात शुल्क से घटाकर 80% तक कर दिया गया है।

(iv) होम्योपैथिक औषधियों पर आयात शुल्क को घटाकर 40% तक कर दिया गया है।

संगत अधिसूचनाओं की प्रतियों को यथेष्ट समय में सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक रेजिमेंट

1511. **श्री एच० डी० देवगौड़ा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेना में "कर्नाटक रेजिमेंट" को पुनः बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुख्य मदों का आयात

1512. **प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुखः**
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्तिः

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान किये गये आयात तथा वर्ष 1992-93 के दौरान किये जाने वाले आयात के मूल्य का देश-वार बयौरा कया है; और

(ख) सरकार द्वारा आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत ने लगभग 47,812.75 करोड़ रुपए का आयात किया था। इन आयातों का क्षेत्रवार और प्रमुख देशवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है। इस चरण पर 1992-93 के लिए देश-वार आयात का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना, आयात-लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा भुगतान-संतुलन की स्थिति को देखते हुए आयात-दबाव को कम करना है। 1992-93 के बजट में रुपए को आंशिक रूप में परिवर्तनीय बना दिया गया था जिससे निर्यात बढ़े और सरकारी विनिमय दर पर बाजार प्रीमियम के जरिए आयात कम हो।

इन्हें दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित और 1 जुलाई, 1992 को संशोधित नई निर्यात-आयात नीति में और सुदृढ़ बनाया गया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता आधुनिकीकरण और प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाकर इसकी निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है। नई नीति में जहां निर्यात से जुड़े आयातों को प्रोत्साहन दिया जाता है, वहीं उपभोक्ता माल और टिकाऊ वस्तुओं जैसी अनावश्यक मदों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अन्य उपाय किए हैं, जिनमें निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार-बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनींदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना और व्यापार एवं उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करना शामिल है।

विवरण

क्षेत्रवार/देशवार आयात

(मूल्य: करोड़ रुपए)

क्षेत्र/देश	अप्रैल-मार्च, 1991-92
IÃ पश्चिमी यूरोप	15399.12
(क) सांझा बाजार वाले यूरोपीय देश	13972.46
1. बेल्जियम	3419.98
2. फ्रांस	1525.14
3. जर्मन संघीय गणराज्य	3849.09
4. इटली	1101.68
5. नीदरलैण्ड	686.57
6. यूनाइटेड किंगडम	2963.06
(ख) मुक्त व्यापार संघ वालू यूरोपीय देश	1185.20
1. स्वीडन	397.95
2. स्विट्जरलैंड	369.51
(ग) शेष यूरोप	241.46
II एशिया और ओसानिया	21137.35
(क) एस्कैप	11032.59
1. आस्ट्रेलिया	1439.76
2. हांगकांग	262.11
3. जापान	3370.12
4. कोरिया गणराज्य	764.50
5. मलयेशिया	961.44
6. सिंगापुर	1702.13
7. थाईलैंड	119.46
8. ईरान	1434.70
(ख) अन्य	10094.76
1. बहरीन	853.52
2. कुवैत	821.82

(मूल्य: करोड़ रुपए)

क्षेत्र/देश	अप्रैल-मार्च, 1991-92
3. सऊदी अरब	3577.80
4. संयुक्त अरब अमीरात	3077.87
III अफ्रीका	2395.85
1. मिस्र	164.56
2. मोरक्को	879.28
3. ट्यूनीशिया	211.80
4. जाम्बिया	125.93
IV अमरीका	6434.74
(क) उत्तरी अमरीका	5580.01
1. कनाडा	682.17
2. संयुक्त राज्य अमरीका	4897.84
(ख) दक्षिणी अमरीका	665.71
1. ब्राजील	483.17
(क) कांट्रेल और कैरेबियन	189.02
V पूर्वी यूरोप	2429.30
(क) रुपया भुगतान क्षेत्र देश	1955.18
1. चेकोस्लोवाकिया	113.02
2. रोमानिया	62.19
3. यू०एस०एस०आर०	1780.27
(ख) गैर रुपया भुगतान क्षेत्र के देश	473.82
1. हंगरी	87.56
2. युगोस्लाविया	142.66
3. पोलैंड	194.36
कुल योग	47812.75

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कलकत्ता।

बकाया करों की वसूली

1513. श्री राम लखन सिंह यादवः
श्री उपेन्द्र नाथ वर्माः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 30 जून, 1992 को आयकर तथा अन्य केन्द्रीय करों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, कितनी धन-राशि बकाया पड़ी थी;

(ख) उक्त तारीख को प्रत्येक केन्द्रीय कर से संबंधित कितने मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, न्यायालयों में लम्बित पड़े थे; और

(ग) इन करों की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार आयकर तथा अन्य मुख्य-मुख्य केन्द्रीय करों की बकाया राशि नीचे दी गई है:—

	(करोड़ रु० में)
आयकर (निगम-कर सहित)	8364
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	1521
सीमा-शुल्क	77

दिनांक 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग से संबंधित आकड़ों को अभी संकलित नहीं किया गया है। बकाया कर मांगों से संबंधित आंकड़ों को राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार नहीं रखा जाता है।

(ख) मुख्य-मुख्य केन्द्रीय करों, प्रत्येक के संबंध में अनिर्णीत पड़े हुए अदालती मामलों की संख्या नीचे दी गई है:—

आयकर (दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार)	34690
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार)	8768
सीमा-शुल्क (दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार)	12104

दिनांक 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को अभी संकलित नहीं किया गया है। राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्रवार अनिर्णीत पड़े हुए अदालती मामलों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक समझे जाने वाले समुचित प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य उपाय निरन्तर किए जाते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें अपार राजस्व अर्न्तग्रस्त होता है, सरकार के पक्ष के बचाव के लिए विशेष काउंसलों को नियुक्त किया जाता है। न्यायालयों से नियमित रूप से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सुनवाई शीघ्र करें तथा स्थगन आदेशों को निरस्त करें। बकाया धनराशि की वसूली करने के कार्य को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाये गये मुकदमें

1514. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**
श्री हाराधन राय:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1991-92 के दौरान निपटाये गये मुकदमों की, न्यायालय-वार संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान, उच्चतम न्यायालय द्वारा 85,134 मामले निपटाए गए, जब कि इसी अवधि में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 40,714 मामले निपटाए गए। इसी प्रकार की जानकारी शेष 17 उच्च न्यायालयों की बाबत एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाएं

1515. **श्री लाल बाबू राय:**
श्री राम टहल चौधरी:
श्री राम लखन सिंह यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विदेशी सहायता से इस समय कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जा रही है;

(ख) प्रत्येक मामले मे किस प्रकार की सहायता दी गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या निकट भविष्य में विदेशी सहायता के लिए कोई नई परियोजनाएं मंजूर की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) से (ग) बिहार राज्य में विदेशी सहायता से कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की एक सूची, उनके उद्देश्य और पिछले तीन वर्षों मे तत्संबंधी वितरित राशि के साथ संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) विदेशी सहायता के स्वरूप और राशि के साथ बिहार राज्य में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

बिहार में विशेष रूप से चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम/उद्देश्य	दाता एजेंसी	सहायता की राशि	पिछले तीन वर्षों में वितरित राशि (दस लाख) 89-90	90-91	91-92	जोड़
1.	बिहार पब्लिक ट्यूबवेल आई॰डी॰ए॰-1737-आई॰एन॰ (13.1.1987)	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	195 मिलियन अमरीकी एस॰डी॰आर॰ डालर	2.9	3.3	0.989	7.189
2.	कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (22.5.1985)	यू॰एस॰एस॰आर॰ (सी॰आई॰एस॰)	219.16 मिलियन रूबल रूबल	90.68	172.80	202.41	465.89
3.	पाथरडीह वाशरी आधुनिकीकरण कोयला परियोजना	यू॰एस॰एस॰आर॰	3007 मिलियन रूबल रूबल	—	0.5	0.5	1.0
4.	ईस्टर्न गंडक कनाल एच॰ई॰ प्रोजेक्ट (आई॰डी॰पी॰-31)	जापान	1630 मिलियन येन रूबल	—	—	—	1432.6
5.	बिहार में सहकारी ग्रामीण भंडार	ई॰ई॰सी॰	21.19 मिलियन ई॰सी॰यू॰ ई॰सी॰यू॰	—	—	—	1.965
6.	रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना	विश्व बैंक	57.90 मिलियन अमरीकी अमरीकी डालर डालर	41.673	42.438	57.607	140.718
7.	झरिया कोकिंग कोल प्रोजेक्ट	विश्व बैंक	248.00 मिलियन -तदेव- अमरीकी डालर	5.3	6.805	0.196	12.301
8.	राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक	56.6 मिलियन -तदेव- अमरीकी डालर	0.000	4.010	15.100	19.110
9.	बिहार सामाजिक वानिकी परियोजना (चरण-II)	स्वीडन	127.00 मिलियन स्वेडीश क्रोनर	—	—	—	27380
10.	विशिष्ट क्षेत्रों में बी॰ओ॰आई॰एल॰ में एन॰डी॰टी॰ सुविधाओं को सुदृढ़ करना (सिंदरी)	यू॰एन॰डी॰पी॰	696.866 मिलियन अमरीकी डालर	16.886	179.623	138.993	335.502
11.	कोयला खनन पर्यावरण जल प्रणाली की मॉडलिंग और नियंत्रण (रांची)	यू॰एन॰डी॰पी॰	626.834 मिलियन अमरीकी अमरीकी डालर डालर	82.484	47.072	35.140	164.696
12.	प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि॰ (सिंदरी) में वृद्धिकारी अपक्षरण मूल्यांकन और सुरक्षा तकनीकों का विकास (सिंदरी)	यू॰एन॰डी॰पी॰	609.763 मिलियन अमरीकी अमरीकी डालर डालर	15.149	241.042	285.400	541.591

ख. बहुराज्यीय परियोजनाएं, जिसमें बिहार एक संघटक है राज्य विशेष के संबंध में अनुपलब्ध वितरण के ब्यौरे

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम/उद्देश्य	दाता एजेंसी	सहायता की राशि दस लाख	पिछले तीन वर्षों में वितरण राशि (दस लाख)			
				89-90	90-91	91-92	जोड़
1.	झींगा और मत्स्य पालन परियोजना (सी॰आर 2329-आई॰एन॰) 29.1.92	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	85.0 अमरीकी डालर	—	—	—	—
2.	तीसरी राष्ट्रीय बीज परियोजना (डी॰ए॰ 1952-आई॰एन॰) 22.12.88	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	150.0 अमरीकी डालर	—	—	—	—
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना	-तदेव-	218.08 अमरीकी डालर	27.80	2.3	8.6	38.70
4.	प्रथम तकनीकी शिक्षा परियोजना	-तदेव-	218.22 अमरीकी डालर	—	12.0	18.5	30.50
5.	सातवीं जनसंख्या परियोजना	-तदेव-	81.70 अमरीकी डालर	—	5.0	6.6	11.60
6.	बाल जीवन अभिरक्षण और सुरक्षित मातृत्व परियोजना	-तदेव-	219.70 अमरीकी डालर	—	—	18.00	18.00
7.	"एड्स" नियंत्रण परियोजना	-तदेव-	84.00 अमरीकी डालर	—	—	—	—
8.	एन॰एई॰पी॰-III (सी॰आर॰सी॰ 1754-आई॰एन॰) (26.6.87)	विश्व बैंक	80.84 अमरीकी डालर	—	—	—	17.909
9.	एन॰एई॰पी॰II (सी॰आर॰सी॰ (1631-आई॰एन॰) 25.2.86	विश्व बैंक	78.93 अमरीकी डालर	—	—	—	23.876
10.	बिहार और उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किटों में पर्यटन के आधारभूत ढांचे का विकास	जापान	9244 येन	—	—	—	655.9
11.	क्षारीय भूमि सुधार	ई॰ई॰सी॰	35.5 मिलियन ई॰सी॰यू॰	—	—	—	—

विवरण-II

बिहार में चलाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं

(चालू परियोजनाएं)

क्रम सं॰	परियोजना का नाम/प्रकृति	दाता अभिकरण	सहायता की संभावित राशि
1.	बिहार पठार विकास परियोजना	विश्व बैंक	125.4 अमरीकी डालर
2.	मैथन विद्युत परियोजना	यू॰एस॰एस॰आर॰ (सी॰आई॰एस॰)	700 रूबल
3.	उत्तरी और दक्षिणी बिहार के गंगा के मैदानी क्षेत्र में बानिकी परियोजना का विस्तार	फ्रांस	विचाराधीन
4.	महिला सहायता परियोजना	नीदरलैंड	6.000 डच गिल्डर
5.	बिहार शिक्षा परियोजना	जर्मन संघीय गणराज्य	10.00 ड्यूश मार्क

अनुवाद

सोने और अन्य निषिद्ध वस्तुओं को जब्त करना

1516. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितना सोना, कितने रिवाल्वर और कितनी अन्य निषिद्ध वस्तुएं जब्त की गयीं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं को जब्त करने वाले किसी सीमा शुल्क अधिकारी की पुरस्कारस्वरूप पदोन्नति की गयी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने की मात्रा और मूल्य तथा अन्य निषिद्ध माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	पकड़े गए सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	पकड़े गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	पकड़े गए अन्य निषिद्ध माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1990	5721	192.96	667.12
1991 (अनन्तिम)	4926	187.81	586.99
1992 (अनन्तिम) (13.7.1992 तक)	1686	74.68	161.16

तथापि, राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

पकड़ी गयी रिवाल्वरों की संख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया आएगा।

(ख) से (घ): सीमा शुल्क विभाग में प्रोन्नतियों के मामलों पर वार्षिक गोपनीय रिकार्डों, वरिष्ठताक्रम, पदों की उपलब्धता आदि के आधार पर विचार किया जाता है। नीति के तहत प्रोन्नतियां मात्र अभिग्रहण करने पर पुरस्कार के रूप में नहीं दी जाती हैं।

रत्न, जवाहरात और हीरों का निर्यात

1517. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:**
प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:
श्रीमती बसुंधरा राजे:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान रत्न, जवाहरात और हीरों का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया और चालू वर्ष के दौरान कितना निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की तुलना में उक्त निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) इन चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान रत्न, आभूषण और हीरों के निर्यात निम्नलिखित रहेः—

(करोड़ रुपये में)
(मात्रा 000'' कैरेट में)

मद	मूल्य	मात्रा
हीरे	6162.64	8700.00 (लगभग)
स्वर्णाभूषण	739.08	इन मदों की मात्रा के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
रंगीन रत्न तथा अन्य	319.72	
रत्न एवं आभूषण	7221.44	

(स्रोतः रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

वर्ष 1992-93 के लिए रत्न एवं आभूषण का निर्यात लक्ष्य 9300 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषण के निर्यात और प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित हैं:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत (-) या (+)
1989-90	5479.37	+28.02
1990-91	5360.24	-2.17
1991-92	7221.44	+34.72

(स्रोतः जी जे ई पी सी)

(ग) रत्न एवं आभूषण के लिए निर्यात लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) सरकार ने रत्न एवं आभूषण का निर्यात बढ़ाने के लिए कई संवर्धनात्मक उपाय किए हैं। इनमें कच्चे माल की आसान पहुंच प्रदान करना और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में खरीद संबंधी घोटाला

1518. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में खरीद संबंधी घोटाले की कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष मिले हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रक्षा संगठनों में भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख): राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे द्वारा 5.5 लाख रुपए की लागत पर कम्प्यूटर तथा उसके संबद्ध उपकरण खरीदने में बरती गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित जांच अदालत ने यह पाया है कि यद्यपि इसमें सरकार की कोई हानि नहीं हुई है, तथापि कोटेशन खोलने वाली समिति के पीठासीन अधिकारी ने निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया और निविदा से संबंधित कार्य कर रहे एक अधिकारी ने एक ऐसी फर्म का अनुमोदन किया था जिसका सम्बन्ध उसकी पत्नी के किसी निकट संबंधी से था।

दक्षिण सेना कमान, पुणे के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ ने निदेश दिए हैं कि सेना के दस्तूर के अनुसार कमांडेंट द्वारा कोटेशन खोलने वाली समिति के पीठासीन अधिकारी की समुचित भर्त्सना की जाए और इस तथ्य को छुपाने के लिए दोषी पाए गए अफसर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए कि वह एक ऐसी फर्म को आर्डर दे रहा था जिसका संबंध उसकी पत्नी के एक निकट संबंधी से था।

(ग) इस संबंध में व्यापक अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। इन अनुदेशों को पुनः सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है और इनका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा गया है।

अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड

1519. **डा० वसंत पवार:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड को अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसको दो विभिन्न निकायों में विभाजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और नई व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया जाएगा;

(ग) क्या विद्युत करघा/हथकरघा उद्योग के विकास हेतु विशेष धनराशि आवंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) सरकार द्वारा इस संबंध में

निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और दिसम्बर 1991 में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नामक दो बोर्ड गठित किये गये हैं।

(ग) हथकरघा और पावरलूम के विकास के लिए राशि का आबंटन सामान्य प्लान प्रक्रिया है।

(घ) पावरलूम/हथकरघा उद्योग के लिए वर्ष 1992-93 में प्लान और गैर-प्लान बजट प्रावधान इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

	प्लान	गैर-प्लान
पावरलूम उद्योग	283.00	35.00
हथकरघा उद्योग	4335.00	21203.40

कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना

1520. **डा० आर० मल्लू:**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों और पशु चारे सहित कृषि उत्पादों के निर्यात की वास्तविक संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इन उत्पादों का निर्यात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्य पदार्थों, दुग्ध उत्पादों तथा पशु खाद्य पदार्थों के निर्यात के कारण इन वस्तुओं की घरेलू बाजार में भारी कमी हुई है और इनके मूल्यों में वृद्धि की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ): भारत अनाज, काजू, चीनी, तम्बाकू, मसाले, फल एवं सब्जियां, आदि जैसे कई किस्म के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, जिनके लिए निर्यात की अच्छी संभावना है। अधिक खपत वाली मदों के मामले में जहां आवश्यक होता है कृषि उत्पादों के निर्यात पर मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा या पूर्ण प्रतिबंध जैसे नियंत्रण लगाए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1521. **श्री काशीराम राणा:**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार को 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों और प्रत्येक प्रस्ताव के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन भागों का ब्यौरा क्या है जिनका विकास/मरम्मत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) शेष प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) (ख) और (घ): वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान 30.6.92 तक गुजरात से राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में 56.13 करोड़ रु० की राशि के 72 प्राक्कलन प्राप्त हुए थे। इनमें से 27.89 करोड़ रु० के 40 प्राक्कलन संस्वीकृत कर दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त 12.95 करोड़ रु० की राशि के 13 प्राक्कलनों पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है। शेष 19 प्राक्कलनों को, स्पष्टीकरण पराप्त करने के लिए राज्य को लौटा दिया गया है। इन प्राक्कलनों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत कार्य है पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता को देखते हुए राज्य के समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से आवश्यक परियोजनाओं पर कार्यवाही की जाती है।

विवरण

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात सरकार से प्राप्त प्राक्कलनों की स्थिति

(करोड़ रु०)

प्राक्कलन		चौड़ा करके 4 लेन का बनाना	पेवमेंटों को मजबूत करना	पुल तथा पहुंचमार्ग	विविध	जोड़
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	प्राप्त प्राक्कलन					
	संख्या	5	12	1	54	72
	राशि	16.30	22.03	2.27	15.53	56.13
2.	संस्वीकृत प्राक्कलन					
	संख्या	1	10	1	28	40
	राशि	3.44	17.10	2.54	4.81	27.89
3.	वापस भेजे गए प्राक्कलन					19
	संख्या	1	2	—	16	12.12
	राशि	0.80	2.74	—	8.58	
4.	वे प्राक्कलन जिन पर कार्यवाही की जा रही है					
	संख्या	3	—	—	10	13
	राशि	11.75	—	—	1.20	12.95

वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया गया निवेश

1522. **श्री मृत्युंजय नायक:**
श्री बारे लाल जाटव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम में लघु बचत योजना और अन्य जमा योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा की गयी; और

(ख) उपयुक्त राज्यों में इस जमा राशि में से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कितनी राशि का निवेश किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अल्प बचत योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रु०)

वर्ष	उड़ीसा	मध्य प्रदेश
1989-90	40	70
1990-91	108	14
1991-92	—	—

राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) अल्प बचतों में निवल संग्रहण का तीन-चौथाई, जिसमें किसी राज्य में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जमा की गई राशि शामिल है, उस राज्य को दीर्घावधिक ऋणों के रूप में दिया गया है।

दिल्ली के सैनिक-अस्पतालों में औषधियों की सप्लाई

1523. **श्री महेश कनोडिया:**
श्री रतिलाल वर्मा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली कैन्ट स्थित बेस अस्पताल और सैनिक अस्पताल में आवश्यक औषधियां साधारणतः उपलब्ध नहीं होती हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन अस्पतालों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति करने के लिए विशेष कदम उठाया गया है; अथवा उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) 1991 की अन्तिम तिमाही में जब पूर्ति तथा निपटान

महानिदेशालय के खरीद संबंधी कार्य का विकेन्द्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था तो उस समय उक्त महानिदेशालय ने लम्बित पड़े सभी मांगपत्र (इंडेंट) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय को यह कहकर वापस कर दिए थे कि वे खरीद संबंधी कार्रवाई स्वयं करें। उस अवधि में आपातकालीन खरीद करके चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करानी पड़ी थी। परन्तु अब बेस अस्पताल दिल्ली और सैनिक अस्पताल, दिल्ली समेत सभी सशस्त्र सेना अस्पतालों में आवश्यक औषधियां सामान्य रूप से उपलब्ध हैं।

(ख) औषधियों की आपूर्ति का स्तर संतोषजनक बनाए रखने के लिए इन अस्पतालों तथा अन्य अस्पतालों के लिए आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की पद्धति को कारगर बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) (1) औषधियों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय रूप से खरीदी जाने वाली सभी मदों के संबंध में सैनिक अस्पताल, दिल्ली छावनी और कमान अस्पताल (मध्य कमान), लखनऊ को प्रायोगिक आधार पर सीधा परेषिती बना दिया गया है। इस पद्धति को अपनाने से चिकित्सा सामग्री व्यापारियों से डिपुओं को माध्यम बनाने की बजाए सीधे परेषिती के पास पहुंच जाती है जिससे चिकित्सा सामग्री जल्दी और आसानी से उपलब्ध होने की सुनिश्चितता बनी रहती है।

(2) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक की वित्तीय शक्तियां भी समुचित रूप से बढ़ा दी गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपड़े का निर्यात

1524. श्रीमती सरोज दुबे:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विशेषकर पिछले 6 महीनों के दौरान विश्व में निर्यात किये गये कपड़े के संबंध में भारत के हिस्से में कितने प्रतिशत की कमी/वृद्धि हुई है;

(ख) चीन, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे प्रमुख कपड़ा निर्यातक देशों के निर्यात की तुलना में उसकी क्या स्थिति है;

(ग) यदि भारत के निर्यात में कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने भारत के कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने तथा अन्य बाजारों का पता लगाने के लिए यदि कोई नीति बनाई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख): गाट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान विश्व वस्त्र निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 2 प्रतिशत आंका गया। चीन, जापान, जर्मनी और पाकिस्तान का प्रतिशत हिस्सा निम्न प्रकार है:—

		प्रतिशत हिस्सा	
देश	1988	1989	1990
जर्मनी	11.4	11.5	12.0
चीन	7.5	7.0	6.5
जापान	6.0	5.5	5.5
पाकिस्तान	2.0	2.0	उपलब्ध नहीं

स्रोतः गाट

(ग) और (घ) : वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान वस्त्रों में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा स्थिर रहा है। सरकार ने वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं उसमें शामिल हैं:—

(1) 1992—1997 की नई निर्यात आयात नीति के अन्तर्गत सभी वस्त्र मशीनरी मदों को निषेधात्मक सूची से हटा लिया गया है ताकि लाइसेंस के बिना ही आसानी से आयात किया जा सके।

(2) निर्यात संवर्धन (पूंजीगत सामान) योजना के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं का उदारीकृत आयात के अन्तर्गत निर्यातक 25 प्रतिशत आयात शुल्क पर मशीनरी मदों का आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे चार वर्षों में आयातित वस्तुओं के सी आई एफ मूल्य का तिगुना निर्यात दायित्व वहन करे अथवा 15 प्रतिशत आयात शुल्क इनका आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे 5 वर्षों में आयातित सामान के सी आई एफ मूल्य का चार गुना निर्यात दायित्व वहन करें।

(3) सैकिंड हैंड वस्त्र मशीनों के आयात के लाइसेंस के तहत मंजूरी की गई है। फिर भी, मेड-अप्स के विनिर्माण के लिए अपेक्षित मशीन का लाइसेंस के बिना आयात किया जा सकता है।

(4) विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा मेलों में भाग लेना।

(5) उचित कोटा नीति उपाय आदि के माध्यम से विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना।

श्रमिकों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौता

1525. **श्री सुधीर गिरि**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 में श्रमिकों, पश्चिम बंगाल सरकार तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के प्रबन्धकों के बीच हुए दो त्रिपक्षीय समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सभी पक्षों ने शर्तों को कार्यान्वित किया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त समझौते की अवहेलना के लिए किसी को जिम्मेदार पाया गया है;

(घ) मिलों को कपास की आवश्यक मात्रा उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) निगम ने कितना घाटा वहन किया; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) दिनांक 16-8-91 और 19-10-91 को हस्ताक्षरित दो त्रिपक्षीय करारों की मुख्य शर्तें थीं; दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन (सितरा) के कार्यभार मानदण्डों को लागू कराना, चार एककों का दो एककों में विलय और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को 1.30 प्रति अंक से बढ़ाकर 1.65 प्रति अंक करना।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्यशील पूंजी की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में कपास की खरीद नहीं की जा सकी।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि० ने 34.33 करोड़ रु० का अन्तिम निवल घाटा उठाया।

(च) एन टी सी ने अपनी समग्र विकास नीति के एक भाग के रूप में एन टी सी (डब्ल्यू बी ए सी ओ) लि० के अधीन मिलों के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए एक पैकेज तैयार किया है।

कपड़े के उत्पादन में कमी

1526. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़:**
श्री बृज भूषण शरण सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991-92 के दौरान कपड़े के उत्पादन में कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख)

(i) सूती और यार्न की अधिक कीमतें।

(ii) वस्त्र मदों की कम मांग।

(ग) और (घ): सरकार ने देश में वस्त्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की हैं:—

(i) नई औद्योगिक नीति, में स्थान संबंधी प्रतिबन्धों को छोड़कर मिल/विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा की स्थापना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ii) वस्त्र मशीनों का आयात किया जा सकता है तथा मौजूदा बजट में ऐसी मशीनों पर शुल्क पहले से ही कम कर दिया गया है।

(iii) वर्ष 1986 में सृजित वस्त्र आधुनिकीकरण निधि कारगर सिद्ध हुई है और इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

(iv) हथकरघा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(v) उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण में बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए 'बुनकर सेवक' के संवर्ग के प्रशिक्षण की योजना।

(vi) सरकार का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक विद्युत सेवा केन्द्र खोलना है।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क नियमों को सरल बनाना

1527. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:**
श्री अन्ना जोशी:
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क नियमों को सरल बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि यात्री सामान संबंधी नियमों के अंतर्गत यात्रियों को और अधिक शुल्कमुक्त सामान लाने की अनुमति दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) असबाब नियमावली, 1978 के तहत सामान्य निःशुल्क छूट की सीमा को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तक कर दिया गया है। श्रीलंका से आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य निःशुल्क छूट को मालदीव से आने वाले यात्रियों को दी जाने वाली छूट के बराबर रखा गया है। उन 13 शुल्क मदों की मूल्य सीमा को एक लाख बीस हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया है जिन्हें निवास-स्थान स्थानांतरण नियमों के तहत आयात करने की अनुमति दी गई है। उक्त रियायत अब उन मदों के लिए भी दे दी गई है जो मार्ग में खरीदी गई हों। उन यात्रियों के लिए जो निवास-स्थान स्थानांतरण का लाभ उठा रहे हों, निवास-स्थान स्थानांतरण नियमावली, 1978 को उदार बना दिया गया है जिसमें भारत में निवास की अवधि में कमी को वैध कारणों के आधार पर माफ करने की अनुमति दी गई है। पर्यटक असबाब नियमावली, 1978 को अद्यतन किया गया है ताकि उसमें टी वी सेटों, लैप-टॉप कम्प्यूटरों, कॉम्पैक्ट डिस्कों और वीडियो कैमरों जैसी मदों को शामिल किया जा सके।

(ग): जी, नहीं।

(घ): उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार

1528. **श्री चन्द्रजीत यादव:**

डा० लाल बहादुर रावल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान प्रत्येक विदेशी मुद्रा भण्डार कितना था; और

(ख) उच्च ऋण दर, खर्चीली ऋण सेवा तथा आंशिक रूप से परिवर्तनीय रुपए की विनिमय दर और आयात से प्रभावित होने वाले विदेशी मुद्रा भण्डार में पृथक-पृथक कितनी वृद्धि या गिरावट आने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) पिछले तीन महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति इस प्रकार है:

	विदेशी मुद्रा भण्डार (स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर)
माह के अंत में	करोड़ रुपए
अप्रैल, 1992	14227
मई, 1992	14163
जून, 1992	16125

(ख) माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए कारणों के बावजूद पिछले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति बहुत-ही अच्छी बनी रही है। सरकार को आगामी महीनों में इस भण्डार में अधिक गिरावट की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में महिला बैंक

1529. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक को महाराष्ट्र में महिला बैंक खोलने हेतु अभी तक कितने आवेदन मिले हैं; और

(ख) उक्त राज्य में 1992-93 के दौरान कितने लाइसेंस दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक को 1986 से अब तक महाराष्ट्र में महिला बैंक खोलने के लिए 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 9 को लाइसेंस जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(ख) महिला बैंकों सहित नए शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना की अनुमति इस प्रकार के बैंकों की

आवश्यकता को ध्यान में रख कर दी जाती है और साथ ही स्थान विशेष पर सम्भावित कारोबार को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार, किसी राज्य में निर्धारित समयावधि में खोले जाने वाले महिला सहकारी बैंकों सहित शहरी सहकारी बैंकों की संख्या का निर्णय अग्रिम रूप से लेना सम्भव नहीं है।

राज्यों को अनुदान

1530. **श्री राम टहल चौधरी:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों से केन्द्र सरकार को राज्यवार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितना अनुदान मांगा;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया;

(घ) क्या बिहार सरकार को इसकी मांग से कम धनराशि दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तराम पोट्दुखे):

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्यक्ष करों (निगम कर, धनकर और उपहार कर सहित आय कर) और अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों) से राज्यवार अनन्तिम संग्रह दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) और (ग) राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान, अंतर-अनुदान और वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले अनुदान, योजना आयोग द्वारा यथा अनुशंसित राज्यों के लिए एकमुश्त सहायता और अन्य आयोजना-भिन्न और केन्द्र आयोजना स्कीमों जिन्हें राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहायता दी जाती है, जैसी विभिन्न श्रेणियों के अधीन आते हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण III संलग्न है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान वित्त मंत्रालय में बिहार सरकार से विशेष अनुदान के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्यक्ष करों [आयकर (निगम कर सहित) धन कर और उपहार कर] से संग्रहण दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)।

क्रम संख्या	राज्य	(करोड़ रुपये) प्रत्यक्ष कर संग्रहण
1.	आन्ध्र प्रदेश	398.51
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.22
3.	असम	110.82
4.	बिहार	195.92
5.	गोवा	55.94
6.	गुजरात	721.58
7.	हरियाणा	113.87
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00
9.	जम्मू और कश्मीर	50.46
10.	कर्नाटक	499.72
11.	केरल	270.16
12.	मध्य प्रदेश	246.92
13.	महाराष्ट्र	5725.06
14.	मणिपुर	2.21
15.	मेघालय	4.97
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	2.71
18.	उड़ीसा	100.06
19.	पंजाब	153.45
20.	राजस्थान	203.93
21.	सिक्किम	0.45
22.	तमिलनाडु	1097.87
23.	त्रिपुरा	4.89
24.	उत्तर प्रदेश	727.05
25.	पश्चिम बंगाल	1372.80

विवरण-II

वर्ष 1991-92 के दौरान सीमा और उत्पाद शुल्कों से एकत्र की गई राशियां (अनन्तिम) दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए)

राज्य	सीमा शुल्क*	उत्पाद शुल्क**
आन्ध्र प्रदेश	982.61	1855.34
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश	2.11	720.94
बिहार	18.57	1139.63
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	108.33	639.50
हरियाणा और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	934.62	1653.99
गोवा	80.64	148.84
गुजरात, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1561.10	3085.88
कर्नाटक	499.01	1675.66
केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	387.81	649.76
मध्य प्रदेश	56.54	1471.61
महाराष्ट्र	9798.99	7945.66
उड़ीसा	137.13	446.18
राजस्थान	99.77	833.51
तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	3019.00	2133.09
उत्तर प्रदेश	774.89	2490.19
पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	2840.79	1493.04

*जब्त हुए स्वर्ण और चांदी की बिक्री से प्राप्त राजस्व शामिल नहीं है।

**इसमें राजस्व विभाग द्वारा अप्रशासित उपकर शामिल नहीं है परन्तु इसमें राजस्व विभाग द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कच्चे तेल पर उपकर तथा अन्य उपकर शामिल है।

विवरण-III

वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	(करोड़ रुपए) अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	359.03
2.	अरूणाचल प्रदेश	272.59
3.	असम	893.05
4.	बिहार	498.33
5.	गोवा	48.32
6.	गुजरात	263.28
7.	हरियाणा	55.35
8.	हिमाचल प्रदेश	376.78
9.	जम्मू और कश्मीर	868.68
10.	कर्नाटक	151.15
11.	केरल	197.50
12.	मध्य प्रदेश	409.69
13.	महाराष्ट्र	248.95
14.	मणिपुर	245.37
15.	मेघालय	197.84
16.	मिजोरम	224.70
17.	नगालैंड	242.43
18.	उड़ीसा	334.26
19.	पंजाब	95.19
20.	राजस्थान	459.63
21.	सिक्किम	98.35
22.	तमिलनाडु	268.47
23.	त्रिपुरा	279.49
24.	उत्तर प्रदेश	1351.74
25.	पश्चिम बंगाल	348.13

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों का निजीकरण

1531. **श्री नरेश कुमार बालियान:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कुल कपड़ा मिलों का निजीकरण करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग): राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही वस्त्र मिलों का निजीकरण करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि

1532. **श्री राजवीर सिंह:**
श्री संतोष कुमार गंगवार:
श्री सत्य देव सिंह:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए 13 मई, 1988 को संसद द्वारा पारित संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख): जी, नहीं। संसद द्वारा 13 मई, 1988 को पारित संकल्प के कार्यान्वयन की लक्षित तारीख अभी से पता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों में कार्यरत मज़दूर

1533. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों में राज्यवार कितने मज़दूर कार्यरत हैं?

वस्त्र मंत्रालय का राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और आरंभिक दोनों कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण—I में दिया गया है। अनुमान है कि देश में विकेन्द्रीकृत पावरलूम क्षेत्र में सीधे 57 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। राज्यवार रोज़गार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन विभिन्न राज्यों में वर्तमान पावरलूम की संख्या संलग्न विवरण—II में दी गई है।

विवरण—I

(30 अप्रैल, 1992 तक)

		पंजीकृत पावरलूम की संख्या			
क्र० सं०	राज्य का नाम	प्राधिकृत विद्यमान	अनाधिकृत विद्यमान	प्रस्तावित नए करघे	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश	6011	3185	12096	21292
2.	असम	—	—	2450	2450
3.	बिहार	1423	425	916	2764
4.	गोवा	12	—	120	132
5.	गुजरात	83456	88602	75044	247102
6.	हरियाणा	1097	166	7725	8988
7.	हिमाचल प्रदेश	365	—	899	1264
8.	कर्नाटक	21047	11761	16185	48993
9.	केरल	1507	63	365	1935
10.	मध्य प्रदेश	14142	4947	13860	32949
11.	महाराष्ट्र	220225	105110	121788	447123
12.	उड़ीसा	940	16	2139	3095
13.	पंजाब	14436	4366	2586	21388
14.	राजस्थान	5516	1501	21166	28183
15.	तमिलनाडु	70366	46699	103940	221005
16.	उत्तर प्रदेश	13970	17054	34114	65138
17.	पश्चिमी बंगाल	3510	606	64	4180
18.	सिक्किम	5	—	—	5
19.	चण्डीगढ़	6	16	20	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	दादरानगर हवेली	96	22	306	424
21.	दिल्ली	302	274	526	1102
22.	पांडिचेरी	162	—	668	830
	कुल:	458594	284813	416977	1160384

विवरण—II

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और आनुषंगिक कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	452954
2.	अरूणाचल प्रदेश	47285
3.	असम	1996753
4.	बिहार	239510
5.	गोआ	80
6.	गुजरात	67765
7.	हरियाणा	25013
8.	हिमाचल प्रदेश	54141
9.	जम्मू व कश्मीर	53330
10.	कर्नाटक	180904
11.	केरल	64916
12.	मध्य प्रदेश	76722
13.	महाराष्ट्र	134170
14.	मनीपुर	334626
15.	मेघालय	13823
16.	मिज़ोरम	128818
17.	नागालैण्ड	147587
18.	उड़ीसा	243728
19.	पंजाब	22555
20.	राजस्थान	77538
21.	तमिलनाडु	663318
22.	त्रिपुरा	137234

1	2	3
23.	उत्तर प्रदेश	640596
24.	पश्चिमी बंगाल	711563
25.	दिल्ली	11697
26.	पांडिचेरी	6534
	कुल	6533160

साधन: राष्ट्रीय हथकरघा गणना (1987-88)

हल्दिया में पोत-मरम्मत यार्ड की स्थापना

1534. **श्री सुव्रत मुखर्जी:**
श्री अजय मुखोपाध्याय:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पोत मरम्मत यार्ड की स्थापना पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हल्दिया में जहाज मरम्मत यार्ड स्थापित करने के लिये सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि निजी क्षेत्र के लिये यह छूट है कि वह स्वयं अथवा राज्य सरकार की सहायता से संयुक्त क्षेत्र में हल्दिया में जहाज मरम्मत परिसर स्थापित कर सकता है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

करों की वसूली

1535. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:**
श्री कमल चौधरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की उन कम्पनियों/फर्मों/व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर 10 लाख रुपये या उससे अधिक धनराशि के केन्द्रीय कर बकाया है;

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय कर के संबंध में पृथक-पृथक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक कम्पनी/फर्म/व्यक्ति पर कितनी-कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) उपर्युक्त बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा औषधियों का आयात

1536. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कितने मूल्य की औषधियों का आयात किया गया; और

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ये आयात सरकार के साथ मौजूदा पेटेंटों के संबंध में किए गए समझौतों के अनुरूप किए जाते हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख): मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अन्य कंपनियों, फर्मों और अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किए गए आयात, उनके मूल्य का हिसाब नहीं रखता है।

नई वस्त्र / सूती मिलों की स्थापना

1537. प्रो॰ रीता वर्मा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) देश में विशेषरूप से गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार कितनी नई वस्त्र / सूती वस्त्र मिलें खोली गयीं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार की कुछ और मिलें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में स्थापित की गई नई वस्त्र / सूती मिलों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य	1990-91	1991-92
आन्ध्र प्रदेश	2	—
कर्नाटक	—	1
मध्य प्रदेश	1	2
महाराष्ट्र	1	1
उड़ीसा	—	1
पंजाब	—	2
तमिलनाडु	10	8
उत्तर प्रदेश	3	—
पाण्डिचेरी	1	—
हिमाचल प्रदेश	1	1
	19	16

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार सूती मिल/वस्त्र मिल स्थापित नहीं करती है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार वस्त्र मिलों की स्थापना में और प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेगी लेकिन निजी और सरकारी क्षेत्रों में ऐसी मिलों की स्थापना करने को प्रोत्साहन देगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जिला सैनिक बोर्ड

1538. **श्री बलराज पासी:**
डा॰ रमेश चन्द्र तोमर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इन बोर्डों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बोर्डों की विशेष रूप से राज्य के पर्वतीय जिलों में कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क): राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के काम की समीक्षा करना सैनिक-कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के अधिकार में आता है। प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के काम की समय-समय पर समीक्षा करता रहता है।

(ख): उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशक द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, राज्य के विभिन्न सैनिक बोर्डों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ): उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के सभी भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंध में किए जा रहे उपायों को समन्वित करने के लिए एक संयुक्त निदेशक के अधीन एक कार्यालय खोला गया है। इन भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर पिछले वर्ष 5.42 लाख रुपये खर्च किए गए।

वर्ष 1992-93 के योजना परिव्यय में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पौड़ी में जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिसका संचालन पहले युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की संस्था करती थी, उसे अब राज्य सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय ने अपने अधीन ले लिया है और उसके लिए चालू वर्ष में 1.57 लाख रुपये की राशि रखी गई है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

क्रम सं०	अनुदान / सहायता का ब्यौरा	1989-90		1990-91		1991-92	
1.	रोजगार दिया गया	2855		2851		3456	
2.	स्वरोजगार के लिए दिया गया ऋण	प्राप्तकर्ता	राशि	प्राप्तकर्ता	राशि	प्राप्तकर्ता	राशि
	सेमफैक्स-1	105	1,95,58,000	132	3,96,33,000	154	4,58,32,000
	सेमफैक्स-2	117	31,87,000	75	17,76,000	31	11,97,000
3.	दुकान / खोखे की व्यवस्था	98	—	61	—	—	—
4.	पेक्सेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित	169	—	316	—	274	—
5.	वित्तीय सहायता						
	(1) शिक्षा छात्रवृत्ति / अनुदान	9,995	23,71,398	3,655	9,89,010	5,209	23,65,361
	(2) चिकित्सा सहायता	372	2,94,296	330	20,412	363	3,65,161
	(3) संक्रिया पवन में हताहत कार्मिकों को अनुग्रह अनुदान						
	(क) विधवाएं	83	12,45,000	120	18,00,000		
	(ख) निशक्त	1	10,000	5	50,000		
	(ग) अन्य	12	60,000				
	(4) हितकारी निधि	783	2,66,100	2,730	9,14,800	1987	7,94,000
	(5) विजय निधि	17	2,250	5	600	2	400
	(6) जरूरतमंद सैनिकों को वित्तीय सहायता—						
	राज्य सैनिक बोर्ड	2,070	5,72,629	3284	13,77,208	7123	18,18,391
	जिला सैनिक बोर्ड	1,461	1,24,770	1559	3,19,194	1088	2,28,886
	(7) दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन			16089	1,28,71,200		
	(8) अनुदान (निधि) पुरस्कार विजेता / निशक्त	3	14,873	4	20,412		
	(9) अनुग्रह	3580	7,95,073	3270	7,63,486	3179	6,02,930
	(10) मौके पर सहायता / आपात स्थितियां	58	66,913	4	2,350	564	6,82,424
6.	शौर्य पुरस्कार विजेता						
	(1) वीर चक्र एक बार का अनुदान			86	3,08,000		
	वार्षिकी	119	49,200	86	31,700		
	(2) अशोक चक्र (वार्षिकी)	12	1,200	13	1,300	13	13,400
	(3) अन्य एक बार के अनुदान	48	93,500	2	10,000	105	2,18,000
	वार्षिकी	48	6,500	2	300		

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1539

(जिसका उत्तर 17 जुलाई, 1992/26 आषाढ़, 1914 (शक) को दिया जाने वाला है)

ऋण दर

1539. **श्री अन्ना जोशी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की दीर्घावधि ऋण दर अनिशचय की स्थिति में है, जैसाकि 23 जून, 1992 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश की ऋण दर में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख): भारतीय सार्वजनिक निर्गमों के संबंध में अमरीकी साख निर्धारण अभिकरणों स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर और मूडीज द्वारा दिए गए दीर्घावधि साख निर्धारण क्रमशः बी.बी.1 और बी.ए.2 हैं जो कि निवेश ग्रेड से नीचे हैं, जबकि जापानी साख-निर्धारण अभिकरण जे.बी.आर.आई. द्वारा दी गई साख-निर्धारण बी.बी.बी. है जो कि निवेश ग्रेड है ।

(ग): सरकार ने व्यापार, उद्योग राजकोषीय, वित्तीय और सरकारी क्षेत्रों के दायरे में अनेक संरचनात्मक सुधार और स्थिरीकरण नीतियां अपनाई हैं, जिससे की समग्र आर्थिक प्रणाली को कुशलता और गतिशीलता प्रदान की जा सके। अल्पावधि में इन उपायों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं । भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 10 जुलाई, 1992 को बढ़कर लगभग 6.8 बिलियन डालर हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वास की बहाली के भी संकेत हैं। अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियों के अन्तर्गत निकासी कम हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की प्रतिक्रिया सार्थक रही है। आगामी महीनों में और सुधार होने की संभावना है।

[अनुवाद]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किए जाने वाले निर्यात का रुपये की विनिमय दर पर प्रभाव

1540. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किए जाने वाले निर्यात का रुपए की विनिमय दर पर प्रभाव का आंकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख): रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बराबर निगरानी रखी जाती है। ऐसे संकेत हैं कि यह प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है। तथापि, युरोपीय आर्थिक समुदाय के

देशों को निर्यात पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता के प्रभाव के संबंध में कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है।

रबर बोर्ड को विश्व बैंक से सहायता

1541. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रबर बोर्ड ने विश्व बैंक से कितनी राशि की सहायता मांगी थी;

(ख) क्या रबर बोर्ड का चालू वर्ष के दौरान भी ऐसी सहायता मांगने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता को किस तरह उपयोग में लाया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) भारत सरकार ने रबड़ के जिन विभिन्न क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने के लिए विश्व बैंक ग्रुप से सहायता मांगी है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) रबड़ उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता।

(2) संसाधन-फैक्टरियां स्थापित करना और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना।

(3) केरल एवं तमिलनाडु के परम्परागत क्षेत्रों में 40,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में पुनर्रोपण।

(4) 30,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में नया रबड़ रोपण (केरल और तमिलनाडु के परम्परागत क्षेत्रों में 23,000 हेक्टेयर, त्रिपुरा में 5,000 हेक्टेयर और अन्य चुनींदा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 2,000 हेक्टेयर)।

(5) 60,000 हेक्टेयर की छोटी जोतों में उत्पादकता बढ़ाना।

(6) लैटेक्स फैक्टरियों, क्रम्ब रबड़ फैक्टरियों आदि जैसी आधुनिक रबड़ संसाधन फैक्टरियों का वित्त-पोषण।

(7) रबड़ बोर्ड की बुनियादी संरचना संबंधी सुविधाओं जैसे अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार सेवाओं आदि को सुदृढ़ बनाना।

(8) रबड़ के नए पोधे लगाने और पुनर्रोपण कार्यक्रमों में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शामिल करने के अलावा इस परियोजना में त्रिपुरा में मधुमक्खी पालन तथा रेशम के कीड़ों का पालन, बीच-बीच में होने वाली फसलों की खेती मसाले एवं जड़ी-बूटी की खेती आदि जैसे कई आय देने वाले क्रियाकलाप बढ़ाने में सहायता दी जाएगी।

66.4 मिलियन (92 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) ऋण की सहायता राशि देने के लिए समझौता हुआ है।

यह ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) और भारत सरकार के बीच सभी ऋणों के लिए मानक सहमत शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए रबड़ बोर्ड नोडीय अभिकरण होगा। रबड़ उपजकर्ताओं और परियोजना के तहत स्थापित की जाने वाली रबड़ संसाधन फैक्टरियों का ऋण संबंधी आवश्यकताओं का नाबार्ड के जरिए सरणीकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए विश्व बैंक से धन

1542. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए धन-राशि देने से मना किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम की शाखाएं खोलना

1453. **श्री हाराधन राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1992-93 के दौरान खोले जाने वाली अपनी नई शाखाओं के स्थलों के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसनसोल उप-मण्डल में जीवन बीमा निगम की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा निगम का उत्तरी जोन में 17 शाखाएं, उत्तर-मध्य जोन में 15 शाखाएं, मध्य जोन में 14 शाखाएं, पूर्वी जोन में 18 शाखाएं, दक्षिणी जोन में 18 शाखाएं, दक्षिण मध्य जोन में 18 शाखाएं तथा पश्चिमी जोन में 20 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा आसनसोल मण्डल के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले जिला बीरभूम (पश्चिमी बंगाल) के सैंथिया नामक स्थान पर एक नई शाखा खोली जा रही है।

उड़ीसा में लौह अयस्क की कुल खरीद में कमी

1544. **श्री के॰ पी॰ सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में बर्जामदा क्षेत्र से लौह अयस्क की कुल खरीद में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) : वर्ष 1992-93 के दौरान जापान द्वारा पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का कम आयात करने संबंधी तथ्य को देखते हुए एम॰एम॰टी॰सी॰ ने इस वर्ष के दौरान उड़ीसा के बड़ाजामदा क्षेत्र से लौह अयस्क की कम खरीद करने का विनिश्चय किया है।

(ग) एम॰एम॰टी॰सी॰ द्वारा इस क्षेत्र से निर्यात मात्रा में आई कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को प्राप्त शिकायतें

1545. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को मास मई, 1992 के दौरान कम्पनियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों में प्रत्यर्पण आदेशों तथा शेयरों (ऋण पत्रों पर लाभांश) ब्याज न मिलने संबंधी शिकायतों की प्रतिशतता, पृथक-पृथक क्या है;

(घ) इन सभी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामले न होने देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) : मास मई, 1992 के दौरान भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को निवेशकों से 25,996 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायतें मुख्यतः प्रत्यर्पण आदेशों और आबंटन सूचनाओं के प्राप्त न होने, शेयरों पर लाभांश/ब्याज, ऋणपत्रों, सावधि जमाओं, ऋणपत्रों/सावधि जमाओं की परिपक्वता राशि के न मिलने और ऋणपत्र/शेयर प्रमाणपत्रों, वार्षिक रिपोर्टों, राईट आवेदन पत्रों के प्राप्त न होने और अन्य विविध मामलों के बारे में थीं।

(ग) 63.17 प्रतिशत शिकायतें प्रत्यर्पण आदेशों और आबंटन सूचनाओं के प्राप्त न होने और 9.43 प्रतिशत शिकायतें शेयरों पर लाभांश/ब्याज/ऋणपत्रों के प्राप्त न होने से संबंधित थीं।

(घ) और (ङ) : भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड उक्त शिकायतों पर संबंधित कंपनियों, मर्चेंट बैंकरों, निर्गम रजिस्ट्रारों तथा शेयर अंतरण एजेंटों के साथ और कंपनी कार्य विभाग तथा कंपनी विधि बोर्ड के साथ भी मिलकर अनुवर्ती कार्रवाही कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा ऐसे भी बहुत से उपाय शुरू किए गए हैं जिनका उद्देश्य निवेशकों की शिकायतों को कम करना है। इसमें स्टाक निवेश स्कीम शुरू करने, निर्गमों का निःशुल्क मूल्य-निर्धारण करने और स्टाक एक्सचेंजों को निर्गम-राशि के प्रतिशत तक की राशि को प्रतिभूति जमा राशि के रूप में लेने, यदि कंपनी सूचीबद्ध संबंधी सभी आवश्यकताओं आदि को पूरा करती है, को वापस करने की सलाह शामिल है। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 के अधीन बिचौलियों का पंजीकरण करने के लिए भी कदम उठाये हैं।

डी०टी०सी० के अन्तर्गत चल रही बसें

1546. **श्री फूल चन्द वर्मा:**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय डी०टी०सी० के अन्तर्गत श्रेणीवार कुल कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) एस०टी०ए० परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली 3000 बसों के अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान डी०टी०सी० के बेड़े में कितनी अतिरिक्त बसें शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसमें से कितनी बसें यमुना-पार क्षेत्र के लिये चलाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) ब्यौरे (8.7.92 के अनुसार) इस प्रकार हैः—

वर्ग	बसों की संख्या
नगर रूट	3910
अन्तर्राज्यीय रूट	415
निजी बसें	606

(ख) संसाधनों की कमी के कारण चालू वर्ष के दौरान दि॰प॰नि॰ के बेड़े में वृद्धि करना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटा

1547. श्री मोहन सिंह (देवरिया): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 1992 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कितना घाटा था;

(ख) क्या यह घाटा पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के बैंकिंग लेन देन करने का अधिकार देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यशील परिणाम अभी भी अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त होना बाकी है। मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के कार्यशील परिणामों से पता चलता है कि 44 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 21.47 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और 152 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 92.87 करोड़ रुपये की हानि हुई। 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संचित हानि 368 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) लक्ष्य समूहों का वित्त पोषण करने के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मांग ड्राफ्ट जारी करना, चैकों की वसूली, बिलों की खरीद, सुरक्षित निष्पादन गारंटी जारी करने आदि जैसे गैर निधि कार्यकलाप भी करते हैं। तथापि, ऋण देने का काम लक्ष्य समूह के उधारकर्ताओं पर केन्द्रित रहता है। वित्तीय प्रणाली पर समिति (नरसिंहम समिति) ने इसे ध्यान में रख कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकलापों का विश्लेषण करते समय यह निर्णय लिया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के घाटे में चलने का एक प्रमुख कारण उनके द्वारा किए जाने वाले कारोबार पर लगाया गया प्रतिबंध है। अतः समिति ने सिफारिश की है कि उनके कार्यों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें सभी प्रकार के बैंकिंग कारोबार की अनुमति दी जाए, हालांकि उनका फोकस लक्ष्य समूहों पर रहना चाहिए। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया प्रारम्भ की है ताकि उन्हें अर्थक्षम संस्थान बनाया जा सके। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

विदेशियों की गिरफ्तारी

1548. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कितने विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है और वे किन देशों के हैं; और

(ख) तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या निवारक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चला है कि चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान मई, 1992 तक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत विदेशी राष्ट्रीयता वाले 65 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) तस्करी रोधी एजेन्सियां तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहती हैं। तस्करों पर निगरानी रखने के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। तस्करी निवारण कार्यालयों को जलयानों, वाहनों, आग्नेयास्त्रों आदि से सुसज्जित किया गया है। एक्स-रे मशीनों, धातु खोजी यंत्रों तथा रात्रि में काम में लाई जाने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, दूर-संचार संजाल की भी सुविधा सुलभ की जाती है। तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

आंध्र प्रदेश के बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई

1549. श्री दत्तात्रेय बंडारू: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991-92 के दौरान सरकार ने आंध्र प्रदेश के बुनकरों को मासिक आधार पर किए गए वायदे के अनुसार सूती धागे की लगभग 4000 गांठें सप्लाई की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात से होने वाली आय

1550. श्री ई० अहमद: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, अप्रैल और मई, 1992 के महीनों के दौरान रुपये के भुगतान और सामान्य मुद्रा क्षेत्र वाले देशों से हुई निर्यात आय का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने किसी भारतीय उत्पाद अथवा वस्तु पर आयात शुल्क में कमी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) मार्च तथा अप्रैल, 1992 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्र (आर पी ए) और सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी सी ए) के देशों से भारत को जो निर्यात आय हुई उसके ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैः—

(करोड़ रु०)

	आर पी ए	जी सी ए
मार्च, 1992	266.48	4518.12
अप्रैल, 1992	288.14	3671.87

मई, 1992 की निर्यात आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग): प्रश्न के इस भाग में संभवतः माननीय सदस्य का संकेत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई ई सी). की ओर है। उल्लेखनीय है कि ई ई सी की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जी सी पी) की एक योजना है जिसके अधीन वह भारत सहित विकासशील देशों से होने वाले आयात पर टैरिफ रियायतें प्रदान करता है। ई ई सी द्वारा जो भी टैरिफ अधिमान दिया जाता है वह सभी लाभभोगियों पर लागू होता है और वह भारत से आयातित उत्पादों तक ही सीमित नहीं है। भारत के निर्यात हित के उत्पादों के लिए जी एस पी के अधीन मिलने वाले टैरिफ अधिमान में हाल ही में कोई कटौती नहीं हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52

1551. **डा० रमेश चन्द तोमर:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजमार्ग को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है और अभी तक कितना कार्य हुआ है; और

(घ) इस परियोजना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आवंटित की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख): राष्ट्रीय राजमार्ग-52 का कुछ भाग असम में तथा कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश में है। इसके असम वाले भाग को पहले ही विकसित करके राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर का कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश वाले खंड में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं और नदी के भूभाग और लगभग आधा वर्ष बारिश के मौसम को देखते हुए यह कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के अरुणाचल प्रदेश वाले खंड को फैरियों/अस्थायी पुलों का प्रयोग करके दिसम्बर, 1995 तक उसे साफ-मौसम के स्तर का बनाए जाने की आशा है। स्थायी पुल बनाकर इस पुल में सुधार करके वर्ष 2005 तक इसे सभी मौसमों के लिए उपयुक्त बनाए जाने की संभावना है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। इस बीच इस रूट को एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए लगभग 105 करोड़ रु० लागत के सुधार कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है और अधिकतर कार्य पूरा हो गया है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु०)
1989-90	12.00
1990-91	13.00
1991-92	10.47

[हिन्दी]

उड़ीसा की वस्त्र मिलों के लिए धनराशि

1552. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के वस्त्र मिलों की कच्चे माल आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) कच्चे माल आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उड़ीसा में वस्त्र मिलों को धनराशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित कोई भी अनुरोध वस्त्र मंत्रालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) और (ग): उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अर्जित राजस्व

1553. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार को भिलाई इस्पात संयन्त्र से कुल कितनी आय हुई है;

(ख) विभिन्न शुल्कों/करों से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त धनराशि में से कितनी धनराशि भिलाई इस्पात संयन्त्र के आस-पास के क्षेत्र के विकास पर, वर्षवार, खर्च की गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख): भिलाई इस्पात संयंत्र आयकर अदा करने वाली संस्था नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण भिलाई इस्पात संयंत्र सहित अपने विभिन्न यूनिटों के लाभ और/अथवा हानि का हिसाब लगाने के बाद ही निगम कर की अदायगी करता है। अतः, आयकर/निगम कर के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि बताना संभव नहीं है। सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि अदा किए गए सीमाशुल्क के आंकड़े कंपनी-वार नहीं रखे जाते

है तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व की कुल राशि इस प्रकार है:—

	(करोड़ रुपयों में)
1989-90	149.77
1990-91	152.98
1991-92	183.57

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि में से उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाना होगा।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद

1554. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-93 के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) परिषद को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद 16 मई, 1991 को गठित की गई है और अस्तित्व में है। परिषद के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं तथा राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्री इसके सदस्य हैं। देश में सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने तथा उस पर निगरानी रखने के लिए यह सर्वोच्च नीति निर्धारित करने वाली निकाय है।

विवरण

अनुबंध

क्रम सं॰	ब्यौरे	सरकारी/गैर सरकारी	सं॰	संक्षिप्त टिप्पणियां
1.	जल-भूतल परिवहन मंत्री	अध्यक्ष	1	जल-भूतल परिवहन मंत्री
2.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री	सरकारी	32	परिशिष्ट के अनुसार प्रत्येक दूसरा वर्ष
3.	सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक	सरकारी	32	

क्रम सं०	ब्यौरे	सरकारी / गैर सरकारी	सं०	संक्षिप्त टिप्पणियां
4.	केन्द्रीय मंत्रालय विभागों के प्रतिनिधि	सरकारी	9	(1) गृह मंत्रालय (2) मानव संसाधन विकास (3) पर्यटन (4) रेल (5) शहरी विकास (6) रसायन तथा पेट्रोलियम विभाग (7) व्यय विभाग (8) औद्योगिक विकास विभाग (9) योजना आयोग
5.	महानिदेशक (सड़क विकास) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	सरकारी	1	सड़क पक्ष
6.	सदस्य सचिव	सरकारी	1	संयुक्त सचिव (परि०)

सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री तथा महानिदेशक पुलिस

पहले साल के सदस्य	दूसरे साल के सदस्य
1. आन्ध्र प्रदेश	1. आसाम
2. बिहार	2. गुजरात
3. हरियाणा	3. हिमाचल प्रदेश
4. जम्मू और कश्मीर	4. कर्नाटक
5. केरल	5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र	6. मणीपुर
7. तमिलनाडु	7. नागालैंड
8. उत्तर प्रदेश	8. पंजाब
9. राजस्थान	9. पश्चिम बंगाल
10. उड़ीसा	10. त्रिपुरा
11. मेघालय	11. सिक्किम
12. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12. मिजोरम
13. चंडीगढ़	13. गोवा

पहले साल के सदस्य	दूसरे साल के सदस्य
14. दिल्ली प्रशासन	14. अरूणाचल प्रदेश
15. लकद्वीप	15. दमन एंड दीव
16. पांडिचेरी	16. दादर और नगर हवेली

बैंकों को परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को भुगतान की अधिकतम राशि

1555. **श्री मोहन रावले:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक के परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को अधिकतम 30,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने संबंधी नियम कब बनाये गये थे और इनका उद्देश्य क्या था;

(ख) क्या सरकार का विचार जमाकर्ताओं के खातों के मामले में इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि निक्षेप जमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधिनियम के समय ही निक्षेप जमा के नियमों को तैयार किया गया था। यह अधिनियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर बीमे की सीमा को बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। 30,000 रुपए की वर्तमान सीमा 1 जुलाई, 1980 से निर्धारित की गयी थी। यह सीमा छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये निर्धारित की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विद्यमान सीमा कुल जमाकर्ताओं की संख्या के 90 प्रतिशत से अधिक को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।

चावल और चाय का निर्यात

1556. **श्री बीर सिंह महतो:**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के चावल और चाय का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त दोनों मदों के निर्यात के प्रमुख साधन क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) माह अक्तूबर, 1991 से मार्च, 1992 तक की अवधि के दौरान 502.35 करोड़ रु० मूल्य के 4,84,557 टन चावल और 652.06 करोड़ रु० मूल्य की 11,72,15,020 कि०ग्रा० चाय का निर्यात किया गया है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान जिन प्रमुख पत्तनों के जरिए चाय का निर्यात हुआ वे हैं:—कलकत्ता, हल्दिया और तूतीकोरिन जबकि उक्त तुलनात्मक अवधि के दौरान चावल के निर्यात के मामले में काण्डला और बंबई प्रमुख निर्यात पत्तन रहे।

गुजरात में तस्करी

1557. श्री दिलीप भाई संघानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुएं जब्त की गयीं;

(ग) इस प्रकार की तस्करी के स्रोत क्या हैं; और

(घ) सरकार ने गुजरात में तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)

(क) से (ग): उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि गुजरात का समुद्री तट पश्चिम एशिया के कुछेक देशों से सामान की तस्करी के लिए बराबर आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तस्करी के सामान के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	1989	1990	1991
पकड़े गए सामान का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	44.65	68.97	40.51

(घ) गुजरात सहित समस्त देश में तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क कार्यालयों को जलयानों, वाहनों, आग्नेयास्त्रों और दूरसंचार संजाल से सुसज्जित किया गया है। रात में अंधेरे में देखने के काम आने वाली दूरबीनों, धातुखोजियों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के कार्य में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते

1558. श्री गुमान मल लोढ़ा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दोहरे कराधान से बचने के लिए अनेक देशों के साथ समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ ये समझौते कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोहरे कराधान से बचने और कर की चोरी को रोकने के लिए हाल ही में कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ङ) इससे भारत को कितनी सहायता मिलेगी; और

(च) क्या यह समझौता लागू हो गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) और (ख): भारत ने दोहरे कराधान के परिहार के लिए विभिन्न देशों के साथ अब तक 39 व्यापक करार किए हैं। 13 अन्य देशों के साथ ऐसे करार भी किए जा रहे हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं। देश-वार ब्यौरा 'संलग्न विवरण' में दिया गया है।

(ग) भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच आय तथा पूंजी पर दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए एक व्यापक करार पर दिनांक 29 अप्रैल, 1992 को सरकार के स्तर पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) इस करार में मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:—

(i) एक देश के उद्यम पर किसी दूसरे देश में कर तभी लगाया जा सकेगा यदि वह उद्यम किसी नियत स्थान से अथवा एक पर्याप्त समयावधि तक कारोबार करता है।

(ii) नौवहन तथा वायुयान से प्राप्त होने वाले लाभों को स्रोत-देश में पूरी तरह से छूट दी गई है;

(iii) रायल्टी, लाभांश तथा ब्याज पर करों की दर में कमी की गई है;

(iv) विद्यार्थियों, अध्यापकों, कलाकारों तथा खिलाड़ियों को रियायत दी गई है;

(v) स्रोत देश में अदा किए गए कर को क्रेडिट देकर निवास के देश में दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा;

(vi) कर-अपवंचन की रोकथाम तथा उसका पता लगाने के प्रयोजनार्थ सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।

(ङ) आशा है कि इस करार से संयुक्त अरब अमीरात की पूंजी का भारत में हमारे आर्थिक विकास के प्रयोजनार्थ निवेश किए जाने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इस करार से परस्परिक आर्थिक सम्बन्धों का भी विकास होगा तथा एक देश से दूसरे देश को उनके अपने-अपने फायदे तथा लाभ के लिए प्रोद्योगिकी तथा तकनीकी सेवाओं के अन्तःप्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।

(च) जी, नहीं। यह करार उस समय प्रवृत्त होगा जब दोनों देशों की सरकारें इस करार को प्रवृत्त करने के प्रयोजनार्थ अपने-अपने स्वदेशी कानूनों के अध्यधीन यथापेक्षित कार्यविधिक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने की पुष्टि करेंगी।

व्यापक करार

1. आस्ट्रिया
2. बेल्जियम
3. कनाडा
4. चैकोस्लोवाकिया
5. डेनमार्क
6. फिनलैण्ड
7. फ्रांस
8. फेडरल रिपब्लिक जर्मनी
9. जर्मन डेमाक्रेटिक रिपब्लिक
10. ग्रीस
11. हंगरी

12. इंडोनेशिया
13. इटली
14. जापान
15. केनिया
16. लीबिया
17. मलेशिया
18. मारीशस
19. नेपाल
20. नीदरलैण्ड
21. न्यूजीलैण्ड
22. नार्वे
23. पोलिश पीपुल्स रिपब्लिक
24. रोमानिया
25. सिंगापुर
26. दक्षिण कोरिया
27. श्रीलंका
28. स्वीडन
29. सीरिया
30. तनज़ानिया
31. थाईलैण्ड
32. संयुक्त अरब गणराज्य
33. युनाइटेड किंगडम
34. संयुक्त राज्य अमेरिका
35. यू०एस०एस०आर०
36. जाम्बिया
37. आस्ट्रेलिया
38. ब्राज़ील
39. बंगला देश

सीमित करार

(ख) केवल वायुयान से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में

1. अफगानिस्तान
2. इथियोपिया
3. ईरान
4. कुवैत
5. लेबनान
6. ओमान
7. पाकिस्तान

8. पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन
9. स्विटज़रलैण्ड
10. संयुक्त अरब अमीरात
11. यमन अरब रिपब्लिक

(ख) केवल नौवहन से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में

1. बल्गारिया

(ग) केवल सम्पदा-शुल्क के बारे में

1. युनाइटेड किंगडम

गुंथे हुए धागे वाली रेशम की रीलें बनाने वाले एककों को राजसहायता

1559. **श्री अनन्तराव देशमुख:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुंथे हुए धागे वाली (मल्टीएण्ड) रेशम की रीलें बनाने वाले एककों को कोई आर्थिक राजसहायता देता है; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक राजसहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित मल्टी एंड धागाकरण मशीन के लिए प्रत्येक 2 बेसिनों (20 एंड्स) के लिए 20,000 रु० और 10 बेसिनों (100 एंड्स) के लिए अधिकतम 60,000 रु० का अनुदान मंजूर करता है। अन्य कम्पनियों/फर्मों द्वारा विकसित मशीनों के लिए भी इस प्रकार के अनुदान पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित हो।

डिश एंटिना का उत्पादन

1560. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स ने डिश एंटिना का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान डिश एंटिना का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) यदि नहीं, तो इसका उत्पादन कब से शुरू किया जायेगा;

(घ) देश में डिश एंटिना की कितनी आवश्यकता है; और

(ङ) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स देश में डिश एंटेनाओं की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स ने डाइरेक्ट ब्रोडकास्ट सैटिलाइट रिसेप्शन के लिए डिश एंटिना का विकास कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा वे राडार, माइक्रोवेव संचार, सैटिलाइट अर्थ टर्मिनल और रक्षा आवश्यकताओं के लिए एंटिना का निर्माण कार्य पहले से ही कर रहे हैं।

(ख) डाइरेक्ट ब्रोडकास्ट सैटिलाइट रिसेप्शन का आदिरूप 1992-93 तक तैयार होने की संभावना है। 1992-93 के दौरान नान डाइरेक्ट ब्रोडकास्ट सैटिलाइट रिसेप्शन एंटिना का उत्पादन करीब 25 करोड़ रुपये का होगा।

(ग) डाइरेक्ट ब्रोडकास्ट सैटिलाइट रिसेप्शन एंटिना का उत्पादन 1993-94 में होने की आशा है।

(घ) डाइरेक्ट ब्रोडकास्ट सैटिलाइट रिसेप्शन एंटिना की मांग करीब 5,000 प्रतिवर्ष होने का अनुमान है।

(ङ) देश में डाइरेक्ट ब्रोडकास्ट सैटिलाइट रिसेप्शन के लिए डिश ऐंटिना की मांग फिलहाल कई गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा पूरी की जा रही है और भारत इलैक्ट्रानिक्स इस बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहा है।

सिंगापुर के साथ व्यापार समझौता

1561. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सिंगापुर के साथ किए गए व्यापारिक समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): भारत-सरकार ने विगत 3 वर्षों के दौरान सिंगापुर के साथ कोई व्यापार करार नहीं किया है।

[हिन्दी]

पेटेंट कानूनों पर राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा डंकेल प्रस्ताव का अस्वीकृत किया जाना

1562. **श्री साईमन मरान्डी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों के पेटेंट कानून संबंधी राष्ट्रीय कार्य दल ने "डंकेल प्रस्तावों" को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस बारे में सरकार ने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (च) एक स्व कानून संबंधी राष्ट्रीय कार्य-दल, जो एक गैर-सरकारी निकाय है, उसकी अनेक बैठकें हुई हैं जिनमें डंकेल प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया है, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों, कृषि तथा वस्त्र व्यापार, पूंजी-निवेश उपायों और संबद्ध मामलों के क्षेत्रों के बारे में।

हालांकि सरकार ने डंकेल प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया है, किन्तु अर्थ-शास्त्रियों, राय निर्माताओं और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित जनता के विभिन्न वर्गों से परामर्श किए गए हैं। इस विषय पर संसद में भी बहस कराए जाने की प्रस्ताव है।

डंकेल प्रस्तावों पर कोई अंतिम निर्णय लिए जाते समय उन सभी विचारों को ध्यान में रखा जाएगा जो पहले व्यक्त किए जा चुके हैं और जो संसद में प्रस्तावित बहस में व्यक्त किए जाएंगे।

[अनुवाद]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियां

1563. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष मे अब तक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य-वार कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान व्यापक नये औद्योगिक वर्गीकरण नीति के अन्तर्गत कितनी नई कम्पनियां पंजीकृत की गई तथा वर्ष के दौरान इनकी अधिकतम अधिकृत पूंजी कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1991 में और जून, 1992 तक, राज्य-वार किसी कम्पनी ने कार्य करना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) 31.5.1992 तक चालू वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत शेयरों द्वारा सीमित 3984 कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) वृहद औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत नयी पंजीकृत कम्पनियों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II पर है। सबसे अधिक प्राधिकृत पूंजी विनिर्माणकारी क्षेत्र के अधीन सूचित की गई थी।

(ग) तथा (घ) उन कम्पनियों जिन्होंने वर्ष 1991-92 के दौरान और मई 1992 तक काम करना बन्द कर दिया था, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य	संख्या	प्राधिकृत पूंजी (लाख रुपयों में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	245	6069.40
असम	26	528.00
बिहार	62	456.50
गुजरात	314	22637.79
हरियाणा	70	1054.50
हिमाचल प्रदेश	11	111.50
जम्मू एवं कश्मीर	5	37.50
कर्नाटक	163	3766.00
केरल	64	1193.95
मध्य प्रदेश	85	1003.40
महाराष्ट्र	798	15984.45
मणिपुर	1	100.00

1	2	3
उड़ीसा	45	51744.00
पंजाब	101	1966.11
राजस्थान	134	833.00
तमिल नाडु	397	9296.95
त्रिपुरा	1	3.00
उत्तर प्रदेश	162	2445.00
पश्चिम बंगाल	501	8749.40
गोवा	19	258.00
चण्डीगढ़	54	2426.20
दादरा तथा नगर हवेली	3	30.00
दिल्ली	712	272851.90
दमन एवं द्वीव	1	100.00
मिज़ोरम	1	25.00
पाण्डिचेरी	9	39.00
योग	3984	403710.55

विवरण-II

औद्योगिक वर्गीकरण	संख्या	प्राधिकृत पूंजी (लाख रुपए में)
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	139	6558.92
खान व उत्खनन	40	52368.96
विनिर्माण	1443	201603.50
निर्माण	186	3804.91
थोक तथा फुटकर व्यापार और जलपान गृह एवं होटल	783	120239.15
परिवहन भंडारण व संचार	108	1538.86
वित्त, बीमा, भू-सम्पदा और व्यावसायिक सेवाएं	1219	16673.54
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	66	922.70
योग	3984	403710.54

विवरण-III

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संख्या	प्रदत्त पूंजी (लाख रुपए में)
बिहार	8	794.97
कर्नाटक	44	82.54
केरल	60	149.69
महाराष्ट्र	5	0.00
उड़ीसा	1	46.00
तमिल नाडु	3	3.47
उत्तर प्रदेश	4	0.00
पश्चिम बंगाल	46	1320.37
गोवा	9	25.59
दिल्ली	31	172.62
पांडिचेरी	2	6.40
योग	213	2601.65

रूई का आयात और निर्यात

1564. श्री प्रताप राव बी॰ भोंसले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को रूई का आयात करने की अनुमति न देने के संबंध में कपास उत्पादकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से, देश एवं कपास उत्पादकों के हित में कपास का निर्यात सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने का भी अनुरोध किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनुरोधों पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघों ने सरकार से अनुरोध किया था कि कपास के आयात की अनुमति नहीं दी जाए तथा कपास के निर्यात की अनुमति दी जाए।

(ग) और (घ) हथकरघा क्षेत्र की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अप्रैल, 1992 में यह निर्णय लिया था कि मनोनीत हथकरघा एजेंसियों की कताई मिलों द्वारा हैंक यार्न की सप्लाई करने की एक व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष रूप से हथकरघा क्षेत्र के लिए आयात शुल्क के बिना कपास की 2 लाख गांठ तक के आयात की अनुमति दी जाए। तथापि, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत स्थिति में परिवर्तन होने के कारण इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक कपास का कोई आयात नहीं किया गया है। सरकार ने हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार करारों के परिपेक्ष्य में सरकार ने नेपाल, बंगलादेश तथा

श्रीलंका जैसे कुछेक अपने पड़ोसी देशों की 30,000 गांठ तक की सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय कपास निगम को प्राधिकृत किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा अर्जित आय

1565. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत मिलों को चलाने पर कुल कितना खर्च हुआ और इनसे कितनी आय हुई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान एन टी सी के अधीन चल रही 122 मिलों पर हुए कुल व्यय और अर्जित की गई आय (उत्पादन मूल्य) के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं:—

	1990-91	1991-92
	(लेखा परीक्षित)	(अनन्तिम) (करोड़ रु० में)
(1) परिवर्तनीय लागत	845.51	992.89
(2) स्थिर लागत कुल (1+2)	705.27	657.14
	1550.78	1650.03
अर्जित आय (उत्पादन मूल्य)	1359.20	1328.82

[अनुवाद]

यूको बैंक की वित्तीय सहायक कम्पनी

1566. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूकों बैंक का विचार कोई नयी वित्तीय सेवा सहायक कम्पनी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई सहायक कम्पनी की इक्विटी का आधार क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एक नई वित्तीय सेवा अनुषंगी प्रारम्भ करने के लिए उन्हें यूको बैंक से एक प्रस्ताव मिला है।

(ख) प्रस्तावित अनुषंगी उपस्कर पट्टे पर देने, पोर्टफोलियों प्रबन्धक, कंपनी सेवा (कारपोरेट सर्विस), परामर्शी सेवा आदि का कार्य करेगी। अनुषंगी के पास 10 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी होगी तथा निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी एक करोड़ रुपये की होगी जो पूर्णतः बैंक द्वारा अभिदत्त की जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय साधारण बीमा निगम में राजभाषा कार्यान्वियन समिति

1567. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां पर इन समितियों का गठन नहीं किया गया है।

(घ) गत दो वर्षों में इन समितियों की बैठकें कब कब हुई; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कम्पनियों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या इस प्रकार है:

	समितियों की संख्या
साधारण बीमा निगम	1
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	254
न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	321
ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	302
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	313
कुल	1191

(ग) शून्य

(घ) साधारण बीमा निगम और उसकी चारों सहायक कम्पनियों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

1568. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा निगमित और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के साथ किया गया समझौता ज्ञापन दो भागों में है। भाग I में निगम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। भाग II निगम की विगत कार्य निष्पत्ति, वर्ष 1992-93 के कार्य निष्पत्तियों का लक्ष्य निगम को सहयोग देने और इनके कार्यक्रमों की नियमित निगरानी से संबंधित है। निगम के कार्यों के संबंध में निर्णय उसके लाभ संबंधित कार्यकलापों, सूत की आपूर्ति रंजक व रसायन की आपूर्ति, कपड़े की आपूर्ति के लक्ष्यों में हुई उपलब्धियों के आधार पर लिया जायेगा संवर्धनात्मक/विकासात्मक कार्यकलापों जैसे विपणन कॉम्पलैक्स की स्थापना, रंजकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को उचित महत्व दिया गया है।

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

1569. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्येः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 में भारत से निर्यात किये गये सिले-सिलाये वस्त्रों का विदेशी मुद्रा और रुपयों में मूल्य अलग-अलग कितना था;

(ख) किन-किन देशों को उनका निर्यात किया गया और प्रत्येक देश को, अलग-अलग कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या विश्व के कुल विपणन में भारत का निर्यात का हिस्सा नगण्य है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किये हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान परिधानों का निर्यात 6327 करोड़ रु० आंका गया है जो कि 2530 मिलियन (अनन्तिम) अमरीकी डालर के बराबर है।

(ख) परिधानों का निर्यात अधिकांशतः सभी देशों को किया जाता है। वर्ष 1991-92 के दौरान जिन प्रमुख देशों को निर्यात किया गया उनके ब्यौरे और हिस्से निम्नोक्त प्रकार हैं:—

देश	प्रतिशतता हिस्सा
1	2
ई ई सी	41.48
यू एस ए	25.17
यू ए ई	4.82
पूर्व-यू एस एस आर	4.72
जापान	4.33

1	2
स्विटजरलैंड	2.89
आस्ट्रेलिया	1.16
अन्य	14.43
	कुल 100.00

(ग) और (घ) क्लोदिंग के लिए विश्व बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 2% है। सरकार ने परिधान के निर्यात बढ़ाने के लिए की कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:—

1. निर्यात संवर्धन (पूंजीगत सामान) योजना के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तओं का उदारीकृत आयात के अन्तर्गत निर्यातक 25% आयात शुल्क पर मशीनिरी मदों का आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे चार वर्षों में आयातित वस्तुओं के सी आई एफ मूल्य का तिगुना निर्यात दायित्व वहन करे अथवा 15% आयात शुल्क इनका आयत कर सकते हैं बशर्ते कि वे 5 वर्षों में आयातित समान के सी आई एफ मूल्य का चार चुना निर्यात दायित्व वहन करें।
2. परिधान और हौजरी क्षेत्रों की आवश्यकता के लिए सेकिंड हैंड पूंजीगत वस्तुओं को बिना लाइसेंस के आयात किया जा सकता है।
3. सिले-सिलाए परिधान उद्योग द्वारा प्रयोग में लाने के लिए सजावटी/ट्रिमिंग्स की अतिरिक्त 5 मदों को 30-4-1992 से रियायती शुल्क पर आयात करने की सुविधा दी गई है।
4. निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण के उद्देश्य के लिए, ट्रेग्स, लेबल, प्रिंटिज बेग और स्टीकरों की आयात सीमा 1000 रु० से बढ़ाकर 10,000 रु० कर दी गई है।
5. मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना।
6. परिधान निर्यातक मूल्य आधारित अग्रिम लासेंस योजना और मात्रा आधिरित अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्यत अपेक्षित कच्ची सामग्री का शुल्क मुक्त आयात कर सकते हैं।
7. उपयुक्त कोटा नीति उपायों आदि के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना।

[हिन्दी]

मुम्बई-III में उत्पाद शुल्क की वसूली

1570. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, मुम्बई-III द्वारा 1991-1992 के दौरान उत्पाद राजस्व की कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई और पिछले वर्ष की तुलना में यह कितनी अधिक है;

(ख) 1992-93 के दौरान कितनी उत्पाद राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है; और

अब तक किसी सीमा तक उक्त लक्ष्य की पूर्ति हो पाई है और यह धनराशि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एकत्र की गयी धनराशि की तुलना में कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1991-92 में सीम शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, मुम्बई-III से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की राशि अनन्तिम रूप से 2084.10 करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो कि गत वर्ष, अर्थात् 1990-91 की तुलना में 339.98 करोड़ रुपये अधिक है।

(ख) और (ग) : वर्ष 1992-93 के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के बजट अनुमान 32211 करोड़ रुपये आंके गये हैं। अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व वसूली की राशि अनन्तिम रूप से 6886 करोड़ रुपये आंकी गयी है जबकि अप्रैल, 1991 से जून, 1991 तक की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 5790 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई थी।

[अनुवाद]

पटसन की बोरियों का निर्यात

1571. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश ने अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पटसन के मूल्यों में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका भारत से पटसन-बोरियों के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) ऐसा समझा जाता है कि बंगला देश से पटसन के सामान के निर्यातक प्रायः कीमतें कम करते रहते हैं ताकि वे भारत सहित अन्य देशों से निर्यातकों को नुकसान पहुंचाते हुए विदेशी संविदाएं प्राप्त कर सकें। इसलिए सरकार ने हमारे, पटसन बोरों की क्वालिटी में सुधार लाने पर बल दिया है ताकि बाजार के हमारे शेयर को बचाने के लिए अन्त उपभोक्ताओं/आयातकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने विविधीकृत अन्य प्रयोगों के लिए मूल्यवर्धित पटसन उत्पादों की नई श्रृंखला के निर्यात पर भी बल दिया है ताकि इस क्षेत्र से हमारी निर्यात आय में वृद्धि हो सके।

मुक्त पत्तन की स्थापना

1572. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एक मुक्त पत्तन की स्थापना करने की संभावना का पता लगाने संबंधी समिति की सिफारिशों की छानबीन कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर मुक्त पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिशों की कब तक छानबीन की जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सलाहकार समिति ने गोआ में मुक्त पत्तन की स्थापना करने का सुझाव दिया है। चूंकि समिति की सिफारिशों की विस्तृत रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि कितने समय के अंदर निश्चित रूप से यह जांच पूरी हो जाएगी।

महाराष्ट्र द्वारा वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि का उपयोग

1573. **श्री मोहन रावले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा मिलों के बन्द होने से बेरोजगार हुए वस्त्र श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार ने वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि में से महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि मुहैया करायी थी, और अब तक उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार का महाराष्ट्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि देने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा संचालित वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना का उद्देश्य वस्त्र आयुक्त अथवा आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजीकृत निजी वस्त्र मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम सहायता प्रदान करना है। बम्बई में एन टी सी की कोई भी मिल बन्द नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी॰टी॰सी॰ की बसों तथा सरकारी वाहनों द्वारा प्रदूषण

1574. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी से जून, 1992 तक माहवार कितनी डी॰टी॰सी॰ की बसें, सरकारी वाहन निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि सभी सरकारी वाहन चलने से पहले प्रदूषण रोधी मानदंडों का पालन करें?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) : ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

	दि॰प॰नि॰ के वाहन	दिल्ली में सरकारी वाहन
जनवरी, 92	135	2
फरवरी, 92	82	2
मार्च, 92	101	8
अप्रैल, 92	80	1
मई, 92	72	शून्य
जून, 92	63	5

(ख) मोटर यान अधिनियम में निर्धारित प्रदूषण संबंधी मानक सरकारी वाहनों सहित सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होते हैं। दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में जनता की सूचना के लिए नोटिस प्रकाशित करवाए हैं कि सरकार सहित सभी वाहन मालिक प्रत्येक 6 महीने के बाद अपने वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के लिए जांच करवाएं। दिल्ली प्रशासन ने नगर के विभिन्न भागों में निजी कार्यशालाओं को भी प्रदूषण जांच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत किया है।

लौह-अयस्क का निर्यात

1577. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियां तथा निजी उद्यम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक निर्यात एजेंसियों ने निर्यात से कितनी-कितनी आय अर्जित की?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) निर्यात अभिकरणों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि निम्नलिखित थी:—

	मूल्य: करोड़ रुपए में		
अभिकरण	1989-90	1990-91	1991-92
एम एम टी सी	496.77	525.31	709.51
कुद्रेमुख आयरन ओर के० लि०	174.40	211.85	328.09
गैर-सरकारी लदानकर्ता	211.68	308.72	428.36
कुल	882.85	1045.88	1465.96

विवरण

लौह-अयस्क का निर्यात करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां

1. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम एम टी सी)
2. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल)

लौह-अयस्क का निर्यात करने वाली गैर-सरकारी कंपनियां

1. सेसा गोआ लिमिटेड
2. चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड
3. वी०एम० सल्गाओकार एंड ब्रदर लिमिटेड
4. वी०एस० डेम्पो एंड कंपनी लिमिटेड
5. सोसिडाडे फोमेंन्टो इंड० लि०
6. सल्गाओकार माइनिंग इंडस्ट्रीज लि०
7. आरिएन्ट (गोआ) लिमिटेड
8. रिसोर्सेज इन्टरनेशनल
9. दामोदर मंगलजी एंड कंपनी लि०
10. टिमब्लो प्राइवेट लिमिटेड
11. माण्डोवी पेलेट्स लिमिटेड
12. टिमब्लो मिनेरल एक्सपोर्टर्स कं०
13. अनन्त वी० सरमार्स्कर
14. सलीयो ओर्स लिमिटेड
15. मिनेइरासल्गाओकर लिमिटेड
16. वसन्तराय मेथा एंड कं० प्रा० लि०
17. मिनेइरा नसीओनल लिमिटेड
18. वी०एम०सल्गाओकार सेल्स इन्टरनेशनल

19. प्रासा हौलिंग कार्पोरेशन

[हिन्दी]

अमरीका को समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

1578. श्री गोविन्द राव निकाम: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत से समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अमरीकी खाद्य और औषध प्रशासन भारतीय गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाणपत्र को प्रमाणिक नहीं मानते हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को यथावत पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य प्राधिकारियों ने वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास को हाल ही में सूचित किया था कि वे यू० एस० प्राधिकारियों द्वारा जांच किए गए नमूनों में उच्च उल्लंघन दर के कारण भारत से निर्यात की गई खराब और सड़ी-गली श्रिंपों के बारे में निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को अब स्वीकार नहीं करेंगे।

(ङ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण तथा समुद्री खाद्य उद्योग को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

कारों का आयात

1579. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ चुनिन्दा श्रेणियों की फर्मों तथा व्यक्तियों को बिना किसी लाइसेंस के यात्री कारों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी के फर्मों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्री कारों को आयात करने वाली इन फर्मों और व्यक्तियों की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनका निर्माण करने वाले एकक कहां-कहां पर स्थित हैं और यात्री कारों का वार्षिक औसत उत्पादन कितना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) कुछ श्रेणियों के पात्र आयातकों को कुछ शर्तों के आधार पर बिना लाइसेंस के यात्री कारों तथा आटोमोबाइल वाहनों के आयात की अनुमति है।

इस सम्बन्ध में ब्यौरे वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 26 जून, 1992 की सार्वजनिक सूचना सं॰ 21—आई टी सी (पी एन)/92—97 में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट कारों के आयातकों की पात्र श्रेणियां आवश्यक रूप से विनिर्माता इकाइयां नहीं हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के दिल्ली-अम्बाला सेक्शन को चौड़ा करना

1580. श्री बी॰एल॰ शर्मा प्रेमः
श्री फूल चन्द वर्माः

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के दिल्ली—अम्बाला सेक्शन को चौड़ा कर दो लेनों वाला बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिये कब तक का समय निर्धारित किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग—1, जो दिल्ली से शुरू होता है, मुरथल तक (50 कि॰मी॰) पहले ही 4 लेन का है। मुरथल से करनाल तक 4 लेन बनाने संबंधी कार्य को प्रथम विश्व बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण के तहत 1986 में मंजूरी दी गई थी और यह कार्य प्रगति पर है। ठेके संबंधी समस्याओं के कारण कार्य को पूरा करने में विलम्ब हुआ और अब इसे दिसम्बर, 95 तक पूरा करने का लक्ष्य है। करनाल से अम्बाला तक शेष भाग वाली परियोजना को मई, 92 में मंजूरी दी गई। इस कार्य को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत किया जाना है, जिसके लिए 18.6.92 को समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। विश्व बैंक के परामर्श से बोली इत्यादि के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोली और ठेका देने के पश्चात् 3½ वर्ष के अन्दर इसको पूरा करने का लक्ष्य है।

नरसिंहम समिति की सिफारिशें

1581. श्री ललित उरांवः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नरसिंहम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से बैंक कर्मचारियों की छंटनी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नरसिंहम समिति की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो सरकार को मंजूर नहीं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) वित्तीय प्रणाली (श्री एम॰ नरसिंहम-अध्यक्ष) पर समिति की सिफारिशों के वर्तमान विश्लेषण के अनुसार बैंक कर्मचारियों की छंटनी की परिकल्पना नहीं की गयी है। कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश करते समय समिति का विचार था कि इसे अत्यधिक कार्य को सम्भालने के लिए उपयोगी तथा अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला माना जाना चाहिए।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) समिति की कुछेक सिफारिशों पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 17 से उपमार्ग

1582. **श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेलमंगला और मंगलोर के बीच हसन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 से उपमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) जी हां। हसन बाईपास के लिए जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है (न कि राष्ट्रीय राजमार्ग 17, पर) 55.62 लाख रु॰ की लागत से भूमि अधिग्रहण को सितम्बर, 1988 में संस्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण पर 81.99 लाख रु॰ की राशि खर्च हुई है और हाल ही में इसका कब्जा भी ले लिया गया है। तथापि, उपयोगी वस्तुओं को अभी शिफ्ट किया जाना शेष है। इस बाईपास के निर्माण की, जो कि आठवीं योजना में बाईपासों के लिए निर्धारित प्राथमिकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा समय-सारणी के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता

1583. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन राजमार्गों का निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से आवंटित धनराशि से किया गया है अथवा किन-किन राजमार्गों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से आवंटित धनराशि की सहायता की आवश्यकता है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन राजमार्गों के निर्माण कार्य को शुरू करने का विचार है और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय संसद द्वारा दिनांक 13.5.1988 को पारित संशोधित संकल्प से है जिसके तहत निधि से प्रोद्भूत राशि का $35^{1/2}$ % भाग केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में संशोधित संकल्प के अनुरूप वास्तविक वृद्धि अभी तक नहीं हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अनुमोदित किए जाने वाले प्रस्ताव और 1992-93 के दौरान उन

पर होने वाला संभावित व्यय, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध मुक्त अधिशेष और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

कर चोरी

1584. डा॰ लाल बहादुर रावलः
श्री राजवीर सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान कर चोरी के आरोप में कितने वरिष्ठ अधिकारी / उद्योगपति गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनसे कितनी नगद राशि और कितनी मात्रा में अन्य बहुमूल्य वस्तुएं तथा आपत्ति जनक दस्तावेज प्राप्त हुए; और

(ग) इन मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) आयकर विभाग को किसी भी व्यक्ति को कर-अपवंचन के आरोप में गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इनका प्रश्न ही नहीं उठता है।

निर्यात योग्य वस्तुएं

1585. **श्री गया प्रसाद कोरीः** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्यात बढ़ाने के लिए किन-किन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हेतु दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान तथा 1992-93 में जून तक इन वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए 15 विस्तृत थ्रस्ट क्षेत्रों / मदों को अभिज्ञात किया है। वे हैंः चाय, विशेष रूप से पैकेज तथा मूल्य-वर्द्धित रूप में, अनाज, विशेष रूप से गेहूं; संसाधित खाद्य जिसमें फल और जूस, मांस और मांस के उत्पाद, तथा ताजे फल और सब्जियां शामिल हैं, समुद्री उत्पाद, विशेष रूप से मूल्य वर्द्धित रूप में, लौह-अयस्क, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, हस्तशिल्प तथा आभूषण, पूंजीगत माल तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, इलैक्ट्रानिक सामान, और कम्प्यूटर साफ्ट वेयर, मूल रसायन, फैब्रिक्स, पीस गुड्स तथा मेड अप्स, तैयार परिधान, ऊनी फैब्रिक्स तथा निट वियर; परियोजनाएं और सेवाएं, तथा ग्रेनाइट।

(ख) सरकार ने विभिन्न मदों के निर्यात के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। इसमें शामिल हैं; उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध योजना के अंतर्गत रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता के लाभ; आय कर अधिनियम की धारा 80 एच॰एच॰सी॰ के अंतर्गत कर छूट; ड्यूटी ड्रावैक निदेशालय द्वारा निर्धारित की गई दरों पर ड्यूटी ड्रावैक, वाणिज्यिक ऋण की अपेक्षा कम दरों पर निर्यात ऋण; निर्यातकों को विदेशी मुद्रा खाते बनाए रखने और स्वतंत्र रूप से 60% परिवर्तनीय निर्यात आय का 15% इस खाते में भेजने की अनुमति देना, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर महत्वपूर्ण निविष्टियों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर महत्वपूर्ण निविष्टियों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रति-पूर्ति योजना; निर्यात दायित्वों के लिए रियायती आयात शुल्क

पर पूंजीगत माल का आयात; निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क छूट योजना; आदि।

(ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 और अप्रैल, 1992 के दौरान इन मदों के निर्यात से क्रमशः 25840 करोड़ रु०, 34398 करोड़ रु० और 3023 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल

1586. **श्री वी० एस० विजयराघवन:**
प्रो० के० वी० थामस:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बल्लार पदम में कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(ग) इस टर्मिनल को कब तक पूरा करने का कार्यक्रम है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) परामर्शदाताओं ने इस परियोजना से संबंधित अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। कोचीन पत्तन न्यास ने भी बल्लार पदम में प्रस्तावित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में पूंजीगत सहयोग के लिए इच्छुक निजी प्रचालकों से भी पूछताछ की है। 55 पार्टियों से प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम वैद्य तारीख 30 अगस्त, 1992 है।

(ख) और (ग) चूंकि प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में ही है इसलिए किसी लागत प्राक्कलन अथवा कार्य पूरा होने की समय सारणी के बारे में नहीं बताया जा सकता।

अफीम की खेती

1587. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अफीम की अवैध खेती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में पकड़े गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस अपराध के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) समय-समय पर अफीम की अवैध खेती के मामले नोटिस में आए हैं तथा उसको नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाती है। ऐसी खेती करने

वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है तथा उन पर अभियोजन चलाया जाता है। नष्ट की गई अवैध खेती के राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

राज्य	क्षेत्रफल		
	1990	1991	1992 (जून तक)
अरुणाचल प्रदेश	16	42	30000 पौधे
उत्तर प्रदेश	43	—	8.3
पश्चिमी बंगाल	—	2	—
राजस्थान	—	2	4
मध्य प्रदेश	—	—	1.22

स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत चार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में चांदमारी क्षेत्र

1588. **श्री राजेश कुमारः** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली का वर्तमान चांदमारी क्षेत्र चारों ओर से रिहायशी बस्तियों से घिरा है;

(ख) क्या अब यह चांदमारी के अभ्यास के लिए सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में वैकल्पिक चांदमारी अभ्यास क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) फील्ड फायरिंग रेंज तुगलकाबाद (जिसका छोटा सा हिस्सा दिल्ली में आता है) और लघु शस्त्र फायरिंग रेंज, दिल्ली छावनी के बाहर आवासीय बस्तियां हैं। परन्तु दोनो ही रेंजों में फायरिंग के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विनिमय दरें

1589. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्तिः**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसादः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों द्वारा उद्धृत विनिमय दरों में अन्तर रहा है जैसा कि 27 अप्रैल, 1992 के "इकॉनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) जी, हां। बैंक उन दरों पर लोडिंग मार्जिन द्वारा विनिमय दर बताते हैं जिन पर बैंक अंतरबैंक बाजारों में विदेशी मुद्रा खरीदने/बेचने में सक्षम होते हैं। इसलिए अन्य वस्तुओं की तरह विभिन्न समय पर विभिन्न बैंकों द्वारा बताई गई दरों में अंतर हो जाता है। विभिन्न बैंक विभिन्न दरें बताएंगे और बाजार दर की गतिविधि पर निर्भर करते हुए वही बैंक भिन्न-भिन्न समय में उसी शाखा में अलग-अलग दरें बताएगा। लेकिन संचार समस्या के कारण सुदूर क्षेत्रों में दरों में भिन्नता होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार को ऋण

1590. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान कितने ऋण की मांग की और उसके क्या उद्देश्य थे;

(ख) राज्य सरकार को कितना-कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या दिए गए ऋण की राशि मांग की तुलना में काफी कम थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोट्दुखे): (क) 1990-91 में, बिहार सरकार ने नवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट के पैरा 7.31 के अनुसरण में उस वर्ष के दौरान राज्य की वित्तीय समस्याओं से उभरने के लिए कम से कम 400 करोड़ रुपये के विशेष दीर्घ अवधि ऋण के लिए अनुरोध किया था। उसके बाद, 1991-92 में, केन्द्र को उस वर्ष अदा किए जाने वाले राज्य सरकार के लगभग 757.36 करोड़ रुपए की ऋण और ब्याज की देनदारियों के चुकता करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष ऋण के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को निदेश दिया जाए कि वह 1991-92 के दौरान बिहार में अल्प बचत पत्रों में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करे।

(ख) से (घ) 1990-91 में किए गए अनुरोध के बारे में, केन्द्र ने नवें वित्त आयोग के अभिमत को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वह एक तरह से सुझाव था न कि सिफारिश। इस तरह से, इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। जहां तक 1991-92 के दौरान केन्द्र को ऋण और ब्याज की वापसी के लिए 757.36 करोड़ रुपए के विशेष ऋण हेतु अनुरोध का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी कि वे इन देनदारियों को शामिल करके अपने आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखते। तद्नुसार, राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। उस वर्ष, केन्द्र ने निर्णय ले लिया था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अल्प बचत पत्रों में किसी भी राज्य में निवेश करने को न कहा जाए। इसलिए, बिहार सरकार के इस अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

विदेशी सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

1591. श्री रूपचन्द पाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रही विदेशी सहायक कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च की; और

(ख) इन विदेशी सहायक कम्पनियों ने इन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से संबंधित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन की उपयोगिता संबंधी निश्चित आंकड़े उसके पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए 326 विदेशी नियंत्रण-रुपया कम्पनियों का सर्वेक्षण किया था। ये विदेशी नियंत्रण रुपया कम्पनियां वे भारतीय संयुक्त स्टाक कम्पनियां हैं, जिनमें 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की इक्विटी भारत से बाहर किसी एक देश में धारण की जाती हैं, तथा जिनमें 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की इक्विटी किसी विदेशी कम्पनी या इसके नामिनी द्वारा धारण की जाती हैं। इन कम्पनियों के संबंध में कुल अर्जन तथा कुल व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपए में)

मद	1985-86	1986-87	1987-88
1. कुल अर्जन	844.16	868.22	917.71
(i) निर्यात	751.25	777.28	810.37
(ii) ब्याज	92.91	90.94	107.34
और कमीशन	879.58	1035.70	1139.25
2. कुल व्यय			
(i) प्रेषणाएं	144.99	158.56	174.44
(ii) आयात	734.59	877.14	964.81

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का बन्द किया जाना

1592. श्री मुकुल वासनिक: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को वापस लिए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह योजना मार्च, 1989 से ही चल रही है, अतः इसे 31 जुलाई, 1992 से बंद करने का निर्णय लिया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात

1594. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा और कितने मूल्य के चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) चमड़े के माल का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) काउन्सिल फार लेदर एक्सपोर्टस, मद्रास के पास मई 1992 तक के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1991 से मई, 1992 तक की अवधि के दौरान चमड़े के सामान (परिष्कृत चमड़े को छोड़ कर) के निर्यात का मूल्य और इस प्रकार इससे अर्जित विदेशी मुद्रा 1319.94 करोड़ रु० थी। निर्यात की मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ग) विदेशों में किए गए बाजार संवर्धन उपायों और भारतीय चमड़े के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने और विश्व बाज़ारों में उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए किए गए उत्पाद विकास प्रयासों से निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है। इसलिए इन उपायों को जारी रखने और अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबन्धन संस्थान

1595. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री तेज नारायण सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने अहमदाबाद में 1990-91 के दौरान डा० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबन्धन संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे संस्थानों की स्थापना का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं। किन्तु एम एम टी सी ने वर्ष 1991-92 के दौरान इण्डियन इस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद में "डा० अम्बेडकर चेयर आन इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड मैनेजमेन्ट" की संस्थापना की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फलों और सब्जियों का निर्यात

1596. **श्रीमती भावना चिखलिया:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छः महीनों के दौरान फलों और सब्जियों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ख) किन-किन देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास तत्काल उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्तूबर 1991 से मार्च 1992 के दौरान फल तथा सब्जियों के निर्यात निम्नानुसार रहे:—

फल	17636 एम टी
सब्जियों	258650 एम टी

(ख) फलों तथा सब्जियों का निर्यात इन देशों को किया गया; संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त राज्य अमरीका, मलेशिया, बेहरीन, ओमान, जर्मनी, स्विटरजरलैण्ड, कनाडा, बंगाल देश, सोवियत संघ, ब्रिटेन, मालदीव, पुर्तगाल, पाकिस्तान, मारिशस, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर नार्वे आदि।

[अनुवाद]

हथकरघा उद्योग हेतु निर्यात लक्ष्य

1597. **डा॰ आर॰ मल्लू:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हथकरघा उद्योग के लिये इस संबंध में यदि राज्यवार कोई निर्यात निर्धारित किये गये हैं तो वे क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) और (ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास बुनकर सेवा केन्द्रों, हथकरघा निदेशालय तथा अन्य संबंधित संगठनों के समन्वय से मुख्यतः निर्यात के लिए हथकरघा उत्पादन सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए एक कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में मौजूदा प्रौद्योगिकी तथा प्रयुक्त प्रक्रियाओं का पता लगाना, इन केन्द्रों में उत्पादन की क्वालिटी में सुधार लाने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पाद-वार योनजा का भी प्रावधान है।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए सूती हथकरघा फैब्रिकों और मेड अप्स के लिए निर्यात लक्ष्य 886 करोड़ रु॰ निर्धारित किया गया है। तथापि राज्य-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बैंक धोखाधड़ी

1598. **श्री काशीराम राणा:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न बैंकों में बैंक-वार धोखाधड़ी के कितने मामलों का पता लगा है; और

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों में शामिल अधिकारियों/लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सूचित/पता लगाए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उसी अवधि के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्तता के कारण अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

		1989	1990	1991
(i)	दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	73	82	57
(ii)	बड़े / छोटे दंड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	725	738	802
(iii)	उपर्युक्त (ii) में से बरखास्त / सेवा मुक्त/निष्कासित कर्मचारियों की संख्या	299	304	287
(iv)	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमे लम्बित है	666	637	661
(v)	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध बैंकों में विभागीय जांच लम्बित है।	1324	1278	1541

विवरण

वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सूचित किए गए/पता लगाए गए धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या की स्थिति।

क्र०सं०	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या		
		1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	39	31	34
2.	आन्ध्रा बैंक	37	38	35
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	91	80	79

1	2	3	4	5
4.	बैंक ऑफ इंडिया	114	81	96
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	15	6	12
6.	केनरा बैंक	134	156	115
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	63	50	68
8.	कारपोरेशन बैंक	30	17	19
9.	देना बैंक	32	22	20
10.	इंडियन बैंक	50	45	56
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	37	46	60
12.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	17	25	19
13.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	17	12	7
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9	15	14
15.	पंजाब नेशनल बैंक	39	63	42
16.	सिंडिकेट बैंक	91	113	116
17.	यूको बैंक	27	29	57
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	53	60	65
19.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	27	42	24
20.	विजया बैंक	47	33	40
21.	भारतीय स्टेट बैंक	490	506	457
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	24	32	19
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	10	24	14
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	16	17	9
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	34	34	24
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	13	12	9
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	14	8	11
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	16	17	14
	योग	1586	1614	1535

सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई विलासिता-सामग्री का निपटान

1599. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गयी विलासिता सामग्री के निपटान में बरती गयी अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) संभवतः माननीय संसद सदस्य का आशय मुम्बई सीमा-शुल्क गृह पर 1985 की उस निरीक्षण रिपोर्ट से है जिसमें जब्तशुदा माल का लेखा-जोखा रखने और उसके निपटान के संबंध में कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। मुम्बई सीमा शुल्क गृह की अनुपालन संबंधी अनितम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) त्रुटियों के लिये जिम्मेदार पाये गये किसी व्यक्ति के खिलाफ कानून/नियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अर्थव्यवस्था संरचनात्मक समायोजन और आर्थिक सुधारों का प्रभाव

1600. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर संरचनात्मक समायोजन और आर्थिक सुधारों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा संरचनात्मक समायोजन और आर्थिक सुधारों के बारे में दिये गए सुझावों को अपनाने से देश प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातकर्ता और निर्मित वस्तुओं का आयातकर्ता बन जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा अपनाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) सरकार ने व्यापार, उद्योग, राजकोषीय, वित्तीय और सरकारी क्षेत्रों के दायरे में अनेक संरवनात्मक सुधार और स्थिरीकरण नीतियां अपनाई हैं, जिससे कि समग्र आर्थिक प्रणाली को कुशलता और गतिशीलता प्रदान की जा सके। अल्पावधि में इन उपायों के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 10 जुलाई, 1992 को बढ़कर लगभग 6.8 बिलियन डालर हो गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की बहाली के भी संकेत हैं। अनिवासी विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत निकासी कम हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं की प्रक्रिया सार्थक रही है।

(ख) और (ग) व्यापार और औद्योगिक उदारीकरण तथा रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता सहित अन्य संरचनात्मक सुधारों से हमारे निर्यातों, प्राथमिक और विनिर्मित वस्तुओं, दोनों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने और सम्पूर्ण आयातों के संयत होने की सम्भावना है और जिससे व्यापार संतुलन में सुधार होगा और मध्यावधि और दीर्घावधि में भुगतान संतुलन में स्थिरता आएगी।

औषधियों का निर्यात

1601. **श्री सुधीर गिरि:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान औषधियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अमरीका को औषधियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या अमरीकी व्यापार अधिनियम के विशेष 301 प्रावधान से औषधियों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जैसाकि बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एन्ड कासमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल (केमेक्सिल) बम्बई द्वारा सूचना दी गयी है, वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान औषधियों तथा भेषजों का निर्यात क्रमशः 784.8 करोड़ रुपये और 1281.1 करोड़ रुपये का हुआ वर्ष, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान यू०एस०ए० को इस समूह के उत्पादों का निर्यात क्रमशः 28.84 करोड़ रुपये तथा 75.80 करोड़ रुपये का हुआ।

(ग) और (घ) दिनांक 29 अप्रैल को संयुक्त राज्य की सरकार ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में:

(क) स्पेशल 301 के अन्तर्गत भारत को पिरआरिटी फारेन कन्ट्री के रूप में पुनः निर्दिष्ट किया है, और

(ख) संयुक्त राज्य को 60 मिलियन डालर मूल्य के भारतीय निर्यात के लिए शुल्क मुक्त जी एस पी व्यवहार बंद कर दिया।

जी एस पी व्यवहार मुख्यतः भेषजीय पदार्थ रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए स्थगित किया गया है।

भारत सरकार संयुक्त राज्य की इस कार्रवाई को असामयिक, अकारण तथा अनुचित समझती है। संयुक्त राज्य के अधिकारियों को भारत सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करा दिया गया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती

1602. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, जीवन बीमा निगम द्वारा कितने सहायक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं;

(ख) कितने रिक्त स्थानों के लिए वर्ष-वार विज्ञापन दिए गए हैं;

(ग) प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वर्ष-वार कितने उम्मीदवारों को बैठने दिया गया है;

(घ) कितने उम्मीदवारों को, वर्ष-वार, साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है;

(ङ) योग्यता क्रम में कितने उम्मीदवारों का अन्ततः चयन किया गया है;

(च) क्या उम्मीदवारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक सहित परीक्षा के ब्यौरेवार परिणाम प्रकाशित किए गए अथवा उपलब्ध कराए गए;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं जो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):

(क)	1989-90	1990-91	1991-92
	200	96	265
(ख)	250	पिछले वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की	250
(ग)	63495	वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) लागू कर दी	86,265
(घ)	708	गयी थी, इसलिए कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।	772
(ङ)	246	116	324

(च) से (ज) चयनित उम्मीदवारों के रोल नम्बर ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किए गए थे। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को प्रकाशित करना व्यवहार्य नहीं है। इस संबंध में उम्मीदवारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए थे।

[हिन्दी]

निर्यात-आयात नीति का सरलीकरण

1603. श्री देवी बक्स सिंह:
श्री रतिलाल वर्मा:
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्री साईमन मरांडी:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात-आयात नीति में संशोधन करके उसको सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें संशोधन कब तक कर दिये जायेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) निर्यात तथा आयात नीति की सतत समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। हाल ही में आयात तथा निर्यात नीति और प्रक्रियाओं सम्बन्धी पुस्तिका 1992-97 की समीक्षा की गयी और उसमें किए गए परिवर्तन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ 22(एन-3)/92-97 और सार्वजनिक सूचना सं॰ 23-आई टी सी (पी एन)/92-97 दोनों की तारीख 30 जून, 1992 में निर्दिष्ट किए गए है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अमरीका को निर्यात

1604. **श्री चन्द्रजीत यादव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका द्वारा भारत से आयात की जाने वाली कतिपय वस्तुओं पर शुल्क लाभ समांप्त किये जाने से देश से अमरीका को किये जाने वाले निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) या इस संबंध में अमरीका से बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस बातचीत के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) दिनांक 29 अप्रैल, 1992 को संयुक्त राज्य की सरकार ने 60 मिलियन डालर मूल्य के भारत से संयुक्त राज्य को होने वाले निर्यात पर शुल्क मुक्त व्यवहार को स्थगित करने की घोषणा की। जी एस पी लाभों का स्थगन 19 मई, 1992 से प्रभावी हुआ। संयुक्त राज्य की इस कार्रवाई के फलस्वरूप प्रभावित उत्पाद भारत से आयात किए जाने पर अब से शुल्क मुक्त व्यवहार के पात्र नहीं होंगे लेकिन उन पर 0.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत के बीच परम मित्र राष्ट्र प्रशुल्क लगेगा। हालांकि संयुक्त राज्य के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव का परिमाणात्मक आकलन करना अभी सम्भव नहीं है लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि जिन उत्पादों पर प्रशुल्क की अपेक्षाकृत अधिक दर लागू होगी वे उत्पाद अमरीकी बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

भारत सरकार के इस दृष्टिकोण से कि यह कार्रवाई अनुचित असामयिक तथा अकारण है, संयुक्त राज्य प्राधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। अमरीका की प्रतिक्रिया थी कि इस निर्णय को बदला जा सकता है यदि भारत पटेन्ट संरक्षण पर संयुक्त राज्य की चिंताओं पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1605. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान दिए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) इनके लिए मद-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 279.70 करोड़ रु० की लागत के 83 प्राकलन प्रस्तुत किए थे। इनमें से 53 प्रस्ताव 48.30 करोड़ रु० की कुल लागत पर अनुमोदित किए गए थे, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। संस्वीकृत न किए गए प्रस्ताव संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत प्राकलन

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)	1992-93 के दौरान किया गया आबंटन (लाख रु०)
1	2	3	4
(क)	संस्वीकृत परियोजनाएं		
(1)	ऐसा प्रत्येक कार्य जिसकी लागत 50 लाख रु० से अधिक है।		
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के 355 से 359, 379 से 382/500 और 384 से 385/400 कि०मी० को मजबूत बनाना।	102.31	5.00
2.	रा० रा० -4 के पूने मोड़ के 6/120 से 14/360 कि० मी० में बिटूमन की तह बिछाना।	196 63	10.00
3.	रा० रा० 6 के 415/0-454/0 कि० मी० नागपुर-रायपुर खंड को मजबूत बनाना।	282.45	30.00
4.	रा० रा०-3 के 168/500- 173/0 कि० मी० के मजबूत बनाना।	72.70	20.00
5.	रा० रा० 3 के 176/0 से 190 कि० मी० को मजबूत बनाना।	256.21	30.00
6.	रा० रा० 6 के 74/0 से 84/0 कि० मी० तक नागपुर-इदलाबाद खंड को मजबूत बनाना।	93.44	10.00
7.	रा० रा० 7 के 701 से 711 कि० मी० जबलपुर-नागपुर खंड को मजबूत बनाना।	158.70	10.00
8.	रा० रा० 17 के 55.965 से 153.500 कि० मी० के खंड में जहां आवश्यक है वहां मौजूदा तंग पेवमेंट को चौड़ा करके 2 का लेन बनाना।	473.14	30.00
9.	पी एम पी सड़क रा० रा० 17 के 117/0 से 130/0 कि० मी० को चौड़ा करना तथा मजबूत बनाना।	468.35	50.00
10.	पी एम पी सड़क रा० रा० 17 के 64-74/065 कि० मी० को चौड़ा करना और मजबूत बनाना।	389.41	30.00
11.	पूने बंगलौर सड़क रा० रा० 4 के 655/0 से 669/0 कि० मी० को मजबूत बनाना।	179.82	10.00
12.	रा० रा० 6 के नागपुर राय पुर खंड के 406/0 से 415/0 कि० मी० को मजबूत बनाना।	116.90	10.00
13.	पूने सोलापुर सड़क रा० रा० 9 के 30 से 40 कि० मी० को मजबूत बनाना।	92.02	3.00
14.	रा० रा० 3 के थाने भिवंडी बाई पास के 4/812 से 13/360 कि० मी० के खंड में मौजूदा ग्रनूलर पेवमेंट पर बिटूमन की सतह बिछाना।	251.41	12.00

1	2	3	4
15.	रा॰ रा॰ 6 के नागपुर राय पुर के 521/200 कि॰ मी॰ में कन्हन नदी पर पहुंच मार्गों सहित पुल।	657.64	20.00
16.	रा॰ रा॰ 7 के नागपुर हैदराबाद खंड में खूनी नदी पर पहुंच मार्गों सहित पुल।	193.76	30.00
17.	रा॰ रा॰ 9 पर 218/200 कि॰ मी॰ में सीना नदी पर पहुंच मार्गों सहित पुल।	349.27	10.00
II	50 लाख रु॰ से कम लागत के 36 कार्य सामूहिक रूप से	496.27	38.80
	संस्वीकृत कार्यों की कु सं॰ 17+36 = 53	4830.43	358.80
		48.30 करोड़ रु॰	3.59 करोड़ रु॰

विवरण-II

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्त हुए प्राक्कलन जो संस्वीकृत नहीं हुए

क्रम सं॰	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰)	
1	2	3	4
1.	थाणे भिवण्डी रा॰ रा॰ 3 के 0 से 4.812 कि॰ मी॰ को मजबूत बनाना	441.58	विशेष ब्यौरों पर राज्य के लोक निर्माण विभाग के साथ पत्राचार किया जा रहा है।
2.	रा॰ रा॰ 7 के नागपुर हैदराबाद खंड में 159/0 कि॰ मी॰ में छोटे पुल का पुर्ननिर्माण-पहुंच मार्गों का प्राक्कलन	33.76	राज्य को वापस भेजा गया।
3.	रा॰ रा॰ 3 के 439 से 497 कि॰ मी॰ में लेन बनाना विश्व बैंक परियोजना	10742.70	-वही-
4.	नागपुर बाईपास का निर्माण	1931.63	-वही-
5.	रा॰ रा॰ 4 के 43.0 से 61.6 कि॰ मी॰ को चौड़ा करके 4 लेन बनाना	1897.00	-वही-
6.	रा॰ रा॰ 4 पर पनवेल बाईपास का निर्माण	5300.00	-वही-
7.	रा॰ रा॰ 13 के 3/200 से 30/300 कि॰ मी॰ में मौजूदा 2 दो लेन को मजबूत करना	353.92	-वही-
8.	रा॰ रा॰ 6 के 415/800 कि॰ मी॰ के एदला बाद धूले खंड में कि॰ मी॰ 433/17-19 पर रेलवे के लेवल क्रासिंग संख्या 154 नसीराबाद के बदले आ ओ बी का निर्माण।	233.20	-वही-
9.	रा॰ रा॰ 6 पर अकोला बाईपास पर रिधोरा नाला पर पुल	165.00	-वही-
10.	रा॰ रा॰ 8 के 94/200 कि॰ मी॰ में वात्रक नदी पर पुल	60.00	-वही-

1	2	3	4
11.	रा० रा० 8 के 497/00 कि० मी० में बेसिन क्रीक पर पुल	1500.00	राज्य को वापस भेजा गया।
12.	रा० रा० 4 के पनवेल बाईपास पर क्रीक नदी पर पुल	70.00	-वही-
13.	रा० रा० 4 के पनवेल बाईपास पर गढ़ी नदी पर पुल	110.00	-वही-
14.	रा० रा० 4 के पनवेल बाईपास पर हढ नदी पर पुल	70.00	-वही-
II	50 लाख से कम लागत वाले अन्य 16 लघु कार्य	218.95	-वही-
	जोड़ रु०	23127.74 लाख रु०	

हथकरघा और विद्युत करघे से तैयार की गई मदों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन

1606. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान हथकरघा/विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा तैयार की गई मदों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में कुल कितनी वृद्धि हुई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सूती मिल निर्मित/विद्युत करघा/हथकरघा वस्त्रों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार है:—

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1990-91	1991-92
मिल-निर्मित	630.24	777.14
विद्युत करघा	359.68	452.18
हथकरघा	225.21	279.69
कुल:	1215.13	1509.01

स्रोत: टेक्सप्रोसिल

[अनुवाद]

जलयानों की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

1607. **श्री सुब्रत मुखर्जी:**
श्री अजय मुखोपाध्याय:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों में भारतीय जलयानों की मरम्मत और रखरखाव पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों में भारतीय जहाजों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर सरकार द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है:—

अवधि	कुल खर्च		
	ड्राई डाकिंग/मरम्मत (करोड़ रु०)	पुर्जे	योग
1989-90	66.06	47.99	114.05
1990-91	91.21	56.24	147.45
1991-92	98.67	65.04	163.71

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को बन्द करना

1608. **श्री अन्ना जोशी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान उदारीकरण नीति के परिप्रेक्ष्य में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को कब तक बन्द कर दिया जायेगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र का निर्यात कार्य-निष्पादन

1609. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत क्षेत्रों के निर्यात कार्य की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1990-91	3784.45
1991-92	5751.45

पिछले वर्ष की तुलना में 1991-92 के दौरान इन निर्यातों में 52% की वृद्धि हुई।

कलकत्ता बन्दरगाह पर नई नौबन्ध सुविधाएं

1610. **श्री चित्त बसु:**
डा॰ असीम बाला:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कलकत्ता पत्तन न्यास से दिघा हाई तथा सागर द्वीप के निकट नई नौबन्ध सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से कोई सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर एशियाई विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) ऐसा कोई निवेश प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-जापान व्यापार

1611. **श्री के॰पी॰ सिंह देव:**
श्री गोपीनाथ गजपति:
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन मुख्य क्षेत्रों में भारत-जापान व्यापार शुरू किया गया है;

(ख) क्या भारत-जापान व्यापार के विस्तार की अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता किया गया है और इस संबंध में क्या उपलब्धि मिली है;

(घ) प्रधान मंत्री की हाल ही की जापान यात्रा के बाद जापान के बाद किये गए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार बीमा नीति के संबंध में कोई मतभेद रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जापान को होने वाले भारतीय निर्यातों में तीन मदें, अर्थात् लौह-अयस्क, श्रिम्प तथा हीरे प्रमुख हैं और जापान को होने वाले कुल भारतीय निर्यातों में इन का हिस्सा 2/3 है। जापान को भारत से निर्यात की जाने वाली अन्य मदों में हैं इंजीनियरीमाल, भेषजीय पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ, वस्त्र आदि। जापान से होने वाले आयातों में मशीनरी मदें शामिल हैं जैसे कि इलैक्ट्रिकल मशीनें, मशीनी औजार, परिवहन उपस्कर, परियोजना माल व्यावसायिक उपकरण, लोहा तथा इस्पात, वस्त्र धागा, रासायनिक पदार्थ आदि।

(ख) और (ग) जी हां, सिलेसिलाए परिधान, चमड़ा-उत्पाद, हल्का इंजीनियरी माल, स्वर्णाभूषण, कालीन, कम्प्यूटर-साफट्वेयर, बाइसिकल तथा संघटक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जापान को होने वाले भारतीय निर्यातों में वृद्धि करने की संभावनाएं हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार 7418 करोड़ रुपये तक पहुंच गया जबकि वर्ष 1990-91 में यह 6284 करोड़ था, इस प्रकार इसमें 18% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान भारतीय निर्यातों में 33% की वृद्धि हुई है। ये निर्यात वर्ष 1990-91 में 3039 करोड़ रु० से बढ़कर 1991-92 में 4048 करोड़ रु० के हो गए।

(घ) प्रधान मंत्री की जापान यात्रा के दौरान किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ङ) और (च) भारत-जापान से किए जाने वाले निर्यात के लिए और अधिक उदार व्यापार बीमा की मांग करता रहा है। जापान अपनी परियोजनाओं के लिए व्यापार बीमा निकारी के सम्बन्ध में उस समय धीरे कार्य करते रहे जिस समय पिछले वर्ष हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार आरक्षण कम थे। तब से स्थिति में सुधार आया है।

रूसी शिष्टमण्डल का दौरा

1612. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च अधिकार प्राप्त रूसी शिष्टमंडल ने भारत के साथ व्यापार संबंधों की पुनरीक्षा के लिए मई, 1990 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) रूस के राज्य सचिव श्री गेनाडी बरबुलिस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 3 से 6 मई, 1992 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आया था, जिसके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया था। इस यात्रा के दौरान भारत गणराज्य तथा रूसी

परिसंघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार पर वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम् तथा रूसी संघीय सरकार की ओर से श्री बरबुलिस द्वारा 4-5-92 को हस्ताक्षर किए गए। यह करार 31-12-96 तक की अवधि के लिए वैध है। इस करार में जब तक दोनों पक्षों के बीच किसी अन्तः सरकारी करार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तब तक दोनों देशों के बीच मुक्तरूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार करने की वयवस्था है। इस यात्रा के दौरान 1992 के व्यापार संलेख के अन्तर्गत बैंकिंग प्रबन्ध तथा तकनीकी ऋण के सम्बन्ध में 5 मई, 1992 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 के व्यापार संलेख के अन्तर्गत तकनीकी ऋण के सम्बन्ध में इस बात पर सहमति हुई थी कि तकनीकी ऋण की अधिकतम सीमा 8500 मिलियन रुपये की बजाय 285 मिलियन अमरीकी डालर रहेगी। इस व्यापार संलेख के अन्तर्गत व्यापार आरम्भ करने की दृष्टि से भारतीय पक्ष 85 मिलियन अमरीकी डालर तक तकनीकी ऋण का अग्रिम उपयोग करने के लिए सहमत हो गया ताकि चाय, काफी, तम्बाकू मसाले आदि जैसी अभिज्ञात मौसमी कृषिगत वस्तुओं की खरीद की जा सके। तकनीकी ऋण की शेष राशि रूस से भारत को वस्तुओं के प्रवाह के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी।

केन्द्रीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र और राष्ट्रीय रेशमकीट परियोजना

1613. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्र रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, चाकी रेयरिंग सेन्टर, रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र आधारित बीज फार्म तथा राष्ट्रीय रेशम-कीट बीज परियोजना देश में किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) के प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान में निम्नलिखित एककों की स्थापना करने का प्रावधान है:—

(क) टसर के लिये एक अनुसंधान विस्तार केन्द्र

(ख) टसर के लिये एक मूल बीज सह-गुणन केन्द्र

(ग) विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन एस पी) के अन्तर्गत एक कोसा बाजार और 22 चौकी कीट पालन केन्द्र।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एककों की स्थिति, रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र और मूल बीज फार्म के बाकी केन्द्रों और पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश/खर्चे को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रु० में)

क्रम सं०	एकक का नाम	स्थिति	राज्य	के दौरान खर्चे 1989-90 सामान्य योजना	1989-90 राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना	1990-91 सामान्य योजना	1990-91 राष्ट्रीय उत्पादन परियोजना	1991-92 सामान्य योजना	1991-92 राष्ट्रीय उत्पादन परियोजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	मुख्य अनुसंधान संस्थान								
1.	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (शहतूत)	मैसूर	कर्नाटक	97.75	29.07	96.43	—	58.24	148.24
2.	-वही-	बरहामपुर	पश्चिम बंगाल	39.35	6.49	63.08	19.44	73.72	139.15
3.	-वही-	पमपोर	जम्मू एंड कश्मीर	18.31	3.58	13.23	—	21.91	60.58
4.	केन्द्रीय टसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (टसर)	रांची	बिहार	123.70	—	76.02	—	38.32	—
5.	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (कोसोत्तर)	बंगलौर	कर्नाटक	107.59	21.35	7.16	41.91	3.09	130.90
6.	रेशमकीट और शहतूत जननद्रव्य केन्द्र	तमिलनाडु		—	—	0.23	33.97	0.55	191.89
7.	रेशमकीट और बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	बंगलौर	कर्नाटक	—	—	0.47	65.15	0.94	164.71
8.	केन्द्रीय मुगा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (मुगा)	जोरहाट	असम	11.33	—	8.23	—	4.83	—
9.	केन्द्रीय एरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (एरी)		मेघालय	5.42	—	3.83	—	4.35	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र									
(क)	शहतूती	1. मदवा	उत्तर प्रदेश	21.07	—	19.57	1.79	8.61	3.06
		2. जोरहाट	असम	12.86	0.54	8.40	—	10.18	8.46
		3. रांची	बिहार	0.50	—	5.45	5.74	6.97	2.97
		4. कोरापुत	उड़ीसा	3.60	0.18	6.51	0.68	9.90	10.45
		5. मोथाबारी	पश्चिम बंगाल	2.61	—	2.35	2.98	1.75	4.14
		6. कालिमपोंग	-वही-	3.48	0.93	6.92	8.31	6.27	—
		7. अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	—	—	0.57	2.14	—	3.49
		8. कोनूर	तमिलनाडु	—	—	1.31	1.05	0.12	2.18
		9. सेलम	-वही-	7.31	—	4.65	1.92	2.53	3.58
		10. चामराजनगर	कर्नाटक	12.32	—	13.06	0.40	10.59	—
		11. बंगलौर	कर्नाटक	17.48	—	20.62	—	16.34	—
		12. धूले	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
(ख)	गैर-शहतूती	1. भीमताल	उ० प्र०	7.80	—	—	—	—	—
		2. इम्फाल	मनिपुर	46.65	—	—	—	—	—
		3. जगदलपुर	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
		4. बटोट	जम्मू एंड कश्मीर	7.25	—	—	—	—	—
		5. दूमका	बिहार	—	—	—	—	—	—
		6. बारीपदा	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
		7. बोको	असम	10.53	—	26.15	—	17.77	—
III. मूल बीज फार्म									
(क)	पी-4 फार्म	1. हसन	कर्नाटक						
		2. कालिमपोंग	पश्चिम बंगाल				11.91		4.75
		3. मानसबल	जम्मू एंड कश्मीर	23.56	27.45				
(ख)	पी-3 फार्म	1. नागमंगला	कर्नाटक				36.25		5.99
		2. अम्बरीफलकटा	पश्चिम बंगाल						
		3. शाहपुर	उ०प्र०						
		4. जोरहाट	असम						

(ग) पी-2 फार्म	1. धारमपुर	कर्नाटक	23.56	27.45				
	2. गाविमाठा	-वही-						
	3. नागेनशाली	-वही-						
	4. होर्सेले हिल्स	आन्ध्र प्रदेश				108.6		293.02
	5. हिन्दुपुर	आंध्र प्रदेश						
	6. डेनकनकोट्टी	तमिलनाडु						
	7. यलगिरी हिल्स	-वही-						
	8. करना सुवारना	पश्चिम बंगाल						
	9. पीडौंग	पश्चिम बंगाल						
	10. मीरान साबेद	जम्मू एवं कश्मीर						
	11. कोरापुट	उड़ीसा						
	12. शीश्मपारा	उत्तर प्रदेश						
	13. जोरहट	असम						
	14. पापूर	महाराष्ट्र						
	15. पालक्काट	केरल						
	16. बादेमारंगा	मध्य प्रदेश						
	17. पुर्णियां	बिहार						
	18. फतेह नगर	राजस्थान						
	19. विदेहा	गुजरात						
4. रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र								
	1. मैसूर	कर्नाटक	92.40	—	55.62	156.40	—	430.43
	2. रामानगरम	"						
	3. चिकबालकापुर	"						
	4. के०आर० नगर	"						
	5. बंगलौर	"						
	6. चिंतामनी	"						
	7. मालवली	"						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8. हिन्दुपुर	आन्ध्र प्रदेश						
		9. मदनापल्ली	"						
		10. चित्तूर	"						
		11. पाडेरू	"						
		12. विजयवाड़ा	"						
		13. होसूर	तमिलनाडु						
		14. कोयम्बटूर	"						
		15. तिरूपाथूर	"						
		16. धरमपुरी	"						
		17. बहरामपुर	पश्चिम बंगाल						
		18. दक्षिण भवानीपुर	"						
		19. कोलीघा	"						
		20. रायगंज	"						
		21. पंचमुरा	"						
		22. झाल्दी	"						
		23. उधमपुर	जम्मू एवं कश्मीर						
		24. कोरापुट	उड़ीसा						
		25. देहरादून	उत्तर प्रदेश						
		26. शिवसागर	असम						
		27. बसमतनगर	महाराष्ट्र						
		28. गढ़िंगलाज	"						
		29. पालघाट	केरल						
		30. धरमपुरा	मध्य प्रदेश						
		31. किशनगंज	बिहार						
		32. रांची	"						
		33. उदयपुर	राजस्थान						
		34. अमराना	गुजरात						

5.	चाकी रीरिंग केन्द्र		6.06	8.82
		1. होसाहल्ली कर्नाटक		
		2. जोदूगने "		
		3. किन्नकानाहल्ली "		
		4. बसवावनाहल्ली "		
		5. कूपाराधल्ली		
		6. कोडाथी "		
		7. मादीवाला "		
		8. चिलदीगनाहल्ली "		
		9. चिनाचन्दरा "		
		10. होदावाड़ी "		
		11. कादागथूर "		
		12. मादाकटी "		
		13. करपाकपल्ली "		
		14. चिलावाडगी "		
		15. कोमागनाहल्ली "		
		16. सी०वी० गुडी "		
		17. सालीग्रमा "		
		18. पशुपति "		
		19. किराकोड "		
		20. हन्यालू "		
		21. तालागवाड़ी "		
		22. कांरेगला "		
		23. हूना कानाहाली "		
		24. पी०के० हाली "		
		25. मरगुटा "		
		26. कालीचापुरा "		
		27. बारेकेरा "		
		28. बीदारागुपे "		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		29. सत्कापुर	"						
		30. मल्लीगेरा	"						
		31. श्रावनबेलागोला	"						
		32. मागे हल्ली	"						
		33. हीरलारी	"						
		34. देवगिरी	"						
		35. मलपुरी	"						
		36. कोनासुर	"						
		37. सोनपुर	"						
		38. सेलीमुनुवली	"						
		39. वानूर	"						
		40. के॰पी॰ डोडी	"						
		41. जी॰ डोडी	"						
		42. ए॰ हल्ली	"						
		43. बसवनापुरा	"						
		44. अमरूपूर	"						
		45. सेथनापुर	तमिलनाडु						
		46. एन॰के॰पी॰, खोड़	"						
		47. कदापूर	"						
		48. ए॰ मारलापुरा	"						
		49. कुमलाईपुरम	"						
		50. सुकमपटाई	"						
		51. जी॰एस॰ पुदूर	"						
		52. पहतामोटई	"						

53.	सेवागनापल्ली	"
54.	अनचेटी	"
55.	मकपल्ली	"
56.	चीनाटी	"
57.	काटीनापूरम	"
58.	रौंचनपुर	"
59.	बीकूनपल्ली	"
60.	चीवनकमी	"
61.	करगुर	"
62.	पी०एम० पल्यम	"
63.	कोलकट (पुकूर)	"
64.	सागकम्बलनायम	"
65.	रापलेड	आन्ध्र प्रदेश
66.	चोमचरला	"
67.	नीलाकन्डपुरम	"
68.	मादाक्कसिरा	"
69.	कुलससमुद्रम	"
70.	हेरिसामुद्रम	"
71.	अमीदालगोंडी	"
72.	रायदचोटी	"
73.	मुसारावलीदापल्ली	"
74.	एस०आर०सी० पल्ली	"
75.	ए०बी० पल्ली	"
76.	कम्बूर	"
77.	औंकारेडी	"
78.	एनाकेपल्ली	"
79.	एस० सोदापाली	"
80.	रमनलापाली	"
81.	तालामरला	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		82. मालापल्ली	"						
		83. गरीपल्ली	"						
		84. कुमिन्दलापली	"						
		85. वानावलू	"						
		86. वी० कोथाकोटा	"						
		87. मकगुडा							
88. पंचालीमल	"								
		89. इडीवानेसोर	"						
		90. वेकपल्ले	"						
		91. पेडावलागड्डूर	"						
		92. कमूडनापन	"						
		93. ऊआमपल्ली	"						
		94. कनगुड्डी	"						
		95. शक्तिपुर (1)	पश्चिम बंगाल						
		96. शक्तिपुर (2)	"						
		97. दिपोरिका	"						
		98. महादेवपुर (1)	"						
		99. महादेवपुर (2)	"						
		100. अदनपुर	"						
		101. नारायननगर	"						
		102. चसपारा (1)	"						
		103. चसपुरा (2)	"						
		104. काकमकपुर (1)	"						
		105. काकाकासपुर (2)	"						
		106. कुशुआमारी	"						
		107. बाघनगुडी	"						

108.	अलीनगर	"
109.	देकल	"
110.	गोपालेहरलिया	"
111.	पेचाग्राम	"
112.	खासदीसीपुर	"
113.	गंगाप्रसाद	"
114.	धरमापुर	"
115.	रायमपुर	"
116.	चंदापुर (1)	"
117.	चंदापुर (2)	"
118.	रायग्राम	"
119.	मदनपुर	"
120.	कुशमोर	"
121.	मानाराणपुर	"
122.	रामपुर	"
123.	जयाचंद्रापुर	"
124.	रायपुर	"
125.	पालासेप	"
126.	केन्सीगुरी	"
127.	पलीहाना	"
128.	सनगावसखूरथी	"
129.	कालीमपोंग	"
130.	पारीपल्ली	केरल
131.	शतालई	"
132.	दासरगेठ	"
133.	आर्यनाद	"
134.	मारारीकुलम	"
135.	अगाली	"
136.	अदीमलाई	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		137. अनन्तनाग	"						
		138. मारपूर टी एस सी के अंतर्गत 3 सी आर सी	"						
		139. सपला	जम्मू एवं कश्मीर						
		140. अरमा	"						
		141. चकदेस	"						
		142. सोलंकी टी एस सी के अंतर्गत 3 सी आर सी	"						
		143. राजोरी टी एस सी के अंतर्गत 3 सी आर सी	"						
		144. गोधी टी एस सी के अन्तर्गत 3 सी आर सी	"						
		145. ट्राल टी एस सी के अन्तर्गत 5 सी आर सी	"						
		146. किस्तवार टी एस सी के अन्तर्गत 4 सी आर सी	"						
		147. पाथुर टी एस सी के अन्तर्गत 1 सी आर सी	महाराष्ट्र						

148. बेलपुर टी एस सी के अन्तर्गत 1 सी आर सी	"
149. रिसोड टी एस सी के अन्तर्गत 1 सी आर सी	"
150. अकोट टी एस सी के अन्तर्गत 1 सी आर सी	"
151. पोथिया	बिहार
152. पानीसाल	"
153. डोभोरिया	"
154. मैदा	"
155. डकपारा	"
156. सलगुड़ी पश्चिम	"
157. निश्चितपुर	"
158. फरबीसगंज	"
159. अररिया	"
160. रानीगंज	"
161. कस्बा	"
162. के नगर	"
163. खुण्टी	"
164. रांची	"
165. नेसरहट	"
166. मण्डारा	"
167. लोहारडागा	"
168. बिषनुपुर	"
169. देवगांव	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		170. चाईबासा टी एस सी के अन्तर्गत 3 सी आर सी	"						
		171. महेशपुर टी एस सी के अन्तर्गत 2 सी आर सी	"						
		172. राज टी एस सी के अन्तर्गत सी आर सी	"						
		173. दुमका टी एस सी के अन्तर्गत 2 सी आर सी	"						
		174. बारखानी	उड़ीसा						
		175. उड़ीसा के अन्तर्गत 7 सी आर सी	"						
		176. गजपुराई	असम						
		177. गांधियागांव	"						
		178. सुमदर गांव	"						
		179. सरसपारी	"						
		180. फलेडोल	राजस्थान						
		181. खाखाडाखेड़ा	"						
		182. सूरगढ़	"						
		183. बागपुरा	"						
		184. खुन्टा	"						

स्टाक बाजार में प्रच्छन्न व्यापार

1614. **श्री राम नरेश सिंह:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्टाक बाजारों में चल रहे प्रच्छन्न व्यापार (इ-साइडर ट्रेडिंग) की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के आकार और गम्भीरता का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) स्टाक बाजारों में चल रहे प्रच्छन्न व्यापार को रोकने हेतु सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर):

(क) स्टाक बाजारों में प्रच्छन्न व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत प्रतिभूतियों में "प्रच्छन्न व्यापार" निषेध करने के लिए उपाय करने हेतु सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत इस संबंध में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की है।

मूगा रेशम का निर्यात

1615. **श्री प्रबीन डेका:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के "मूगा" और "एंडी" रेशम बुनकरों की समस्याओं के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या असम से "मूगा" रेशम का भारी मात्रा में निर्यात होता है; और

(ग) यदि हां, तो "मूगा" रेशम जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) देश में निर्मित अधिकांश मूगा रेशम की खपत घरेलू बाजार में ही हो रही है और इस किस्म की रेशम का निर्यात नगण्य है।

जबकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड देश में मूगा रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है फिर भी सीमित उत्पादन और घरेलू बाजार में अच्छी मांग/ऊंची कीमतों के कारण मूगा रेशम के निर्यात को बढ़ाने की थोड़ी गुंजाइश है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुमावों को सीधा करना

1616. **श्री ई० अहमद:**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से मालापुरम और कालीकट जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुमावों को सीधा करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख): जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के कि० मी० 214-225 और कि० मी० 263-282 के पुनर्सरेखण के लिये केरल के लोक निर्माण विभाग से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन्हें राज्य को वापस कर दिया गया है क्योंकि इन दोनों पुनर्सरेखणों में से किसी को भी अभी तक किसी वार्षिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

1617. **श्री मदन लाल खुराना:**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1992 के दिल्ली के दैनिक "आबजर्वर" में "फूड मिनिस्ट्री अपोज राइस एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि खाद्य मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय के 10 लाख टन चावल के निर्यात करने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) क्या सरकार चावल का निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने क्या आपत्तियां उठायी हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) से (ङ): बासमती चावल के निर्यात की अनुमति न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन मुक्त रूप से दी जाती है। यह कीमत इस समय 555 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन है। गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोटा सीमा के अध्यधीन तथा न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन दी

जाती है। यह कीमत इस समय 275 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन है। सरकार ने निर्यात के लिए अब तक केवल 98,000 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का कोटा रिलीज किया है।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य

1618. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान चुने गये अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) बोर्ड के सरकार/सदस्यों के नामांकन की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सरकारी सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं:—

श्री एस० वी० सुब्रामणयन	अध्यक्ष	(पूर्ण कालिक सदस्य)
श्री एच० ओ० गुप्ता	उपाध्यक्ष	-वही-
श्री एम० ए० आर० अंसारी	सदस्य (तकनीकी)	-वही-
श्रीमती पी० ज्योति राव	सदस्य (वित्त)	-वही-
श्री जी० के० पिल्लै, संयुक्त सचिव जल-भूतल परिवहन मंत्रालय		(अंश कालिक सदस्य)
श्री एस० आर० सहशरबुद्धे, आयुक्त (परियोजना) जल संसाधन मंत्रालय		-वही-
कोमोडोर एच० सी० सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी०		-वही-

वर्ष 1991-92 के दौरान प्राधिकरण में कोई भी गैर-सरकारी सदस्य नहीं था।

(ख) भारत सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव के पद के पूर्ण-कालिक सरकारी सदस्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/संस्थाओं का, जो प्राधिकरण के कार्यकरण से नजदीक से संबंधित हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले अंश-कालिक सरकारी सदस्यों को जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मुख्यतया नौवहन और नौसंचालन के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलमार्गों के नियंत्रण और विकास तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह प्राधिकरण भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुरूप अपना कार्यकरण करता है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु स्थाई वेतन पुनरीक्षा समिति

1619. **श्री बीर सिंह महतोः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्थाई वेतन पुनरीक्षा समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति के गठन में देरी होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्थायी वेतन पुनरीक्षा समिति गठित करने की मांग पर संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की 21.9.91 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाए। विशेषज्ञों की समिति का गठन 6 अप्रैल, 1992 को कर दिया गया है। आदेशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समिति के विचारार्थ विषय दिए गए हैं।

विवरण

सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में वेतन ढांचे, अर्थात् वेतन, महंगाई भत्ता और स्वीकार्य अतिरिक्त लाभों सहित अन्य भत्तों का अध्ययन करने और उनकी जांच करने के साथ-साथ एक दस्तावेज तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन प्रवृत्ति की जांच करके महंगाई भत्ते की मंजूरी के लिए एक समान फार्मूला तैयार कर सके।

2. विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार से हैः—

(i) श्री एच० एन० रे	अध्यक्ष
(ii) श्री वी० अटल	सदस्य
(iii) श्री बी० स्वामीनाथन	सदस्य

3. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगेः—

(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सांविधिक निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते तथा वेतन का निर्धारण करने वाले सिद्धान्तों समेत महंगाई भत्ते तथा वेतन-ढांचे का अध्ययन करना।

(ii) समान किस्म के पदों के लिए उनके सेवा कार्य में भिन्नता को उचित महत्व देते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों की परिलब्धियों में अन्तर का विश्लेषण करना।

(iii) अध्ययन और जांच के आधार पर एक दस्तावेज तैयार करना जिस पर सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण बना सकेः—

(क) आर्थिक स्थिति तथा संसाधन की कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए वेतन पुनरीक्षण की प्रवृत्ति तथा केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के अन्तर को कम करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सांविधिक

निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन ढांचे, भत्तों, सुविधाओं तथा सेवांत लाभों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता मंजूर किए जाने के वास्ते एक समान फार्मूला तैयार करना।

(ग) पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के सिद्धान्त, नीति तथा फार्मूला बनाना।

(घ) वेतन, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के पुनरीक्षण की आवधिकता तय करना।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय करेगी तथा आवश्यक समझी जाने वाली सूचना मांग सकेगी।

5. व्यय विभाग समिति के लिए सचिवालय उपलब्ध कराएगा।

6. यह समिति 4 महीने की अवधि के अंदर वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

ह० /-
(पी० जी० लेले)
अपर सचिव, भारत सरकार

कोया का लाभकारी मूल्य

1620. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने कोया की विभिन्न किस्मों के लिए क्या-क्या मूल्य निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोया उत्पादन करने वाले कृषकों को उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न किस्मों के कोयों के मूल्यों का निर्धारित नहीं करता है क्योंकि यह मामला संबंधित राज्य सरकारों की परिधि में आता है। परम्परागत राज्यों में सरकारी बाजारों में कोया नीलामी के दौरान पूर्ति और मांग के आधार पर कोया मूल्यों को सामान्य रूप से निर्धारित किया जाता है।

(ख) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर जैसे परम्परागत राज्यों में किसान अपने उत्पादन के लाभकारी मूल्य कोसों की क्वालिटी के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं। तथापि गैर-परम्परागत/नये राज्यों में आधार भूत सुविधाओं जैसे कि कोसा बाजारों ओर रीलिंग स्थापनाओं की कमी के कारण किसानों को अपने उत्पादन के अलाभकारी मूल्य मिलने के बारे में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) पलवरी कोसों के विपणन में कीटपालकों की सहायता करने के उद्देश्य से विश्व बैंक और स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन०एस०पी०) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड 10 परम्परागत राज्यों में तथा केरल, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और हरियाणा में प्रत्येक में एक-एक संभावित जिले में और असम तथा उत्तर प्रदेश के राज्य में (जिनको गैर-परम्परागत राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है) दो-दो जिलों में कोसा बाजार स्थापित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। किसानों द्वारा कोसों का विपणन और उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य देने की सुविधा प्रदान करने के लिये गैर-परम्परागत

राज्यों के परियोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कोसा संग्रह केन्द्रों का भी संचालन किया जा रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सामान्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत मल्टी एन्ड रीलिंग एकक़ों की स्थापना के लिए 20,000/- प्रति दोहरी बेसिन एकक (20 एण्ड) बशर्ते कि अधिकतम राशि 50,000/- रु० प्रति 10 बेसिन एककं (100 एण्डस) के अधीन हो, उपदान भी प्रदान किया जा रहा है।

गैर-पलवरी क्षेत्र (टसर, एरी, मूंगा) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशन बोर्ड टसर और मूंगा के लिये अलग-अलग कच्चा माल बैंकों का प्रचालन करता है और इस समय चाइवासा (बिहार) में टसर के लिये एक कच्चा माल बैंक है जिसके दो उप-डिपो नाथनगर (बिहार) और रायगढ़ (मध्य प्रदेश) में है। मूल्य के लिए एक कच्चा माल बैंक शिवसागर (असम) में है जिसके दो उप-डिपो हाकुआखाना (असम) और घिलगारा (असम) में कार्य कर रहे हैं।

स्वापक औषधों का अवैध व्यापार

1621. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भुवनेश्वर में स्वापक औषधों का अवैध व्यापार जोरो से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भुवनेश्वर और देश के अन्य महानगरों में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस पर किस तरह अंकुश लगाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों मे महिला न्यायाधीश

1622. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार कितनी महिलाएं न्यायाधीश हैं; और

(ख) प्रत्येक न्यायालय में कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आज की तारीख तक हिमाचल प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों में 2 मुख्य न्यायमूर्ति महिलाएं हैं।

विवरण

14-7-92 को

क्र०सं०	उच्च न्यायालय	महिला न्यायाधीशों की संख्या
उच्चतम न्यायालय		—
1.	इलाहाबाद	1
2.	आंध्र प्रदेश	—
3.	मुंबई	1
4.	कलकत्ता	2
5.	दिल्ली	3
6.	गुवाहाटी	1
7.	गुजरात	—
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	—
11.	केरल	1
12.	मध्य प्रदेश	—
13.	मद्रास	2
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	1
16.	पंजाब और हरियाणा	1
17.	राजस्थान	1
18.	सिक्किम	—
		17

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की भूमि का व्यापारिक उपयोग

1623. श्री साईमन मरांडी: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम की बस डिपो की अतिरिक्त भूमि का व्यापारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इन डिपुओं के नाम क्या हैं तथा अतिरिक्त भूमि का डिपो-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अतिरिक्त भूमि का डिपो-वार किन व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों का अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

[अनुवाद]

सूती धागे का आयात

1624. **श्री एम॰वी॰ वी॰एस॰ मूर्ति:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यां सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए सूती धागे का आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान बुनकरों को दिए गए आयतित सूती धागे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) सरकार हथकरघा क्षेत्र में क्रियान्वित किसी भी सतत योजना में हथकरघा बुनकरों को सप्लाई करने के लिए सूती यार्न का आयात नहीं करती है।

[हिन्दी]

भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच आयात-निर्यात

1625. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच पिछले तीन वर्षों में कितने मूल्य का आयात तथा निर्यात हुआ है;

(ख) पूर्व सोवियत संघ की भारत की ओर विकास ऋण की कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) इस विकास ऋण की अदायगी के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(घ) रूस तथा अन्य गणराज्यों में उक्त ऋण को किस प्रकार विकसित किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) रुपये तथा रूबल में कौन सी विनिमय प्रणाली अपनाई गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारत तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच उसके विघटन से पहले पिछले तीन वर्षों के आयातों और निर्यातों का मूल्य निम्नानुसार है;—

(रु॰/करोड़)

	1989-90	1990-91	1991-92
निर्यात	4462.97	5254.79	3967.31
आयात	2038.19	2548.12	1780.26

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार पूर्व सोवियत संघ के सरकारी खाते में कुल बकाया ऋण 939.695 मिलियन रूबल था जो कि 1 रूबल बराबर 31.7874 रु॰ विनिमय दर के हिसाब से परिवर्तित करने पर लगभग 2987.05 करोड़ रु॰ के बराबर बैठता है।

(ग) ऋण सेवा के बदले खातागत भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक आफ फारेन इकोनामिक एफेयर्स,

यू०एस०एस०आर० के केन्द्रीय खाते में किए जा रहे हैं। ये भुगतान पूर्ववर्ती सोवियत संघ को दिए गए तकनीकी ऋण के आधार पर समायोजित किए जा रहे हैं।

(घ) पूर्व सोवियत संघ की परिसम्पत्तियों और देयताओं का विभाजन एक ऐसा विषय है जो उत्तराधिकारी राज्यों द्वारा स्वयं निपटाया जाता है।

(ङ) रुपया-रूबल विनिमय दर भारत तथा पूर्व सोवियत संघ के बीच 25 नवम्बर, 1978 के संलेख के अनुसार निर्धारित की गई थी। 1978 के संलेख को संशोधित करने के लिए वार्ताओं के अनेक दौर आयोजित किए गए हैं। इन वार्ताओं पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

निर्यात वस्तुओं के लिए मूल्य वृद्धि मानक

1626. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए मूल्य-वृद्धि मानकों में कमी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) मूल्यवर्द्धन मानदंड जो मानक इनपुट आउटपुट मानदंड पुस्तक में दिनांक 31.5.92 की सार्वजनिक सूचना सं० 2/92-93 के तहत प्रकाशित किए गए थे, उनकी समीक्षा विभिन्न एसोशियेसनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के बाद की गई थी। ऐसा निश्चय किया गया है कि नौ मदों के बारे में मूल्यवर्द्धन मानदंडों को कम कर दिया जाए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	मूल्यवर्द्धन में परिवर्तन
1	2	3
1.	काजू गिरी	75% से 33 1/3%
2.	गाल्वनाइज्ड शीट्स/क्वाइल्स/स्ट्रिप्स	40% से 25%
3.	ट्रान्सफार्मर्स	300% से 100%
4.	आप्थाल्मिक लेन्स	100% से 75%
5.	विनायल एसीटेट पर आधारित एडहेसिव	200% से 100%
6.	नियो-प्रीन पर आधारित एडहेसिव	200% से 100%
7.	ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स/एनोड्स/निप्पल्स/फिन्स आदि	160% से 60%
8.	पालियस्टर स्टैपल फाइबर	50% से 33%
9.	हस्तनिर्मित ऊनी गलीचे	500% से 350%

गोवा में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की शाखाओं में जमा धनराशि

1627. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1992 को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गोवा में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की शाखाओं में कुल कितनी धनराशि जमा थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): 1989 से वित्तीय वर्ष 1991-92 (जुलाई-जून) के अन्त तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की गोआ शाखा कार्यालय के यूनिटों की संचयी बिक्री की धनराशि 50.19 करोड़ रुपए की थी।

[हिन्दी]

दिल्ली में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली

1628. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया था तथा वास्तव में कितनी वसूली की गयी;

(ख) 1 दिसम्बर, 1991 से 30 जून, 1992 तक दिल्ली में मारे गये छापों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने के कितने मामले पकड़े गये;

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल कितनी धनराशि इसमें अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) उक्त धनराशि में से कुल कितनी धनराशि अब तक वसूल हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए संशोधित बजट अनुमान 1640 करोड़ रुपये रखे गये थे। राजस्व वसूली की राशि अनन्तिम रूप से 1652.27 करोड़ रुपये आंकी गयी है।

(ख) पहली दिसम्बर, 1991 से 30 जून, 1992 तक दिल्ली में मारे गये छापों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी न करने के 383 मामलों का पता लगाया गया था।

(ग) उपर्युक्त मामलों में ग्रस्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि 1825.91 लाख रुपये है।

(घ) ऊपर (ग) में बताई गई राशि में से अब तक वसूल की गयी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि 36.10 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

नई भविष्य निधि योजना

1629. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कोई नई भविष्य निधि योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोट्‌दुखे): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन निगम के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1630. **श्री श्रवण कुमार पटेल**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह बताया है कि हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन निगम हथकरघा और हस्तशिल्प का निर्यात में वृद्धि के अनुरूप कार्य नहीं कर पाया है जिससे इसके लक्ष्य में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा अवधि के दौरान निगम के निर्यात लक्ष्य में कितनी कमी आयी थी;

(ग) निगम के निराशाजनक कार्य निष्पादन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) निगम के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1983-84 से 1989-90) द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान प्रत्यक्ष निर्यात बिक्री के संबंध में निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नोक्त अनुसार थेः—

वर्ष	संशोधित लक्ष्य (करोड़ रु०)	वास्तविक निर्यात (करोड़ रु०)
1983-84	16.37	14.65
1984-85	19.11	18.28
1985-86	18.26	16.97
1986-87	18.98	18.96
1987-88	23.28	22.72
1988-89	29.58	30.31
1989-90	26.40	29.64

कुछ ऐसे घटक थे जिनके कारण कुछ वर्षों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। जैसे विश्व बाजार में मंदी, अमरीकी मार्केट के संबंध में कोटा समस्या, उपभोक्ता रुचि में परिवर्तन आदि।

(घ) कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें उत्पादन और खरीद आधार को सुदृढ़ करना, हौजरी विनिर्माण यूनिट की स्थापना, ऊपरी खर्चों को कम करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

1631. **श्री गोविन्दराव निकाम**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऊनी वस्त्रों की अमेरिका तथा जर्मनी जैसे देशों में बड़ी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन देशों की मांग को देखते हुए सरकार का विचार उनको किया जाने वाला ऊनी वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) यू एस ए और जर्मनी जैसे देशों में ऊनी परिधानों की अच्छी मांग है। सरकार ने ऊनी परिधानों सहित परिधानों के लिए निर्यात में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:—

1. निर्यात संवर्धन (पूंजीगत सामान) योजना के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं का उदारीकृत आयात के अन्तर्गत निर्यातक 25% आयात शुल्क पर मशीनरी मदों का आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे चार वर्षों में आयातित वस्तुओं के सी आई एफ मूल्य का तिगुना निर्यात दायित्व वहन करे अथवा 15% आयात शुल्क इनका आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे 5 वर्षों में आयातित सामान के सी आई एफ मूल्य का चार गुना निर्यात दायित्व वहन करें।
2. परिधान और हौजरी क्षेत्रों की आवश्यकता के लिए सैकिंड हैंड पूंजीगत वस्तुओं को बिना लाइसेंस के आयात किया जा सकता है।
3. सिले सिलाए परिधान उद्योग द्वारा प्रयोग में लाने के लिए सजावटी/ट्रिमिंग्स की अतिरिक्त 6 मदों को 30.4.1992 से रियायती शुल्क पर आयात करने की सुविधा दी गई है।
4. निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण के उद्देश्य के लिए ट्रेग्स, लेबल प्रिंटिड बेग और स्टीकरों की आयात सीमा 1000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।
5. मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना।
6. परिधान निर्यातक मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना और मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अपेक्षित बची सामग्री का शुल्क मुक्त आयात कर सकते हैं।
7. उपयुक्त कोटा नीति उपायों आदि के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता से पत्तनों का विकास

1632. **श्री गोपी नाथ गजपति**: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कुछ पत्तनों के विकास के लिए विदेशी सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने पारादीप पत्तन में यंत्रीकृत कोयला हैंडल करने की सुविधा के विकास करने और तमिलनाडु बिजली बोर्ड के लिए थर्मल कोयले के परिवहन के लिये इन्नौर में एक नये पत्तन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनी रुचि प्रकट की है। परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 559.89 करोड़ रुपये और 559.25 करोड़ रुपये है तथा एशियाई विकास बैंक से 404.55 करोड़ रुपये और 450.45 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त डच सरकार ने भी पत्तन सुविधाओं के सुधार के लिये तकनीकी और अन्य सहायता देने की पेशकश की है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को नया आशयपत्र

1633. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्थायी व्यवस्था को जारी रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक नया आशयपत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विषय वस्तु क्या है; और

(ग) मुद्रा कोष से ऋण जारी करने पर इस नए आशयपत्र का क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 2 जून, 1992 को भेजे गए एक नए आशयपत्र को 10 जुलाई, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया था।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2 जुलाई, 1992 को 4620 लाख एस डी आर की राशि जारी की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन के लिए सहायता

1634. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार निर्यात संवर्धन हेतु राज्य सरकारों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश को निर्यात संवर्धन हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख): वाणिज्य मंत्रालय भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) के माध्यम से कार्य योजना तैयार करके, संगोष्ठियां, कार्यशालायें आदि आयोजित करके निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों की सहायता करता है।

(ग) पूर्ववर्ती व्यापार विकास प्राधिकरण (अब आई टी पी ओ) ने उत्तर-प्रदेश के निर्यातकों को सहायता देने के लिए कानपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। इसने उ॰ प्र॰ निर्यात निगम के सहयोग से फीरोजाबाद (नवम्बर 1991) देहरादून (जनवरी, 1992) और वाराणसी (फरवरी 1992) में निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

चावल का निर्यात

1635. **श्री बी॰एल॰ शर्मा प्रेम:**
श्री फूल चन्द वर्मा:
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:
श्री रमेश चेन्नित्तला:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भरतीय चावल की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 में अब तक देश-वार कितनी मात्रा और किस किस्म के चावलों का निर्यात किया गया है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी अर्जित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के बाजार में चावल के दामों के तेजी से चढ़ने के कारण चावल के निर्यात पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए चावल की कुल मात्रा 7.11 लाख मी० टन थी जिसका मूल्य 755 करोड़ रु० था। देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अप्रैल-मई, 1992 के दौरान 1,17,606 मी० टन चावल की अनुमानित मात्रा का निर्यात किया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान 760.7 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) बासमती चावल की मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त पर दी जाती है जो इस समय 555 यू०एस० अमरीकी डालर प्रति मी० टन है। गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित कोटे की अधिकतम सीमा और इसके अतिरिक्त न्यूनतम निर्यात मूल्य के अध्यधीन होती है। न्यूनतम निर्यात मूल्य इस समय 275 यू०एस० अमरीकी डालर प्रति मी० टन है। सरकार ने निर्यात के लिए अब तक गैर-बासमती चावल का केवल 98,000 मी० टन कोटा रिलीज़ किया है।

अनुबन्ध -I

लोकसभा में दिनांक 17.7.1992 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं० 1635 के भाग (ख) और अनुबन्ध (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

वस्तु	देश	ईकाई मी०टन	मात्रा	मूल्य
चावल	अल्जीरिया		14091	832.84
	अंगोला		9510	756.84
	आस्ट्रेलिया		969	184.33
	आस्ट्रिया		260	73.76
	बहामास		21	1.57
	बहरीन आई एस		7000	1305.49
	बंगलादेश		3149	199.14
	बेल्जियम		1355	319.10

वस्तु	देश	ईकाई मी॰टन	मात्रा	मूल्य
	बेरामुदा			0.19
	भूटान		49	2.01
	ब्राजील		12900	785.98
	बुल्गारिया		1	0.09
	बुरूंडी			0.03
	कैमरून		9820	602.46
	कनाडा		24869	874.29
	काफरी गणराज्य		13421	787.68
	कोमोरस		12480	764.60
	चैकोस्लोवाकिया		6068	376.03
	डेनमार्क		419	94.79
	फ्रांस		3551	618.11
	जर्मन संघीय गणराज्य		2766	483.73
	मिस्त्र		165	26.61
	हैती		250	15.19
	हांगकांग		136	37.95
	इंडोनेशिया		25233	1515.21
	ईरान		11180	794.34
	इस्त्राइल		19	6.47
	इटली		611	163.07
	आईवरी कोस्ट		14027	843.50
	जापान		6	2.25
	जोर्डन		121981	7502.07
	केन्या		3	0.29
	कोरिया गणराज्य		84	20.21
	कुवैत		8330	1886.27
	मालवी		5	1.18
	मलेशिया		1900	574.62

वस्तु	देश	ईकाई मी०टन	मात्रा	मूल्य
	मारिशस		21	4.31
	मोरोक्को		2	0.33
	मोजाम्बिक		1	0.13
	नेपाल		1854	98.61
	नीदरलैंड		2410	415.18
	न्यूजीलैंड		72	17.79
	नार्वे		2866	47.06
	ओमान		67757	1225.45
	पोलैंड		54	3.51
	कतार		1384	218.71
	रीयुनियन		350	95.48
	रूमानिया		85	25.16
	सऊदी अरब		163372	27772.59
	सिंगापुर		17146	1181.38
	स्पेन		40	10.73
	श्रीलंका		43	4.74
	स्वीडन		206	47.49
	स्विटजरलैंड		503	138.53
	तनजानिया गणराज्य		18041	1043.11
	उगांडा		43	9.22
	संयुक्त अरब अमीरात		35848	5640.90
	यू०के०		63756	8448.80
	यू०एस०ए०		40062	4237.46
	यू०एस०एस०आर०		52442	2356.28
	जांबिया		20	2.75

बैंककार की प्राप्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध

1636. **श्री रूप चन्द पाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिभूति दलालों के माध्यम से होने वाले बैंक, लेन-देन में बैंककार की प्राप्तियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):

(क) और (ख) जानकीरामन समिति की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसरण में, बैंकों के प्रतिभूति संव्यवहार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जून, 1992 के अपने परिपत्र के अनुसार, जहां सहायक सामान्य लेजर (एस जी एल) सुविधा उपलब्ध है उन मामलों में बैंकर रसीदें जारी करने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये निर्देश भी दिए हैं कि बैंक केवल अपने निवेश खातों से संबंधित लेन-देनों को शामिल करते हुए बैंकर्स रसीदें जारी कर सकते हैं परन्तु पोर्टफोलियों प्रबन्ध योजना (पी एम एस) के खातों के ग्राहकों अथवा दलालों सहित अन्य संघटकों के खातों के संबंध में बैंकर रसीदें जारी न की जाएं।

जानकीरामन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि दलालों के खातों में निधियों का अन्तरण मुख्य रूप से बैंकर रसीदों के माध्यम से हुआ है जिनके लिए प्रतिभूतियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियों की लेन देनों की प्राथमिक समीक्षा से इस बात का भी पता चलता है कि बैंक तथा वित्तीय संस्थान बैंकिंग प्रणाली से दलालों के व्यक्तिगत खातों में निधियों के अन्तरण के लिए बैंकर रसीदों का अत्यधिक उपयोग करते रहे हैं।

श्रीनगर में बैंकों में जमा धनराशि

1637. **श्री अन्ना जोशी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1986 और 31 दिसम्बर, 1991 को श्रीनगर में भारतीय बैंकों और ए॰एन॰जैड॰ ग्रिंडले बैंक में क्रमशः कितनी धनराशि जमा थी;

(ख) क्या श्रीनगर में भारतीय बैंकों से जमा धनराशि निकाल कर विदेशी बैंकों में जमा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) कश्मीर घाटी में भारतीय बैंकों के प्रति ग्राहकों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):

(क) और (ख) दिसम्बर, 1986 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार श्रीनगर में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां 374 करोड़ रुपए थीं। दिसम्बर 1987 से दिसम्बर, 1991 के दौरान श्रीनगर में

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं ए०एन०जेड० ग्रिंडलेज बैंक की जमाराशियों का झुकाव निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:—

(करोड़ रुपए)

अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	श्रीनगर में जमाराशियां	
	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	ए०एन०जेड० ग्रिंडलेज बैंक
दिसम्बर, 1987	405	20
दिसम्बर, 1988	461	23
दिसम्बर, 1989	510	27
दिसम्बर, 1990	519	29
दिसम्बर, 1991	540	33

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नया आवंटन

1638. डा० डी० वेंकटेश्वर राव:
डा० असीम बाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष व्यापार अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नया आवंटन मिल गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर):

(क) से (घ) : कोष की वार्षिक बैठक और इसकी अंतरिम समिति के वसन्तकालीन सत्र (स्प्रिंग सेसन) दोनों में, भारत सरकार ने अनुरोध किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संसाधन क्षमता में उपयुक्त वृद्धि की जाए ताकि सदस्य देशों की वर्तमान और उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को संस्थान पूर्णतया पूरा कर सके। कोष के नौवें कोटे में वृद्धि के प्रश्न के साथ इस मामले पर सदस्य देशों के बीच अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

सोना आयात करने हेतु धन के स्रोत

1639. **श्री सनत कुमार मण्डल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उदार स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत सोना आयात करने के लिए उपयोग में लायी गयी धनराशि के स्रोतों का किसी चरण में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

व्यापार संतुलन

1640. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1991 से प्रतिमाह निर्यात, आयात तथा व्यापार संतुलन की स्थिति (डालरों में) क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान आयातकों के लिए रखी गई अतिरिक्त धनराशि की शर्तें इत्यादि जैसे आयात घटाने के उपायों से आयात कहां तक प्रभावित हुआ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जून, 1991 से आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन का ब्यौरा (डालर के रूप में) नीचे दिया गया है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

माह	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
जून, 1991	1225	1630	-405
जुलाई, 1991	1301	1326	- 25
अगस्त, 1991	1343	1505	- 162
सितम्बर, 1991	1412	1528	-116
अक्तूबर, 1991	1333	1630	-297
नवम्बर, 1991	1388	1501	-113
दिसम्बर, 1991	1552	1801	- 249
जनवरी, 1992	1635	1601	+ 34
फरवरी, 1992	1512	1688	176
मार्च, 1992	1707	1686	+ 21
अप्रैल, 1992	1370	1790	-420

(ख) जुलाई, 1991 से अप्रैल, 1992 तक की अवधि के दौरान आयात में कमी जुलाई, 1990 से अप्रैल, 1991 की संगत अवधि की तुलना में लगभग 3,700 मिलियन अमरीकी डालर या 18.4% हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 का रखरखाव और मरम्मत

1641. **श्री प्रवीन डेका:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाराचरकुजी, नलबाडी, रंगिया, बाइहाटा, चारिआलि से होते बारपेटा से गुवाहाटी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की अनेक पट्टियों, विशेषतः पाराचरकुजी और नलबाड़ी के बीच बहुत बुरी हालत है; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क की तत्काल मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी नहीं। बारपैटा और गुवाहाटी के बीच रा० रा० 31 का खण्ड सामान्य तौर पर यातायात योग्य स्थिति में है तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जब भी रखरखाव कार्यों की आवश्यकता होती है, किए जाते हैं। पटाचरकुची और नलबारी के बीच रा० रा० की कुल 27 कि० मी० लम्बाई में 16 कि० मी० के भाग को पहले ही सुदृढ़ कर दिया गया है तथा 4 कि०मी० के एक दूसरे खण्ड को सुदृढ़ किया जा रहा है। शेष 7 कि० मी० के खंड को सुदृढ़ करने के कार्य को स्वीकृति के लिए वार्षिक कार्यक्रम 1992-93 में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु धनराशि

1642. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री सैयद शाहाबुद्दीन:

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान और 1992-93 में 30 जून, 1992 तक मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में राज्यों द्वारा किए गए कार्य की स्थिति और प्रगति पर निगरानी रखने हेतु किस प्रकार के तंत्र की व्यवस्था की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कार्य की गुणवत्ता पर राज्यों के लोक निर्माण विभागों द्वारा निगरानी रखी जाती है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य करते हैं। राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति पर मंत्रालय के "मानिटरिंग जोन" द्वारा निगरानी रखी जाती है।

विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण				राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास			
		1991-92		1992-93		1991-92		1992-93	
		आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि	जारी की गई राशि (30.6.91 तक)	आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि	जारी की गई राशि (30.6.92 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1279.42	1270.22	1168.15	180.00	2455.00	2300.00	2700.00	340.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	84.36	84.36	35.91	2.00	48.00	48.00	50.00	8.00
3.	असम	1018.09	1018.09	783.38	160.00	1225.00	1175.00	1225.00	200.00
4.	बिहार	1012.30	1012.30	955.22	210.00	1142.00	1200.00	1250.00	300.00
5.	चंडीगढ़	16.00	16.00	14.48	3.00	28.00	28.00	50.00	8.00
6.	दिल्ली	163.00	163.00	137.45	25.00	550.00	500.00	650.00	100.00
7.	गोवा	191.97	191.97	237.11	63.00	930.00	850.00	850.00	125.00
8.	गुजरात	918.89	918.49	885.59	110.00	4770.00	3720.00	4200.00	640.00
9.	हरियाणा	362.29	362.29	319.60	55.00	1060.00	1320.00	1620.00	320.00
10.	हिमाचल प्रदेश	518.77	518.77	439.67	60.00	1140.00	1140.00	1150.00	150.00
11.	जम्मू और कश्मीर	45.00	45.00	116.69	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00
12.	कर्नाटक	990.02	990.02	1868.63	162.00	1775.00	1750.00	1850.00	225.00
13.	केरल	586.54	621.96	537.98	75.00	1120.00	1320.00	1800.00	305.00
14.	मध्य प्रदेश	1195.69	1160.27	1106.19	185.00	1850.00	1850.00	1850.00	300.00
15.	महाराष्ट्र	1620.90	1620.90	1348.37	225.00	3358.00	3300.00	3100.00	450.00
16.	मणीपुर	51.67	51.67	143.93	5.00	250.00	250.00	250.00	40.00
17.	मेघालय	205.19	205.19	259.31	26.00	450.00	415.00	350.00	50.00
18.	नागालैंड	3.50	3.50	5.03	1.00	48.00	48.00	50.00	8.00
19.	उड़ीसा	859.98	859.98	658.57	115.00	1384.00	1250.00	1275.00	200.00
20.	पांडिचेरी	6.83	6.83	7.52	1.00	120.00	120.00	100.00	15.00
21.	पंजाब	579.98	579.98	628.81	70.00	2850.00	2550.00	2150.00	290.00
22.	राजस्थान	1054.61	1054.61	986.19	175.00	1800.00	2450.00	2430.00	950.00
23.	तमिलनाडु	979.91	979.93	1078.19	160.00	1422.00	1400.00	1550.00	190.00
24.	उत्तर प्रदेश	1312.05	1312.25	1243.96	195.00	6025.00	6200.00	5300.00	819.00
25.	पश्चिम बंगाल	1284.36	1284.25	1010.24	145.00	1634.00	1800.00	2050.00	283.00
	कुल :	16341.31	16332.00	14975.96	2413.00	37484.00	37084.00	37900.00	6316.00

रूस को निर्यात

1643. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूस को निर्यात किये जाने वाले करोड़ों रुपये के माल का निर्यात अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस माल का मूल्य कितना है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) सोवियत संघ के विघटन से भारत सभी नव स्वतंत्र गणराज्यों के साथ व्यापार संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है।

भारत और रूसी परिसंघ के बीच व्यापार संलेख, 1992 पर 22.2.92 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक और रूसी परिसंघ के बीच विदेश व्यापार के लिए बैंकिंग व्यवस्था पर भी समझौता हुआ। बाद में इस व्यवस्था की रूसी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान मई, 1992 में समीक्षा की गई और व्यापार संलेख 1992 के तहत बैंकिंग प्रबंध और तकनीकी ऋण से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत को रूसी निर्यात से सृजित होने वाली निधि के अभाव में नए संलेख के अन्तर्गत भारत से रूस को जो निर्यात किया जाना है उसे अभी व्यावहारिक रूप दिया जाना है। ऐसी वस्तुओं का सही मूल्य ज्ञात नहीं है। उक्त व्यापार संलेख के अन्तर्गत व्यापार की शुरूआत करने की दृष्टि से भारतीय पक्ष मई, 1992 में इस बात पर सहमत हो गया था कि 85 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर तकनीकी ऋण का अग्रिम उपयोग किया जा सकेगा ताकि अभिज्ञात मौसमी कृषि वस्तुओं की खरीद की जा सके। यह भी निर्णय किया गया था कि तकनीकी ऋण की शेष राशि को उस अनुपात से उपलब्ध कराया जाएगा जिस अनुपात से रूस से भारत को सामान का आयात होगा।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

1644. **श्री एन॰ जे॰ राठवा**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत चावल का निर्यात करने की अनुमति देने के कारण चावल निर्यातकों और चावल मिलों के समक्ष नया संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश विदेशी मुद्रा का घाटा होने की संभावना है और इससे बासमती चावल के निर्यात और चावल मिलों के श्रमिकों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) इस संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अफ्रीकी देशों को निर्यात

1645. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कैमरून, नामिबिया, नाईजीरिया, कीनिया, युगाण्डा इत्यादि अफ्रीकी देशों को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन देशों को किये जाने वाले निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें निर्यात आंकड़े दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) बाजार सर्वेक्षण समय समय पर निर्यात संवर्धन संगठनों के विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा और भारत से प्रतिनिधिमण्डल और अध्ययन दल भेजकर कराया जाता है। उदाहरणार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेअर निर्यात संवर्धन परिषद ने बाजारों का पता लगाने के लिए चार व्यापार प्रतिनिधिमण्डल अफ्रीका को प्रायोजित किए। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान नामीबिया, नाइजीरिया, केन्या और यूगाण्डा में भी बाजार सर्वेक्षण किए गए।

(घ) सरकार द्वारा अफ्रीका को निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय करने का प्रस्ताव है, उनमें शामिल हैं: पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित करना, प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी, द्विपक्षीय वार्ताएं करना, प्रतिनिधिमंडल आमन्त्रित करना आदि।

विवरण

उप-सहारा अफ्रीकी देशों को हुए निर्यात को दर्शाने वाला विवरणपत्र

(करोड़ रुपया)

	1989-90	1990-91	1991-92
उप-सहारा अफ्रीका को कुल निर्यात	452.38	583.52	1056.07
निम्नलिखित को निर्यात:			
1. कैमरून	3.09	2.61	10.80
2. नामीबिया	0.09	0.12	1.20

	1989-90	1990-91	1991-92
3. नाइजीरिया	83.39	114.09	255.22
4. केन्या	75.05	64.78	103.26
5. युगाण्डा	29.25	18.56	31.12

समष्टि रूप में मात्रा संबंधी आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें कृषिजन्य वस्तुएं और विनिर्मित वस्तुएं मिलीजुली शामिल होती हैं।

जीवन बीमा निगम / साधारण बीमा निगम में कर्मचारियों की छंटनी

1646. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी हो जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रबंध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन को गहरा करना

1647. **श्री गोपी नाथ गजपति**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में पारादीप पत्तन को गहरा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) -से (ग) प्रति वर्ष 6 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात करने के लिए 530 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से पारादीप पत्तन के विकास के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इस परियोजना के संस्वीकृत की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में पूरी हो जाने की उम्मीद है।

व्यय को नियंत्रित करने हेतु उपाय

1648. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए व्यय नियंत्रण उपाय लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से कई राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने केन्द्र सरकार को जून, 1992 के दौरान अग्रिम धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोट्‌दुखे): (क) से (ग) सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में किए गए प्रयास का आशय न केवल वर्ष के अन्त में घाटे को बजटीय स्तर तक बनाए रखना रहा है बल्कि इसका साप्ताहिक मासिक आधार पर सूक्ष्मता से मानीटरिंग करना और वर्ष के दौरान घाटे में अधिक वृद्धि से बचना भी रहा है, जिसका मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि और मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सभी राज्य सरकारों से भी उनकी प्राप्तियों और व्यय के बीच संतुलन रखने का अनुरोध किया गया था ताकि राज्य भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने खातों से ओवरड्राफ्टों का आश्रय न लें।

(घ) और (ङ) जून, 1992 के महीने के दौरान हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके खातों से अधिक आहरण किया। केन्द्र सरकार ने राज्यों को उनके ओवरड्राफ्टों के निपटान हेतु जुलाई, 1992 में दी जाने वाली राशि में से हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जून, 1992 में क्रमशः 13.10 करोड़ और 25.00 करोड़ रुपए की राशि दी है।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आंदोलन

1649. **डा॰ श्री॰ वेंकटेश्वर राव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के संघ ने अपनी शिकायतों के संबंध में अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य मांगें/शिकायतें क्या हैं जिनके लिये उन्होंने आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है; और

(ग) प्रत्येक शिकायत पर सरकार ने क्या-क्या निर्णय लिये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) 1. सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के कुछ संगठनों से भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि सरकार को किसी संगठन के इस निर्णय की जानकारी नहीं है कि वे आंदोलन शुरू कर रहे हैं, फिर भी अपनी मांगों के समर्थन में एक भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा हाल ही में प्रदर्शन किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है।

2.1 भूतपूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण मांगों/शिकायतों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

2.2.1 एक रैंक एक पेंशन दिए जाने की भूतपूर्व सैनिकों की मांग पर चतुर्थ वेतन आयोग ने विचार किया था, परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार ने वर्ष 1991 में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री थे) का गठन किया था। इस समिति ने पेंशन में एक बार की वृद्धि किए जाने की सिफारिश करते हुए सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन में तदर्थ वृद्धि की योजना में शामिल किए गए अन्य सभी सिद्धान्तों को पेंशन में एक बार वृद्धि की मौजूदा योजना में भी लागू किया जाए। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों में से एक यह था कि पुनर्नियोजित सशस्त्र सेना पेंशनर या दो सेवा/सेवानिवृत्ति पेंशन पाने वाले पेंशनर पेंशन में वृद्धि का लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे सिविलियन कर्मचारियों के समान 55/58 वर्ष की आयु तक सेवा कर चुके होंगे या करेंगे। ऐसे

सशस्त्र सेना पेंशनरों को पेंशन में एक बार वृद्धि किए जाने की योजना से जानबूझकर बाहर रखा गया है।

2.2.2 जो सेवा पेंशन नहीं ले रहे हैं लेकिन अनुग्रह भत्ता, गुजारा रिजर्विस्ट भत्ता या अन्य कोई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं जिस पर मंहगाई राहत देय नहीं है, तथा जो वीरता पुरस्कारों से सम्बद्ध मासिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु सेवा/सेवानिवृत्ति पेंशन/की गई सेवा के आधार पर मिलने वाली निशक्तता पेंशन अथवा युद्ध घायल वेतन प्राप्त कर रहे हैं अथवा जो केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों और स्वायत्तशासी निकायों में स्थाई रूप से नियुक्ति प्राप्त करने पर शतप्रतिशत पेंशन का नगदीकरण करा लेते हैं, उन्हें पेंशन में एक बार की उक्त वृद्धि प्रदान नहीं की गई है।

2.2.3 उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें भिन्न-भिन्न अवधियों में सेवानिवृत्त हुए नियमित सेना अफसरों तथा कार्मिकों की पेंशन संबंधी हकदारियों के आधार पर तैयार की गई हैं। अन्य श्रेणियों जैसे-भूतपूर्व रियासतों के पेंशनर, प्रादेशिक सेना पेंशनर, पाकिस्तान/वर्मा/एच के एस आर ए/ब्रिटेन के पेंशनर आदि के मामले में पेंशन में एक बार की वृद्धि दिए जाने पर अलग से विचार किया जाना है, जैसा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन में तदर्थ वृद्धि की योजना में निर्धारित है।

2.2.4 उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में सरकार ने 9.7.1992 को एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। यह समिति पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना लागू करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं/विसंगतियों तथा भूतपूर्व रियायतों में पेंशनरों/प्रादेशिक सेना पेंशनरों आदि को पेंशन में एक बार की वृद्धि दिए जाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

मृतक सशस्त्र सेना पेंशनरों की पत्नियों को बढ़ी हुई दरों पर परिवार पेंशन की अदायगी

2.3 साधारण परिवार पेंशन की दरें दिवंगत सेना कार्मिक द्वारा प्राप्त की जा रही गणनीय परिलब्धियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। सशस्त्र सेनाओं के दिवंगत कार्मिकों की पत्नियों की परिवार पेंशन में विशेष रूप से वृद्धि किया जाना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इसका केन्द्रीय सरकार के अन्य परिवार पेंशन पाने वाले व्यक्तियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

58 वर्ष की आयु तक रोजगार के लिए दिया गया आश्वासन और अर्ध सैनिक बलों में स्वतः नियुक्ति

2.4.1 सरकार ने 58 वर्ष की आयु तक रोजगार दिए जाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार किया किन्तु इसे स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसकी अपेक्षा यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित रिक्तियों का पूर्ण उपयोग, गहन पुनरीक्षण और मानीटरिंग, उक्त किस्म की प्रशिक्षण सुविधाएं और स्वरोजगार उद्यमों पर जोर देना सुनिश्चित किया जाए।

2.4.2 केन्द्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कई जगह अलग-अलग संख्या में रिक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था की है।

2.4.3 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सैनिकों को अर्ध सैनिक बलों में पुनः रोजगार दिये जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। परंतु यह देखा गया है कि भूतपूर्व सैनिक इन बलों में सेवा नहीं करना चाहते हैं और उनके लिए जो पद आरक्षित हैं वे खाली पड़े रहते हैं।

पुनर्नियोजन की स्थिति में वेतन-निर्धारण, ज्येष्ठता आदि के लिए सैन्य सेवा हिसाब में लेने के लिए नियमों में एकरूपता

2.5 भूतपूर्व सैनिकों की इस मांग की एक कार्यकारी दल द्वारा जांच की गई है लेकिन केन्द्रीय सरकारी विभागों/राष्ट्रीकृत बैंक/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन/मंहगाई भत्ते की दरों आदि में मूल रूप से अंतर होने को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्नियोजन पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों के वेतन तथा ज्येष्ठता के निर्धारण संबंधी शासित करने वाले नियमों में कोई एकरूपता लागू करना व्यावहार्य नहीं पाया गया है।

निशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले निशक्त सशस्त्र सेना पेंशनरों का रि-सर्वे मेडिकल बोर्ड न करवाना

2.6 निशक्तता पेंशन निशक्तता की मात्रा पर निर्भर करती है। जिन कार्मिकों की निशक्तता 20% से कम होती है उन्हें निशक्तता पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे कुछ रोग/निशक्तताएं हैं जिनमें कुछ समय बाद सुधार/बिगाड़ हो सकता है। निशक्तता बिगाड़ होने से भूतपूर्व सैनिक को निशक्तता पेंशन उच्च दर पर मिल सकती है। इसलिए रि-सर्वे मेडिकल बोर्ड को समाप्त करना भूतपूर्व सैनिकों के हित में नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं

2.7.1 किसी भी प्रकार की पेंशन पा रहे सशस्त्र सेना पेंशनर और उनके परिवार तथा दिवंगत सेना कार्मिक के परिवार सैनिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के हकदार हैं बशर्ते कि इन अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हों। वास्तविक एवं सीमित वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत चलाए जा रहे सशस्त्र सेना अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु चिकित्सा भत्ता मंजूर करने की वैकल्पिक मांग स्वीकार करना संभव नहीं है।

2.7.2 चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित प्रश्न पर विचार करने और उसके समाधान के लिए सुझाव देने के वास्ते उसे 09 जुलाई 1992 को गठित एक समिति के पास भेज दिया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान किए जाने पर पेंशन संबंधी लाभों में वृद्धि

2.8 जिन जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को सक्रिय सेवा के दौरान आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है वे वेतन में वृद्धि पाने के हकदार हैं इससे उनकी पेंशन में वृद्धि हो जाती है क्योंकि पेंशन मूल वेतन पर आधारित है। लेकिन यह लाभ सेवानिवृत्ति के समय अथवा उसके बाद आनरेरी रैंक प्राप्त करने वाले जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को नहीं दिया जाता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

2.9 द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानी पेंशन पाने के पात्र नहीं है क्योंकि उन्हें 2 से 6 वर्ष तक की अल्पकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की है। तथापि, अधिकांश राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने जरूरतमंद व्यक्तियों जिनमें द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानी भी शामिल हैं, को वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, इन सेनानियों को रक्षा मंत्रालय/सेना मुख्यालय की कल्याण निधियों से आर्थिक सहायता दिए जाने के उनके अनुरोध पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। उन्हें समुचित राहत दिए जाने के बारे में सरकार विचार करने के बाद शीघ्र कार्रवाई करेगी।

जनगणना के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को पृथक श्रेणी में रखना और संसद व विधान सभाओं में उनके लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था

2.10.1 पूर्व रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को 1991 में की गई जनगणना के दौरान एक विशेष श्रेणी में रखा गया है। सैनिक बोर्ड संगठन की एजेंसी के माध्यम से देश में भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की व्यापक आधार पर जनगणना की जा रही है। यह कार्य भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के हित के लिए योजनाएं बनाने के वास्ते किया जा रहा है।

2.10.2 भारत के संविधान में, भूतपूर्व सैनिकों को लोक सभा/राज्य सभा/राज्यविधान सभाओं में मनोनीत किए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है।

विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन न होना और प्रबोधन न होना

2.11.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाएं हैं अर्थात् सैम्फेक्स-1,सैम्फेक्स-2 तथा सैम्फेक्स-3, ये योजनाएं स्वरोजगार स्थापित करने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के लिए क्रमशः स्माल इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया, नेशनल बैंक फार अग्रीकलचरल एंड रूरल डेवलपमेंट खादी एवम् ग्रामीण उद्योग आयोग के सहयोग से काम कर रही हैं। इन सभी योजनाओं का वित्तीय संस्थानों के जरिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है।

2.11.2 सैम्फेक्स —1 योजना के अन्तर्गत परिवहनों (कोयला, खाना-पकाने की गैस/छोहक आदि ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अन्तर्गत ऋण देना रोक दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों/कार्यकारी दलों की सिफारिशों का क्रियान्वयन न किया जाना

2.12. भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं की देखभाल करने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियां/कार्यकारी दल गठित किए गए। इन समितियों/कार्यकारी दलों द्वारा की गई वित्तीय और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य सिफारिशों को सरकार ने हमेशा माना है।

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/निशक्त भूतपूर्व सैनिकों की उपेक्षा

2.13 लड़ाई में मारे गए सेवा कार्मिकों की पत्नियों को उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन लाभ दिए जाते हैं। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को बच्चों को शिक्षण शुल्क, छात्रा-वास-प्रभार , पुस्तकों आदि की कीमतों की अदायगी करने से पूरी छूट दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/निशक्त भूतपूर्व सैनिक सरकार द्वारा शुरू की गई सभी रोजगार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े में 75% की रियायत दी जाती है। जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है उन्हें कल्याण निधि से आर्थिक सहायता दी जाती है इस प्रकार युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/निशक्त भूतपूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है।

मारमुगाव बन्दरगाह पर माल लादने की क्षमता

1650. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में मारमुगाव बन्दरगाह पर माल लादने की क्षमता 40 से 60 हजार टन प्रतिदिन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बन्दरगाह की माल लादने की क्षमता प्रतिदिन कम से कम एक लाख टन तक बढ़ाने की लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) पत्तनों में लदान क्षमता में सुधार करने के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:—

(i) मौजूदा उपकरणों और हिस्से पुर्जों में सुधार करना।

(ii) मौजूदा ग्रैब टाइप बार्ज अनलोडर्स का नवीकरण।

(iii) स्टैकयार्ड में प्लाटों के आवंटन और प्रबंध को युक्तिसंगत बनाना।

(iv) श्रमिकों के लिये सामूहिक कार्य-निष्पादन योजना को लागू करना और प्लाटों के व्यवसाय के आधार पर निर्यातकों के लिये अधिशुल्क छूट योजना।

अमरीकी डालर का बाजार मूल्य

1651. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत चार महीनों के दौरान देश में अमरीकी डालर की बाजार में हुई तीव्र वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार रुपए को डालर में परिवर्तन करने के लिए देश से बाहर भेजने पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) जी, नहीं, पिछले चार महीनों के दौरान रुपए/अमरीकी डालर की बाजार दर में निम्नलिखित उतार-चढ़ाव आए हैं:

मासिक औसत	बाजार दर (अमरीकी डालर-प्रति यूनिट रुपया)
मार्च, 1992	29.4551
अप्रैल, 1992	30.9253
मई, 1992	30.3407
जून, 1992	30.2361

(ख) रुपए की आंशिक परिवर्तनियता की नई प्रणाली के अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार दर का निर्धारण होता है।

(ग) रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की नई प्रणाली, सोना आयात करने की अनुमति तथा व्यापार नीति संबंधी सुधारों समेत किए गए सरकार के विभिन्न उपायों से रुपए को डालर में परिवर्तन करने के लिए देश से बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने में पहले ही काफी सहायता मिली है। इस दिशा में सभी आवश्यक नीतिगत उपाय किए जाएंगे जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में परिवर्तन करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

दो रुपये के नये सिक्के

1652. श्री एन॰ जे॰ राठवा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो रुपये का नया सिक्का जारी करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस नये सिक्के का वजन कितना है, इसमें कितने प्रतिशत तांबा और निकिल है तथा इसका आकार कैसा है; और

(ग) इसे कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकार पहले ही 21 अप्रैल, 1992 को एक नया दो रुपए का सिक्का जारी कर चुकी है। यह नया सिक्का ग्यारह पार्श्वों, 26 मि॰मी॰ आकार (विपरीत चपटे पार्श्व के एक कोने से केन्द्र तक) 6 ग्राम वजन और 75 प्रतिशत तांबा तथा 25 प्रतिशत निकल धातु मिश्रण का है।

[अनुवाद]

सिंगापुर में कार्यरत भारतीय बैंक

1653. श्री गुरुदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर में कार्यरत भारतीय बैंकों को सिंगापुर की सरकार द्वारा उठाये गये कठोर कदमों के कारण कठिनाईयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार कितने बैंक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार ने इन बैंकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कार्रवाई की है/करने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सिंगापुर सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया है;

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

भारत सहायता कोष के देशों से बातचीत

1654. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:
श्री शरद दिघे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारत सहायता कोष के प्रमुख दाता सदस्यों के साथ चालू वर्ष के लिए अधिक सहायता देने संबंधी द्विपक्षीय बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत की प्रमुख बातें क्या थीं;

(ग) क्या सहायता की राशि के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक देश से भारत को कितनी-कितनी सहायता का आश्वासन मिला है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में पहले से स्वीकृत धनराशि कितनी-कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा आयोजित भारत सहायता संघ की पेरिस में हुई बैठक से पहले, मुख्य दाता देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की गई थी। बहुत से दाता देशों और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का जोरदार तथा एकमत समर्थन किया। इन सुधारों के मुख्य उद्देश्य का पूर्ण समर्थन करते हुए, उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की कि मध्यावधि, में अंतर-संबद्ध सुधारों की गहनता और व्यापकता में वृद्धि करके, इस सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) संघ के सदस्यों, जिनमें विश्व बैंक भी सम्मिलित है, ने वर्ष 1892-93 के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डालर की सहायता देने का वचन दिया है जो उनके संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार होगी। ये वचनबद्ध सहायता के केवल संकेत हैं जिन्हें समय आने पर सहायता स्वीकृतियों/करारों में रूपांतरित किया जाएगा।

भारत में पश्चिमी देशों की वित्तीय फर्में

1655. **डा० डी. वेंकटेश्वर राव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत से अपने बाजार में पश्चिमी देशों की वित्तीय फर्मों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार (जी०ए०टी०एस०) पर उरुग्वे दौर की वार्ता के संदर्भ में अनेक ओ०ई०सी०डी० देशों (संयुक्त राज्य सहित) ने भारत से अपने बाजार में पश्चिमी देशों की वित्तीय फर्मों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनुमति देने हेतु भारत से रियायतों की अपेक्षा की है।

(ख) और (ग) भारत की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि भारत भी जी०ए०टी०एस० के अन्तर्गत इन देशों से रियायतें प्राप्त कर रहा है।

गोआ में स्वापकों की तस्करी

1656. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ में गत तीन वर्षों के दौरान स्वापकों और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने के कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) उक्त अवधि में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के स्वापक और अन्य निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गईं; और

(ग) तस्करी में लगे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) स्वापक औषधों के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

	स्वापक औषध			
	1990	1991	1992	अनुमानित मूल्य
	(कि॰ ग्राम में)			
हेरोइन	0.013	1.252	0.010	नशीले पदार्थ, जो प्रायः अनिर्धारित मात्रा तथा मिश्रण के होते हैं तथा जिन्हें नष्ट किया जाना होता है, का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।
गांजा	4.000	1.309	18.157	
हशीश	7.000	6.247	10.195	
अफीम	1.000	—	—	
कोकीन	0.002	—	—	

पंजीकृत मामलों की सं॰

1990	1991	1992
33	12	16

गिरफ्तार तथा अभियोजित व्यक्तियों की सं॰

1990	1991	1992
21	12	28
(9 विदेशी)	(5 विदेशी)	(3 विदेशी)

पदों को समाप्त करना

1657. **श्री चन्द्रजीत यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मितव्ययिता अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुल कितने पद (श्रेणी-वार) समाप्त कर दिए गए हैं;

(ख) पहले ही सामप्त कर दिए गए/वापस कर दिए गए पदों के अतिरिक्त अन्य किन पदों को वापस करने हेतु इनका श्रेणी-वार पुनरीक्षा समिति ने पता किया है;

(ग) उन अधिकारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है जो अपने संबंधित राज्य सरकारों के पास वापस जाने की प्रक्रिया में हैं; और

(घ) इन अधिकारियों को वापस भेजने के संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) और (ख) समाप्त कर दिए गए/वापस करने हेतु पता लगाए गए पदों का श्रेणीवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) पदों को समाप्त किए जाने के कारण केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से राज्य सरकारों को कोई अधिकारी प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर को अनुदान

1658. श्री एन॰ डेनिस: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर को अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कोयम्बतूर को दिये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नोक्त अनुसार है:—

(लाख रु॰ में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
1989-90	20.00	38.90	58.90
1990-91	35.00	35.16	70.16
1991-92	31.91	55.76	87.67

भारतीय पटसन के लिए नए बाजार

1659. श्री अमल दत्त:
श्री तरित बरण तोपदार:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार के देशों, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय पटसन और पटसन उत्पादों में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पटसन एवं पटसन के सामान के लिए पता लगाये गये इन नये बाजारों का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) पटसन के सामान के आयातकों ने जिनमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के आयातक भी शामिल हैं, भारत में निर्मित परम्परागत तथा विविधीकृत दोनों प्रकार के पटसन उत्पादों में रुचि दिखाई है।

(ग) सरकार ने विदेशों में उपभोक्ता की अभिरुचि के अनुकूल विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास तथा विपणन करने के लिए अनुसंधान व विकास संबंधी क्रियाकलापों के पुनः दिग विन्यास पर विशेष बल दिया है। भारत सरकार के अधीन सांविधिक निकाय जे एम डी सी पटसन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी क्रियाकलाप शुरू करता है जिनमें शामिल हैं, अन्तर राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बाजार अध्ययन शुरू करना, आयातकों और अन्य प्रयोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करना तथा प्रचार अभियान शुरू करना।

बल्क औषधियों के लिए अपेक्षित कच्चे माल का दुरुपयोग

1660. प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ मामलों में बल्क औषधियों के लिए अपेक्षित कच्चे माल के दुरुपयोग का पता चला है जो उनके लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों पर आधारित हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में किस-किस कच्चे माल का दुरुपयोग किया गया है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या सीमा शुल्क में छूट देने के कारण देश को विदेशी मुद्रा की क्षति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कम्पनियों से आयात, निर्यात, शुल्क-फिरती, नकद प्रतिकरात्मक सहायता (सी सी एस) के बारे में पूर्ण ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है। प्रत्येक मामले में शामिल विदेशी विनिमय मुद्रा की सही राशि केवल इन ब्यौरों की प्राप्ति के पश्चात् ही निर्धारित की जा सकती है। मै० लुपिन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में इथम्बुटोल मद के लिए हुई लागत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार 1987-88 से 1991-92 की अवधि में 20 करोड़ रुपये की राशि शामिल है और थियामुलिन एवन विटामिन-ई के बारे में मै० सेन्डोज इंडिया लिमिटेड और मै० ई० मर्क इण्डिया लिमिटेड से संबंधित क्रमशः लगभग 0.37 करोड़ रु० और 0.32 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(घ) इन कम्पनियों ने आयात-निर्यात नीति में निहित मानदण्ड के अनुरूप, परन्तु अपनी आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में कच्चा माल/माध्यमिक स्तर का कच्चा माल आयात किया था। कुछ कच्चे माल को अग्रिम लाइसेंस योजना (सीमा शुल्क रहित) के अन्तर्गत आयात किया गया था और कुछ कच्चे माल को रियायती शुल्क पर आयात किया गया था।

(ङ) वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से इस मामले में समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि संबंधित सीमा शुल्क समाहर्ता से कहा गया है कि शुल्क-फिरती मामलों की पुनः जांच की जाये। वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि कच्चे माल/माध्यमिक स्तर के कच्चे माल के आयात के लिए 1992-97 की आयात-निर्यात नीति में और कड़े मानदण्डों को शामिल किया गया है।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	उत्पाद	मुख्य कच्चा माल	सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग
1.	मै० लुपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड	इथम्बुटोल	डी आई-2 एमिनो-बुटानोल डी-टार्टरिक एसिड	राजस्व विभाग वाणिज्य मंत्रालय

क्र॰सं॰	कम्पनी का नाम	उत्पाद	मुख्य कच्चा माल	सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग
2.	मै॰ सेन्डोज इंडिया लिमिटेड	रिफाम्पिसीन टियामुलिन	रिफा-एस प्लुरोमुलिन	रसायन एवं पैट्रो रसायन मंत्रालय
3.	मै॰ ई॰ मर्क इंडिया लिमिटेड	विटामिन-ई	आइसोफिटोल ट्रिमथाइल फिनोल	राजस्व विभाग वाणिज्य मंत्रालय

[हिन्दी]

निर्यात विकास दर में वृद्धि

1661. प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुख:
श्री राम नरेश सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप 1992-93 के दौरान निर्यात वृद्धि दर में अनुमानतः कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) 1992-93 के दौरान किए गए निर्यात तथा आयात का अनुमानित मूल्य कितना है तथा निर्यात और आयात आंकड़ों में कितना अन्तर है; और

(ग) सरकार द्वारा व्यापार घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) किसी वर्ष में आयात और निर्यात का स्तर काफी हद तक विश्व स्तरीय व्यापारिक वातावरण, हमारे व्यापारिक भागीदार देशों में आर्थिक वातावरण, हमारे उत्पादों की बाह्य मांग जैसे विश्व व्यापी तथ्यों तथा निर्यात के लिए बेशी की उपलब्धता, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, मुद्रा प्रसार दर, घरेलू मांग आदि जैसे घरेलू तथ्यों पर निर्भर करता है। नई आयात-निर्यात नीति में की गई नई पहलों का हमारे निर्यात और आयात पर वास्तविक प्रभाव पड़ने में भी समय लगेगा। इसलिए, इस समय वर्ष 1992-93 के दौरान आयात और निर्यात के कुल मूल्य तथा निर्यात और आयात के आंकड़ों में कुल अन्तर का ठीक-ठाक अनुमान लगाना कठिन है। तथापित, सरकार ने वर्ष 1991-92 की अवधि के दौरान हुए 43,978.26 करोड़ रु॰ के निर्यात स्तर की तुलना में 31.5% की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए वर्ष 1992-93 के लिए 57,850 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य रखा है। आयात के लिए ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक कम करना और भुगतान संतुलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात दबाव को कम करना है। वर्ष 1992-93 के बजट में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया था, इससे विनिमय की सरकारी दर पर बाजार प्रीमियम के जरिए निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आयात को कम करता है। इन्हें 31 मार्च 1992 को घोषित तथा 1 जुलाई, 1992 को संशोधित नई आयात निर्यात नीति में पुनः समेकित किया गया है, जिनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, और उसके द्वारा निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करना है। नई नीति के ढांचे में जहां निर्यात से जुड़े आयात को प्रोत्साहित किया गया है, वहीं गैर आवश्यक मदों जैसे उपभोक्ता वस्तुओं और (टिकाऊ वस्तुओं) ड्यूरेबल्स के आयात को नियंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अन्य उपाय भी किए हैं जिनमें निर्यात के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, व्यापार बोर्ड को

क्रियाशील करना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता तथा व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक संबंध बनाना शामिल है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलें

1662. श्री सुदर्शन रायचौधरी:
(श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य:
श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उन मिलों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) सरकार ने एन टी सी की सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार किया है जिसमें उसका पुनर्निर्माण, समामेलन, आधुनिकीकरण, श्रमिक सुव्यवस्थीकरण आदि शामिल हैं लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में कोई निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

बीनाटोन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को बंद करना

1663. श्री गुरुदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी घाटे के कारण बीनाटोन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बंद किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के तहत मैसर्स बीनाटोन इलैक्ट्रानिक्स लि॰ से प्राप्त संदर्भ पर बोर्ड ने दिनांक 3.1.92 एवं 3.4.92 को सुनवाई की थी और यह निर्णय लिया गया था कि कम्पनी को बंद कर दिया जाना चाहिए तथा उनके विचार संबंधित उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों के आयात पर प्रतिबंध

1664. श्री पूरन चन्द वर्मा: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए अनेक जीवन रक्षक औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) जीवन रक्षक औषधियों के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा रोगियों को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनायी गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 7 अप्रैल, 1992 की सार्वजनिक सुचना सं० 6-आई टी सी (सा०सू०)/92-97 के अनुसार आयात की नकारात्मक सूची में दी गई कुछ ही जीवन रक्षक औषधियों को छोड़कर सभी जीवन रक्षक औषधियों के मुक्त रूप से आयात किए जाने की अनुमति है। उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

टीटागढ़ पेपर मिलों को फिर से खोलना

1665. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री तरित बरण तोपदार:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार टीटागढ़ पेपर मिलों को पुनः चालू करने/ दुबारा खोलने का है जैसाकि 3 जून, 1992 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन मिलों को धन न दिये जाने के कारण पुनः चालू करने की योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त धनराशि दिलाने और इन मिलों को फिर से खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) दिनांक 3.6.92 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में छपी रिपोर्ट का संबंध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा टीटागढ़ पेपर मिल्स लि० की पुनरुद्धार योजना की समीक्षा किए जाने से है, न कि भारत सरकार द्वारा।

(ग) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1.4.92 को हुई समीक्षा बैठक में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने उन्हें एक कोर प्रवर्तक का पता लगाने का परामर्श दिया था तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार को इस विषय में प्रयास करने का भी निर्देश दिया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा पश्चिमी बंगाल के भरसक प्रयासों के बावजूद भी अभी तक किसी कोर प्रवर्तक का पता नहीं लगाया जा सका है। तथापि, भारतीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा तैयार तथा स्वीकृत पुनर्वास योजना के अनुसरण में संस्थानों द्वारा मंजूर 1860 लाख रुपये में से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने प्लांट और मशीनरी की मरम्मत और पूरी तरह से जांच करने संबंधी खर्चों को वहन करने के लिए 50 लाख रुपये संवितरित किए थे जो कोर प्रर्वतक का पता न चल पाने के कारण अनप्रयुक्त रहा।

तत्पश्चात लोक सभा 12.20 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई

राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला और न्यायधीशों के पुतले जलाये जाने के बारे में—जारी

लोक सभा 12.22 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार जी आडिबल मैनर में बोलिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आडिबल मैनर में ही बोल रहा हू। अभी माननीय सदस्य महन्त अवेद्य नाथ जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपने बोलने के क्रम में यह कहा कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों की जिस प्रकार से पूजा की जा रही है तो एक नया पाकिस्तान बनेगा और यह पूरा देश पाकिस्तान बनेगा। यह बहुत ही एतराज की बात है बहुत ही आबजेक्शनेबल बात है इसीलिए इसी पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करके यह अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई इन्फलमेटरी बात नहीं की जाए। यह पूरा का पूरा टेलीकास्ट कल देखा जायेगा और पूरे मुल्क में यह मैसेज़ जायेगा। इससे खराब असर बढ़ेगा और देश के अल्पसंख्यकों की भावनाओं पर कुठाराघात होगा और जो सैक्युलर समझ वाले हिन्दू हैं उनकी भावनाओं पर कुठाराघात होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष के बैठे हुए माननीय सदस्य अगर अपने आपको हिन्दू धर्म का ठेकेदार समझते हैं तो वे गलतफहमी के शिकार हैं। दूसरे पक्ष के विचार वाले हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं इसलिए इस बात को कहना कि नया पाकिस्तान बनेगा और पूरा मुल्क पाकिस्तान बनेगा तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस बात को रिकार्ड से एक्सपंज कराया जाए ताकि गलत संदेश मुल्क में न जाए। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक बात यह है कि क्वेश्चन ऑवर ही टी०वी० पर आता है, बाकी नहीं जाता है।

...........(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: राज्य सभा का समूचा गया है।

...........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी के मन में अगर किसी चीज से दुख होता है तो उसकी चिंता करते हैं। उस पर जो कार्यवाही करनी है, वह करेंगे, उसको मैं देख लूंगा और उस पर योग्य कार्यवाही की जायेगी।

.......(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज): अध्यक्ष महोदय, श्री खुराना ने मुझे अनावश्यक ही बहस में खींच लिया है। उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है और गलत ढंग से तुलना की है।

अध्यक्ष महोदय: इसे संक्षिप्त और मधुर भाषा में कहें।

श्री सैयद शाहबुद्दीन: सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने किसी का भी पुतला नहीं जलाया है।

दूसरे, शाहबानो आन्दोलन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वह एक नये कानून बनाए जाने से संबंधित मुद्दा था और यह तो किसी भी राजनीतिक दल या लोगों के संगठन का विशेषाधिकार है कि यदि वह न्यायालय के आदेश से आहत महसूस करता है वह एक कानून बनाने की मांग कर सकता है।

लेकिन आज जो हमारे सामने मामला है वह वास्तविकता पर न्यायालय के आदेश को लागू करने का है। इसलिये दोनों स्थितियों में तुलना नहीं की जा सकती है। और फिर वह मुझ पर राष्ट्रीय दिवस का बहिष्कार करने का नारा देने जैसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि में संलग्न होने का आरोप लगाते हैं, वस्तुतः वह गलत कह रहे है...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): यह 26 जनवरी के कार्यक्रम के बहिष्कार की परिभाषा क्या है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन: इस बारे में रिकार्ड मौजूद हैं। उस समय हमने देश भर के मुस्लिम संप्रदाय से गणतंत्र दिवस के सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि तत्कालीन सरकार संविधान की गरिमा अक्षुण्ण रखने में असफल रही थी। और अभी भी हम उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वर्तमान सरकार देश के संविधान और विधि-सम्मत नियमों को बरकरार रखने में असफल हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विरूद्ध यह एक तर्कहीन आरोप लगाया गया है।

अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वृहत्तर मुद्दों पर एक या दो शब्द कहना चाहूंगा। आज एक हिन्दू-मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। आज का प्रश्न कोई सांप्रदायिक नहीं है। यह एक पूर्णतया संवैधानिक प्रश्न है। यह विशुद्ध रूप में एक कानूनी और राजनीतिक प्रश्न है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि कोई दल या किसी राजनीतिक दल का घोषणा-पत्र भारत के संविधान से बढ़कर है या किसी को देश के कानून के विरुद्ध जाने का अधिकार है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। अपने राजनीतिक घोषणा-पत्र में कोई कुछ भी कहने को स्वतंत्र है लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि, "हम संविधान और कानून के शासन को चुनौती देंगे, न्यायधीशों का पुतला जलायेंगे और न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे।" (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप संक्षेप में बोलने की सहमति दे चुके थे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन: महोदय, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। हमें यह तर्क स्वीकार नहीं है। जब हम कानून को पूरा सम्मान दिये जाने की मांग करते हैं तो श्री आडवाणी उठकर सिर्फ इतना कह देते हैं कि "हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं"। वहां चल रही निर्माण-कार्य ही तो कानून का सबसे बड़ा अपमान है। यह महज कानून का खुलकर तिरस्कार करना ही नहीं है बल्कि राज्य के कानून के विरूद्ध एक खुले युद्ध की घोषणा भी है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि सदन में वह इस बात को कह रहे हैं कि वे कानून को नहीं मानेंगे। इस देश में कानून के शासन का इससे भी अधिक अपमान और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा अपमान और नहीं हो सकता। इसलिये जहां एक तरफ मैं भाजपा के रवैये से दुःखी हूं वहीं सत्ता पक्ष के रवैये से भी दुःखी हूं। वे कानून के संरक्षक हैं, वे संविधान के संरक्षक हैं और वे भी इसकी तरफ ऊंगली नहीं उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

सबसे बड़ा सवाल आज इस देश में यही है कि सरकार क्या करने जा रही है? हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें सरकार से शिकायत है..(व्यवधान)..हमारे अवेद्यनाथजी ने भी कहा आज कोर्ट के सामने जो सवाल है

वह इस बात का नहीं है कि अ..ध्या राम की धरती है या नहीं, सवाल यह नहीं है कि राम भगवान हैं या नहीं, सवाल इसका नहीं है कि रामचन्द्र का जन्म स्थान अयोध्या में कहां है। सवाल इसका है कि जिस जमीन पर कोर्ट का रस्ट्रेंड आर्डर है और उसके खिलाफ वहां की सरकार जिसने संविधान की शपथ ग्रहण की है, जिसको कानून के अनुसार काम करना चाहिए आज शासन नहीं कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज सुबह मेरे नुमाइन्दे से कहा कि मुझे अभी कोर्ट के आर्डर का कोई पता नहीं है। मुझे कोर्ट का आर्डर मिला भी नहीं है। यह है उस राज्य सरकार का हाल। आज हमें उस राज्य सरकार को कडेम्न करना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं अगर कानून की और संविधान की इज्जत का जरा भी उनको ख्याल है तो उनको संविधान ने जो अख्तियार दिया है उस अख्तियार का इस्तेमाल करके उस सरकार को फौरन बर्खास्त करे। उसको एक दिन भी राज करने का अधिकार नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर): अध्यक्षजी, एक मिनट ...

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी की तरफ से बोल चुके हैं, उनकी पार्टी की तरफ से नहीं बोले हैं, उनको बोलने दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: ऐसा है न्यायपालिका बड़ी प्रमुख संस्था है और भारतीय संविधान की भी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन कहने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका की पवित्रता की रक्षा और संविधान की पवित्रता क़ी रक्षा क्या पहले भी इन्होने की है। पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग कभी सोचें कि उन्होंने भी क्या इनकी रक्षा की है...

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ शब्द बोलने के लिये जो आपने मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत ही संक्षेप में बोलें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): सर्वप्रथम तो मैं कतिपय संगठनों और लोगों के द्वारा न्यायपालिका पर दबाब डालने के प्रयास की निंदा करता हूं। मुझे उस व्यक्ति जो कि विपक्ष का नेता है के मुंह से यह सुनकर वास्तव में बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उनकी पार्टी को यह विश्वास नहीं है कि न्यायालय इस मुद्दे को हल करने में समर्थ है। **(व्यवधान)**

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह उनके अपने विचार हो सकते हैं लेकिन दूसरे लोगों के भी अपने कुछ विचार हैं। हमारा अपना संविधान है जिसमें यह प्रावधान है कि अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय देने के लिये न्यायालय अन्तिम संस्था है और ऐसी न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं होना ही इस बात का द्योतक है कि हम संविधान का अनुसरण नहीं करते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी को जनादेश मिला हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस (आई), जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा हो गया इसलिये इनकी पार्टी सत्ता में आ गई अन्यथा ये वहां सत्ता में नहीं होते। महोदय, राज्य सरकार ने मन्दिर का ताला खोलने और 'शिलान्यास' करवाने जैसी सारी चीजों में पहल की है। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद के प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श के बाद न्यायालय के निर्णय को मानने से इन्कार करने के बाद भी वह चुप्पी साधे हुए हैं। वे लोग कहते है कि वे इसकी रक्षा करेंगे। इस मुद्दे के प्रति सरकार की निष्क्रियता देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। मैं समझता हूं कि विगत की भांति सरकार एक बार फिर किसी

संप्रदाय के एक वर्ग को तुष्ट करने और इससे लाभ उठाने का राजनीतिक खेल खेलना चाहती है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इससे हमारे देश की अखंडता को भारी खतरा हो जाएगा। विश्व हिन्दू परिषद को आगे और निर्माण कार्य करने से रोकने हेतु तत्काल कदम उठाने का सरकार से मेरा अनुरोध है। किसी भी कीमत पर सरकार को देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष जी, सी॰पी॰आई॰ के लोगों की ओर से बार-बार आग्रह किया गया है, उनके लिए क्या किया?

अध्यक्ष महोदय: पहले श्री पी॰ जी॰ नारायणन् बोल रहे हैं। मैं आपको भी समय दूंगा लेकिन आप 2-3 मिनट में बोलना।

[अनुवाद]

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम): महोदय, हाल की घटनाओं से सभी लोग चिन्तित हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम लोग सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। भिन्न-भिन्न पार्टियों के ऐसे सदस्य जो बोल चुके हैं, अपना हाथ न उठायें।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन: महोदय, कानून का शासन किसी भी कीमत पर बरकरार रहना चाहिए। महोदय, कोई भी हो चाहे वह सरकार हो या कोई संस्था या कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। देश के कानूनों का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है।

अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है। यह अब उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व हिन्दू परिषद की जिम्मेवारी है कि वह न्यायालय के निर्णय को माने, उसका सम्मान करे। लेकिन वे लोग कह रहे हैं कि वे निर्माण-कार्य नहीं रोकेंगे। यह तो उन लोगों की ज्यादती है। न्यायालय के निर्णय के प्रति किसी प्रकार की अवमानना और अनादर से निश्चय ही देश की छवि घटेगी। अतः किसी भी कीमत पर इस प्रकार की प्रवृति को नहीं बढ़ने देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्णय का अनादर कर रही है। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार पहले ही न्यायालय के निर्णय का अनादर कर चुकी है। इस प्रकार की चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यही स्थिति चलती रही तो क्या भविष्य होगा और न्यायालय की क्या गरिमा रहेगी।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के तहत ही हम सभी सांसद यहां हैं, यह संसद भी है और आप भी हमारे अध्यक्ष हैं। अगर संविधान में और किसी दल के जनादेश में द्वंद हो, टकराव हो तो हमारे विरोधी पक्ष के नेता आडवानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और साथ ही साथ विरोध पक्ष की भी जिम्मेदारी उन पर है, उसके भी वे नेता हैं। अगर दोनों में द्वंद हो तो भारत का संविधान रहेगा या किसी दल की घोषणा रहेगी, उसका जनादेश रहेगा? बार-बार आडवानी जी ने इसको दोहराया है और मैं समझता हूं जो आज उनकी ओर से स्पष्ट बात आए कि अगर दोनों में टकराव होगा तो हमारा संविधान सर्वोपरि है, किसी दल की घोषणा उसके बाद आती है, उनको आपस में टकराया नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष जी, जब देश की एकता दांव पर लगी है, बहुत से लोग यहां पर कुछ बोल गए हैं मगर आदेश के बाद जब देश की एकता दांव पर आएगी, भारत की परंपरा दांव पर आएगी तो मैं नहीं चाहूंगा कि यहां पर दूसरे देशों की नकल पर मजहबी राज्य हो। हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ। जिनको जाना था, वह गए और जो रह गए हैं, भारत के संविधान के प्रति सौ फीसदी उनसे वफादारी की आशा है। बार-बार उन पर अंगुली

उठाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है। कुछ लोगों की तरह मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें मगर जहां तक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और इलाहबाद की लखनऊ पीठ के निर्णय का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, उसका उल्लंघन कर रही है तो भारत सरकार का कर्तव्य है और आज प्रधान मंत्री जी ऐलान करें कि उस विवादरस्त स्थल का अधिग्रहण किया जाता है और भारत की शक्ति, भारत का बल उसकी रक्षा करेगा ताकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं हो और मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप सदन की ओर से एकमत से यह निर्णय लें कि उस उल्लंघन की हम निन्दा करते हैं और जो जज का पुतला जलाया गया है उसकी हम निन्दा करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की गरिमा की रक्षा के लिए सदन एकमत है। इस प्रकार से हमें सारे देश के लिए सदन से कहना चाहिए। बाकी विवाद हम लोग आपस में करते रहेंगे, यही मेरा आपसे आग्रह है और सरकार से आग्रह है। यह मामला आ गया है इसलिए इसको सुलझाने के लिए हम स्पष्ट बात बोलें।

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, इस देश की सरकार और पूरा सदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए भूमि के अधिग्रहण से अवगत है। इस मामले को न्यायालय को सौंपा गया था। न्यायालय ने उन्हें भूमि को अपने कब्जे में रखने का निर्देश दिया है और कहा है कि उस पर न तो स्थायी निर्माण हो और न ही उस क्षेत्र का हस्तांतरण हो। लेकिन जब उस पर पक्का निर्माण कार्य शुरू हो गया तो मामला फिर से न्यायालय में ले जाया गया। वह निर्माण पूर्णतया अवैध था। उसके बाद, न्यायालय ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि वह निर्माण अवैध है इसलिये सभी प्रकार के निर्माण-कार्यों पर स्थगन आदेश जारी कर दिये गए हैं। यह न्यायालय का आदेश है जिसे लागू किया जाना चाहिए और इसका सम्मान होना चाहिए और न्यायालय के आदेश को लागू करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

अब स्थिति यह है कि राज्य सरकार स्थगन आदेश की उपेक्षा कर रही है। विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने आगे आकर कहा है कि वे न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे और निर्माण कार्य को जारी रखेंगे।

तो ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा चुकी है। यह वहां की राज्य सरकार और पार्टियों की तरफ से स्पष्ट उपेक्षा का द्योतक है। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करके यह देखे कि न्यायालय का निर्णय लागू हो सके। अगर ऐसा करना संभव न हो तो शीघ्र ही राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये। अन्यथा देश को एक साथ बांधकर नहीं रखा जा सकता है। सभी राज्य कानून की उपेक्षा करना शुरू कर देंगे। यहां कोई संविधान नहीं होगा। मैं तो यह कल्पना करके ही कांप जाता हूं कि यहां का भविष्य क्या होगा।

इसलिये यह बहुत ही जरूरी है कि केन्द्र सरकार कानून का शासन, संविधान और न्यायिक निर्णय को कायम करने हेतु कदम उठायें। केवल इसी से इस देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सकता है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): अयोध्या का मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि सभा के नेता देश के लोगों की आर्थिक समस्या पर ध्यान देने के बजाय ऐसे मुद्दे यानि अयोध्या मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।

राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों के साथ अयोध्या का दौरा करने वालों में मैं भी एक था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस मामले की गहराई में न जाएं। मैं आपसे गंभीरतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वे अपने लाभ के लिये इस संवेदनशील मामले का उपयोग कर रहे हैं। अतः विधिवेत्ता और नेतागण इस बात की विवेचना कर रहे हैं कि उन्हें न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिये या नहीं।

संविधान के लागू होने के दिन से ही कई बार उसका उल्लंघन किया गया है। मुद्दा यह नहीं है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए या नहीं बल्कि मुद्दा यह है कि अल्पसंख्यकों और हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान किस तरह किया जाए। प्रधान मंत्री के सामने मुख्य मसला यही है। एक बीच-बचाव का हल ढूंढा जाना चाहिये यह बीच-बचाव का तरीका यही है कि बाबरी मस्जिद को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए और मंदिर निर्माण की अनुमति दी जाए। इन दो मुद्दों पर सभा को एक आम सहमति बनानी होगी और स्थिति को सभालना होगा और किसी भी नेता के द्वारा अल्पसंख्यकों अथवा हिन्दुओं को भड़काने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये जिससे देश में सांप्रदायिकता की आग न फैले।

श्री चित्त बसु (बारासार): प्रश्न एक दम साधारण है। सभा के सामने यह प्रश्न है कि क्या न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के द्वारा दिये गए निर्णय का उल्लंघन हुआ है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णय का लागू किया जाना सुनिश्चित करे।

विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उनकी पार्टी न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। अब प्रश्न यह है कि क्या वह विश्व हिन्दु परिषद और अन्य संगठनों को भी ऐसा ही करने के लिये कहेंगे जो न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं, क्या न्यायालय के निर्णयानुसार उन्हें निर्माण कार्य रोकने के लिये सहमत करायेंगे।

जनादेश का भी मुद्दा उठाया गया है। पुनः मुझे यही कहना है कि क्या एक विशिष्ट मुद्दे पर प्राप्त किए गए जनादेश को महत्व दिया जाएगा या संविधान को महत्व दिया जाएगा। प्रश्न मंदिर निर्माण का नहीं है, प्रश्न है देश के संविधान का, देश के धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों का जो देश के संविधान को संरचना का मौलिक स्वरूप है। यह मुद्दा कानून तथा देश की न्यायपालिका की गरिमा का है। मेरे विचार से यह सभा इस विषय में अपना स्पष्ट निर्णय दे कि न्यायालय के निर्णय की अवहेलना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और भारत सरकार का यह दायित्व है कि न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिये वह उपयुक्त कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा): अध्यक्ष महोदय, यह अयोध्या का मामला ऐसा हो गया है कि हर छः महीने के बाद एक बार इस तरह से यहां उठाया जाता है और पिछली एन०आई०सी० की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत सरकार को पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट का जो आदेश है, उसको किसी भी हालत में उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन आज अखबारों में देखने से ऐसा लगता है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन कैसे हो रहा है कि आज हर तरफ यह एक बीमारी की तरह से फैल गया है।

महोदय, जैसे देहात में लोगों को मिर्गी की बीमारी का दौरा हर 6 महीने के बाद आता है और यह बीमारी तभी शान्त होती है जब बीमार को चमड़े का जूता सुंघाया जाता है। इसलिए आज कोर्ट का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी यह कह कर कर रही है कि हम एक तरफ तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर निर्माण कार्य कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज अयोध्या में ऐसा माहौल बन गया है, जो अखबारों में देखने से पता लगता है कि कोर्ट का आदेश भी हो, तो भी राज्य सरकार उसको नहीं मान रही है। राज्य सरकार का कहना है कि हम

कानून और व्यवस्था की स्थिति को लागू करने में या बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए साधू-सन्त वहां पर खुले बदन नाच रहे हैं और साधू-सन्तों के द्वारा मंदिर का निर्माण चल रहा है। एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में फेल हो रही है और दूसरी तरफ से आर०एस०एस० और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग कूद रहे हैं। साधू लोग नंगा नाच कर रहे हैं और साधू लोगों के बहाने यह काम चल रहा है। इनके इशारे पर साधू लोग कह रहे हैं जिसके ऊपर मुझे बंगाली में एक कहावत याद आ रही है—"सापेर आगे बेंगा नाचे ताथे किछु भेद आछे" इसका हिन्दी में अर्थ यह है कि—सांप के आगे मेंढक नाचे उसमें जरूर कोई बात है। उनके इशारे पर साधू-संत मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार इसमें क्यों निकम्मी साबित हो रही है। क्या एन०आई०सी० में इस पर बैठकर आप कोई उपयुक्त निर्णय नहीं ले सकते और उस निर्णय को कड़ाई से लागू कराएं। जब तक इस मामले में कड़ाई नहीं बरती जाएगी, तब तक हम अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब तक ऐसे मामलों में कड़ाई से काम नहीं लिया जाएगा तब तक हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने संविधान और देश की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इस मामले में कड़ाई से काम किया जाए।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): अध्यक्ष महोदय, तकरीबन पिछले 18 साल से मैं पार्लियामेंट में हूं, लेकिन कभी भी इतना तकलीफदेह माहौल मैंने पार्लियामेंट में नहीं देखा जहां खुलकर एक किसी खास कम्युनिटी के लोगों को पाकिस्तानी कहा जा रहा हो और संसद् उसको बहुत खामोशी से बर्दाश्त कर रही हो। (व्यवधान) आप लोगों ने आवाज उठाई है।.... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आप गलत मत बोलिए। किसी ने कुछ नहीं कहा है। ...(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद: कहा है। मैं जब से सियासत में आया हूं मैं समझता हूं कि हिन्दू और मुसलमान एकता की लड़ाई को मैंने लड़ा है। हिन्दू साम्प्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। लेकिन मेरे जैसा आदमी आज संसद में बैठकर महसूस कर रहा है कि पार्लियामेंट का मैम्बर रहते हुए हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इस देश का भविष्य ज्यादा उज्जवल है।

.वाजपेयी जी बैठे हैं, मैं उनके इंटरव्यू पर उनको मुबारकबाद देना चाहता था जो इंटरव्यू उन्होंने 'हैलो जिन्दगी' में टी०वी० पर दिया था। जहां उन्होंने यह बात कही थी कि इस देश का पतन होने वाला है जब राजनीति मंदिरों से होने लगी है, मैं उनको मुबारकबाद देने वाला था कि इस देश को बचाइए, इस देश की एकता को बचाइए।

भारत का संविधान तीन पिलर्स पर टिका हुआ है—एग्ज़ीक्यूटिव, जूडीशियरी और लैजिसलेचर। इन तीनों में से यदि किसी की भी गरिमा खत्म हो जाएगी तो यह देश यकीनी तौर पर इस हालत में नहीं बन सकता है जैसे आज है। मेरी आपसे मांग है कि कोर्ट के आदेश की उल्लंघना, अवहेलना हो रही है इसलिए सैन्ट्रल गर्वनमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमैंट करना चाहिए। यदि इम्प्लीमैंट करने में गवर्नमैंट फेल होती है तो उ :े डिसमिस करने में एक मिनट की भी देर नहीं लगानी चाहिए। ....(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए। मैं इस चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता था। अभी भी मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि हम प्रधान मंत्री का

उत्तर सुनना चाहते हैं। लेकिन चर्चा शान्ति के वातावरण में क्यों नहीं हो सकती, यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। ...(व्यवधान)

इस देश के सामने गंभीर सवाल है। ऐसे सवाल हैं जो देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी चर्चा में उस गंभीरता का प्रकटीकरण नहीं होता। गर्मी में और आलोक में अन्तर है। ...(व्यवधान)

ये कह रहे हैं कि आगे मत देखो, पीछे देखो। हम अगर पीछे देखें तो कहा जाएगा कि आप पीछे देखते हैं, भविष्य की ओर नहीं देखते। ...(व्यवधान) हम केवल आगे-पीछे नहीं देख रहे हैं, हम बाएं भी देख रहे हैं।

अभी मेरे मित्र बोले। उन्होंने 'हैलो जिन्दगी' के मेरे इंटरव्यू का हवाला दिया मगर अधूरा हवाला दिया। मैंने कहा था कि अगर देश में राजनीति मस्जिद से चलेगी, गिरजाघर से चलेगी, गुरूद्वारे से चलेगी तो उसे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। वह पहुंचना सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जिन्होंने राजनीति को गुरूद्वारे तक पहुंचाया, मस्जिद तक पहुंचाया, चुनाव में मस्जिद से, मस्जिद के इमाम से फतवे लेने के लिए हम नहीं जाते, ये लोग जाते हैं। ...(व्यवधान)

मैं किसी शंकराचार्य के पास आज तक चुनाव में आशीर्वाद मांगने नहीं गया। चुनाव के दौरे में मैं एक जलसे में गया था। एक शंकराचार्य थे, मुझे उनके दर्शन करने का लाभ मिला। अखबार वालों ने पूछा कि आपने उनसे क्या बात की। क्या पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगा? मैंने कहा, नहीं, मैंने देश के लिए आशीर्वाद मांगा है। पार्टियां रहेंगी, चली जाएंगी, मगर देश रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अगर मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ईसाही सरकार कायम करने के नाम पर वोट मांगेगी और अपने चुनाव मैनिफैस्टो में लिखेगी, उस दिन श्री अर्जुन सिंह कह रहे थे कि हमने घर में इसका विरोध किया था, प्रतिवाद किया था, घर का प्रतिवाद काफी नहीं है। मैं भी बहुत सी बातों में घर में प्रतिवाद करता रहता हूं, लेकिन आप चुनाव में अगर मिजोरम में ईसाई सरकार बनाने पर वोट मांगेंगे तो वह नहीं चलेगा। ऐसे वोट आपने मांगे। यह मामला मुद्दत से सुप्रीम कोर्ट में है। मैं वह मैनिफैस्टो पेश कर सकता हूं। एकतरफा नहीं चलेगा, कट्टरपन से एकतरफा लड़ाई नहीं हो सकती है। साम्प्रदायिकता को एक तरफ प्रोत्साहन देकर आप साम्प्रदायिकता से नहीं लड़ सकते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने पहली बार तिरुपति के सम्मेलन में माइनारिटी कम्युनलिज्म की बात की। मैं इसके लिये बधाई देना चाहता था, मगर आप कहेंगे कि यह अन्दर से मिले हुए हैं, इसलिए मैं बधाई नहीं दे रहा हूं। पहली दफा यह कहा गया क्या देश का बंटवारा माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के कारण नहीं हुआ है ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मेरी एक कठिनाई है कि मैं टोका-टाकी में नहीं बोल पाता हूं ...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, मैं तिरुपति की बात कह रहा था। तिरुपति में पहली बार यह कहा गया कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है, लेकिन उसके लिये भी प्रस्ताव में मैजॉरिटी कम्युनलिज्म को दोष दे दिया गया। इस देश में मैजारिटी कम्युनलिज्म जैसी कोई चीज नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर साम्प्रदायिकता से लड़ना है, अगर राष्ट्रीयता की भावना सच्चे अर्थों में जागृत करनी है, बद्धमूल करनी है तो साम्प्रदायिकता को नापने के अलग-अलग गज नहीं हो सकते हैं। अगर संकीर्णता से लड़ना है तो संकीर्णता जहां दिखायी दे, उससे 2-2 हाथ की तैयारी होनी चाहिये। अगर वोट के लिये आप एक तरह की साम्प्रदायिकता से समझौता करेंगे तो दूसरी तरह की साम्प्रदायिकता से समझौता करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

श्री राम विलास पासवान: कीचड़ से कीचड़ साफ करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह मुझे कीचड़ में कमल खिलने का उपदेश दे रहे हैं। यह सारे देश में घूम

कर जातिवाद का जहर पैदा कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे इस समय जुबान नहीं लड़ाना चाहता हूं, मगर सारे देश में घूम कर यह कहना कि राष्ट्रपति ब्राह्मण, उपराष्ट्रपति ब्राह्मण और प्रधान मंत्री ब्राह्मण है।

श्री राम विलास पासवान: यह मैं आज भी कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इन्होंने कहा कि विरोधी दल का नेता भी ब्राह्मण है। मुझे आडवाणी जी की जात का पता नहीं था। हमने आज तक जात नहीं देखी। अध्यक्ष महोदय, यह क्या दूसरे तरह का जहर नहीं है। यह एकतरफा काम नहीं होगा। इसलिये अगर ईमानदारी से बैठ कर चर्चा करनी है, समस्याओं का समाधान निकालना है तो इस पर हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये।

जहां तक कोर्ट के आदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार को उसका पालन करना चाहिये, लेकिन जिन्होंने शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख कर पार्लियामेंट में कानून बना लिया, संविधान बदल दिया, वे हमें इस तरह का उपदेश न दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

1.00 मध्या॰

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब): महोदय, मैं यह सभा को बताना चाहता हूं कि चूंकि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में 15 तारीख के रात और 16 तारीख तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य की मनाही के आदेश के बावजूद, निर्माण कार्य जारी रहा तो गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह निवेदन करते हुए पत्र लिखा कि उस स्थल पर निर्माण कार्य रोक दिया जाए। कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस संबंध में यह जवाब मिला है कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मैने यह सोचा कि सभा को इससे अवगत करा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: दो बजे माननीय प्रधान मंत्री इस सभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। सभापटल पर पत्र बाद में रखे जायेंगे।

अब मैं सभा को 2.00 बजे म॰ प॰ पुनः समवेत होने तक स्थगित करता हूं।

1.01 म॰ प॰

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए
2.00 बजे म॰ प॰ तक के लिये स्थगित हुई।

2.00 म॰ प॰

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.00 म॰ प॰ पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था, आप अपने कोटे से मुझे पांच मिनट देंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपने तो ले लिया पहले।

...(व्यवधान)...

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष महोदय, कल मैंने प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, अगर आप की इजाजत हो तो मैं इसको टेबिल पर रख दूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने मुझे नोटिस नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस: कल तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अंतिम क्षण में मुझे आप आश्चर्य में डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस: कल मैंने एक नहीं, अनेक बार कहा था।

अध्यक्ष महोदय: न तो आपका नोटिस मेरे पास आया और न रिपोर्ट मेरे पास आई।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: महोदय, बताइए, मैं क्या करूं?

अध्यक्ष महोदय: आप रहने दीजिए, बाद में रखिएगा।

[अनुवाद]

अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

2.01 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन आदि

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2238/92]

(2) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2239/92]

(3) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2240/92]

(4) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2241/92]

(5) गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2242/92]

(6) मझगांव डाक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2243/92]

(7) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2244/92]

[हिन्दी]

भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा आदि

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा सामीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 2245/92]

[अनुवाद]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचना तथा भारतीय पोत परिवहन निगम और जलभूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिये समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, मैं, श्री जगदीश टाइटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 473(अ) जो 4 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशाखापतनम मछली बंदरगाह विनियम, 1986 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2246/92]

(2) भारतीय पोत परिवहन निगम और जल भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2247/92]

प्राधिकृत दल, जिसने 12 से 14 जुलाई, 1992 तक अयोध्या का दौरा किया था, का प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्राधिकृत दल, जिसने 12 से 14 जुलाई 1992 तक अयोध्या का दौरा किया था, के प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2259/92]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचना

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, 1992 जो 14 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 117 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2248/92]

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1992 जो 27 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 559(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2249/92]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 176 (अ) जो 3 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 368 (अ) जो 28 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 369 (अ) जो 28 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 536 (अ) जो 19 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो मूल्य आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति के आधार पर भारत में आयात की गई सामग्री को, अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰ सा॰ नि॰ 537 (अ) जो 19 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो मूल्य आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति के आधार पर भारत में आयात की गई सामग्री को, अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 538 (अ) जो 19 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो उस आयातित माल को जिसे अग्रिम सीमा शुल्क अनुमति विज्ञप्ति से लिया गया है अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्यारव्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 539 (अ) जो 19 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 14 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 190/92-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 568(अ) जो 1 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 मई, 1991 की अधिसूचना संख्या 44/91-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 476(अ) जो 6 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो स्वर्ण आभूषण और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम के अधीन इकाइयों द्वारा आयात किये गये 0.995 शुद्धता से अनाधिक शुद्धता के सोने को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल सीमा शुल्क से मुक्त करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 477(अ) जो 6 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 21 अगस्त, 1978 की अधिसूचना संख्या 164/78-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 478(अ) जो 6 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 122/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 500(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो कतिपय सूखे मेवों और मसालों पर 65 प्रतिशत की मूल सीमा शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 501(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 502(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 503(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा आनुषंगिक सीमा शुल्क की प्रभावी दरों को निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 504(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट को आनुषंगिक सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 505(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय सामानों, जो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से मूल सीमा शुल्क से मुक्त हैं, को आनुषंगिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा०का०नि० 506(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट सामानों पर 5 प्रतिशत की रियायती आनुषंगिक शुल्क निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 507(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय सामानों, जो पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से मूल सीमा शुल्क से मुक्त हैं, को आनुषंगिक शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा०का०नि० 503(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर 30 प्रतिशत आनुषंगिक शुल्क की रियायती दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 509(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कतिपय ऐसी वस्तुओं जिन्हें मूल सीमा-शुल्क से सम्पूर्णतः या अंशतः छूट प्राप्त है पर 30 प्रतिशत आनुषंगिक शुल्क की रियायती दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा०का०नि० 510(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा हवाई जहाज आदि के सिमूलेटरों के हिस्से पुर्जे पर आनुषंगिक सीमा-शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 511(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोज्ड सिनेरनट्गोग्राफिक फिल्मों पर आनुषंगिक शुल्क से अंशतः छूट विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 512(अ) जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा चिकित्सीय तथा इलैक्ट्रोनिक्स उपस्करों के हिस्से पुर्जों पर आनुषंगिक सीमा-शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 513(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशिष्ट मशीनों के आरम्भ में स्थापित किये जाने के लिए आयात की गई मशीनरी के हिस्से पुर्जों पर आनुषंगिक शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 514(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पूर्व निर्यातित तांबे के तारों तथा छड़ों आदि पर आनुषंगिक सीमा-शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 526(अ), जो 15 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 155/91-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 534(अ), जो 19 मई, 1992 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 29/89-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा०का०नि० 535(अ), जो 19 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 185/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 545(अ) और सा॰का॰नि॰ 546(अ), जो 21 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री तथा संघटकों को सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा आनुषंगिक सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकत्तीस) सा॰का॰नि॰ 547(अ), जो 21 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शीत वैल्लित स्टेनलैस स्टील पट्टियों से ऐसे सिक्का ब्लैंकों के रूप में रूपान्तरण करने के मूल्य पर परिकलित भारत से बाहर भेजी गई शीत बेलित स्टेनलैस स्टील पट्टियों से उत्पादित आयातित स्टेनलैस स्टील सिक्का बलैंकों पर 65 प्रतिशत के हिसाब से मूल सीमा-शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 548(अ), जो 21 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस तरह रूपान्तरण की लागत पर परिकलित उक्त स्टेनलैस स्टील सिक्का ब्लैंकों पर 45 प्रतिशत के हिसाब से अनुषंगी सीमा-शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेतीस) सा॰का॰नि॰ 586(अ), जो 9 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 83/90-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौतीस) सा॰का॰नि॰ 622(अ), जो 22 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 34/90-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा॰का॰नि॰ 642(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 191/92 और 193/92-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा॰का॰नि॰ 649(अ), जो 30 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 के अधिसूचना संख्या 514/86-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰-2250/92]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 469(अ), जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्टेराइल कांटेक्ट लैंस केअर सोल्युशन पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत का रियायती उत्पाद-शुल्क विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 470(अ), जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 83/90-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि वैक्यूम फलास्कों को उत्पाद शुल्क से सम्पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 471(अ), जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 14/92-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि प्लास्टिक इनसुलेटिड माल को उत्पाद शुल्क से सम्पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 516(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 87/89-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कतिपय विवरणों को परिवर्तित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 517(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशेष उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 518(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय परिस्थितियों में तैयार माल में इस्तेमाल की गई निविष्टियों पर संदत्त विशेष उत्पाद शुल्क के मुजरे की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 519(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र या 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम में विनिर्मित सभी प्रकार के माल पर विशेष उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 520(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की अनुसूची के अध्याय 78 और 79 के अन्तर्गत आने वाले कुछेक माल पर मूल्य उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 521(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष उत्पाद शुल्क की अदायगी के बिना शुल्क्य माल की निकासी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 522(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 या नियम 12क और नियम 191क के अन्तर्गत शुल्क्य माल के निर्यात पर विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 523(अ), जो 14 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि माडवेट योजना के अंतर्गत तैयार माल में इस्तेमाल की जाने वाली निविष्टियों पर संदत्त विशेष उत्पाद शुल्क का क्रेडिट या मुजरा करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 527(अ), जो 15 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कारखाने में उत्पादित उस गोल्ड पोटाशियम साइनाइड सोल्यूशन के उसी कारखाने में जरी के विनिर्माण में प्रयुक्त हुए सोल्यूशन को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण शुल्क से छूट देने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 643(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 34/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2251/92]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ख की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 362(अ) जो 27 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा उन सभी देशों को, टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार के पक्षकार है, विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2252/92]

लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 तथा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या का०आ० 459(अ) जो 24 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया गया है कि वर्ष 1992-93 के दौरान इस निधि में किये जाने वाले अभिदानों और अभिदाताओं के खाते में जमा शेष राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2253/92]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 547 जो 28 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 5 जनवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2254/92]

(3) जून, 1992 में बाजार में जारी किये गये ऋणों के परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 2255/92]

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड के कर्मचारियों को निलंबित करने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के 22 फरवरी, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):—

मैं (एक) "इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड" के कर्मचारियों को निलंबित करने के बारे में श्री कमल चौधरी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के 22 फरवरी, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा

(दो) उत्तर में शुद्धि करने; में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 2256/92]

अध्यक्ष महोदय: अभी मैं मद संख्या 9 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह की कार्यवाही के संबंध में नहीं लूंगा क्योंकि अभी और बहुत सी कार्यवाही बाकी है। इसे गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित कार्यवाही के बाद लिया जायेगा जिसमें कुछ समय लगेगा।

अब प्रधान मंत्री महोदय अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

2.10 म॰प॰

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

प्रधान मंत्री (श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, ऐसी प्रथा है कि प्रत्येक चर्चा के अन्त में उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद किया जाये, जिन्होंने इसमें भाग लिया अधिकतर इसी वाक्य के साथ, चर्चा का उत्तर देने वाला व्यक्ति अपनी बात आरम्भ करता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): आप धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए।

श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव: मैं यह नहीं कह रहा हूं। मेरी बात पूरी सुन लें।

[अनुवाद]

वर्तमान मामले में मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के उन सदस्यों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं जिन्होंने इस अर्थहीन सी चर्चा में भाग लिया; जिसे कि मात्र चर्चा के लिए की गई चर्चा कहा जा सकता है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, जिससे मैं इन्कार नहीं करता।

पिछले एक साल के दौरान हमने इस सदन में तथा दूसरे सदन में अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। बहुत से स्पष्टीकरण दिए गये हैं तथा बहुत से प्रश्न उठाये गये और अगर मैं यह कहूं कि जो कुछ भी अब इस चर्चा

में कहा गया, वह पहले कही गई बातों की केवल पुनरावृति, केवल उसका शीर्षक बदला है, तो यह कुछ गलत नहीं होगा। इस प्रकार इस चर्चा का सही सार है।

महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष के दौरान हत्याओं, आंखें निकालने, बलात्कार तथा समाज में तनाव जैसे नकारात्मक मुद्दों के कारण हमारे देश को राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार के दुष्प्रचार का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी समस्यायें हमारे सामने आईं, हमने तुरंत उनका हल खोजने की चेष्टा की, तथा इसीलिए सरकार ने आर्थिक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया तथा तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को सिर नहीं उठाने दिया और लोगों की समस्याओं और अन्य विकास सम्बंधी मामलों की ओर अधिक ध्यान दिया। मैंने बार-बार यह कहा है कि यह देश के लिए विकास, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और स्थिरता के रास्ते से हटने का समय नहीं है। यह दिखावा हमें नहीं करना है।

मैं उन दलों का आभारी हूं जिन्होंने अधिकतर हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा पिछले एक वर्ष के दौरान आम राय से कार्य करने का हमारा तरीका काफी सफल रहा। इस अविश्वास प्रस्ताव तथा इसके परिणाम के बावजूद मुझे यह विश्वास है कि यह प्रतिभा जारी रहेगी तथा यह सहयोग की भावना, और देश के समक्ष आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बनी रहेगी तथा देश का शासन चलाने का यही एक मात्र तरीका है।

महोदय, चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने भी उसमें भाग लिया, कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिये गये तथा उन मुद्दों पर इससे अधिक शायद मैं कुछ न कह पाऊं। मैं सरकार की प्रगति की दिशा और इस दिशा की ओर जाने के कारणों के बारे में मोटे तौर पर ही बताऊंगा। मेरें विचार में इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक डूबने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले दो या तीन वर्षों से सारे संसार में मन्दी चल रही थी। यह तथ्य कई रिपोंटों, अनेक तथ्यों तथा आंकड़ों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब मेरी सरकार ने शासन की बागडोर संभाली तो उस समय सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर में थी; अतएव हमें अनेक समस्यायें विरासत में मिली, खासतौर से पूर्वी यूरोप के देशों में आये बदलाव के कारण जब इन देशों में अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, ऐसे समय में भारत को इन सभी देशों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत अपनी ओर केवल ध्यान ही नहीं बल्कि काफी मात्रा में पूंजी निवेश आकर्षित करने में सफल हुआ। जो कि एक बड़ी बात है।

भारत के सम्बन्ध में विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

> ''भारत द्वारा 1991 में आरम्भ किए गए आर्थिक सुधार लेटिन अमरिका, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों में आरम्भ की गई परिवर्तन प्रक्रिया की दिशा में एक मील पत्थर है। उदारीकरण की प्रक्रिया लोगों के आर्थिक विवेक तथा सरकार को और अधिक कुशल और कम दमनकारी बनाने के प्रति जागरूकता को परिलक्षित करती है। 1980 के दशक के पूर्वार्ध में सरकार विदेशी ऋण तथा कुल वित्तीय स्थानांतरणों में कमी के कारण काफी असमंजस की स्थिति में थी। ऐतिहासिक तथा तात्कालिक अनुभव यह बताते हैं कि सारे विश्व को तथा विशेषकर भारत में वैधानिक ढांचों, मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना, वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता स्थापित करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना। न्याय तथा सामाजिक न्याय का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, तथा विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भविष्य की भूमिका निर्धारित करना, अपरिहार्य है।''

संक्षेप में यह उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया है जबकि इसके अतिरिक्त यह अपनी सीमित

धन राशि का अधिकतम सदुपयोग करके उसे उन सभी क्षेत्रों को उपलब्ध करा रही है जहां कि निवेश आकर्षित किया जा सकता है अथवा जहां निवेश बढ़ने की संभावनायें हैं।

महोदय, मैंने पहले भी कई बार यह बात दोहराई है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम ग्रामीण विकास के लिए योजना परिव्यय में समुचित वृद्धि करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से विश्व में अपनी साख के द्वारा योजना आयोग ग्रामीण विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर पाया है। बेशक, अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें कि ग्रामीण विकास की अपनी भूमिका है तथा गांव और गांव के लोग उनसे लाभान्वित होते हैं तथा पिछली बैठक और हमारी हाल की बैठक में यह बातें सामने आई कि 14,000 करोड़ रुपए की यह राशि पर्याप्त नहीं है, तथा लोगों की जितनी आवश्यकता हम पूरी करना चाहते हैं; उनके लिए यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने इस राशि को 14,000 करोड़ से बढ़ा कर 30,000 करोड़ कर दिया। यद्यपि इस राशि को 14,000 से बढ़ा कर 30,000 करोड़ करना अत्यधिक बढ़ोत्तरी माना जा सकता है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना दर योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैकलॉग चलता आ रहा है, उसे देखते हुए मुझे तभी प्रसन्नता होगी, अगर आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ 50,000 करोड़ के लगभग राशि का आवंटन हो, परन्तु ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ऐसा किस प्रकार संभव है अगर इस राशि का एक बड़ा हिस्सा तीन, चार या पांच करोड़ रुपया तेल, दूर संचार, बिजली इत्यादि जैसे आधारभूत क्षेत्रों पर व्यय हो जाता है। इन क्षेत्रों को बजट में सहायता प्रदान कदापि अपरिहार्य है। हमारा विद्युत, तेल तथा आधारभूत क्षेत्रों से पीछे हट जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही इन क्षेत्रों पर योजना परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता आ रहा है। यह एक सर्वविदित तथ्य है। वंचित कौन रहा है? मानव संसाधन विकास का क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा है। आज लोगों में निरक्षरता और लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही नीचा है; लेकिन, इसका कारण भी आधारभूत क्षेत्रों पर हुआ अधिक व्यय है। अगर हम यह चाहते हैं कि यह पचास हजार या चालीस हजार अथवा ऐसी कोई राशि मानव संसाधन, ग्रामीण विकास में लगे जहां इसकी आवश्यकता है, तो इसका एकमात्र उपाय आधारभूत क्षेत्रों में निवेश की पद्धति में परिवर्तन लाना है, और ऐसा करने में हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। हमने विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक विशेष दल भी भेजा है। यह खुशी की बात है कि इस दल ने अपनी प्रथम यात्रा के दौरान कुछ बिजली परियोजनाओं की उचित रूप से समीक्षा कर ली है और इस सम्बन्ध में कुछ समझौते भी किए गये हैं। कागज़ी कार्यवाही चल रही है। इसकी स्वीकृति इत्यादि में कुछ समय लग सकता है। परन्तु उन्होंने 15,000 करोड़ का आंकड़ा दिया है, जो कि मेरे विचारानुसार 30,000 करोड़ अथवा 35,000 करोड़ की राशि जारी की जायेगी। अगर ऐसा हो जाता है, तो इस राशि को ग्रामीण क्षेत्र में व्यय किया जा सकता है जहां कि इसके द्वारा लोगों के वंचित वर्ग की सहायता की जा सकती है। परन्तु, देश को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि, बिल्कुल निचले स्तर से प्रगति के पथ पर लाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। मुझे इसका कोई अन्य विकल्प नज़र नहीं आता। हमने ऐसा ही करने का निर्णय लिया है, तथा ऐसा करने के लिए किसी बड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है तथा धीरे-धीरे चलने की प्राचीन नीति से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें यह 30,000 अथवा 40,000 करोड़ की राशि बिचौलियों को बीच में लिए बिना, सीधे निचले स्तर तक उपलब्ध करवानी है। केवल इसी तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।

इसलिये इसमें दोनों बातों का ध्यान रखा गया है।

हमने जो उदारीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, यह वैसा कार्यक्रम नहीं है जोकि अन्य बहुत से देशों द्वारा शुरू किया गया था। इसकी अपनी ही विशेषता है। इसमें उन क्षेत्रों को अपनाया गया है जिनके उदारीकरण से लाभ

होगा। इसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है जिनमें उदारीकरण के परिणामस्वरूप हानि भी हो सकती है चूंकि वे केवल एक ही दिशा में अपना ध्यान लगाये हुए हैं। इस समय हमारे जो गांव हैं, वहां पर जो निरक्षरता है अथवा शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, गांवों में लड़के और लड़कियों मे कला-कौशल का अभाव है, यदि इन बातों की तुलना उनके उन साथियों, बहनों और भाइयों से की जाये, जोकि शहरों में रहते हैं जहां कि बेहतर शैक्षणिक सुविधायें है, तो ये बातें उन्हें काफी पीछे ले जायेंगी। इस प्रकार यदि केवल शहरों के विकास पर उद्योगों के विकास पर ही धन खर्च किया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो लोग शहरों के इर्द-गिर्द रहते हैं, केवल उन्हें ही बेहतर सुविधायें मिल सकेंगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाएंगे।

इसलिये, हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है जिससे ग्रामीण लोगों, चाहे वे व्यस्क हों अथवा बच्चे हों, लड़के हों अथवा लड़कियां हों, उनकी योग्यताओं का इस ढंग से विकास हो सके ताकि उन्हें शहरों की ओर न भागना पड़े और गांवों में ही उन्हें वैसा ही लाभकारी रोजगार मिल सके जैसा वे करना चाहते हैं। 30,000 करोड़ रुपये का कार्य दिवसों के हिसाब से क्या अर्थ निकलेगा? इसका काफी व्यापक अर्थ निकलेगा। 30,000 करोड़ रुपये का कार्य दिवसों के हिसाब से काफी महत्व है। लेकिन हम केवल कार्य दिवसों का ही हिसाब नहीं लगा रहे हैं। हम गांवों में भी आधारभूत सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। हम गांवों में भी सभी सुविधायें प्रदान करना चाहते हैं। इसलिये यह 30,000 करोड़ रुपये की धनराशि और यदि संभव हुआ तो इससे भी अधिक धनराशि सुनियोजित ढंग से खर्च करनी होगी, कुछ इस किस्म की योजना बनाकर खर्च करना होगा जिससे ग्रामीण आबादी की वास्तविक रूप से प्रगति संभव हो सके, जिससे ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच का अन्तर कम हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये जाने हैं, यह भी उनमें से ही महत्वपूर्ण कार्य है। केवल इन पांच वर्षों में तो हम इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पायेंगे क्योंकि अंतर बहुत अधिक है। लेकिन हम कुछ सफलता तो अवश्य ही प्राप्त कर पायेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। हम इस दिशा में कदम भी उठा चुके हैं। जवाहर रोजगार योजना जैसी कुछ योजनाओं की देश में उन स्थानों पर तो व्यापक भर्त्सना की गई है जहा इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके साथ-साथ देश के उन भागों में इनकी सराहना की गई है जहां पर इन्हें सफलता मिली है। हमारे पास जवाहर रोजगार योजना के कार्यकरण के बारे में योजना आयोग की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें योजना की कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियों के बारे में बताया गया है, क्योंकि योजना में यह कहा गया है कि यह तो लोगों को केवल कुछ दिन के लिये ही रोजगार दे सकती है, ज्यादा दिनों के लिये नहीं क्योंकि सीमित धनराशि दी जाती रही और इसके अन्तर्गत अपनाये गये तौर तरीके भी कुछ इस ढंग के थे जिनसे जिन व्यक्तियों को वास्तव में इसका सही लाभ मिलना चाहिये था, उनको नहीं मिल सका। जवाहर रोजगार योजना को फिर से पहली बार 1,711 ऐसे खंडों से जोड़ा जा रहा है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के लिए चुना गया है। योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अन्य शब्दों मे, इन क्षेत्रों में लोगों से जो भी काम लिया जाएगा, उसके बदले में जो मजदूरी दी जाएगी, इसका कुछ हिस्सा वस्तु रूप में, अनाज के रूप में दिया जाएगा। इससे यह बात वास्तविक रूप से सुनिश्चित होती है कि लोगों को सही प्रयोजनों के लिये राशि मिल सकेगी और बिचौलियों द्वारा राशि हड़प नहीं की जाएगी। इस प्रकार, इस प्रकार की व्यवस्था से जवाहर रोजगार योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों में ही सुधार हो सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहली बार गांवों तक पहुंच रही है और इस बात को देखने के लिये सशक्त प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रणाली गांवों तक पहुंच सके और गांवों में पहुंचने के बाद उन लोगों तक पहुंच सके जो योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मैंने स्वयं कई स्थानों पर जाकर देखा है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक-एक ऐसे स्थान पर जाकर देखा है जिनके यहां से रिपोर्ट मिली थी कि यह योजना संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। मैं

वहां गया। लोगों से बातचीत की। मात्र आलोचना करना कि इतने वर्षों से क्या हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। यदि कोई गल्तियां हो रही हैं, तो हमें उन्हें ठीक करना है। इस प्रकार मैंने यह देखा है कि कम से कम सरकारी स्तर पर तो इन्हें एक साथ जोड़ने के बारे में सशक्त प्रयास हो रहा है हम इस पर निगरानी रखेंगे। हम निगरानी रख भी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूर्ण संतोष नहीं है। इस कड़ी को सुधारने और ग्रामीण लोगो की सेवा करते रहने का केवल यही एक तरीका है।

निवेश के संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, स्थिति में कुल मिला कर सुधार ही हो रहा है। विगत पांच वर्षों में औसतन 100 मीलियन डालर इक्विटी निवेश की तुलना में, केवल इसी वर्ष में ही 900 मीलियन डालर से अधिक राशि की विदेशी इक्विटी के आंकड़े हैं। यह उससे नौ-गुणा, लगभग दस गुणा अधिक है। मैं सोचता हूं कि इसमें अच्छी प्रगति हुई है, आगामी वर्षों में इसमें और भी अधिक प्रगति हो सकेगी।

पूंजी निवेश करने वाले देशों की संख्या काफी अधिक है और इसमें लगभग सभी प्रमुख पूंजी निर्यातक देश शामिल हैं। जर्मनी की मेरी प्रथम यात्रा से मुझे इस बात की तसल्ली हो गयी कि हम इन देशों से कोई भी चीज ले सकते हैं, परन्तु हम उन्हें यह तसल्ली नहीं दे सके हैं कि उनकी धनराशि अथवा उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। अभी भी मेरे मन में कुछ प्रश्न बाकी रह गये थे और फिर जैसे ही मैंने एक के बाद दूसरे देश, देश-विदेश की यात्रा की, जर्मनी गया जोकि मेरी प्रथम यात्रा थी और जापान गया जोकि हाल ही की यात्रा रही है, तो मैं बिना किसी विरोध के डर के यह कह सकता हूं कि भारत में निवेश किये जाने के संबंध में मेरा विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि अब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इन देशों द्वारा निवेश के संबंध में जो निर्णय लिये जाते हैं, वे उनकी अपनी सीमाओं के अंदर ही होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे असीमित निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि उनके हालातों की भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं।

जापान के बारे में हमें पता चला कि उनकी अपनी ही सीमाएं हैं। यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले भी हमें सचेत कर दिया गया था कि जापान की अर्थव्यवस्था की अपनी ही सीमाएं हैं जिससे जापान की तत्काल निवेश किये जाने की संभावना अथवा क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उन सीमाओं के बावजूद भी हमें जापान से काफी आशाजनक परिणाम मिले। बजाए इसके कि हम लोगों को निवेश करने के लिये बुलाते, हमें इस बात की सुखद हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे बुलाया और भारत में निवेश करने के लिये कहा। इस प्रकार मुझे इस यात्रा से काफी सुखद एहसास हुआ है और मैं आशा करता हूं कि इस पर अनुवर्ती-कार्रवाई के रूप में तमाम कदम उठाये जाएंगे।

जसवंत सिंह जी ने कोका-कोला के बारे में कुछ बात कही है। मैं उन्हें सूचित कर देता हूं कि कुल मिलाकर विदेशी निवेश प्रस्तावों में 80 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव औद्योगिक नीति के अन्तर्गत शामिल किये गये उच्च वरीयता उद्योगों की जानी पहचानी सूची के संबंध में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शेष 20 प्रतिशत के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे सादर निवेदन करूंगा कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि 20 प्रतिशत उद्योगों वाली सूची भी है। मैं 80 को 100 नहीं बता सकता।

अतः, 80 प्रतिशत और भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें विदेशी निवेश आश्वासन और निवेश की संभावनाएं हैं और कुछ हद तक उन क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृतियां दी जा सकती हैं। **(व्यवधान)**

सरकार ने हाइड्रोकार्बन, दूरसंचार और विद्युत जैसे महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। महोदय, विद्युत के संबंध में 21 बड़ी विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में भारतीय और विदेशी कम्पनियों दोनों ही से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। शायद जसवन्त सिंह जी ने इन्हीं कम्पनियों और इन्हीं परियोजनाओं के बारे में जिक्र किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन सभी

परियोजनाओं पर द्रुतगति से कार्रवाई की जा रही है। यह ऐसी परियोजनाएं नहीं है, जिन्हें बड़ी आसानी से अथवा जल्दबाजी में स्वीकृत किया जा सके। निर्णय लिये जाने हैं और तकनीकी तथा अन्य ब्यौरे तैयार करने हैं एवं इनमें औसतन एक अथवा डेढ़ वर्ष का समय लग जायेगा। अगर इनमें कुछ समय लग रहा है, तो हमें निराश अथवा हैरान नहीं होना चाहिये। लेकिन, मुझे पक्का विश्वास है कि ऊर्जा मंत्रालय को कहे जाने के बाद सभी परियोजनाएं मंजूर की जाने वाली हैं।

दूरसंचार में अत्याधुनिक दूरसंचार उपस्करों के निर्माण हेतु अग्रणी दूरसंचार कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों की हमने मंजूरी दे दी है। देश में दूरसंचार स्वीचिंग उपस्करों के उत्पादन की क्षमता दो गुणी होने की उम्मीद है। मूल्य-संवर्द्धित सेवाओं के क्षेत्र में कारगरता बढ़ाने और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर दो तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव को भी पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन तेल शोधक कारखानों की पूर्ण विदेशी मुद्रा लागत नीति निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वहन की जायेगी, जोकि अन्यथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग - दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा - वहन की जाती थी। अब, इन कुछ बचतों को हम उन क्षेत्रों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे स्वतंत्र निवेश, यानि सरकारी व्यय से मुक्त निवेश प्राप्त हो रहा है और इससे सरकार जितनी भी धनराशि बचा पाई, जैसाकि मैंने अभी कहा है। मानव संसाधन विकास जैसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जायेगा।

स्थानीय निवेश के बारे में, देश ही के भीतर निवेश - **(व्यवधान)**

महोदय, आंतरिक निवेश में स्थिति इतनी ही उत्साहजनक है और इस वर्ष में, हमने 6000 से अधिक निवेश-निर्णय लिये हैं जबकि पिछले वर्ष इससे आधे निर्णय लिए गए थे। अतः, स्थानीय निवेश और देश के भीतर ही निवेश की स्थिति भी काफी अच्छी है। यह हमारी आर्थिक-तस्वीर है। मुझे पक्का विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय ने कल ही सभी ब्यौरों पर विचार कर लिया है। मैं तो केवल यही दर्शाने के लिए यह भी कहना चाहता था कि ये निवेश व्यर्थ-निवेश नहीं हैं, ये निवेश हमें विदेशों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे निवेशों से प्रभावित होने के कारण ही नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी नितान्त जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अपना पैसा उन उद्देश्यों के लिए दिया जाये जिनमें विदेशों से कोई निवेश आकृष्ट नहीं होगा। कोई भी देश भारत में स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, टीकाकरण कार्यक्रमों को चलाने वाला नहीं है। इन कार्यक्रमों के लिए पैसे की मांग का शोरगुल होता रहा है और हम वह पैसा देने में सफल नहीं हुए हैं। आशा है कि अन्य क्षेत्रों को भारी निवेश से मुक्त रखकर यह न केवल सम्भव ही होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि निश्चय ही हम इन क्षेत्रों में पहले से अधिक ध्यान देने में सक्षम हो जायेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, वह ब्लाक, जिनके बारे में जिक्र किया जाता है, अतिरिक्त मात्रा में खाद्यानों का आवंटन प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा है इनके भण्डारण में कमी, भण्डार में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं, हमने इन क्षेत्रों में अत्यधिक आवंटन और उच्च आवंटन किये हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष की सम्भावनाओं को देखने की जरूरत है। लेकिन, जो भी हो, हम इन ब्लाकस के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाद्यान आवंटन पर अडिग रहना चाहेंगे और इन्हें कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आता हूं जिन पर सम्भवतः सदस्यों की यदाकदा की गई टिप्पणी इस बात की द्योतक है कि वे इसको ज्यादा महत्व देते हैं। असम के बारे में कोई भी यह नहीं कह सकता कि अब असम की स्थिति दो वर्ष पहले अथवा डेढ़ वर्ष पूर्व से बेहतर नहीं है। 'उल्फा' ने कुछ निर्णय लिये हैं। जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, उस वर्ग से एक दल आया है और मुझसे मिला है। हमने चर्चा शुरू कर दी है। कुछ

शस्त्र समर्पित किये गये हैं। एक दूसरा वर्ग इसके विरुद्ध है। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारे लिए कई वर्षों से चले आ रहे उस पेचीदा-प्रश्न का समाधान करने के लिए समूचे 'उल्फा' दल से अर्थपूर्ण बातचीत करना संभव हो जायेगा।

असम-समझौते के उपबंधों को लागू करने की दिशा में व्यापक प्रगति हासिल की गई है। असम समझौते के उपबंधों के अनुरूप और अन्यथा असम के आर्थिक-विकास पर लगातार अत्यधिक ध्यान दिया गया है। समझौते के अनुरूप नुमलीगढ़ में एक तेल शोधक कारखाना और गुवाहटी के निकट एक आई० आई० टी० स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में जब मैं असम गया था, तो मैंने इन संस्थानों की आधार-शिला रखी थी। मैंने एक बड़ी रेल लाईन को जिसे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों में अत्यधिक खुशी है, की भी आधारशिला रखी थी। मुझे लोगों से बातचीत करने का भी मौका मिला है और मैंने देखा है कि इन परियोजनाओं के आने से वे कितना प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। यह असम के बारे में स्थिति है।

कश्मीर के बारे में जसवन्त सिंह जी ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि विभिन्न लोगों और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परस्पर विरोधी बयान अथवा अलग-अलग वक्तव्य दिये जा रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि अपने संवाददाता सम्मेलन में, मैंने समूचे मामले को यह कहते हुए समेट दिया था कि हम चाहते हैं कि कश्मीर में सामान्य स्थिति पुनः बहाल हो। मैं कहूंगा कि सामान्य स्थिति तभी बहाल होगी, जब वहां एक लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही हो। अब यह वह स्थिति है, कि पहले अंडा था अथवा मुर्गी। चुनाव कराने के लिए हम वहां सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते हैं। लेकिन, चुनाव हुए बिना वहां वास्तविक सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी। अतः, हमें इसे बड़े ध्यानपूर्वक हल करना है। पिछले एक साल की तुलना में, हम शांति की कुछ परिस्थितियां वहां पैदा करने में सफल हुए हैं। हम यह कहने की स्थिति में हैं कि कश्मीर में निकट भविष्य में चुनाव कराने हेतु परिस्थितियां पैदा करनी होंगी। कुछ आलोचकों से मुझे एक शिकायत यह मिली है कि कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। हम निष्पक्ष चुनाव करायेंगे; हमने हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराये हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं और हम चुनाव करायेंगे। **(व्यवधान)**। मुझे विदित नहीं है कि शोरगुल किस लिए हो रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): यह शोरगुल पंजाब के बारे में हो रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं पंजाब को भी लूंगा। आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं पंजाब को छोड़ दूंगा।

अतः, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। लेकिन, मैंने कहा है कि जैसे ही स्थिति चुनावों के अनुकूल होगी, चुनाव होंगे। मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री ने जो कहा है, मैंने जो कहा है अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने जो कहा है, उसमें कोई परस्पर-विरोध है। सत्य तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कल ही चुनाव करा दूं, तो यह सम्भव नहीं है। लेकिन, वहां चुनाव होने ही हैं और हमें चुनावों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह संपूर्ण तस्वीर है और समग्र रूप से मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में कोई आंतरिक विरोधाभास है।

महोदय, पंजाब के बारे में, जब लोग वहां चुनावों की बात सुगमतापूर्वक कह देते हैं, तो मुझे वास्तव में बड़ी हैरानी होती है। ऐसा क्यों है? मैं नहीं जानता। क्योंकि जब हम चुनाव करवायेंगे, तो हम यह भी चाहेंगे कि पंजाब में एक राज्य-सरकार स्थापित होनी चाहिए। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मैं वहां एक राज्य-सरकार चाहता हूं क्योंकि पंजाब के प्रश्नों का समाधान करने के लिए मैं हर समय राज्यपाल से बातचीत नहीं कर सकता। मैं वहां एक राज्य सरकार चाहता हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते, मैं वहां कांग्रेस सरकार

की स्थापना के लिए कह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं समझता था कि पंजाब की स्थिति के संबंध में शायद हमें दलों के शब्दों में बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां एक राज्य सरकार चाहता हूं। मैंने दूरदर्शन पर भी यह कहा है। उसके बावजूद भी, कुछ दलों ने चुनावों में भाग न लेने का फैसला किया है। यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन, किसी भी तरीके से अगर वे चुनाव में भाग लेते, तो मुझे खुशी होती। मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक हुआ होता और उसके परिणामस्वरूप जो भी सरकार वहां आती, हम उस राज्य सरकार से उतने ही कारगर तरीके से व्यवहार करते और वह एक बेहतर स्थिति होती। लेकिन, अगर चुनाव हुए हैं और एक दल वहां सत्ता में आया है, हमें उस सरकार से बर्ताव करना है और मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब सरकार पंजाब के अधिकारों के बारे में ज्यादा सजग है। पंजाब में जो कुछ किया जाना है, उसके बारे में वास्तव में वे केवल कांग्रेस के ही रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं; ऐसा नहीं है।

बेअंत सिंह जी मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव लेकर आते हैं, जोकि अपने आप में अत्यन्त कठिन हैं। फिर भी हम उनकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जब यह सुझाव एक राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं, तो हमें उनके प्रस्तावों के इतिहास, पृष्ठभूमि, संभाव्यता आदि को देखना होता है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा किया जा रहा है। मैं एक मुश्त-कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक मुश्त-कार्यक्रम राजीव-लोंगोवाल समझौता है। अब जो भी चर्चा की जा रही है, उस समझौते के अंतर्गत ही की जा रही है। अतः मैं उससे अलग कोई एकमुश्त-कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता। एक मुश्त कार्यक्रम पहले ही विद्यमान है। यह मैंने अनेक बार स्पष्ट किया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसको लागू करने के बारे में क्या हुआ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव: मै भी यहीं कह रहा हूं कि इस समझौते के किसी एक भाग को लागू करना आसान नहीं है। समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाना है और इसी बात से हम फिलहाल जूझ रहे हैं। अभी ब्यौरे दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे क्षमा करें, क्योंकि यदि एक बार मैं कुछ कह दूं तो वह वाद-विवाद का विषय बन जाएगा और यदि आप चाहें तो यह सार्वजनिक वाद-विवाद का विषय बन जाएगा और फिर अगला कदम लेना असंभव हो जाता है। मैं सदन को केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि हम चर्चाओं का पूरे मनोयोग से पालन कर रहे हैं, चर्चाएं जारी हैं और इसमें सम्मिलित सभी प्रश्नों की जांच हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर इतने अधिक प्रयास करने पर परिणाम संतोषजनक होने चाहिएं। यह मुझे आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है।

आतंकवादियों और तस्करों की गतिविधियां रोकने के लिए पंजाब क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था करने और बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है, यह सदन में उठने वाला एक महत्वपूर्ण मामला है। अब हमें सीमा के अन्य क्षेत्र में काम करना है। मुझे इस बात की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि इस पर क्या किया जा रहा है। परन्तु मुझे विश्वास है कि पंजाब के बाद हम दूसरे क्षेत्र में सीमा पर कार्य करेंगे। जब तक पूरी सीमा पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को कारगर ढंग से रोक पाना संभव नहीं होगा। पंजाब में मौजूदा स्थिति ऐसी है।

विदेश मामलों के संबंध में मुझे वास्तव में मालूम नहीं है कि कोई भी बात बहुत गंभीरता से कही गई है। परन्तु, मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा कि हमारी विदेश नीति में कोई नकारात्मक मोड़ नहीं आया है। वास्तव में हमें अपनी नीति पर गर्व है ऐसी नीति बहुत कम देशों की है। जिन देशों में विभिन्न प्रणालियां दशकों से मौजूद थीं, उन्होंने क्या रूप ग्रहण किया, उन्होंने कितना परिवर्तन किया, और जो हमने किया है कृपया उसकी उनसे तुलना कीजिए। क्योंकि परिवर्तन एक देश में ही नहीं हुआ बल्कि, पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है? मुझे अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। हमारा देश अभी गुटनिरपेक्ष देश है जैसा

कि यह हमेशा से था। हम गुटनिर्पेक्षता की नीति पर निरन्तर चलते रहेंगे चाहे दो गुट बनें, तीन गुट बनें या केवल एक ही गुट रहे। क्योंकि मैं गुट-निरपेक्षवाद को अपने अधिकारों और भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने के अपने अधिकार के बराबर मानता हूं और उस निर्णय पर कायम रहता हूं। मैं वही कर रहा हूं। मैं अब तक उससे नहीं हटा हूं। जिस किसी ने भी मुझ से कुछ नीति निर्णयों आदि में परिवर्तन करवाना चाहा, मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि यह संभव नहीं है। पहली बात यह है कि थोड़ा बहुत दबाव रहा है। आपने दबाव को बर्दाश्त किया और फिर कहा कि हां ठीक है हमने आपकी स्थिति समझ ली है।" इसीलिए अब यह इस तरह समाप्त हुआ है। मुझे इस बारे में खुशी है। जब हमने परिवर्तन चाहा, हमने परिवर्तन किया है। हमने दूसरों के आदेशों से परिवर्तन नहीं किए हैं। यह हमारी नीति है और यह जारी रहेगी और हम गुटनिर्पेक्ष हैं। वास्तव में गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को अपने लिए स्वयं एक नया और प्रासंगिक तरीका ढूंढना होगा। यह प्रयोग बेलग्रेड में शुरु किया गया था, दुर्भाग्य से युगोस्लाविया की आन्तरिक स्थिति के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन और गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की गतिविधियां अधिक आगे नहीं बढ़ सकीं। मैंने इसके भावी अध्यक्ष, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत की है। हमारी मुलाकात रियो-दि जेनेरियों में हुई और हमने काफी देर तक चर्चा की कि क्या किया जाना है। उनके विदेश मंत्री जो कि नए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, यहां आये। हम दस्तावेज तैयार करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम हमेशा की तरह अध्यक्ष की सहायता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की नई भूमिका की रुप रेखा प्रस्तुत कर पाएंगे, जो बेलग्रेड में हुआ उसका अनुसरन कर पाने में समर्थ हो पाएंगे और मैं समझता हूं कि हम इसको अंतिम रूप दे सकेंगे क्योंकि बेलग्रेड और जकार्ता सम्मेलन के बीच की अवधि के दौरान विश्व में बहुत कुछ घटित हो चुका है।

भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद हमने अतिशीघ्र कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। हमने ऐसा करने में थोड़ा भी समय नष्ट नहीं किया क्योंकि यदि हम एक देश सोवियत संघ से संबंध स्थापित कर रहे थे। वास्तव में यह एक क्षेत्र में सीमित सोवियत संघ नहीं था। हम ऐसे देश से संबंध स्थापित कर रहे थे जिसके हमारे साथ आर्थिक और अन्य संबंध थे और जो 15 राज्यों में विभक्त हो गया। कुछ वस्तुएं जो हम चाहते हैं, वह यूक्रेन से आता था, कुछ वस्तुएं जिनका हम व्यापार कर रहे थे, वह कजाकिस्तान से आती थीं, हमारी जरूरत की कुछ वस्तुएं कुछ अन्य राज्यों से आ रही थीं। परन्तु हम केवल सोवियत संघ के साथ ही व्यवहार कर रहे थे। आज हमें उन सभी क्षेत्रों से व्यवहार करना पड़ता है, जिनसे हमें आज भी ये वस्तुएं प्राप्त करनी हैं, और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि कम से कम संभव समय के भीतर, कम विलम्ब, कम से कम संभव विलंब में हम संबंध स्थापित करने में समर्थ हो सके हैं केवल कूटनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि, द्विपक्षीय प्रकृति के संबंध स्थापित करने में भी हम समर्थ हुए हैं, जो कि विघटन के समय चल रहे थे। दूसरी ओर इसमें कुछ समय लगा है, दूसरे उन्हें भी दशानुकूलन के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, स्वयं को नई स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए समय चाहिए।

अतः यदि हम तत्काल कदम नहीं उठाते, तो तब जो स्थिति होती, उस स्थिति से हम बेहतर स्थिति में है। अब इन सभी नए गणराज्यों में से चार या पांच गणराज्यों के राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं। उनमें से प्रत्येक ने मुझ से कहा है कि उनका देश, उनकी सरकार धर्मनिर्पेक्षवाद का समर्थन करती है, उनका देश और उनकी सरकारें कट्टरवाद की विरोधी हैं। नई परिस्थितियों में इन देशों में अब जिस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है, वह हम सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अतः उन्हें भारत के साथ स्थिति की तुलना करनी है और यह इसका अति महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा है कि वह भारत के साथ इन मामलों पर निरन्तररुप से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वहां पर नई स्थिति उभर कर सामने आई है जबकि, वह पूर्ण

रूप से धर्मनिर्पेक्ष होना चाहते हैं जैसा कि वह हमेशा से थे, बदली हुई परिस्थितियों में वह ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन पा रहे हैं। अतः उनके और हमारे बीच बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हम उनके साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं। कुछ संस्थागत ढांचा बनाने के लिए हम इसे जारी रखेंगे जिससे विचारों का यह आदान-प्रदान और अनुभव कुछ आसान बन जाएं।

संयुक्त नौसेना अभ्यासों के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह बात कई बार उठ चुकी है। हमने उतने अभ्यास नहीं किए, जितनी बार उन पर वाद-विवाद किया है। मैं समझता हूं कि ये अभ्यास हमारे लिए फायदेमंद रहे हैं। हमने अनेक देशों के साथ अभ्यास किए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अभ्यास क्यों किया। यदि यह हमारी नौसेना के लिए उपयोगी रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा रहा है। बेशक यहां पर ऐसे सदस्य हैं, जो इससे सहमत नहीं होंगे। मेरे पास उन्हें सहमत करने के लिए कुछ नहीं है। अतः हम इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं।

हमारे पड़ोसियों के बारे में मैं भी यह महसूस करता हूं कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी हमारी समस्याएं हैं। श्री जसवन्त सिंह ने जानना चाहा कि कई बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने के बाद उसका नतीजा क्या रहा है। नतीजे को मापना बहुत कठिन है। हम पड़ोसी हैं और रहेंगे, उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ अपकरण और दुष्करण होंगे। सीमा पार से क्या किया जा रहा है, वह हम सबको मालूम है। जब कभी हम मिले, हमने इस विषय से अपनी बातचीत शुरू की। हमने उन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह इस गतिविधि को बंद कर दे। किसी समय तो हमसे कहा गया कि उन्होंने इन्हें पहले ही बंद कर दिया है। किसी समय हम से कहा गया कि उन्होंने ऐसा काम कभी भी शुरू नहीं किया, किसी समय हमसे कहा गया कि "हम इसे रोकेंगे", सभी तरह के अलग-अलग संकेत मिले। परन्तु किसी भी हालत में हमें उनसे वार्ता जारी रखनी होगी, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम विरोध कर सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हम अपनी असहमति का संकेत दे सकते हैं। यह सब वैध है। इस सबकी अनुमति है। यह सब किया जाना चाहिए, लेकिन, आज केवल हम ही नहीं बल्कि, कई अन्य देश भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित राज्य आतंकवाद वास्तव में सत्य है।

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्य: हम सुन रहे हैं, लेकिन शंकरानन्द जी सुन नहीं रहे हैं, सो रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: आप जैसे श्रोता मुझे कहां मिलेंगे, उनको तो मैं कभी भी सुना सकता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, कम से कम आज पाकिस्तान को या उसके प्रधान मंत्री को यह कह पाना संभव नहीं होगा कि...

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़): यह सरकार नहीं जाएगी, आप जरा जोर से बोलिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: सरकार कहां जाएगी, आप लोग ही इस सरकार को खड़ा रखेंगे,

[अनुवाद]

अतः जब कभी भी हम मिले हमें तुलना करनी होगी और हमें समझना भी होगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में श्री चन्द्रशेखर को यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक प्रधान मंत्री की अपनी ही देश के अन्दर कुछ सीमाएं होती हैं। हम इन सीमाओं के बारे में कोई भाषण नहीं देते हैं। हम यह बात समझते हैं। एक बार इन सीमाओं को समझने के बाद हम वार्ता की कारगरता

की सीमाओं को भी समझ सकते हैं या उन के साथ हमने जो वार्ता की है, उनके निष्कर्ष की प्रकृति को भी समझ सकते हैं।

अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैं उनसे पुनः मिलने वाला हूं— मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं और एक बार फिर मिलूंगा— मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु इस प्रयास को जारी रहना होगा। हमने सचिव स्तर की जिस वार्ता को स्थगित कर दिया था उसे राजनयिक माध्यमों द्वारा तिथि निश्चित करने के पश्चात् पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा और हम इसे जारी रखेंगे। अन्ततः, महोदय, मेरा विचार है कि हमें पाकिस्तान के साथ मित्रता, सहन शक्ति, दृढ़ता से व्यवहार करना है। इस प्रकार के समायोजन को तैयार करना हमेशा सरल नहीं होता, किन्तु फिर भी हमें ऐसे ही समायोजन के बारे में सोचना है जिसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। और मैं सदन के समक्ष यही निवेदन करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: इज़राइल के बारे में बोल दीजिये।

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: क्या कहना है, इज़राइल हो गया है।

[अनुवाद]

मेरे विचार में मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। इज़राइल के बारे में, इज़राइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप अब हम मध्य पूर्व देशों के काफी सम्पर्क में आ गए हैं। मेरी इस बात में कोई अंतर्विरोध नहीं है। और इसके परिणामस्वरूप, आज मध्य पूर्व देशों में भारतीय समूह का काफी योगदान है। अभी यह देखना बाकी है कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में जो भी हो, किन्तु इसमें भारत एक उपयोगी भूमिका निभाने वाला है और शायद, इस प्रक्रिया में योगदान देकर किसी अन्य देश की तुलना में अधिक परिणाम प्राप्त करेगा। अतः यह इज़राइल के बारे में है। इज़राइल के साथ अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धों की मुझे जानकारी नहीं है कि क्या इतना किया गया है किन्तु यह केवल कुछ समय की बात है और वक्त आने पर हम उन मुद्दों को उठाएंगे...(व्यवधान)...महोदय, अब उस विषय के बारे में जिसने पिछले दो या तीन दिनों में भावनाओं को बहुत भड़काया है, मैं सदन को इस बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। महोदय, आपको याद होगा कि 2 नवम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने निम्न आश्वासन दिए थे:

(1) इस मुद्दे का निबटारा करने हेतु एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

(2) अन्तिम हल निकाल लिए जाने तक, उत्तर प्रदेश की सरकार राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(3) भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं सम्बन्धी न्यायालय के आदेशों को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा।

(4) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मामलों में इसके निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

ये चार आश्वासन दिए गए थे। इनके बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद के सभी सदस्य तथा सारा विश्व जानता है। यह 2 नवम्बर को किया गया था। स्पष्टतया, पहले दिए गए आश्वासन, अर्थात्, "इस मुद्दे का निबटारा करने हेतु एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे" के बारे में प्रयास आरम्भ किए जाने चाहिए थे। पहले आश्वासन संबंधी काम को खत्म करने का तो एक ओर हमारे पास इसे आरम्भ करने का भी समय नहीं

था और दिसम्बर में ही, कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई थीं जो राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकती थी।

3.00 म०प०

जिस सड़क सुरक्षासमिति, लोहे के पाईप से मोर्चा बन्दी, रेल्स, कंटीले तार इत्यादि से ढांचे की सुरक्षा की गई थी, उन्हें हटा दिया गया है और शायद इसमें ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। हर व्यक्ति यही मानता है।

फरवरी, 1992 में, राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद के आसपास के काफी बड़े क्षेत्र, जिसमें अक्तूबर, 1991 में अधिगृहीत की गई भूमि भी शामिल है, के चारों ओर एक दीवार का निर्माण आरम्भ कर दिया था। दीवार के निर्माण के आरम्भ होने के पश्चात्, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के आसपास की भूमि, विशेषतया अक्तूबर 1991 में अधिगृहीत की गई भूमि तथा निर्माणाधीन दीवार के भीतर आने वाले क्षेत्र, क्योंकि यह अधिग्रहण कतिपय सार्वजनिक उद्देश्यों के अध्यधीन था— के सम्बन्ध में विकास योजनाएँ दर्शाने का आग्रह किया था। इन योजनाओं के विवरण सम्बन्धी कोई जवाब राज्य सरकार से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मार्च 1992 में, राज्य सरकार ने राम जन्म भूमि कॉम्लैक्स के आसपास की लगभग 42 एकड़ भूमि, 'राम जन्म भूमि न्यास' को न्यास की धनराशि की सहायता से राम कथा पार्क परियोजना को लागू करने के लिए पट्टे पर दी थी। पुनः मार्च 1992 में, राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स में अतिरिक्त ढांचों जैसे संकट मोचन मन्दिर, साक्षी गोपाल मन्दिर का एक बड़ा हिस्सा, सुमित्रा भवन, लोमीस आश्रम, गोपाल भवन तथा दुकानों को ढहाना आरम्भ किया। इस के साथ-साथ व्यापक खुदाई, तथा भूमि को समतल करने के कार्य भी आरम्भ हुए। मैं यह विवरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 5 नवम्बर को मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के परिणामस्वरूप जो एक सुरक्षा का वातावरण बना था वह हिल गया। भूमि समतल करने तथा खुदाई कार्यों से लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की मजबूती तथा सुरक्षा पर इनसे पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव से चिन्ता उत्पन्न हो गई है। ऐसा भय भी व्यक्त किया गया है कि वर्षा के मौसम में खुदी हुई भूमि पर पानी के इकठ्ठा होने पर वह ढांचे की नींव तक रिस कर उसे कमजोर कर सकता है।

केन्द्र सरकार ने (कई अवसरों पर, यह विचार व्यक्त किया है कि राम जन्म भूमि विवाद का हल वार्ता के द्वारा ढूंढा जाना चाहिए) फिर भी यदि, इस प्रकार से कोई हल नहीं निकलता तो सरकार न्यायालय के निर्णय द्वारा हल निकालने के पक्ष में है।

केवल दो दिन पहले, 15 जुलाई को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण निषिद्ध है। अब, बार-बार गृह मंत्री को संसद में तथा उसके बाहर तंग किया जा रहा है कि जब आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो वे क्या कर रहे हैं और इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। अब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने इस सदन को नवीनतम सूचना दी है कि सम्बद्ध अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। इस समय मैं यही कह सकता हूं कि मुझे आदेशों के पालन की वास्तविक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अभी-अभी जब मैं यहां आया तो मुझे एक बड़ी रोचक जानकारी मिली कि इन आदेशों को फैक्स द्वारा भेजा जाना था, किन्तु अचानक, लखनऊ व फैज़ाबाद के मध्य की फैक्स मशीन खराब हो गई है। (व्यवधान) यह सम्भव है। कुछ भी खराब हो सकता है। किन्तु, बाद में, अचानक, एक

उपचारात्मक कदम के रूप में, एक विशेष संदेश वाहक की फैज़ाबाद भेजा गया है। अर्थात् अब मनुष्य मशीन ने फैक्स मशीन का स्थान ले लिया है।

पिछले सत्र में जो कुछ कहा गया है अब मैं उसके बारे में कहूंगा। अब मैं कुछ शब्द पिछले सत्र में समय बर्बाद किए जाने के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में कई बातें कही गई हैं। मैं इसे बहुत विकट तो नहीं मानता किन्तु फिर भी मुझे इसकी सूचना देनी है।

महोदय, जब मैं इस सदन में बोफोर्स मामले पर बोला था तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पूरी मेहनत से जांच की जायेगी और सच को बेपर्दा करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी जायेगी। इस मामले की जांच के लिए स्विस प्राधिकारियों को तैयार करने के लिए सभी कदम उठाए गए थे। 12 जून 1992 को जिनेवा में कैन्टोनल न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी। न्यायालय के निर्णय को रिज़र्व रखा था। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय छुट्टी के लिए बन्द हो गया है। अतः अब हम उस निर्णय की अपेक्षा अगस्त में कर सकते हैं जब छुट्टी समाप्त होगी। जब तक हमें न्यायालय से कोई अनुकूल निर्णय नहीं मिलता और जब तक हमें घूस लेने वाले व्यक्तियों के नाम प्राप्त नहीं हो जाते, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए और आगे जांच करना सम्भव नहीं है। इस समय यहां यही स्थिति है।

यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो 25 तारीख से दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई होगी और मुझे बताया गया है कि शुद्धि के अध्यधीन, यह जारी रहेगी और प्रतिदिन के आधार पर होगी। यदि ऐसा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय अपना निर्णय शीघ्र ही देगा।

महोदय,... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वकील कौन है?

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: मेरे पास उससे सम्बन्धित तीन समाचार पत्र हैं। मैंने उनमें से केवल एक ही पढ़ा है।

महोदय, 10-7-92 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में बोफोर्स कमीशन के बारे में छपे एक समाचार की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे समाचार में उठाए गए मुद्दों को साबित किया जा सके। चूंकि जेनेवा में होने वाले कैन्टोनल न्यायालय की कार्यवाही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो शामिल नहीं है अतः समाचार पत्र में स्विस प्राधिकारियों द्वारा जिस खाते के सील किए जाने का ज़िक्र है, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऐसी सम्भावना है कि जेनेवा का कैन्टोनल न्यायालय अगले माह तक अपना निर्णय दे देगा और यदि दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए जाएं तो सम्भावित कमीशन-प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में और जांच कराई जायेगी। इस समय समाचार में छपी जानकारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु जेनेवा कैन्टोनल न्यायालय की कार्रवाई के परिणाम के आधार पर ही और आगे कार्यवाही की जायेगी।

महोदय, अब श्री सोलंकी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही बताया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुझाव के अनुसार, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जेनेवा में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए कोई जांच कराएगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच श्री सोलंकी से आरम्भ होती है और उन्हीं पर समाप्त होती है। वे श्री सोलंकी के पास गए थे, उन्होंने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था कि वे उस व्यक्ति को पहचानने की स्थिति में नहीं हैं। यह स्थिति है....**(व्यवधान)**

डा॰ सुधीर राय (बर्दवान): मेरे विचार में श्री सोंलकी स्वयं को पहचान सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: महोदय, यह स्थिति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उन्होंने किस मन्त्री को दिए गए पत्र का सार कैसे दिया था?

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: यह किसी व्यक्ति द्वारा पत्र देने का प्रश्न है न कि सार देने का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जब श्री सोलंकी को पत्र की मुख्य बातों की जानकारी नहीं थी, तो उनके पास पत्र का सार कैसे था? **(व्यवधान)**

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: आज भी यहां आने से पहले, मैंने पुनः सोलंकी जी से बात की थी, यदि अब भी, वे कुछ याद करने की स्थिति में हैं जिससे...**(व्यवधान)** महोदय, संसद की ओर से, मैंने उन्हें समझाया था... **(व्यवधान)** सभी माननीय सदस्यों की ओर से, आप सब की ओर से, मैंने उनसे आग्रह किया था—कि यदि वे कुछ भी याद कर सकें जिससे हमें कोई सुराग मिल जाये, उन्होंने कहा था कि कुछ याद करना उनके लिए सम्भव ही नहीं है। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं।

महोदय, मेरे विचार में, आज तक इस सदन में जितने भी विषय उठे हैं, मैंने उन सभी से निबटा है यदि ऐसा कुछ है जिस के बारे में और अधिक विवरण चाहिए अथवा किसी प्रश्न का जवाब चाहिए, तो मैं वह देने को तैयार हूं। किन्तु एक बात है कि हम अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, अन्य मंत्री बोल चुके हैं और मेरे विचार में चर्चा काफी व्यापक रही है।

एक माननीय सदस्य: घोटाले के बारे में क्या कहेंगे?

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: महोदय, मेरे विचार में, वित्त मंत्री ने घोटाले के बारे में जवाब दे दिया है। अब यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: क्या अपोजिशन से जे पी सी का चेयरमैन बनाएंगे?

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: ऐसी बेअदबी मत कीजिए, मुझे मत पूछिए यह आपके हाथ में है।

[अनुवाद]

इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं इसलिए मैं सुनने में असमर्थ हूं। मैं सब कुछ बताना चाहता हूं, आरम्भ से, जिस क्षण से हमें सरकार को इसकी जानकारी हुई उसी क्षण से, कदम उठाए गए है जिससे यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास पहुंच गया है। और संयुक्त संसदीय समिति इस विषय की ओर अधिक जांच करने में समर्थ है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ने सोलंकी के बारे में या एकाउंट्स के बारे में कहा, मैं उस पर अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वह सवाल-जवाब का मामला हो जाएगा। वह अलग बहस का विषय बनेगा और बना रहेगा लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी सी बी आई की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में रखता हूं। जस्टिस वरियावा ने कल लिखित आदेश दिया है कि सी बी आई जो जांच करवा रही है—बैंक और स्टाक के स्केम में, वे असली जो गुनाहगार हैं उन लोगों को बचा रही है और स्केपगोट्स को आगे ला रही है और बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इस लिखित मसले को लेकर के किया है। 30 हजार करोड़ रु॰ की इतनी बड़ी रकम होती है इस पर प्रधान मंत्री जी ने अभी विश्लेषण किया, प्रधान मंत्री जी केवल बैंक के इस स्केम में ब्याज की जो लूट हुई है वह 40 हजार करोड़ रुपए है और पिछले 12-14 महीने

से आप 30 हजार करोड़ रु० की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब अदालत का स्पेशल कोर्ट आपने बिठाया है उसका जज और अकेला जब वह यह बात को कहता है, प्रधान मंत्री जी क्या आप सी बी आई को और संबंधित तमाम लोगों को तत्काल आदेश देंगे कि जज ने जो यह सवाल छेड़ा है इसका स्पष्ट जवाब उनके पास जाएगा?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैं तत्काल दूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसको पूरी तरह से नोट करता हूं और उस पर जो भी तत्काल उनको आदेश या उनसे कहना हो, जरूर कहा जाएगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मंत्रिमंडल के एक मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया है। हम घोटाले के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री से कुछ जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री ई० अहमद, कृपया आप अपनी जगह पर बैठें।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। हमें यह बात समझनी है कि गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यवाही 3.30 म० प० आरम्भ होनी है। और उम्मीद है कि प्रस्ताव पेशकर्ता जवाब देंगे, और समय मात्र 15 मिनट है। उसी समय के भीतर हमें इसे पूरा करना होगा।

अतः, कृपया श्री जसवन्त सिंह को अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस असाधारण चर्चा के जवाब के आरम्भ में मैं माननीय प्रधान मंत्री का अनुसरण करूंगा जिन्होंने सभी बीच में बोलने वाले तथा इस चर्चा मे भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद किया। मैं भी, उसी प्रकार माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा मे हस्तक्षेप करके इतनी उदारता के साथ हम सब को धन्यवाद दिया। यह एक असाधारण चर्चा रही, यद्यपि माननीय प्रधान मंत्री ने इसे फलरहित माना है।

मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कब किसी अविश्वास-प्रस्ताव पर तीन दिन तक चर्चा चली है। मैं प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के तरीके की बात नहीं करूंगा। हम तत्व की खोज में हैं और तत्व की खोज करते-करते, उनकी आयु तथा अनुभव के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं अवश्य अपनी निराशा व्यक्त करना चाहता हूं। हम नेतृत्व की खोज में थे, हम दिशा की खोज में थे; हम सरकार में उस तत्व की खोज कर रहे थे जिसकी अनुपस्थिति ने हमें अविश्वास प्रस्ताव पेश करने पर मजबूर किया। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से और इस प्रस्ताव को पेश करने वाले के रूप में बड़े दुख की बात है कि मैं वह नेतृत्व, वह प्रेरणा और वह तत्व नहीं ढूंढ सका, जो हमने सोचा था कि उनके जवाब में होगा।

इस चर्चा में उनके मन्त्रिमंडल के कई योग्य साथियों ने अन्तराक्षेप किया। कई घण्टे की गहमागहमी तथा बहस हुई। माननीय प्रधान मंत्री के मन्त्रिपरिषद के माननीय साथियों के हस्तक्षेप से मेरे सामने तीन मुख्य बातें आईं। सबसे पहली बात से मैं वास्तविक रूप से हैरान-परेशान हूं।

माननीय प्रधान मंत्री ने बड़ी उदारता से कहा है कि वे अभी भी विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उनके योग्य साथी, इस चर्चा में सबसे पहले वक्ता, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ने कहा था कि अच्छा छुटकारा हुआ है और वास्तव में, कहा था कि वे विपक्ष से किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं; जब माननीय वित्त मंत्री ने हस्तक्षेप किया तो वे बोले, कि वे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं; जब माननीय कृषि

मंत्री ने हस्तक्षेप किया, तो वे बोले, वे इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे है; वे विपक्ष से कोई सहयोग नहीं चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस सरकार का रवैया क्या है।

अध्यक्ष महोदय: एक संशोधन है श्री जसवन्त सिंह। मैंने कृषि मंत्री को ऐसा कहते नहीं सुना है।

श्री जसवन्त सिंह: मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि माननीय कृषि मंत्री हमारा सहयोग चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री से सभी योग्य एवं वरिष्ठ अग्रणी साथी तथा केन्द्रीय मंत्रियों ने जो चर्चा को बीच में रोक कर अपनी बात कही, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अपवादों को छोड़कर अन्यों ने अनमने मन से हस्तक्षेप किया; उनका हस्तक्षेप ऐसा था मानो अपने ही नेता की परेशानी से उन्हें मन ही मन सुख मिल रहा हो। **(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): श्री जसवन्त सिंह की जबरदस्त कल्पना शक्ति पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री जसवन्त सिंह: मन ही मन प्रसन्न हो रहे व्यक्ति के रूप में मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि बहुत योग्य है का उल्लेख नहीं किया था। किन्तु, फिर भी यदि उन्होंने मुझे आश्वस्त करना उचित समझा तो यह मात्र मेरी कल्पना नहीं है। **(व्यवधान)** मैंने जो महसूस किया मात्र उसे ही शब्दों में बांधा है और मेरी अपेक्षा माननीय प्रधान मंत्री को आश्वस्त होना चाहिए कि उनके मन्त्रिपरिषद के साथियों ने जब चर्चा में भाग लिया तो वे बहाना नहीं कर रहे थे अपितु उन्होंने वही कहा जो वे वास्तव में कहना चाहते थे। उन्होंने जो कहा, यदि आप उसे जांचे तो पाएंगे कि इसके हर पहलू से एक सम्पूर्ण चर्चा, एक सम्पूर्ण बहस उत्पन्न होती है । **(व्यवधान)**

मैं यह कहूंगा और सिर्फ इसका उल्लेख करूंगा, क्योंकि मैंने इसी बात से अपना भाषण आरम्भ किया था कि मेरा ध्यान हमारे बहुत ही योग्य मंत्री, भूतपूर्व माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री को इस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार करने के क्रूर मज़ाक की ओर गया था। या तो उन्हें—माननीय प्रधान मंत्री को—अपने भूतपूर्व कैबिनेट सहयोगी में विश्वास है—तो फिर उन्होंने उन्हें मन्त्रि—परिषद से क्या हटाया था?/या फिर उन्हे उनमें विश्वास नहीं है, तो फिर उन्होंने उन्हें अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार क्यों किया? **(व्यवधान)**

मैंने माननीय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप को बहुत ध्यान से सुना था और मैंने कहा, मेरी कठिनाईयाँ चार आधारों पर उत्पन्न हुई हैं। वे चार आधार जिन्होंने हमें इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने पर मजबूर किया वे थे, आर्थिक आधार, जिस् पर सरकार आजकल बहुत अधिक जोर दं रही है, शासन व्यवस्था, कुप्रबन्ध, विदेशों से हमारे सम्बन्ध तथा सुरक्षा व्यवस्था।

सुरक्षा मामलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ जवाब नहीं दिया है और माननीय रक्षा मंत्री ने भी पूरी चर्चा के दौरान एक रहस्यमय चुप्पी बनाए रखी और कभी-कभी रहस्यमयी मुस्कराहट भी दी।

माननीय वित्त मंत्री और वास्तव में प्रधान मंत्री, दोनों ने कुछ बहुत स्व-स्पष्ट भाषण दिया, किन्तु, मेरे विचार में यह आर्थिक सुधार की आवश्यकता पर अनावश्यक रूप से एक लम्बा भाषण था। आर्थिक सुधार की जरूरत है और यह स्व-स्पष्ट है। यह चर्चा उस बारे में नहीं थी। यह चर्चा न तो आर्थिक सुधारों की दिशा के बारे में थी, न सार के बारे में थी और न ही गति के बारे में थी। यह चर्चा सुधार-लागू करने के संबंध में थी। यह चर्चा शासन व्यवस्था आपके विदेशों से सम्बन्धों, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में थी। यह चर्चा इस बारे में थी और आर्थिक सुधारों के प्रबन्ध में यदि हमने कुछ आंकड़े दे दिए और मैंने हवाला दिया था कि अनाज एक कतिपय मूल्य पर बिक रहा है और माननीय कृषि मंत्री ने कहीं नजफगढ़ से अपने सांख्यिक आंकड़े प्राप्त

किए और बोले अनाज छः रुपये प्रति किलोग्राम नहीं अपितु 3.80 रु० प्रति कि० ग्रा० पर बिक रहा है। किन्तु मैं इसके विपरीत कहता हूं। क्योंकि, प्रश्न मेरा आपको आंकड़े देने का नहीं है। मेरे साथी श्री कापसे ने भी बम्बई से प्राप्त किए थे। उनकी पत्नी ने टेलिफोन करके बताया था कि ये आंकड़े गलत हैं, कि बम्बई में अनाज छः से सात रुपये प्रति कि०ग्रा० मूल्य पर बिक रहा है; चावल वास्तव में 10 रुपये प्रति कि० ग्रा० मूल्य पर बिक रहा है और अरहर दाल 16 रुपये से 20 रुपये किलो मूल्य पर बिक रही है, इत्यादि। किन्तु मुद्दा यह नहीं है। मुख्य मुद्दा आर्थिक सुधारों, आर्थिक परिवर्तन और स्वयं प्रबंध में ही है, और यदि आर्थिक सुधार आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है और मूल्य कष्ट दे रहे हैं, और यदि उस आदमी को इन सुधारों की सम्पूर्णता में बस-यात्रा करने में, रेल टिकट प्राप्त करने में या किसी पत्र को पोस्ट करने में या आकर प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार कार्य करने में कठिनाई होती है, तो इस आर्थिक सुधार की पहचान बैंक घोटाले और अन्य कोई गतिविधि अथवा कोका-कोला को अनुमति देने जैसी बातों से होगी। यही होगा। इसीलिए हम सरकार पर आर्थिक सुधारों को लागू करने में असफल होने का आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए मैं कहा रहा हूं कि यह चर्चा आंकड़ों के गलत होने के बारे में नहीं है। चर्चा आंकड़ों के बारे में नहीं है। यह चर्चा इस बारे में नहीं है कि मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत हो गई है अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 15 प्रतिशत पर है। चर्चा आवश्यक रूप से इस बारे में है कि यह सामाजिक ढांचे, राजतंत्र और देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।

चर्चा को पुनः शुरू किए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि न मैं वित्त मंत्री के हस्तक्षेप से संतुष्ट हूं और न वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री से संतुष्ट हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने मुख्य तौर पर तीन बातें कही हैं। उन्होंने कहा था कि कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है किन्तु सामान्यतया कागज़ी कार्रवाई में एक वर्ष से डेढ़ वर्ष तक लग जाता है। अब इससे एक प्रश्न उठता है। क्या आपने कागज़ी कार्रवाई तथा नौकरशाही सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गति तेज़ की है? **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव: हमने कर दिया है।

श्री जसवन्त सिंह: प्रधान मंत्री ने एक नई थ्योरी अथवा एक सुझाव रखा है कि वे अब 'बाईपास आपरेशन' की दिशा, में मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस 'बाईपास आपरेशन' के सन्दर्भ में उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कोकाकोला या अन्यों को मात्र मंजूरी धनराशि का 20 प्रतिशत दिया गया है; धनराशि का 80 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों में दिया गया है। किन्त, महोदय, इससे पुनः प्रश्न उठता है। जहां तक हमने देखा है, नीति-स्थापना में दिशा की कमी है और नीति लागू करने में भी लगातार ऐसा कुप्रबन्ध एवं व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि ऐसा उदाहरण कहीं और देखना वास्तव में कठिन है। हमने भ्रष्टाचार के उदाहरण क्यों दिए हैं? ऐसा नहीं है कि इनसे हमें प्रसन्नता होती है। आप जब तक भ्रष्टाचार रूपी केसर पर स्वयं ध्यान नहीं देंगे, तब तक आर्थिक परिवर्तन का प्रबन्ध नहीं हो सकता है और इसीलिए हमने इस सन्दर्भ में बैंक घोटाले एवं बोफोर्स के दो उदाहरण दिए थे। मैं न इस बात को दुहराऊंगा और न प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर कोई टिप्पणी दूंगा जिसमें उन्होंने परिवर्तन-प्रबन्ध के बारे में अथवा बोफोर्स के बारे में कहा है।

महोदय, मुझे समय का भान है। मुझे सदन के मूड का भी ध्यान है। मैं सदन के धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा। मैं अपसन्न हूं। मैं असन्तुष्ट हूं। मेरी शंकाएं अभी भी जीवित हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जो अधिकतर सब की सीमित भावनाओं से परे होती हैं मुझे उम्मीद थी कि तीन दिन का

2
2-11

इतनी जोशपूर्ण चर्चा के पश्चात् प्रधान मंत्री सब स्थिति स्पष्ट कर देंगे और राष्ट्र को वह आवश्यक दिशा देंगे जिसके वह योग्य है।

किन्तु उन्होंने हमें निराश किया है, वे इस चर्चा सम्बन्धी जवाब देने में असफल रहे हैं, जो वास्तव में, स्पष्टता से एक प्रवाह की ओर, एक अनिश्चितता की ओर है, और सारे राष्ट्र में व्याप्त है, ऐसी भावना कि इसका भी कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। सरकार को नेतृत्व करना चाहिए। हमें जो आवश्यक लगता है एवं सही लगता है हम वह राष्ट्र के लिए करते रहेंगे।

महोदय, एक सोचने की बात है। विश्वास मत जीतने और एक विश्वास की भावना की पुनः स्थापना करना, जो कि राष्ट्र के सामने एक चुनौती है, दोनों के मध्य एक असामंजस्य है। आप शायद विश्वास मत जीत सकते हैं ...(**व्यवधान**)....आप शायद यह जीत लें किन्तु मैं नहीं समझता कि यह मत जीतने से आप विश्वास की उस भावना को पुनः जागृत कर पाएंगे यह राष्ट्र वास्तव में जिसके योग्य है। हमारे अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मुख्य आधार यही है; यह आपको सतर्क करने, चेतावनी देने के लिए है कि मात्र मत जीतने से ही काम नहीं चलेगा इस देश को क्या चाहिए। इस राष्ट्र तथा इसके लोगों में एक विश्वास की भावना जगाना ही आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। मैं आपकी अनुमति से जो यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं उसका मुख्य आधार यही है क्योंकि मेरा अभी भी यही विचार है अतः मैं इस सदन में अपने सभी मित्रों तथा साथियों से अपील करता हूं वे कि सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करे।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इस समय 3.30 म०प० का समय है। शायद चार या पांच मिनटों की आवश्यकता है, जो हम इस कार्यवाही को देंगे और वह समय गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्रवाई के लिए उपलब्ध है।

अब मैं श्री जसवन्त सिंह द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है"

जो इसके पक्ष में है, वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य: 'हां'

अध्यक्ष महोदय: जो इसके विरोध में है वे 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: 'नहीं'

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से 'नहीं' पक्ष जीत गया है।

कुछ माननीय सदस्य: 'हां' पक्ष जीत गया है। हम मत विभाजन चाहते हैं।

दर्शक दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय: अब दर्शक दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या समय 15.38 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अंजलोज, श्री थाइल जॉन
अवैद्य नाथ, महन्त
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलुगन, प्रो०
उमा भारती, कुमारी
उरांव, श्री ललित
कटेरिया, श्री प्रभुदयाल
कमल, श्री श्याम लाल
कनोडिया, श्री महेश
कटियार, श्री विनय
कापसे, श्री राम
कालका दास, श्री रामसिंह
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कांशीराम, श्री
कुन्जी लाल, श्री
कुमार, श्री वी० धनंजय
कुसमरिया, श्री राम कृष्ण
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमति
केशरी लाल, श्री
कोली, श्री गंगा राम
खंडेलवाल, श्री ताराचन्द
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गंगवार, डा० परशुराम
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजादेवी, श्रीमती
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी
गौतम, श्रीमती शीला
घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चक्रवर्ती, श्री सुशांत
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिखलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, श्री पंकज
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री चेतन पी० एस०
चौहान, श्री शिवराज सिंह
छटवाल, श्री सरताज सिंह
छोटे, लाल श्री
जटिया, श्री सत्यनाराण
जय प्रकाश, श्री
जसवंत सिंह, श्री
जायनल अबेदीन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
जेस्वाणी, डा० मुशीराम डूंगरोमल

जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
टंडेल, श्री डी० जे०
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डोम, डा० राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर,, डा० रमेश चन्द्र
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
दत्त, श्री अमल
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दुबे, श्रीमती सरोज
देशमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगतवीर सिंह
धर्मरभिक्षम, श्री
नाईक, श्री राम
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री कृष्ण
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिभाई
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल
पाठक, श्री हरिन
पाल, श्री रूपचन्द्र
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री बलराज
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
प्रकाश, श्री शशि
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेमी, श्री मंगलराम
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
फुंडकर, श्री भाउसाहब पुंडलीक
बंडारू, श्री दत्तात्रेय
बर्मन, श्री पलाश
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बाला, डा० असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बैरवा, श्री राम नारायण
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुनय्या, श्री
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
महतो, श्री बीरसिंह
महाजन, श्रीमति सुमित्रा
मिश्र, श्री जर्नादन
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्रीमती सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुरमु, श्री रूप चंद
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मोर्य, श्री आनन्दरत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
राजेश कुमार, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राम अवध, श्री
रामदेव, राम
राम बदन, श्री
राम सिंह, श्री
राय, श्री एम० रमण्णा
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री राम नारायण
राय, श्री रवि
राय, श्री राम निहोर राय
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री डी० वेंकेटेश्वर
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, डा० राम बहादुर
रेड्डी, श्री बी० एन०
रोशन लाल, श्री
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकरसिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र
वर्मा, प्रो० रीता
वर्मा, श्री शिव शरण
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
वेकारिया, श्री एस० एन०
वीरेन्द्र सिंह, श्री
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री आचार्य विश्वनाथ दास
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेन्द्र
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
संघानी, श्री दिलीप भाई
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
साक्षीजी, डा०
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री देवी बक्स
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री बृजभूषण शरण
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सत्यदेव
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सुर, श्री मनोरंजन
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सैयद, श्री शहाबुद्दीन
हन्नान मोल्लाह, श्री
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
अकबर पाशा, श्री बी०
अजित सिंह, श्री
अडईकलराज, श्री एल०
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अयूब खान, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरूणाचलम, श्री एम०
उर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
इन्द्र जीत, श्री
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उन्मे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
करेददुला, कुमारी कमलाजी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
काले, श्री शंकरराव दे०
कालिया पेरूमल, श्री पी०पी०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, कुमारी पदम श्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुली, श्री बालिन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केवल सिंह, श्री
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कैनिथी, डा० विश्वनाथम
कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोंतला, श्री राम कृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंराव नानासाहिब
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुड्डादिन्नी, श्री बी० के०
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथ राव
गोगोई, श्री तरूण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवनसिंह

चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाको, श्री पी०सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, डा० के० वी० आर०
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
जनार्दनन, श्री कादम्बुर एम० आर०
जयमोहन, श्री ए०
जाखड़, श्री बलराम
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० बासवराज
जीवरत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त
टाईटलर, श्री जगदीश
झिकराम, श्री मोहनलाल
टोपे, श्री अंकुशराव

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रवीण
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
तंग्काबालू, श्री के० वी०
तारा सिंह, श्री
तोपतो, कुमारी फ्रिडा
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दत्त, श्री सुनील
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराज, श्री बी०
देवी, श्रीमती बिभूकुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
नन्दी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा बिठोबा
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पदमा, डा० (श्रीमती)
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पवार, डा० वसंत
पवार, श्री शरद
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटिल, श्री बासवराज
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री विजय एन०
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वी० आर० नायडू
पायलट, श्री राजेश
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पूसापति, श्री आनन्द गजपति

पेरूमान, डा॰ पी॰ वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के॰
प्रभु, श्री आर॰
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रसाद, श्री वी॰ श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फारूक, श्री एम॰ ओ॰ एच॰
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बनर्जी, कुमारी ममता
बंसल, श्री पवन कुमार
बराड़, श्री जगमीत सिंह
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भंडारी, श्रीमती दिल कुमारी
भंडाना, श्री अवतार सिंह
भागेय गोबर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा॰ कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी॰
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू डा॰ आर॰
मसूद, श्री रशीद
माडे गौडा, श्री जी॰
माथुर, श्री शिव चरण
माणे, श्री राजाराम शंकरराव
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिर्धा, श्री राम निवास
मीणा, श्री भेरू लाल
मुत्तेवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के॰ एच॰
मुरलीधरण, श्री के॰
मुरुगेसन, डा॰ एन॰
मूर्ति, श्री एम॰ वी॰ चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पलाई के॰ एम॰
*यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
युमनाम, श्री याइमा सिंह
रथ, श्री राम चन्द्र
राजरवि वर्मा, श्री बी॰
राजुलु, डा॰ आर॰ के॰ जी॰
राजू, श्री भू॰ विजयकुमार
राजेन्द्र कुमार, श्री एस॰ एस॰ आर॰
राजेश्वरन, डा॰ वी॰
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राथवा, श्री एन॰ जे॰
राम बाबू, श्री ए॰ जी॰ एस॰
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के॰
रामासामी, श्री राजागोपाल नायडू

*गलती से विपक्ष में मतदान कर दिया।

राव, श्री कल्प नाथ
राव, राम सिंह, कर्नल
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, श्री प्रभु लाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री भगुन्टा सुब्बाराम
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
रेड्डयया यादव, श्री के० पी०
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
व्यास, डा० गिरिजा
वर्मा, कुमारी विमला
वर्मा, श्री भवानी लाल
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण सनि
विजयराघवन, श्री ए०
विलियम्स, श्री आर० जी०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवप्पा, श्री के० जी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, डा० राजगोपालन
श्रीनिवासन, श्री सी०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू
सादुल, श्री धर्मण्णा मोण्डय्या
सावन्त, श्री सुधीर
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संतराम
सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, कुमारी पुष्पादेवी
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंहदेव, श्री के० पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुखराम, श्री
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुब्बा, श्री थोटा
सुन्दरराज, श्री एन०
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हरचंद सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:—

पक्ष में:	215
विपक्ष में:	267

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य संबंधी विषय को लेंगे।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया:—

पक्ष में: डा॰ जयन्त रंगपी, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सूर्य नारायण यादव, डा॰ जी॰ कनोजिया, सर्वश्री शिव शरण सिंह, मुमताज अंसारी, अर्जुन सिंह यादव, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गया प्रसाद कोरी और डा॰ फैयाजुल आजम

विपक्ष में: सर्वश्री एम॰ बागा रेड्डी, श्री बी॰एम॰ मुजाहिद, मृत्युन्जय नायक, श्री के॰ तुलसिऐया वान्डायार और राजेश खन्ना।

3.40 म॰प॰

[हिन्दी]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा 15 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 15 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.42 म०प०

भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में संकल्प—जारी

अध्यक्ष महोदयः श्री गोपीनाथ गजपति, यहां नहीं हैं। क्या कोई और माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता है?

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को बोलने नहीं देते हैं। आप कभी नहीं बोलने देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह कुछ अधिक ही हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादवः आप तो बिगड़ जाते हैं हम पर। आप बिगड़िए नहीं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप भी बोलेंगे।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। परसों मैंने एक सवाल म्यांमार के संबंध में उठाया था कि बर्मा की आर्मी के लोग हमारी टैरिटरी में आकर मिजोरम में हिन्दुस्तान के नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इसके जवाब में मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि केवल बयान देंगे। वह अभी तक नहीं आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास वक्तव्य आया है। उन्होंने समय मांगा है और मैंने समय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री रवि रायः तो वह क्या सोमवार को होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः शायद आज की कार्रवाई के पश्चात् इसे आज शाम ही कर दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): महोदय, क्या मैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदयः हां.

श्री इन्द्रजीत गुप्तः कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में एक प्रेस रिपोर्ट पढ़कर मुझे बहुत दुःख हुआ, इसमें यह आरोप लगाया गया है कि अन्तरिम राहत, जो इस गैस त्रासदी से ग्रस्त लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, अन्तिम राहत इत्यादि, की वर्तमान योजना का अभी अभिकलन ही नहीं हुआ है और भगवान जाने इसका भुगतान कब तक होगा। किन्तु पहले न्यायालय ने कहा था कि उन सभी गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों को, जिन्होंने राहत के लिए आवेदन दिया है, 200 रु० प्रतिमाह की दर से — ज़रा कल्पना कीजिए, आज कल के दिनों में — अन्तरिम राहत दी जानी चाहिए। और न्यायालय के अनुसार, जिन पांच

लाख व्यक्तियों को इस उद्देश्य हेतु चुना गया है उनमें से एक लाख लोगों को इस योजना में नहीं रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के खण्डपीठ, जिसमें न्यायाधीश वेंकटचिल्लैया और न्यायाधीश आनन्द शामिल हैं, ने एक टिप्पणी की थी और केन्द्र सरकार से प्रश्न किया था कि सरकार उन पांच लाख त्रासदी पीड़ित आवेदकों में से एक लाख को किस आधार पर अन्तरिम राहत से वंचित रख रही है। मैं यहां पर श्री वेंकटचिल्लैया के शब्दों को उद्धृत करता हूं:

"इसमें कोई तर्क दिखाई नहीं देता। वास्तव में यह एक विपरीत तर्क का मामला लगता है जिसमें धनी लोगों को 200 रु॰ की अन्तरिम राहत मिल रही है जबकि निर्धन व्यक्तियों को नहीं मिल रही है। जिन लोगों ने राहत के लिए दावे के पत्र नहीं भरे हैं, ऐसा लगता है उन्हें भी राहत का भुगतान हो रहा है।"

एक समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी मैं उद्धृत करता हूं:

"श्री न्यायाधीश वेंकटचिल्लैया जानना चाहते थे कि वे 1,00,000 पीड़ित व्यक्तियों ने, जिन्हें इस अन्तरिम योजना में शामिल नहीं किया गया है, राहत के लिए दावे के पत्र भरे हैं।"

जी हां, उन्होंने इस सम्बन्धी दावा भरा था।

".....श्री रेड्डी ने कहा कि केन्द्र सरकार के पास सूचना सम्बन्धी अपना कोई स्वतन्त्र ज़रिया नहीं है और उसे राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ा।"

यह स्थिति है। इतने वर्षों के पश्चात्—दिसम्बर 1984 में यह आपदा आई थी और अब 1992 है। इस विपदा के आठ वर्षों के पश्चात् जिन गैस पीड़ितों को 200 रु॰ प्रति माह की दर से अन्तरिम राहत की मंजूरी दी गई है, उनमें से उच्चतम न्यायालय के अनुसार, एक लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें यह अन्तरिम राहत नहीं मिल रही है और न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसका तुरन्त निदान किया जाए। अतः, मैं इस सभा का ध्यान उस असंवेदनशीलता की ओर दिलाना चाहता हूं जो देश में प्राधिकारियों ने दिखाई है। उसी महीने दिसम्बर 1984 में, दिल्ली में और कुछ अन्य जगहों पर भी दुर्भाग्यवश दंगे हुए थे जहां पर बहुत से सिख शिकार हुए थे और कई अवसरों पर इस सभा में यह प्रश्न उठाया गया है और यह सत्य है कि इन दंगों के लिए जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों में से किसी को दण्डित नहीं किया गया है। उसी महीने में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एक प्रकार की उदासीनता उन दंगाग्रस्त पीड़ितों के प्रति दर्शाई गई है और दूसरी प्रकार की उदासीनता इस भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की प्रति दिखाई गई है जिन्हें उस त्रासदी के आठ वर्षों के पश्चात् भी अन्तरिम राहत के 200 रु॰—एक छोटी सी धनराशि नहीं मिल रही है। मैं उस तथ्य के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता कि पहले न्यायालय ने पहले ही इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कितना अपराध बनता है यह निर्धारित कर दिया था और कहा था कि अध्यक्ष, श्री वारेन एण्डरसन जो अमरीका में रहते हैं उन्हें भारतीय न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया जाये। कम्पनी यूनियन कारबाईड द्वारा किया गया यह एक आपराधिक दोष है। इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। श्री वारेन एण्डरसन को यदि उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाये तो वे यहां कभी वापस नहीं आएंगे। मैं नहीं जानता कि प्रत्यावर्तन सन्धि के अधीन भारत सरकार के पास उन्हें यहां वापस लाने का कोई अधिकार है या नहीं किन्तु अब इस मामले के बारे में कुछ और नहीं कहा जा रहा है। सरकार इस बारे में चुप है और यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनी के आपराधिक दोष पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और उचित रूप से उन्हें दण्डित नहीं किया जाता—बहुत लोगों ने यह शंका व्यक्त की है कि अब हमारी नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत बहुत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हमारे देश में आने की सम्भावना है—तो उनकी औद्योगिक गतिविधियों, जिसमें वे अपने देशों में शायद लिप्त न रहे किन्तु वे शायद इन विकासशील देशों में इन गतिविधियों में शामिल रह सकते हैं क्योंकि वे सुरक्षा नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, के विरुद्ध हमारे पास कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है। और भोपाल में यही हुआ है अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह

बड़ी दयनीय स्थिति है और भारत सरकार को इसके प्रति गम्भीर होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पीड़ितों को पर्याप्त अन्तरिम राहत और मुआवजा मिले और इस कम्पनी के अध्यक्ष को, जिसकी कम्पनी एक प्रकार के सामूहिक नरसंहार के लिए दोषी पाई गई है और जिस पर भारतीय न्यायालयों जिनके पास इस मामलों का न्यायाधिकार है—के समक्ष मुकदमा चलाना है और जिसे मुकदमे के लिए यहां बुलाने के लिए कहा गया है उसे दण्डित किया जाये। सरकार हमें जल्द से जल्द बताए कि उनका इस मामले में क्या करने का विचार है और क्या श्री एण्डरसन को अमरीका से प्रत्यर्पित किया जा सकता है अथवा नहीं।

महोदय, हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे और हर उचित अवसर पर इस मामले को उठाया जायेगा। यह ऐसा मामला है जो देश की अन्तरात्मा पर है। किसी भी देश में आज तक ऐसी बड़ी औद्योगिक त्रासदी पहले नहीं हुई है। पूरे विश्व ने इस बात को माना था कि भोपाल गैस त्रासदी अप्रत्याशित थी किन्तु हम इस बारे में भूल गए हैं हम उन असहाय गैस पीड़ितों को भूल गए हैं जिनमें अधिक संख्या में बहुत निर्धन लोग हैं। अतः, मैं इस अवसर पर मैं सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने की आवश्यकता के बारे में बताना चाहता हूं वे यह सुनिश्चित करें कि वे गैस पीड़ितों के प्रति न्याय करें तथा जो दोषी हैं और जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है उन का जल्दी निपटारा किया जाये और उन्हें दण्डित किया जाये।

3.53 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष, जी, ऐसी घटना पर इस समय चर्चा हो रही है जिसने सारे विश्व को हिला दिया था और यह अनुभव करवा दिया था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने देश में तो नहीं, दूसरे देशों में जाकर और भारत जैसे देश में आकर क्या कर सकती हैं और किस प्रकार से उस दुर्घटना के बाद अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो सकती हैं यह इसका ज्वलंत प्रमाण है। इस कम्पनी, यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष, जिस प्रकार से घटना के बाद भागकर भारत से गए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अध्यक्ष श्री एंडरसन के बारे में एक चर्चा यह भी है कि उनको भगा दिया गया, लेकिन मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। भागकर जाने के बाद यह विषय और भी गम्भीर बन गया और एक लम्बे समय तक इस घटना की दर्दनाक दास्तान को याद रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना 3 दिसम्बर, 1984 की है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं उस दिन बच गया। दुर्भाग्य यह था कि मैं उस दिन भोपाल में था और सौभाग्य यह है कि मैं बच गया। जब यह घटना घटी, रात का समय था, शान्त वातावरण था, लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि बीती, चारों तरफ कोलाहल, हल्ला मच गया, एक दूषित वातावरण फैल गया, भगदड़ मच गई थी। लोगों को पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। एक विषय परिस्थिति वहां पर निर्मित हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग काल-कवलित हो गए। सैकड़ों व्यक्ति उस समय अंधत्व को प्राप्त हो गए। जो बचे थे वे भी आंख की बीमारियों के शिकार हुए और कुछ अपंग हो गए। कुछ को अन्य प्रकार की बीमारियां हुईं जो आज तक वे भुगत रहे हैं।

जांच-पड़ताल की प्रक्रिया शुरु हुई। प्रारंभ में किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने भी प्रायः इस बारे में जो तत्परता बरती जानी चाहिए थी वह नहीं बरती। संभवतः केन्द्र की ओर उनका लक्ष्य हो। लेकिन धीरे-धीरे जब यह विषय और आगे बढ़ा और एक प्रकार से जन-आन्दोलन खड़ा हुआ तो विभिन्न स्थानों पर जाकर पता लगाया जाने लगा कि इस संकट से कितने लोग ग्रस्त हुए हैं। उसके बाद एक बड़ी संख्या सामने आई जो सात लाख से भी अधिक की संख्या है। जिन वार्डों को उस समय प्रभावित घोषित किया गया वे 36 थे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार का आज यह कहना है कि 36 वार्डों के प्रभावित लोगों को केवल

सहायता राशि देने से काम नहीं चलेगा, पूरे 57 वार्डों को प्रभावित माना जाना चाहिए क्योंकि वे इधर-उधर बिखरे हुए लोग हैं।

प्रारंभ में प्रति माह 200 रुपये की अन्तरिम राशि स्वीकार की गई थी और शायद इसी को उन्होंने इतिश्री मान लिया होगा। राज्य शासन को दायित्व सौंपा गया था कि वे पहचान करें और भारत सरकार को उससे अवगत कराएं। राज्य शासन ने हितग्राहियों की संख्या को आंकलित किया और भारत सरकार को उससे अवगत भी कराया। इस संबंध में दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी आया है कि जिन हितग्राहियों को आपने पहचाना है कि उनको सहायता राशि मिली, उनके अतिरिक्त भी एक लाख से ऊपर ऐसे लोग बचे हैं जोकि सहायता राशि के पात्र हैं। उनको भी सहायता राशि दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी लगातार जनवरी 1991 से प्रयास किया जा रहा है विशेषकर पैट्रो रसायन मंत्रालय से, कि इसमें राज्य शासन की सहायता करें और उपयुक्त राशि दिलवाएं। लेकिन अभी भी पूरे 57 वार्डों के लोगों को राशि मिले, यह तय नहीं हो पाया है। इसको सुनिश्चित किया जाना अभी शेष है। अन्तरिम राहत का लाभ सबको मिले, यह बात गैस राहत पुनर्वास आयुक्त ने भी स्वीकार की है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से एक विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया जो विचारार्थ आने वाला है। उस समय और विस्तृत चर्चा की जाएगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज वहां पर चिकित्सा की जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। जिन रोगियों को समय पर उपयुक्त सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है चिकित्सा उपकरण प्रायः बेकार पड़े हैं। इस दृष्टि से जो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ मांगें दी गई हैं उनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। इस सन्दर्भ में या भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में, मुआवजा निर्धारण के संबंध में जो प्रस्तुत दावे हैं यद्यपि उसकी कार्यवाही 3 फरवरी, 1992 से शुरु की गई है लेकिन वह इतनी धीरे चल रही है कि 5-6 लाख दावों का निपटारा कब तक होगा, यह कहना मुश्किल है। इसलिए यदि आयुक्त के लिए अतिरिक्त सहायकों की भी आवश्यकता है तो वे भी लगाए जाने चाहिए और उन दावों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए।

भोपाल गैस त्रासदी एक विभिषिका है इसके दावों का निराकरण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी तय किए गए थे। लेकिन वे इतने अधूरे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनके बारे में कहा है कि इन सिद्धांतों के आधार पर हम सब कुछ तय नहीं कर सकते। गाइडलाइन्स को और अधिक-स्पष्ट किया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो बढ़ाया जाना चाहिये।

[4.00 मध्या०]

राज्य शासन ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप हमें और गाइडलाइन में, जो उन्होंने आवश्यक समझा है, सुधार करके भेजें ताकि किसी प्रकार की अड़चन इन दावों के निपटाने में न हो। प्रक्रिया निर्धारण में भी जो लेखा प्रक्रिया है, उसके बारे में किस प्रकार होना चाहिये, किस प्रकार से की जानी चाहिये, यह अभी तक भारत सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया है। इसके संबंध में अंतिम निर्णय होना शेष है। मैं निवेदन करना चाहूंगा। कि उच्चतम न्यायालय ने अपने 3 अक्टूबर, 1991 के आदेश में निदेश दिया है कि ऐसे व्यक्ति जिन की मृत्यु संभावित है और वर्तमान में ऐसा लगता है कि गैस से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन गैस से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में उनके पीड़ित होने की आशंका है, उनके लिये एक बीमा योजना तैयार की जाये। इस बीमा योजना का लाभ उन सभी व्यक्तियों को दिया जाये जो पहचान लिये गये हों। मुझे दुख है कि इनकी पहचान नहीं हो सकी है। जो गैस रिसाव के वक्त में तत्काल प्रभावित नहीं हुए थे, धीरे-धीरे प्रभावित होने लगे थे, ऐसे लोगों के लिये जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उस निर्णय का परिपालन होना चाहिये। इसका परिपालन अभी तक ठीक से नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक और अपने आदेश में निर्णय दिया है कि जो बच्चे हैं, विधवायें है, अशिक्षित लोग हैं, अर्द्ध-शिक्षित लोग हैं, जो भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हैं, उनको मिलने वाली मुआवजा राशि जो अंतरिम राशि हो सकती

है या सम्पूर्ण राशि का कुछ भाग हो सकती है, नियमित रूप से हितग्राहियों को कुछ लाभ मिले सके और इस दृष्टि से भारत सरकार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की कोई योजना लेकर उस पर राशि लगवाये ताकि हितग्राहियों को निश्चित लाभ प्राप्त हो सके, नियमित लाभ प्राप्त हो सके। इसे वे आने वाली कठिनाइयों को भी पार कर पायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो उच्चतम न्यायालय का हाल का ही निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व में दिये गये निर्णय 3 अक्टूबर, 1991 का है, उसके समय-समय पर जो ओदश पारित हुए हैं, उनका तथा दावों का निराकरण अधिनियम 1985 जो है, उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। उन दावों का निपटान हो सके। उस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। अभी भी हजारों की संख्या में हितग्राही टूटी-फूटी झोंपड़ियों में या इधर-उधर अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके लिए ठीक से आवास की व्यवस्था नहीं है।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, उनके लिये चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है। इन सबको देखा जाना आवश्यक है। मैंने जैसा कि पूर्व में भी निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की तरफ से विधेयक लाया जाने वाला है, मैं अपने कुछ विचार उस समय रखूंगा। मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि इन हितग्राहियों को जल्दी से जल्दी मुआवजा राशि प्राप्त हो। शेष जो वार्ड बचे हैं, 36 वार्डों के अलावा इन वार्डों के हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाये। ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान गैस त्रासदी विभिषिका से पीड़ित के रूप में नहीं हुई है, उनकी पहचान जल्दी से जल्दी की जाये और जो आने वाला संकट है, उसको बचाया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा कि यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष जो उस समय इसके लिये उत्तरदायी थे और जिस प्रकार से वह यहां से बाहर चले गये, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया, लाखों लोगों को संकट में डाला, अपने कर्तव्य का परिपालन नहीं किया, उस दृष्टि से उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सत्यगोपाल मिश्रा ने जो रैजोल्यूशन मूव किया है, उसका बहुत हद तक मैं समर्थन भी करता हूं।

यह वाकई में एक चिन्ता का विषय है कि यह आठवां वर्ष चला हुआ है, मुआवजे तय कर दिये गये लेकिन मुआवजे का भुगतान इस बात पर नहीं हो पा रहा है कि पर्याप्त व्यवस्था अभी तक कायम नहीं हो पाई है। उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश था कि फरवरी, 1992 तक इसका भुगतान हो जाना चाहिए। इस त्रासदी की जो व्यापकता है, जितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि यह बात मानी जा सकती है कि काम इतना आसान भी नहीं है। लेकिन राज्य शासन को जितनी तत्परता इस विषय में दिखानी चाहिए, जिस तत्परता से काम करना चाहिए, उसका बहुत कुछ अभाव पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है।

मैडीकल कैटेगराइजेशन की बात कही गई है। सही पूछिये तो मैडीकल कैटेगराइजेशन सही मायने में हुआ ही नहीं है। उस त्रासदी के तत्काल बाद जो व्यवस्था थी, न जाने किन कारणों से हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उस गैस से उत्पन्न होने वाली जो घटनायें हुईं, उसका एण्टीडोट क्या होगा, इस पर ही विवाद चलता रहा और उस विवाद के कारण जितनी सक्रियता से इसका मैडीकल कैटेगराइजेशन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। उसके कारण आज मैडीकल कैटेगराइजेशन के आधार पर यदि आपने मुआवजे तय करने का तय किया तो इसमें काफी कठिनाई भी आयेगी और इसमें काफी असंतोष भी फैलेगा।

पिछली सरकार ने तय कर दिया कि जिसने भी क्लेम भरा हो, भोपाल के पूरे 56 वार्डों में, चाहे वहां गैस पहुंची हो, न पहुंची हो, उसने यदि क्लेम भर दिया तो उसको 200 रुपया माहवार दिया जायेगा और वह मिल रहा है, अप्रैल, 1993 तक मिलेगा। अब अप्रैल, 1993 तक मिलने के पश्चात आप कम्पेंसेशन के पैमेण्ट का प्रोसेस चालू कर रहे हैं।

अब आपने जो गाइडलाईंस तय की हैं, उन गाइडलाइंस पर मुझे घोर आपत्ति है। यह गाइडलाइंस, जो आपने तय की हैं, मैंने पिछले समय माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि आपने गाइडलाइंस तय करते समय क्या मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री उसमें हैं और हमारे केन्द्र सरकार के मंत्रिगण जो उसमें हैं, क्या उन लोगों की सहमति से यह गाइडलाइंस तय की गई थीं और यदि तय की गई थीं तो फिर मुझे इस बात का दुख है कि गाइडलाइंस तय करने में भी हमें जितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी, हमने नहीं बरती और उसमें भी चाहे अनचाहे में हमारे मध्य प्रदेश के जो मंत्री इस कमेटी में हैं, उन्होंने भी इसे बेमतलब राजनैतिक मोड़ देने का प्रयास किया। अप्रैल में गाइडलाइंस तय हो गई लेकिन जून या जुलाई के महीने में उन्होंने भोपाल में प्रैस कांफ्रेंस लेकर गाइडलाइंस रिलीज़ कीं और सारा दोष केन्द्र सरकार पर मढ़ दिया। मध्य प्रदेश सरकार की एक आदत सी बन गई है कि कोई भी काम हो, केन्द्र सरकार दोषी है, केन्द्र सरकार निकम्मी है और वे तो दूध के धुले हैं ही। मैंने स्पष्टतौर पर माननीय मंत्री जी से पूछा था, आपने जब गाइडलाइंस तय कीं, तो मध्य प्रदेश के मंत्री से पूछा था या नहीं पूछा था? उन्होंने साफ कहा कि हमने पूछा था और उन्हीं की राय से ये बनी हैं। फिर हमने आपसे निवेदन किया था कि उनकी तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से लिखित आपत्ति आपको मिली है या नहीं, तो आपने कहा कि नहीं मिली है। ऐसे संवेदनशील विषय पर भी अगर हमारे मित्रगण राजनीति करने से नहीं चूकते हैं, तो इसका हमें बड़ा दुःख है। गाइडलाइंस अपर्याप्त हैं और न जाने किन आधारों पर बनी हैं और किन की राय से बनी हैं। जो व्यक्ति मरा है, उसको एक से तीन लाख तक और जो घायल उसको चार लाख तक। जो क्लेम्स भरे गए हैं, उसके बारे में आपकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। उसमें कई बिन्दु ऐसे हैं, क्लेम्स भरे हुए हैं और वे इस बात के भरे हैं कि हमारा धन्धा चौपट हो गया था। भोपाल बन्द हो गया, लोग भाग गए—इस बारे में भी आपके कोई निर्देश नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि हमको हमारे मस्तिष्क पर इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर भी हमको देना चाहिए। इस बारे में भी कोई गाइडलाइंस नहीं है। जो भोपाल शहर के रहने वाले लोग नहीं थे, जो उस दिन या तो शादी में आए हुए थे या रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे थे, उन लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और न ही उनको कोई क्लेम मिल रहा है, जो कि उनको मिलना चाहिए था। न उनको प्राथमिक कम्पैंसेशन 1500 रुपए मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला और जो दो सौ रुपए माहवार मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला। ऐसे हजारों लोग थे, जो उस दिन शादी में आए हुए थे या मज़दूरी करने आए हुए थे या रेलवे स्टेशन पर सफर करने के लिए आए हुए थे, रेलवे स्टेशन का इलाका तो बहुत ही प्रभावित था, उन लोगों के क्लेम्स पर आज तक शासन ने कोई विचार नहीं किया। प्रश्न इस बात का है कि जब आपका मैडिकल कैटेगराइजेशन पूरा नहीं है, आपके पास रिकार्ड पूरा नहीं है, तो आप मुआवजा तय कैसे करेंगे। अगर आप हर केस को सुनने चले, उसके पक्ष या विपक्ष में जाते रहे, तो यह मानकर चलिए कि कम्पैंसेशन कभी बंटने वाला नहीं है, चाहे आप कितनी कोर्ट बना दीजिए। आपने कोर्ट भी बनाई है और हर वार्ड में एक कोर्ट बना दी, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। एक वार्ड में जहां केसेज़ की बहुतायत होती है और एक दूर का इलाका है, जहां शायद नहीं है, तो कोर्ट का गठन भी इस आधार पर होना चाहिए कि कितने कम्पैंसेशन के क्लेम्स आपको मिले हैं, उस नंबर के आधार पर आप कोर्ट तय करें और जियोग्राफिकल एरिया को मत लीजिए। आप यह मानकर चलिए, आपने कह दिया कि 56 वार्ड में इन्टेरिम-रिलीफ बांट दी और अब केवल 36 वार्ड में दी जाएगी, तो क्या लोग इसको मान जायेंगे, क्या लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे? फिर यह प्रश्न उठेगा कि दो सौ रुपए माहवारी जिनको आप पिछले दो सालों से दे रहे हैं, उनसे क्या यह पैसा वसूल करेंगे? इस पर भी आपको निर्णय करना पड़ेगा कि 36 वार्ड से हटकर जो बीस वार्ड बच गए, उन वार्डस् में इन्टेरिम रिलीफ जाये और दो सौ रुपया माहवारी जो उनको पिछले दो सालों से दे रहे हैं, तो क्या वह पैसा उनसे वसूल करिएगा या फिर अब

36 वार्ड में क्लेम्स बांटेंगे, कम्पैंसेशन के फाइनल क्लेम्स, जो पैसा मिल गया है, उस पैसे को बांटेंगे। इस बारे में अभी तक आपने कोई गाइडलाइंस तय नहीं की हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां शुरू से ही, चाहे किसी की सरकार रही हो, इस त्रासदी में जितनी गम्भीरता और जितनी सक्रियता से पहल किया जाना चाहिए था, मुझे इस बात को कहने में कतई एतराज नहीं है, लेकिन बड़ा दुःख होता है कि हम उसे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज इसमें इतना विलम्ब भी हुआ है। लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हैं, मैं कहता हूं कि बड़ा व्यावहारिक निर्णय लिया। यदि यह केस चलता रहता और उधर भोपाल के लोग गैस त्रासदी के लोग मरते रहते उससे क्या मतलब था, व्यावहारिक निर्णय था उन्होंने कोई एक राशि तय कर दी और उस राशि को तय करने के पश्चात आपको कह दिया आप बांटिए। अब यदि इसी बात को देखें तो उसके दो बिन्दु निकलते हैं कम्पनसेशन के, जो डिवेल्यूऐशन हुआ है, जैसा कि उस दिन मालिनी भट्टाचार्य जी ने प्रश्न पूछा था, उन्होंने सही प्रश्न पूछा था डिवेल्यूऐशन के पश्चात यदि डालर टर्मस में अगर उस बात को लिया जाए तो जिस व्यक्ति को डालर टर्मस में जितनी राशि मिलनी चाहिए थी उसकी केवल 60 प्रतिशत राशि अब उसे कम्पैनसेशन में दी जाएगी लेकिन इसका फायदा जो केन्द्र सरकार को हुआ है, जो डालर्स आपके पास जमा हैं उसके डिवेल्यूऐशन से उसकी जो बढ़ोतरी हुई है उसका आधार मानना चाहिए, न कि आपके जो डालर टर्मस हैं उस समय जो निर्णय हुआ था, तब, उसको आप आधार मानिए।

दूसरी बात जो ब्याज मिल रहा है उस ब्याज का आप क्या कर रहे हैं? आप जो कम्पैसेशन तय होगा, यह मान करके चलिए कि किसी को एक लाख रु० दिया, तो क्या एक लाख रु० के मुआवजे पर जिस दिन से आपका मुआवजा तय हुआ है उससे आज तक का ब्याज आप उसको देंगे, इसका भी निर्णय आपको करना पड़ेगा। यदि केन्द्र शासन उसका ब्याज रखता है, आर बी आई या दूसरा कोई बैंक उसका फायदा उठाता है और उसके विक्टिम को नहीं मिलता तो उसके साथ घोर अन्याय होगा, इस बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इन गाइडलाइंस पर फिर रिव्यू करिए, इन पर फिर से विचार करिए और मोटे तौर पर आपने जो गाइडलाइंस तय की हैं उसको और स्पेसिफिक करिए। यदि एक परिवार के अन्दर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो किसी को एक लाख, किसी को तीन लाख, आप उसमें कैसे फर्क करेंगे, जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको मिलना चाहिए। अब एक लाख किस को देंगे, अमीर को देंगे या गरीब आदमी को देंगे। उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उसका मापदंड रहेगा? क्या बच्चे को आप कम देंगे या बुजुर्ग को कम देंगे या कमाने वाले को कम देंगे, इसका क्या आधार रहेगा? इस पर भी आपकी गाइडलाइंस क्या हैं? तो जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यधिक दुख होता है कि चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारी केन्द्र सरकार हो, चाहे हमारे शासकीय अधिकारी हों। क्लेम्स कमिश्नर बैठे हैं, अलग से विभाग बन गया, तनख्वाहें बंट रही हैं लेकिन जिस प्रकार से उन्हें कम्पनसेशन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया और उसकी वजह से भोपाल शहर के लोगों में इस बात की बेहद नाराजगी है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इन गाइडलाइंस को रिव्यू करके फिर से अपनी कोई टीम भेजिए और बात कीजिए। भोपाल जाकर भोपाल के नागरिकों से बात करें, चर्चा करें कि क्या दिक्कत, मुसीबत है। उसके बाद इनडिविजुअल केसिस डील करने की बजाए आप एक मोटे तौर पर तय कर लीजिए, फिर घर में प्रमाणित हो गया कि यह व्यक्ति की कल मृत्यु हुई है तो उसका तय कर दीजिए, उसमें अगर मेडीकल केटेगराइजेशन जिसके पास है और सीरियस इंजरी है उसका आप एक फ्लेट रेट दीजिए, लेकिन देना आपको पड़ेगा।

अब पूरे 56 वार्ड में 36 वार्ड का आपका जो निर्णय है वह नहीं चलेगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसमें जो पहले गलती हो गई उस गलती को आप सुधारेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका बड़ा रिएक्शन होगा। इसलिए आपको पूरे 56 वार्ड में ही आज देना पड़ेगा, अब इसका आप निर्णय करिए तभी आप इसका निराकरण कर पाएंगे। जहां तक रेजोल्यूशन के दूसरे पहलू का सवाल है जो एंडरसन साहब हैं, चेयरमैन यूनियन कार्बाइड के, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। क्रीमिनल रेसपोंसिबिल्टी उनके ऊपर फिक्स करनी पड़ेगी।

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): उनको भगा दिया।

श्री दिग्विजय सिंह: भगाया किसी ने नहीं, जो मौजूदा कानूनी हालात थे, उसके तहत उन पर कार्यवाही की गई। इसलिए यह कहना कि शासन ने उनको भगा दिया या भागने का मौका दिया, यह तथ्यों के विपरीत है, लेकिन इतना जरूर है कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन के साथ-साथ जो मैनेजमेंट था, जिसकी लापरवाही के कारण यह घटना हुई, उनके बारे में आप क्यों कोई बात नहीं करते हैं। यह बात ठीक है कि घटना का नैतिक दायित्व जिसकी कंपनी है, उस पर है, लेकिन जो व्यक्ति वहां मौजूद थे, जिन व्यक्तियों को सावधानी बरतनी चाहिए थी, उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि गैस निकलने के 2-3 घंटे तक यह मालूम नहीं पड़ पाया कि यह गैस कौन सी है। न कलेक्टर को मालूम था, न कमिश्नर को मालूम था, न आई जी को मालूम था और यहां तक कि यूनियन कार्बाइड के प्रबंधक कहीं अपनी पार्टी में लगे हुए थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई खास बात नहीं है और जाकर वे अपने घर पर सो गए। क्या उन व्यक्तियों की जवाबदारी नहीं बनती हम लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते? जो मैनेजमेंट था, सुपरवाइजर्स थे, जिनकी वजह से यह घटना हुई है, उनकी भी क्रिमनल लाइबिलिटीज फिक्स करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं उन लोगों के लिए विशेषतौर पर निवेदन करना चाहूंगा जो आज भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं। आपने अस्पताल खोले, मध्य प्रदेश शासन ने खोले, अच्छी मशीनें जांच-पड़ताल के लिए रखी गई, लेकिन उन मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप केवल इतना पता करवा लीजिए कि उन मशीनों में से जो हमने आयात की हैं या मिली हैं, इनमें से कितनी मशीनों का उपयोग हो रहा है, कितने प्रतिशत का उपयोग हो रहा है।

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: आधी से ज्यादा बंद हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: अगर बंद हैं तो उनको चालू करवाइए। आपने कभी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात नहीं की इस बारे में।

डा॰ लक्ष्मीरानारायण पाण्डेय: मेरी बाबूलाल गौड़ जी से बात हुई है।

श्री दिग्विजय सिंह : वही तो सब कुछ कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पर यह जवाबदारी है कि लोगों को मुआवजा दिलवाएं। इस त्रासदी से जो लोग ग्रस्त हैं, उनका भाग्य आपके हाथ में है। भोपाल आइए, उन लोगों से मिलिए, बात करिए और वहां के हालात देखिए, अस्पताल देखिए, आप देखेंगे कि किस मुसीबत से वे लोग गुजर रहें हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, किस नारकीय जीवन में वे जी रहे हैं। हमने उनके लिए मकान बनवाए थे, लेकि मकानों का आवंटन कैसे हुआ, यह भी जांच का विषय है। आवंटन के समय केवल जन-पहचान और भाई-भतीजावाद के आधार पर आवंटन हो गया और वाकयी जो लोग ग्रस्त थे, बेघरबार थे, उनको मकानों का आवंटन नहीं हो पाया ।

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अभी भी लोग बेघर हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी भी लोग बेघर हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हू कि विषय इतना गंभीर है, इस

विषय पर आप जितनी सावधानी बरतें, उतना अच्छा है। जितनी सक्रियता से चिंतामोहन जी आप पहल करें, उतना ही अच्छा होगा। श्री नरसिंह राव जी ने आप पर बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपी है, उसका अगर आप सही दिशा में, सही ढंग से निभाते हैं तो उन हजारों परिवारों का आप कल्याण करेंगे जो आज वाकयी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं और जिनके घर में आज अनेक कठिनाइयां है। भावी पीढ़ी पर, बच्चों पर जो प्रभाव पड़ा है, हालांकि उस पर काफी चिंतन हुआ है, लेकिन अभी भी उस पर बहुत कुछ होना बाकी है। विकटिम्स पर साइकलाजीकली इफेक्ट पड़ा है, गैस प्रभावित होने के बाद डिप्रेशन उन पर छाया हुआ है। अनेक पुरुषों पर इस डिप्रेशन की छाप रही, महिलाओं पर रही। उनके बारे में भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं अन्त में इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि इसे आप ज्यादा दिन तक मत टालिए, अपनी गाईड-लाइन्स रिव्यू करिए, विकटिम्स के रिप्रीजेंटेटिवस से आप बैठ कर चर्चा करें, भोपाल आएं, उनकी महिलाओं से जा कर बात करें। मोटे तौर पर ग्रुप और अलग-अलग जो वर्गीकरण आप करेंगे, कैटागिरिज बनायेंगे उनको एक मुश्त आप बांटना शुरू करें। इंडीविजुअल अगर बांटना चालू होगा तो आप कभी भी नहीं बांट पायेंगे। इतना ही मेरा अनुरोध है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बारे में विशेष ध्यान देंगे और पूरे 56 वार्डों में जिन-जिन को कम्पनसेशन मिला है उन सब को आप इसमें शामिल करिए, तत्काल मुआवजा देने का कार्य शुरू कीजिए। उन लोगों का विशेष ख्याल रखिए जो भोपाल का बाशिंदा न होते हुए आसपास के लोग थे एक पैसे का आज तक जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनके पास मैडिकल रिपोर्ट है, डैथ सर्टीफिकेट है, लेकिन उनकी सुनवायी आज तक किसी भी स्तर पर नहीं हो पायी है। इन सारी बातों पर मेरा कहना था। मैं, जो प्रस्ताव आया है, इसका समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं करता। बाकी जैसे आप ठीक समझें। मैं अन्त में आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो त्रासदी है अभी भी बनी हुई है। आठ वर्ष पहले जो वाकया हुआ उसके बारे में आज भी हम चर्चा कर रहे हैं । क्योंकि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका प्रभाव पीछे छूटा रहता है और हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारा दायित्व क्या है। जो कुछ दायित्व सामने है, वह जिस तरह से हम निभा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इस तरह से किसी आदमी की जिन्दगी के बारे में हम सोचते हैं, उसको जिन्दा रहने के लिए जो कुछ अवसर हम मुहैया करवाते हैं, जिन्दगी और मौत यह कुदरत की नियामत है, किन्तु रास्ता चलते बिना बताए कोई मौत आ जाए और कोई हादसा हो जाए तो निश्चित रूप से यह हमारा मानवीय दायित्व है कि उसके बारे में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, तत्काल करें।

सरकारी जवाबों में होता है कि हम शीघ्र कर रहे हैं, कार्यवाही जारी है, हमारी पूरी तैयारी है, परन्तु अभी भी मार-मारी है, सारी बेचारगी है, लोग परेशान हैं। अब लोग कितने होंगे, 5 लाख लोग ठीक है 5 लाख लोगों को राहत देने का काम शुरू कर दिया। अब संख्या 6 लाख 2 हजार आयी, उनको शामिल न करने का कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, निर्देश दिया है तो पैसा दो, पैसा दो तो राहत बंटे, राहत भी क्या है 200 रुपये । क्या मजाक है? जो मर गया सो मर गया, जो घायल है सो घायल है। गैस के प्रभाव के कारण फेफड़े खराब हो जाते हैं, काम करना, परिश्रम करना दूभर है। कोई परिश्रम नहीं करता, ऐसे ज्यादातर परिवारों का मुझे पता है सारे के सारे परिवार उजड़ गए हैं । परन्तु इतने सारे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, जो लोग मर गए हैं उनको क्लेम देने में क्या हो गया? अभी बताया जा रहा था कि मौत और मौत में फर्क है, किसी को दो लाख और किसी को तीन लाख मिलेगा। मौत में क्या फर्क होता है। मौत में भी क्या फर्क होता है? मौत में फर्क करने का कोई कारण नहीं, परन्तु जो मर गया है, जो मिट्टी हो गया, खाक हो गया, उसमें गरीब और अमीर हम करने वाले हैं। इसको दो लाख मिलेगा, इसको तीन लाख मिलेगा, यह भ्रष्टाचार होगा या नहीं। जो

पहुंच लगा कर पहुंच गया उनको तीन लाख मिल जायेंगे और जो पहुंच नहीं लगा सकता उसको दो लाख देंगे। मरने पर भी भ्रष्टाचार करने के लिए हमने अवसर छोड़ कर रखा है। घायल हो गया है तो उसकी सीमा बांध दीजिए।......(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसके ऊपर इनकी उम्र लेते हैं और अरनिंग कैपेसिटी लेते हैं और कंपनसेशन फिक्स करते हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया: मनुष्य की मौत में आजकल फर्क कर लिया है। सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो उसको इतना मिलेगा, रेल में एक्सीडेंट होता है तो उसको इतना मिलेगा और अगर हवाई जहाज में मरने वाले हैं तो उनको ज्यादा आयेगा। इसका क्या मतलब है। मानव -मानव में यह जो नजरिया भौतिक रूप से बनाकर रखा है, यह ठीक नहीं है। आदमी के मरने में अंतर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए । जिसकी मौत हो गई है यदि उसको दो लाख या तीन लाख देना है तो दीजिए। जो मर गया है तो गउसको एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए, इससे भ्रष्टाचार करने में कोई गुंजाईश नहीं है। उसकी सुनवाई करके दो-चार साल लगाने का मौका नहीं होना चाहिए। अगर आठ साल लग गए हैं तो आठ साल के अंदर कोई जिंदा रह सकता है। आठ साल की त्रासदी के बाद भी हो कोई तैयारी होगी। जितनी देर हो रही है तो उतना अन्याय हो रहा है। न्याय करने के लिए राहत के बारे में कहा गया है। सीमा बांधकर रखिए, कोई फैसला नहीं होगा तो फिर राहत की सीमा बढ़ाइए। 56 वार्ड के लोग प्रभावित हैं। जिन्होंने क्लेम कर दिया है तो उसको मान लिया है और जिन्होंने नहीं किया है तो उसको नहीं मान रहे हैं। इसके बारे में स्पष्ट कोई दिशा-निर्देश होना चाहिये।

अभी जो सारी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों में काफी विवाद का कारण बन गया है। उसके अंदर जो अंतर आ रहा है और जो दायरा बनाया गया है तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उसको ठीक प्रकार से जो निश्चित बात है उसके लिए दिशा-निर्देश देंगे और जितना आप उसमें आयाम देंगे और दूरी रखेंगे तो भ्रष्टाचार होने वाला है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि ये सारी बात करने का आप मौका दें। पेमेन्ट कैसे होने वाली है अभी तक दिशा-निर्देश नहीं हुआ है। पेमेन्ट करने के लिए क्या बैंक या ट्रेजरी या आप करने वाले हैं। पैसा आपके पास आया हुआ है तो उसको पेमेन्ट करने के लिए यह बता दीजिए कि यह तरीका होगा जिसके माध्यम से पेमेन्ट करने वाले हैं। 2850 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दो हजार लोगों का पता लग गया है। जो मारे गए हैं। तो उसके बारे में दावों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सकता है और जो राशि क्षतिपूर्ति की है, वह देनी चाहिए। इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जो बात सत्य है और जिसका डाक्युमेंटेशन हो गया है और जो कागज के आधार पर सिद्ध हो गया है तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। अभी कहा गया था कि कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जो कारखाना बना हुआ है वह रेल की पटरी के निकट बना हुआ है और रेल उधर से बेलागढ़ की ओर जाती है और फिर उधर से भोपाल जाती है। बेलागढ़ और भोपाल के बीच में कारखाना बना हुआ है। जो गैस निकली है तो उसका प्रभाव रेल यात्रा करने वाले और कर्मचारियों पर हुआ है। बहुत से रेल कर्मचारी परेशान हैं और बीमार हैं क्योंकि उनकी आज तक कोई सुनवाई करने के लिए मौका नहीं है। जो रेल कर्मचारी रहे होंगे और जो यात्रा कर रहे होंगे और जो स्टेशन के स्टाफ में रहे होंगे तो ऐसे लोगों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिये। 56 वार्ड को करना लाजमी आवश्यक है। राहत की बात कर रहे हैं तो राहत में फर्क करेंगे। इसका मतलब तो यह है कि "अंधा बांटे रेवडी और अपनों-अपनों को दे।" ऐसी बात करना चाहेंगे तो प्रजातंत्र नहीं रह जायेगा। एक ओर प्रजातंत्र दूसरी ओर तथ्य और तीसरा इन्साफ का लगा रखा है यंत्र। इन्साफ तो यंत्रवत होगा तो तंत्र किसके भरोसे चलेगा। यह दिखायी देना चाहिए कि हम न्याय कर रहे हैं,

उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को जो उसकी पात्रता रखता है तो उस पात्रता रखने वाले व्यक्ति के साथ सारी की सारी बात होनी चाहिए। अभी जैसा बताया गया कि क्षतिपूर्ति के जो निर्देश हुए हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं सरकार ने उसका विरोध भेजा होगा या नहीं भेजा होगा। हमारे मित्र बोल रहे थे कि सरकार ने विरोध भेजा है। सरकार ने विरोध किया है, कुछ गलती दिखाई दे रही है तो उसमें सुधार करके उसको मानने में क्या दिक्कत है। हम जो सुझाव दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने वे भेज दिये हैं और उसके द्वारा भेजी हुई जानकारियां हैं पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि यह जो राहत की राशि है जिसमें 1 लाख 2 हजार लोग आते हैं उनको पैसा देने के लिए हमें पैसा चाहिए, परन्तु पैसा नहीं दिया जा रहा है, यह सत्य है। जो कुछ जानकारी मेरे पास आई है राज्य शासन के अनुसार उसमें 36 वार्ड्स के कुल निवासियों की संख्या 6 लाख 2 हजार निकली है। 5 लाख खातों का लक्ष्य 15.6.1991 तक पूरा कर लिया गया है, 1 लाख 2 हजार को अन्तरिम राशि प्राप्त करने की पात्रता भी है। शासन द्वारा पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्य शासन जनवरी, 1991 से लगातार हर स्तर पर भारत शासन से राशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जो लगातार कोशिश की जा रही है उसको नकारने का मतलब नहीं है। इसलिए यह राशि दी जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस बारे में शीघ्रता से दिशा निर्देश देकर जो 1 लाख लोग बच गये हैं उनको मुआवजा राशि देने का पूरा प्रबन्ध करना चाहिए। 56 वार्ड्स के निवासियों को जिस प्रकार की आप बात करते हैं उनको पूरी-पूरी राशि मिल सके इस प्रकार के उपाय करने चाहिए।

एक योजना बन रही है उसमें दीर्घकालीन राहत और पुनर्वास की योजना मंत्रालय ने बनाई है। मंत्रालय ने जो योजना बनाई है उसको करने के लिए हर साल आप क्या-क्या खर्च करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या कोई आपने एक्शन प्लान बनाया है?

जो राहत और पुनर्वास की योजना के माध्यम से आप जो कुछ काम करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट नक्शा आपने लोगों के सामने रखा है, कि लोगों को इसके मुताबिक राहत पहुंचाने के लिए, उनको पुनर्वास देने के लिए तथा उनके मुआवजे को दृष्टि में रखते हुए हम यह काम करेंगे।

जो ये बातें मैं कह रहा हूं और जिनको लेकर हमारे सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है और यहां पर इस विधेयक को लेकर आये उन सारी बातों के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अपेक्षायें की गई हैं, उसमें अब ज्यादा विलम्ब न करते हुए लोगों को राहत दे सकें इतना ही मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है। मुझे विश्वास है कि जो लोग अभी तक प्रतीक्षित हैं राहत के लिए उनको ज्यादा देरी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी): उपाध्यक्ष जी, यहां पर भोपाल त्रासदी के ऊपर चर्चा कराकर हमारे सहयोगी ने बहुत ही ठीक काम किया है। यह गैस त्रासदी सही मायनों में इतने लम्बे अर्से के बाद भी इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी तक पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आ पाये हैं। भोपाल में गैस त्रासदी हुई, इसमें कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार पाये गये हैं उनको आपने छोड़ दिया है। वे लोग हिन्दुस्तान के बाहर चले गये हैं। कानून और कोर्ट की गिरफ्त में वे नहीं आ पा रहे हैं और खुले आम घूम रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में हत्यायें कराकर वह अपराधी सरे आम आम लोगों की तरह घूम रहा है। इस बात पर विचार करना जरूरी है। यह सवाल केवल भोपाल का नहीं है, यह सवाल है हिन्दुस्तान में जितने विदेश से व्यापारी आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि और भी व्यापारी आने वाले हैं, क्या उससे आम मजदूरों की, आम लोगों के जान-माल की सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है या नहीं होती है। आपने सुना होगा चेरनोबिल में घटना हुई, सारी दुनिया में चर्चा हुई, उससे भयानक घटना भोपाल में

हुई। इसका आतंक और त्रासदी देश में और देश के बाहर भी फैली रही। इसलिए मैं जानना चाहता हूं जो महानुभाव यह प्रस्ताव लेकर आये हैं, उसमे मेरा सुझाव है सरकार से कि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर आपको विचार करना चाहिए और सरकार को ऐसा बिल भी लाना चाहिए कि ऐसी कम्पनीज जो चाहे रसायन की हों या एटोमिक एनर्जी की हों, इन कम्पनीज में पूरा रख-रखाव हो और मजदूरों के हितों की रक्षा हो। और आम जनता के हितों की रक्षा हो, इस पर आगे विचार करने का सवाल है। भारत सरकार की नीति में विदेशी कम्पनियों का जो बोलबाला चल रहा है, उसमें दी गई छूट से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है जिस की ओर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते है। हमारे साथी श्री दिग्विजय सिंह जी ने भू-गर्भ समस्याओं को हमारे सामने रखा परन्तु यह नहीं सोचना चाहिये कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कम्युनिस्ट, कांग्रेसी या जनता दल वाले यहां बात करें कि भोपाल में ये घटनायें हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो विक्टिम्स हैं, उनको पूरी सुविधा नहीं दी जाती है, उपयुक्त मात्रा में भी नहीं दी जा रही है। उनकी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य या दूसरी समस्याओं पर यहां चर्चा हुई है, उसका समाधान नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना लम्बा समय गुजरने के बाद भी आज तक भोपाल त्रासदी के जो पीड़ित लोग हैं, उनकी समग्र समस्याओं का हल नहीं किया गया है। हमारे पुराने मित्रों में डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, सत्य नारायण जटिया ने इसके बारे में बहुत बार सवाल उठाया भी है, मैं उनसे सहमत हूं। यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नाम पर यह खेल चलता रहा तो उन पीड़ित लोगों की समस्यायें नहीं सुलझेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार बनाम राज्य सरकार के नाम पर इन समस्याओं की अवहेलना न की जाये क्योंकि मानवीय आधार पर बहुत सारी घटनायें होती है जिसमें विवाद का विषय नहीं होना चाहिये कि यह तामिलनाडु की सरकार का है या बिहार सरकार का काम है। अगर बिहार में कोई पुल का निर्माण करना है, बिजली कारखाना खोलना है तो यह नहीं देखना होगा कि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है और वह उसको बदलता रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर समग्र समस्याओं पर विचार किया जाये ताकि भोपाल त्रासदी से जो पीड़ित लोग हैं जिनकी संख्या पांच लाख तक पहुंच गयी है, उनकी समस्याओं का समाधान हो। एक साथ बैठकर एक समग्र योजना बनाकर, एक दूसरे पर दोषारोपण न करके इस काम को करना चाहिये न कि समस्या को टालने का काम होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि सरकार के ध्यान में, उसके दिमाग में और भारत सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश की सरकार के ध्यान में भी लायें। एक बात जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया है लेकिन मुआवजे की राशि को, जैसाकि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, पर पुनर्विचार होना चाहिये। चूंकि रुपये का अवमूल्य होने से वह राशि कम है, इसलिए मंहगाई के बढ़ने से वह राशि भी कम नजर आयेगी इसलिए इस बात पर नहीं टीके रहना चाहिये बल्कि इसमें संशोधन करें, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के प्राण इन टर्म्स आफ इन्फलेशन और रुपये के अवमूल्यन को देखते हुए दुबारा सोचना चाहिये क्योंकि इससे कई परिवार बरबाद हो गये है, वे परेशान हैं। इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों और नौजवान साथी श्री दिग्विजय सिंह जी ने जिन विषयों पर, जिन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला, उनको उजागर किया है, उस पर गौर करना चाहिये कि जिन कम्पनियों को आगे चलकर खोलेंगे, ऐसे उद्योगों की सेफ्टी का क्या होगा?

विदेशी कंपनियां लगाने में उनमें मजदूरों की जान-माल की हिफ़ाजत क्या होगी, मजदूरों की हिफ़ाज़त की समस्या क्या होगी, इन सब समस्याओं को एकत्रित कर केन्द्र सरकार एक बिल लाए और इसमें तमाम समस्याओं पर कांप्रिहेन्सिव विचार हो जिसके ज़रिए आठ दुर्घटनाएं घट चुकी हैं और जिससे मानव जीवन पीड़ित है, इन समस्याओं के साथ-साथ मजदूरों के लिए गारंटी हो, इस पर विचार होना चाहिए। जब भी प्रस्ताव आता है तो

इस पर अनेक समस्याओं को ला दिया गया है और समस्याओं को लाने से केन्द्र सरकार पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं पाण्डे जी से आग्रह करूंगा कि आपके मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वह उसको पार्टीबाजी का विषय नहीं बनाए, केवल मानवीय मूल्य से और मानव कल्याण की दृष्टि से देखे, यही मेरी अपील है।

प्रो॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: यह मानवीय मूल्यों के आधार पर ही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इस चर्चा के लिए तीन घंटे का समय नियत किया गया था जो पहले ही पूरा हो चुका है। क्या सभा इस चर्चा के लिए आधे घंटे का समय बढ़ाने की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय: इस चर्चा के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाता है। प्रो॰ रासा सिंह रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, यह भोपाल गैस त्रासदी विश्व की सबसे भयंकर त्रासदी रही है और 2-3 दिसंबर, 1984 का दिन विश्व के इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेगा जिस दिन 2850 से अधिक लोग एक ही क्षण में रात्रि में सोते-सोते काल-कलवित हो गए और अनेकों माताओं की गोदें हमेशा के लिए सूनी हो गई...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया।

प्रो॰ रासा सिंह रावत: हां महोदय, मुझे अभी और भी कुछ बातें कहनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर अभी भी आपको कुछ और कहना है तो आप दुबारा अवसर मिलने पर कह सकते हैं। हो सकता है आपको अगली बार अधिक समय मिल जाये।

प्रो॰ रासा सिंह रावत: महोदय, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह नियमों के विरुद्ध है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मकसद है। मेरी एक प्रार्थना है कि इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने...।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो॰ रावत, एक बात है। यह मानदंडों के विरुद्ध है। जो कुछ आप कहना चाहते थे वह अन्य माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत: मंत्री जी उत्तर दे सकें इसके लिए मैं पूछना चाहूंगा। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस संबंध में बहुत कुछ कार्य किया है और भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आठ साल के बाद भी उस

रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है और उस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? इसके साथ-साथ इस गैस का जीवित मनुष्यों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है और गर्भवती महिलाओं पर और आने वाले बच्चों की जनरेशन पर जो असर पड़ रहा है उसके बारे में उस रिपोर्ट में या अन्य पर्यावरण सुधारों के बारे में बातें उजागर की जाएं ताकि लोगों को मालूम हो सके। मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि 1985 में भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर क्लेम्स का एक बिल सरकार लाई थी और ऐक्ट बना था और उसके बाद दोबारा आने वाले भविष्य में भी ला रही है। उसमें जो कमियां रह गई हैं, तालमेल का अभाव हो अथवा आरोप-प्रत्यारोप केन्द्र और राज्य के बीच हो रहे हैं अथवा क्लेम्स के बारे में उनकी संख्या बढ़ गई है, पहले 715 करोड़ रुपया था, अब 1200 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान करना है। इसके अलावा 36, और 56 सेक्टर की बात हो रही है। इन सबके बारे में मंत्री जी से अनुरोध है कि वे जो व्यापक बिल इस विषय में लाने वाले हैं, उस व्यापक बिल को जल्दी लाएं ताकि इन सभी समस्याओं का निराकरण भली प्रकार हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नांडीज़ (उदीपी): इस विषय पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाने के लिये भी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिससे देश के लोगों की भावनायें जुड़ी हैं, जो इस देश के लोगों के लिये चिन्ता का विषय है तथा जो देश में हुई एक अभूतपूर्व दुखद घटना से संबंधित है।

हताहतों के लिए पर्याप्त तथा समुचित मुआवजे की मांग करते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार, जिसने कभी भी यह आश्वासन नहीं दिया कि दुर्घटना नहीं होगी, ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए, क्या कदम उठाने का विचार कर रही है। लेकिन, यह सुनिश्चित कराने के लिये कि इस प्रकार की घटनाऐं कम से कम हों कुछ उपाय करने पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, अगर कोई दुर्घटना होती है तो किस तरीके से लोगों को समुचित सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। आज यह दुर्घटना भोपाल में हुई है और इसमें एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्तर्ग्रस्त है। हम उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही कर सकते हैं और उनसे देय मुआवजे का भुगतान भी करा सकते हैं। परन्तु यदि ऐसी कोई कम्पनी हमारे लोगों द्वारा ही चलाई जाती हो, हो सकता है कि हम मुआवज़े के लिये इस प्रकार का उपाय न कर पायें, उस स्थिति के लिये हमें क्या कानून बनाना चाहिये, हताहतों की मुसीबतों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए उन्हें मुआवजा देने हेतु कौन सा तंत्र, बीमा अथवा सरकारी संसाधन निश्चित किया जायेगा।

बताया गया है कि भोपाल गैस पीड़ितों का इलाज करवाया जा रहा है। उनमें से कुछ लोग स्वस्थ हो गये हैं, हो सकता है कुछ स्वस्थ हो रहे हों, और यह भी हो सकता है कि कुछ शायद कभी भी स्वस्थ न हो पायें। यह एक मानवीय त्रासदी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह बतायें कि भविष्य में ऐसी घटनायें रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): 30 अप्रैल, 1992 को यह संकल्प लाने के लिए मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र का आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का भी, आपराधिक मामलों के बारे में इतनी अधिक जानकारी देने के लिए, आभारी हूं। उन्होंने सरकार को बहुत से सुझाव भी दिये हैं। मैं डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, श्री दिग्विजय सिंह और अन्य सदस्यों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री ओस्कार फर्नान्डीज़ ने अभी-अभी अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा है कि यह अपने तरह की तथा इस शताब्दी की अत्यन्त भयंकर त्रासदी है। हालांकि यह दुर्घटना 1984 में हुई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने में बहुत समय लिया, उन्होंने अपना निर्णय अक्तूबर, 1991 में दिया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा देने के लिए मार्ग-निर्देश तैयार करने हेतु

सरकार को चार महीने का समय दिया। ठीक फरवरी के अंत में हमने न्याय-निर्णय की प्रक्रिया शुरू की। हमने एक कल्याण आयुक्त नियुक्त किया। जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। मार्च से उन्होंने एक भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आयुक्त के कार्यालय हेतु कुछ भवन उपलब्ध कराये। उन्होंने 5 अतिरिक्त आयुक्त और 17 उप-आयुक्त नियुक्त किये। सरकार ने न्याय-निर्णय प्रक्रिया शुरू करने हेतु तत्काल लगभग एक हजार लोग नियुक्त करने के लिए आयुक्त को स्पष्ट स्वीकृति प्रदान की है। सामान्यतः नियुक्तियों के लिये हम संघ लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग के पास जाते हैं। नियुक्तियों के मामले से बहुत सी अन्य प्रक्रियायें भी हैं। लेकिन सरकार ने कल्याण आयुक्त को, न्याय-निर्णय प्रक्रिया शुरू करने हेतु एक विशेष मामले के रूप में लगभग एक हजार लोगों की भर्ती करने के लिए पूर्ण स्वीकृति दे दी है। पीड़ितों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ विशेष कदम उठाये हैं। माननीय सदस्यों ने मार्ग निर्देशों के बारे में कहा है। सरकार ने जो मार्ग-निर्देश दिये थे वे केवल सांकेतिक थे। छोटी-मोटी चोट आने वालों को कुछ पैसा देने के लिए हमने मार्ग-निर्देश दिये हैं। हमने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिये भी कुछ पैसा दिया है। लेकिन निर्णय लेना कल्याण आयुक्त का ही काम है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। वह न्याय-निर्णय प्रक्रिया की शुरूआत करेंगे। दावा-निदेशक पहले ही भोपाल में हैं। वह मृतकों के दावों का कार्य देख रहे हैं। हमने यह कहते हुए पर्याप्त मार्ग-निर्देश दिये हैं कि चोट गंभीर है अथवा अन्य प्रकार की है इसका निर्णय उन्हीं को करना है। परसों प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अगर न्यायाधीश चार लाख के स्थान पर पांच लाख रुपये देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। उसे पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये अगर न्यायाधीश यह महसूस करते हैं कि पीड़ित को साढ़े पांच लाख रुपये दिये जाने चाहियें तो ऐसा निर्णय कर सकते हैं। हम कल्याण आयुक्त को सभी शक्तियां देने के लिए अगले सप्ताह, कभी भी, शायद सोमवार को ही, एक विधेयक लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह सक्षम प्राधिकारी होंगे। सभी मुआवजे सम्बन्धी दावों का निर्णय वह ही करेंगे।

विलंब के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम मार्च से इस पर गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आधारभूत सुविधायें जुटाने के लिए कुछ अदालतें शुरू करने में, लोगों की नियुक्ति में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने ठीक समय ही लिया है। हम इस पर नज़र रखे हुए है और हमें कल्याण आयुक्त के कार्यालय से प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट प्राप्त हो रही है मैंने दो महीने पहले यह देखने के लिए कि वहां क्या-कुछ हो रहा है, एक दल भेजा था।

जहां तक मुआवजे की राशि का संबंध है इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह राशि पहले से ही रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध है। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त किया गया था। धनराशि रिजर्व बैंक के पास जमा है और हमें उस पर ब्याज भी मिल रहा है। कुल धनराशि चौदह सौ करोड़ रुपये के लगभग है।

मुआवजे के संबंध में, पहले यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें पांच लाख रुपये दिये जायें और अब परसों उच्चतम न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया है जिसमें यह कहा गया है कि इसे एक लाख रुपया और बढ़ाया जाए। हम भी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। इस मामले में हमारा दृष्टिकोण उदार है। यह एक बहुत बड़ी तबाही हुई है। सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही है।

सरकार भोपाल गैस त्रासदी में शिकार हुए लोगों के प्रति काफी सहानुभूति रखती है। हम यथासंभव शीघ्र अधिकाधिक मुआवजा प्रदान करना चाहते हैं। हम इसमें विलम्ब नहीं करना चाहते। लेकिन अभी यह मामला न्यायपालिका पर निर्भर करता है। यदि इसमें किसी विभाग का कोई अधिकारी होता, तो मैं

अवश्यतः उसे यह कहता कि इसे एक वर्ष की अवधि में निपटा दिया जाये। यदि इसमें किसी राजनीतिज्ञ का प्रश्न होता, तो मैं उससे अवश्य ही यह अनुरोध कर सकता था कि यथासंभव शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं? प्रश्न प्रक्रिया को केवल इस समय ही तेज करने का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मालिनी जी, इन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिये और तत्पश्चात् आप और स्पष्टीकरण मांग सकतीं हैं।

डा॰ चिन्ता मोहन: प्रक्रिया को तेज करने और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उन्हें यथासंभव शीघ्र मुआवजा मिल सके, सभी संभव उपाय किये जाएंगे।

चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना निर्णय दे चुका है जिसमें यह कहा गया है कि युनियन कारबाईड को इसमें आगे आना चाहिये और पांच सौ बिस्तरों का एक अस्पताल बनाना चाहिये।

5.00 म॰ प॰

केन्द्र सरकार इसके बारे में काफी चिन्तित है। यदि उन्हें कोई और सहायता भी चाहिये तो हम उन्हें वह सहायता भी देने को तैयार है। राज्य सरकार भी अस्पताल के लिये भूमि तथा अन्द सुविधाएं देने के लिये काफी उत्सुक है जो कि भोपाल शहर में एक स्मारक का रूप ले सकेगा। एक अति विशेष अस्पताल भी बनने जा रहा है और हम जल्दी ही इसे शुरू करने जा रहे हैं।

कुछ लोगों ने आई॰सी॰एम॰आर॰ रिपोर्ट के बारे में पूछा है। मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। यह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। जल्दी ही, सोमवार को ही मैं माननीय सदस्य को रिपोर्ट भेज दूंगा। वह इसे पढ़ सकते हैं। यदि वह कोई सुझाव देना चाहें तो हम उन्हें मानने को तैयार हैं और हम उनके विचारों पर भी ध्यान देंगे।

अब, जैसा कि श्री दिग्विजय सिंह ने एक दल भेजने का सुझाव दिया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम दल भेजने को तैयार हैं। यदि लोग चाहें, तो वे भोपाल जा सकते हैं और न्याय-निर्णय की प्रक्रिया को देख सकते हैं। वे वापिस आकर सरकार को अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: आप भी साथ आ सकते हैं।

डा॰ चिन्ता मोहन: मैं निश्चित तौर पर आप के साथ चलूंगा।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज ने जानना चाहा है कि हम ऐसे कौन से उपाय कर रहे है जिनसे इस तरह की त्रासदी की घटनायें भविष्य में फिर से न घटें। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये तमाम संभव उपाय कर रही है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना न घटे।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार को इस घटना में शिकार हुए लोगों के बारे में काफी चिंता है और भोपाल में यदि कोई भी समस्या पैदा होती है, तो हम उनसे निपटने को तैयार हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: वाईस् 50 और वाईस् 36 के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

डा॰ चिन्ता मोहन: यह तमाम कार्यवाही कल्याण-आयुक्त पर निर्भर करती है। जो लोग और अधिक मुआवजा पाना चाहते है, वे निदेशक-दावा से संपर्क कर सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: इसके बारे में मार्गदर्शक बातें कौन सी हैं?

डा॰ चिन्ता मोहन: मार्गदर्शक बातें तो भारत सरकार ने संकेत के रूप में जारी की हैं। निर्णय तो उन्होंने ही लेना है।

श्री दिग्विजय सिंह: क्या वह इन मार्गदर्शक सिद्धांतों से आगे भी जा सकते हैं?

डा॰ चिन्ता मोहन: वह जा सकते हैं। यह निर्णय तो उन्हें ही लेना है। वह इससे अधिक मुआवजा भी दे सकते हैं।

इन स्पष्टीकरणों के साथ मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संकल्प को वापिस ले लें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): क्या सरकार मामले को आगे चला रही है अथवा क्या सरकार ने यह मामला बंद कर दिया है?

डा॰ चिन्ता मोहन: इस समय सी॰बी॰आई॰ इस मामले को देख रहा है। हमने अमरीका के एक समाचार पत्र वाशिंगटन टाइम्स में श्री एंडरसन की गिरफ्तारी के बारे में विज्ञापन दिया है और हम यू॰सी॰आई॰ की संपत्ति कुर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनयिक माध्यमों से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि श्री एंडरसन का भी पता चल सके। हम देखेंगे कि इसके लिये सभी संभव उपाय किये जायें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: मैं यह कह रही थी कि प्रश्न केवल इस समय प्रक्रिया को तेज करने का ही नहीं है। बल्कि प्रश्न तो इतने वर्षों में जो मामले जमा हुये हैं, उन्हें निपटाने का है।

अन्य शब्दों में, बाकी दावे तो बाद में आ सकते हैं, परन्तु जो दावे इस समय तक आ चुके हैं, आपने अभी तक उनमें से आधे भी नहीं निपटाये। ये दावें अभी भी बकाया हैं।

मैं यह जानना चाहती हूं कि इन जमा हुए दावों को निपटाने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं। ऐसे दावों के बारे में जोकि जमा हैं, परन्तु उनकी जांच नहीं की गई, डाक्टरी जांच नहीं की गई, उनके मामले में कौन से कदम उठाये गये हैं जैसा कि माननीय श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक ने कल भी कहा था, इन सभी बकाया मामलों को तेजी से निपटाये जाने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिये कुछ विशेष उपाय करने होंगे। जिन मामलों में मेडीकल केटेगरी के प्रमाण की आवश्यकता है, उनमें कार्यवाही उदार नहीं बनायी जानी चाहिये।

इन सात श्रेणियों को छोड़कर क्या आपको उन सभी 15 श्रेणियों के बारे में कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है जिनका कि स्कीम के अंतर्गत पहले जिक्र किया गया था? इन बातों के बारे में तुरत निर्णय लिया जाना है। यह तो एक बात थी जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। इन जमा हुए मामलों को निपटाने के लिये आप कौन से उपाय कर रहे हैं?

दूसरी बात धनराशि के बारे में है। आपने बताया है कि धनराशि 1400 करोड़ रुपये है। पहले यह धनराशि 750 करोड़ रुपये रखी गयी थी। क्या 1400 करोड़ रुपये की राशि अवमूल्यन के बाद निश्चित की गई है? अन्य शब्दों में क्या अवमूल्यन के कारण ही 750 करोड़ रुपये की धनराशि को अब 1400 करोड़ रुपये के रूप में आंका जा रहा है? क्या इसमें विगत तीन वर्षों में लगने वाला ब्याज भी शामिल है? इस प्रकार आपने क्षति के बारे में जो अलग-अलग सूचियां बनायी हैं, उनके बारे में जो मार्गदर्शक सिद्धान्त आपने अपनाये हैं, उसमें एक लाख से तीन लाख रुपये, चार लाख रुपये और इसी तरह की श्रेणियां बनायी गयी हैं। इसी वजह से इन श्रेणियों में अवमूल्यन को नहीं दिखाया गया। पीड़ित लोग कोई दान नहीं मांग रहे हैं। वे तो जो कम से कम न्याय संगत है, उसकी मांग कर रहे हैं। यदि आप रुपयों के हिसाब से श्रेणियां बनाते हैं, तो उसमें अवमूल्यन दिखाई नहीं देगा और क्षति के बारे में सही समालोचना नहीं हो सकेगी।

डा॰ गिरिजा मोहन: बकाया मामलों के बारे में हम निदेशक (दावा) से संपर्क करेंगे जोकि भोपाल में हैं। हम उनसे सभी रिपोर्ट मंगवायेंगे। हम उनसे यह भी कहेंगे कि वह पीड़ितों के प्रति अधिक सहानुभूति दर्शायें। इस बारे में पहले से ही न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। कल्याण आयुक्त वहां पर मौजूद हैं। यदि संसद अनुमति देती है तो हम उसे शक्तियों सौंप देंगे और फिर वह स्वयं ही निर्णय ले लेंगे। वह सभी संभव कदम उठायेंगे क्योंकि वह स्वयं भोपाल के ही है; जिस दिन यह विनाशकारी घटना घटी, उसदिन भी वह वहां पर मौजूद थे और उनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल पाये गये थे। उन्हें भी इसके बारे में काफी चिंता है। मैंने उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क किया था। मैंने उनसे चर्चा की थी और वह भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित हुए लोगों के बारे में काफी चिंतित हैं। हम उन्हें सभी संभव मार्गदर्शन प्रदान करेगें और यह देखेंगे कि पीड़ितों को आधारभूत सुविधाओं के दायरे में अधिकाधिक मुआवजा मिल सके।1400 करोड़ रुपये की बात पर आते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें ब्याज भी शामिल है ....(व्यवधान).......

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: क्या यह अवमूल्यन की वजह से है? ......(व्यवधान).......

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य आपके सदन में आकर आपसे चर्चा करेंगी।

डा॰ गिरिजा मोहन: मैं ही उनके पास जाकर बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अमूल्य सुझाव देने हैं। यही अच्छा रहेगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत: इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट पर पाबंदी कैसे लगायेंगे?

[अनुवाद]

डा॰ गिरिजा मोहन: सोमवार को ही मैं इंथिन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया: यह बात साफ है कि 6 लाख लोगों को आप राहत पहुंचा रहे हैं और हजार दो हजार ऐसे भी लोग हैं, जिन को राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। जिन्होंने डाकुमेंटेशन के लिये क्लेम किया है, ऐसे लोगों की संख्या आधी है और ऐसे तीन लाख लोगों के क्लेम्स निपटाये जाने अभी बाकी हैं। आठ बरस में तीन लाख लोगों की यह स्थिति है। बाकी लोगों के प्रकरण जल्दी से जल्दी निपट जायें, इसके लिये कोई विशेष उपाय या विशेष दिशा-निर्देश आप देने वाले हैं तो हमें बतायें।

[अनुवाद]

डा॰ गिरिजा मोहन: महोदय, पांच लाख लोग तो पहले से ही हैं। अभी लगभग एक लाख लोग और भी हैं। इनके बारे मैं हम यथा संभव शीघ्र कोशिश करेंगे और निदेशक-दावा को अनुदेश देंगे कि इन सभी दावों को इकट्ठा करके इन्हें कल्याण-आयुक्त के समक्ष रखें जोकि इन दावों के बारे में निर्णय देंगे। सरकार भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित हुए लोगों की किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए तैयार है और हम यह देखेंगे कि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

श्री सुशील चन्द्र वर्मा (भोपाल): इस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि पार्टी से मुझे यह हिदायत है कि जब संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय चर्चा में भाग लेना है। लेकिन चूंकि मैं इस घटना के बारे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानकारी रखता हूं और वहां पर जो घटनायें हो रही हैं, उस इलाके का संसद सदस्य होने के नाते उनके बारे में मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है, इसलिये मैं एक स्पष्टीकरण रखना

चाहूंगा। अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक एक भी मामला नहीं निपटाया गया है। छप्पन वार्डों में अदालतें गठित की जानी हैं। आगे जब मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, तो मैं इन सबके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन केवल उनके स्पष्टीकरण के लिए एक भी मामले का फैसला नहीं हुआ है। 56 न्यायालय गठित होने हैं और केवल 17 ही बने हैं। केवल चार हजार मामले अंतिम चरण में पहुंचे हैं। एक भी मामले में मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए न्यायालयों को काफी काम करना है। उन्हें छः लाख से भी अधिक मामले निपटाने हैं क्योंकि ये दावे दाखिल किए गए हैं। इसलिए काफी काम किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, अभी माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। अगर कुछ और स्पष्टीकरण है तो आप पूछ सकते हैं?

श्री सुशील चन्द्र वर्मा: मैं समझता हूं कि मेरे लिए उपयुक्त स्थिति तब होगी, जबकि विधेयक अगले सप्ताह आएगा।

डा० गिरिजा मोहन: वर्मा जी ने देरी का उल्लेख किया है। मैंने पहले ही कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय-निर्णय प्रक्रिया शुरू करने के लिए चार महीने का समय दिया है। हमने इस अवधि में ही न्याय-निर्णय की प्रक्रिया शुरू कर दी है, आप यह अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी न्यायालय शुरू करने के लिए भवन तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। केवल चार महीने बीते हैं और प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। न्यायालय दावों का अध्ययन करने में समय लेता है और तब इसकें अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं भी निहित होती हैं। एक बार ये तैयार हों, तो धनराशि भी रिजर्व बैंक में पहले से तैयार है। वे इसे अंतरित करने के लिए यैयार हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि विधेयक अगले सप्ताह आ रहा है इसमें हम कल्याण आयुक्त को सभी शक्तियां दे रहे हैं। आप भोपाल में हैं और वह भोपाल में हैं। आप उनसे संपर्क कायम रख सकते हैं। आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। अगर कोई कठिनाई आती है, तो हम किसी भी चरण में हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। सब कुछ आपके हाथ में है।

इन शब्दों के साथ मै श्री सत्यगोपाल मिश्रा से अनुरोध करता हूं कि अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। सभी ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। लेकिन, सरकार का उत्तर बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

मुआवजे के संबंध में मैं यह नहीं समझ रहा कि सरकार 3,000 मिलियन अमरीकी डालर का दावा करते हुए 470 मिलियन अमरीकी डालर के समझौते पर क्यों सहमत हुई? अप्रत्यक्ष रूप से क्या घटना घटी?

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के मुआवजे संबंधी दावे निपटाने के लिए 3 फरवरी, 1992 तक 40 दावा न्यायाधिकरण शुरू हो जाने चाहिएं थे। इन न्यायाधिकरणों को न्यायिक मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी विधेयक अभी भी संसद में विचाराधीन है। अब तक 40 में से केवल 17 न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित लोगों के प्रति सरकार का यह रवैया है। भारत सरकार को अंततः समय मिला है जब न्यायाधिकरणों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा। लेकिन, सरकार ने दिशानिर्देश तय करते समय गैस पीड़ितों के प्रतिनिधियों या अन्य विशेषज्ञों से परामर्श नहीं किया। ये दिशा-निर्देश पीड़ितों को स्वीकार्य नहीं हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत काफी पीड़ित व्यक्ति नहीं आएंगे और वे मुआवजा लेने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। मुआवजे की अदायगी पूरी करनी की कोई समय सीमा नहीं है। पूरा मामला अभी भी फंसा हुआ है। दिसम्बर

1984 के भोपाल गैस त्रासदी के सात वर्ष बाद भी पीड़ितों को निकट भविष्य में मुआवजा मिलने के कोई संकेत नहीं है।

आज तक एक भी पीड़ित को मुआवजा नहीं मिला है यह इसलिए हुआ है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने इस तरीके से इस मुद्दे पर कार्यवाही की है।

पीड़ितों में यह आशंका है कि उनकी मुआवजा राशि पर्याप्त नहीं होगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को गलत तरीके से इन्कार करने, परेशान करने और भ्रष्टाचार से बचाकर उचित मुआवजा देना सुनिश्चित करें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पीड़ितों के पुनर्वास पर उचित ध्यान दे। 500 बिस्तर का अस्पताल समय पर निर्मित हों और सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में पीड़ितों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मिलें।

सर्वोच्च न्यायालय ने तीन अक्तूबर, 1991 को भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में यूनियन कार्बाइड के श्री एंडरसन और अन्य पर आपराधिक अभियोजन की अनुमति दी थी। श्री एंडरसन के प्रत्यार्पण का क्या हुआ, यह प्रश्न अभी भी उलझा हुआ है। सरकार इस मुद्दे पर चुप है। 7 दिसम्बर को जब श्री एंडरसन भोपाल पधारे, तब उन्हे अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन, उनके ही अतिथि गृह पर कुछ घंटे बन्दी रख कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर उन्हें राज्य सरकार के विमान द्वारा दिल्ली लाया गया और देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई। यह एक तथ्य है। एक आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त के प्रति सरकार का यह रवैया है। इस मामले में श्री एंडरसन को अभियुक्त संख्या 1 माना गया था। सरकार ने श्री एंडरसन के प्रत्यार्पण के लिए क्या कदम उठाए हैं? उन्हें अदालत में पेश न होने के कारण भगौड़ा घोषित किया गया था। क्या भारत सरकार ने श्री एंडरसन के प्रत्यार्पण के लिए अमरीकी सरकार से बात की है? यदि नहीं तो क्यों?

यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन और भारत में इसकी सहायक कंपनी की संपत्ति को कब्जे में लेने के मामले में क्या हुआ? मैं नहीं जानता कि सरकार बहुराष्ट्रीय निगम के प्रति नरम रवैया रख कर इस मामले पर कार्यवाही क्यों कर रही है।

इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। लेकिन, वाद-विवाद में बोलते समय माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह मामले पर गौर करेंगे। मैं उनसे यह अनुरोध भी करता हूं कि इस सभा के सभी वर्गों तथा पक्षों से माननीय सदस्यों के बहुमुल्य सुझावों पर गौर किया जाए। माननीय मंत्री इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर वह आश्वासन दें तो मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए तैयार हूं।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव ध्यान रखेंगे कि पीड़ितों को बगैर देरी मुआवजा मिले और हम यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों को ध्यान में रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र: महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

5.19 म॰ प॰

अपनियोजन नीति की समीक्षा के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगला संकल्प लेंगे। श्री रूप चन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की अपनियोजन नीति की तुरंत व्यापक समीक्षा करे।"

महोदय, सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मैंने यह संकल्प क्यों प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी का अपनियोजन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कैसे लिया गया? इसकी क्या प्रेरणा थी, कार्यशैली क्या था? उन्हें यह करने के लिए किसने प्राधिकृत किया? ये सभी मौलिक प्रश्न इस मुद्दे से कैसे सम्बद्ध हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अध्ययन हेतु अनेक समितियां गठित की गई। ऐसी नवीनतम समिति श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री के समय में गठित की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट श्री अर्जुन सेन गुप्त जो अब ब्रुसेल्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की नीति की समीक्षा की गई, लेकिन उसमें यह उल्लेख कभी नहीं था और न यह सिफारिश थी कि सरकारी क्षेत्र का कभी अपनियोजन किया जाए।

5.21 म॰प॰

[श्री पीटर॰जी॰ मरबनिआंग पीठासीन हुए]

उनहोंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तीन श्रेणियों में रखे जाएं। एक मुख्य क्षेत्र था। उन्होंने परिभाषा दी कि मुख्य क्षेत्र क्या है। उन्होंने कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, इस्पात और अल्यूमिनियम के 'प्राइमरी' उत्पादन तथा ताम्बा, शीशा, जिंक और निकल के 'प्राइमरी' उत्पादन और उर्वरक तथा पेट्रोलियम के मध्यस्थ उत्पादों, को प्राथमिक उत्पादन में शामिल किया। उन्होंने कहा था कि कुछ वर्षों से कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिकांशतः अधिगृहीत क्षेत्र तथा कुछ गैर-अधिगृहीत क्षेत्र से नकद घाटे को वहन कर रहे थे और इनका निष्पादन बहुत कम रहा। इन उपक्रमों के संबंध में भी समिति ने सिफारिश की थी कि जो कम्पनियां अनेक वर्षों से नकद घाटा वहन कर रही हैं, सरकारी उपक्रम ब्यूरो उनके लिए पूंजी की पुर्नव्यवस्था हेतु जांच करे। फिर उन्होंने रुग्णता पर विस्तृत अध्ययन किया और सिफारिश की कि जो कम्पनी कम से कम पांच वर्ष से लगातार घाटा वहन कर रही है, जहां पर प्रतिमाह, प्रति कर्मचारी जुड़ने वाला मूल्य प्रति कर्मचारी औसत मासिक परिलब्धि से कम है, जहां पर बढ़ते घाटे के कारण इक्विटी पूंजी खत्म हो गई है, ऐसे मामलों में भी यह सिफारिश थी कि बी॰पी॰ई॰ एक व्यापक रिपोर्ट ओ॰आई॰बी॰ को देगा जो उसको पुनः चलाने या बन्द करने के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगा। लेकिन, अनिवेश के मामले में किसी समिति ने कभी कोई उल्लेख नहीं किया। क्योंकि संसद द्वारा गठित वित्तीय समिति, सरकारी उपक्रम समिति है। ऐसी कोई सरकारी क्षेत्र की इकाई नहीं है जिसका कभी न कभी किसी निजी एजेंसी के विशेषज्ञों या किसी सरकारी एजेंसी या वित्तीय संस्था या सरकारी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन न किया गया हो। लगभग किसी सरकारी क्षेत्र की इकाईयों, जो आज लगभग 246 हैं, का विस्तृत अध्ययन किया गया है। लेकिन किसी भी समिति ने कभी भी यह सिफारिश नहीं की थी कि इसके लाभ कमा रहे उपक्रमों का अनिवेश किया जाए। महोदय मैं संक्षेप में

सरकारी क्षेत्र के दर्शन पर बोलना चाहता हूं कि यह कैसे और कब आया। बम्बई योजना के समय से ही यह टाटा, बिरला, और अन्य के नेतृत्व में था। बम्बई योजना में क्या तर्क था? उनका तर्क था कि मूलभूत क्षेत्र, निजी क्षेत्र अधिक निवेश नहीं कर सकता, सरकार पहल करे, सरकार मूलभूत उद्योग स्थापित करे ताकि निजी क्षेत्र को लाभ हो और यह सुझाव भी था कि जब निजी क्षेत्र थोड़ा परिपक्व हो जाए तब कुछ और सोचा जा सकता है। इसका रूझान मौजूद था और 1948 की औद्योगिक क्रान्ति के दिनों से ही कुछ लोग कभी स्वन्त्र पार्टी और कभी कांग्रेस पार्टी के अन्दर थे जो सरकारी क्षेत्र, इसके सिद्धान्त और इसके उद्देश्य का विरोध करते थे। वे इसका लगातार विरोध करते रहे हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र का अनिवेश का विचार या लाभ कमा रहे क्षेत्र और मुरक क्षेत्र में अनिवेश का विचार कभी नहीं आया। यह 1985 के बाद से हुआ जब व्यर्थ ही अन्धाधुंध ऋण लिए गए और हम आज इसके परिणामों का सामना कर रहे हैं और इसकी कीमत चुका रहे हैं और सरकारी क्षेत्र को अत्यन्त ऊंची दर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से व्यावसायिक ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह सब चलता रहा और सार्वजनिक क्षेत्र, बुनियादी क्षेत्र तथा आधारभूत क्षेत्र का कार्य जारी रहा और जब हम आर्थिक संकट में फंसे हुए थे तब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 'और विश्व बैंक के पास ऋण लेने के लिए गए, उन्होंने अपनी शर्तें थोपने का यही उपयुक्त समय समझा क्योंकि, उन्होंने मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टाइना, चिली तथा अन्य कुछ देशों में भी ऐसा ही किया था। सहायता देने के नाम पर उन्होंने भारत जैसे देश का गैर-औद्योगिकरण प्रारंभ कर दिया। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में आकर इस सरकार ने उनकी शर्तों, को स्वीकार कर लिया और इन्होंने लाभ में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में निवेश वापिस लेने का निर्णय लिया। इस बारे में निर्णय नवम्बर, 1991 में लिया गया था और मारुति सहित 31 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सरकार ने 30 की ही सूची दी है, और एक उद्यम का नाम नहीं बताया है तथा हम उसे मारुति ही मान रहे हैं, मैं सरकार की कुल 8% शेयरधारिता के शेयर वापिस लेकर 1991-92 में 3,038 करोड़ रुपये वसूल किए गए। सबसे पहला प्रश्न यह है कि सरकार को यह अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? क्या सरकार यह निर्णय ले सकती है कि 'हम दिल्ली बेच सकते हैं क्योंकि हमें धन की आवश्यकता है'? क्या वे ऐसा कर सकते हैं? महोदय, उन्होंने ऐसा किया है; वे यह कह सकते हैं कि 'हमारा दल जीता है, कांग्रेस (आई) विजयी हुई है। क्या ऐसा उनके चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है? क्या उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि यदि वे सत्ता में आयेंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र से निवेश वापिस ले लेंगे। नहीं, महोदय, बल्कि 1991 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस दल ने कहा थाः

> "भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और रोजगार के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत महत्व है। तथापि, काफी समय से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अकुशल, निष्क्रिय तथा खर्चीली हो गई थीं। इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।"

यहां तक कि उनके चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि पहले 365 दिन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के श्रमिकों और आम जनता में छोटे तथा मध्यम निवेशकर्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का स्टॉक दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 1,000 दिन के बाद वे उन क्षेत्रों पर विचार करेंगे जहां निजी क्षेत्र कुछ कार्य कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट, अध्ययन चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अथवा किसी क्षेत्र द्वारा किया गया हो अथवा किसी समिति के प्रतिवेदन, जिसमें मोहम्मद फजल समिति, एल०के० झा समिति और सेनगुप्त समिति में, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। यह संकल्पना केवल विश्व बैंक की है क्योंकि वह सदैव यह कहता रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निवेश वापिस लिया आना चाहिए।

महोदय, किसी अधिकार तथा जनादेश के बिना इस सरकार ने भारत की जनता के साथ धोखा किया है क्योंकि यह सरकार की संपत्ति नहीं है, यह राष्ट्र की संपत्ति है, और इसे बनाने के लिए गरीब जनता ने बलिदान किए

हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसे 'आधुनिक भारत का मंदिर' कहा था। एक दिन श्रीमती गांधी ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में यह कहा था:

"यह साधारण उद्योग नहीं है। यह जनता के विश्वास की वस्तुएं हैं।"

लेकिन, आप इस समय इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस (आई) के बीच होड़ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस (आई) ने उनका आर्थिक घोषणा पत्र चुरा लिया है और कांग्रेस (आई) का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके चुनाव घोषणा पत्र से सहमत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है:

"हम सार्वजनिक क्षेत्र को उत्पादन तथा लाभकारी बनाएंगे तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों द्वारा कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों में बराबर की भागीदारिता बनाएंगे।"

लेकिन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताए गए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कोई झलक कांग्रेस (आई) सरकार की कार्यवाही में नहीं मिलती है। मैं जानकीरमन समिति के दूसरे अंतरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 22 से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

"यह स्पष्ट है कि शेयर बेचने के लिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी और बैंक ने बोली लगाने के एक माध्यम के रूप में कार्य किया।"

यह इलाहाबाद बैंक के बारे में है जिसने शेयर खरीदे थे। उन्होंने किसके लिए माध्यम का काम किया था? उन्होंने बैंक ऑफ अमरीका के लिए माध्यम के रूप में कार्य किया। सिटी बैंक, विदेशी बैंकों ने शेयर ले लिए। आप उन पर बजटीय सहायता वापिस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आप उन्हें आपूर्तिकर्ता के ऋण पर निर्भर रहने के लिए कह रहे हैं जो उनके पास नहीं है। आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के छोटी-छोटी पूंजी आधारों को 49% इक्विटी वापिस लेकर समाप्त कर रहे हैं। जानकीरमन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि शेयर वापिस लेने का तरीका सही नहीं है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचने के संबंध में पूरी रिपोर्ट आने से इस बारे में और जानकरी मिल सकेगी। मैं आपको दो या तीन उदाहरण दे रहा हूं। आप यह मानकर नहीं चलें कि भारत की जनता सब कुछ भुला देगी। क्या आप जानते हैं कि किन कंपनियों के शेयर बेचे गए और किस क्षेत्र में यह तेल क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बेचे गए। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं। वे हैं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन मद्रास रिफाइनरीज, कोचीन रिफाइनरीज तथा बोनगेईगांव रिफाइनरीज। आप जानते हैं कि किसी राष्ट्र के जीवन में विशेषरूप से तृतीय विश्व के देशों के लिए तेल का कितना महत्व है। क्या आप मेरी इस टिप्पणी की ओर ध्यान देंगे, जो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की रिपोर्ट में दी गई थी। इस पुस्तक का शीर्षक 'चैलेंज टू दी साउथ' है, यह 'साउथ कमीशन' की रिपोर्ट है। इसके पृष्ठ 127 पर यह उल्लेख किया गया है:

"ऐसे सार्वजनिक उद्यम भी हैं, जो सामरिक महत्व के उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कुछ मामलों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व द्वारा राष्ट्रीय नियंत्रण की बात कही जा सकती है। इसका उदाहरण तेल है।"

इसका विशेष उल्लेख किया गया है। तृतीय विश्व के हमारे जैसे देश को सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वामित्व के प्रति सावधान रहना चाहिए और तेल तथा इस्पात सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं। रक्षा के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सामरिक क्षेत्र को दुश्मन को दे देंगे? एक देशद्रोही ही ऐसा कर सकता है। यह सिपाहियों के साथ धोखा होगा यदि आप शत्रु को सामरिक क्षेत्र दे देंगें।

आपने बहु-राष्ट्रीय तेल कंपनियों के एकाधिकार को राष्ट्रीयकृत कर दिया है। आप दक्षिण एवं तृतीय विश्व के देशों में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया। आप 'एम०एन०सी०' तथा 'सी०आई०ए०' आदि के बीच संबंधों के बारे में जानते हैं। मैं कोई भी बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। आपने स्वंय सभा में यह बात स्वीकार की है। लेकिन, तेल के क्षेत्र को आपने विदेशी कंपनियों बहु-राष्ट्रीय कंपनियों, को सौंप दिया है और बैंकों तथा अन्य संस्थानों ने इसके लिए माध्यम का कार्य किया है। अन्य अनेक संस्थान हैं। मैं पूरी सूची नहीं पढ़ रहा हूं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बड़ी संपनियां हैं। वे प्रमुख क्षेत्र में हैं जो एक बड़ा क्षेत्र है। इन पर न केवल भारत को गर्व है बल्कि संपूर्ण तृतीय विश्व को भी गर्व है। भारत के पास ऐसी आधारभूत सुविधाएं हैं तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कम्पनियां हैं। कृपया बंगलादेश को देखिए। वहां लोग क्या कह रहे हैं? अन्य तृतीय विश्व के देशों को देखिए। वहां के लोगों की टिप्पिणियां क्या हैं। उनकी टिप्पिणियां पढ़िए। हमें इस पर गर्व है। तृतीय विश्व की जनता को भी इन पर गर्व है। आप इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप रहे हैं। मैं कार्य प्रणाली की बात कर रहा हूं। आपने गोपनीयता के पेर्दे में षडयंत्रकारी ढंग से यह सब किया है।

महोदय, मैं आज केवल समाचार की बात कर रहा हूं। मैं शेयर बेचने की बात बाद में करूंगा। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। क्या अपने घर में ऐसा करते हैं? यदि आपके पास कोई आवासीय संपत्ति हो तो क्या आप इसे डबलरोटी, माखन तथा चाकलेट खरीदने के लिए बेच देंगें? आप ऐसा नहीं करते। आप अपनी पैतृक संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। जब आप अपने वैयक्तिक मामले में ऐसा नहीं करेंगे तब राष्ट्र के मामले में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या यह आपकी संपत्ति नहीं है। आप केवल पांच वर्षों के लिए चुने गए हैं और आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आपकी अल्पमतकी सरकार है। आपके पास कोई जनादेश नहीं है। आपके चुनाव घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी समिति ने इसके लिए आपको सिफारिश नहीं की है। आपने यह निर्णय जल्दबाजी में लिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? आपकी कार्य प्रणाली क्या है?

महोदय, क्या आपने आज का समाचारपत्र पढ़ा है? पेट्रोलियम की कीमतों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है? यह कहा गया है:

"ओ०सी०सी० से संबन्धित पेट्रो-मदों की मुक्त मूल्य नीति को मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है।"

प्रश्न यह है कि पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोलियम पदार्थों को कीमतें निर्धारित करेंगी। वे इस बारे में निर्णय कब लेंगी? पहले भी एक ऐसा प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव अभी भी चल रहा है। निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले ही आपने तेल क्षेत्र को 'म्यूचुअल फंड्स' तथा वित्तीय संस्थानों को सौंप दिया है जो एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने इसे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया है। इसके लिए अनेक विकल्प हैं। आप प्रत्यक्ष करों का पुनः निर्धारण कर सकते हैं। आप काला धन समाप्त कर सकते हैं। आप कर-अपवंचकों को पकड़ सकते हैं। इस प्रकार अनेक तरीके हैं। क्या आपने सभी तरीकों का पता लगाया है? नहीं, वित्तीय घाटे को कम करने तथा चालू व्यय को पूरा करने के लिए आप देश की संपति बेच रहे हैं। इसे देश के साथ धोखा करने के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है?

अब मैं मूल्य संबंधी पहलू के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक मूल्य तथा बाज़ार मूल्य में सदैव अंतर रहता है। यदि आपके पास अपना पैतृक आवास है और आप रजिस्ट्रार के कार्यालय में आते हैं, तब इसका मूल्य 10,000 रु० आंका जाएगा। लेकिन बाज़ार मूल्य इससे भिन्न होगा। यदि आप इसे बेचें तो आपको 5 लाख या दस लाख रुपये मिलेगें। अतः वास्तविक मूल्य कुछ तथा विनियम मूल्य कुछ और होता है। उदाहरण के लिए भारत पेट्रोलियम का मामला लें। भारत पेट्रोलियम की प्रदत्त पूंजी 50

करोड़ रुपये है क्या आप जानते हैं कि इसकी आरक्षित पूंजी कितनी है? यह 616 करोड़ रु० है। क्या आप प्रदत्त पूंजी के आधार पर आकलन करेंगे? वे इसकी गणना 25% 'निर्देश चिन्ह' के आधार पर करते हैं। यदि आप वास्तविक मूल्य अर्जन अनुपात 100 मानें तो भी यह बहुत कम होगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मामले में गणना की गई है। यदि मूल्य अर्जन अनुपात (पी०आई०ई०) 400 है तो भी वास्तविक कमी इसमें नहीं आती है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? वे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा बैंकों को अनर्थों के माध्यम से 400% कम मूल्य पर इक्विटी शेयर देते हैं। इसे वे देशभक्ति कहते हैं, इसे वे नया तरीका कहते हैं, इसे नई सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, बाज़ार अर्थव्यवस्था कहते हैं।

यदि आपने सूची देखी है, तो आपने उसमें क्या पाया है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का उदाहरण ले लीजिए यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र है। मैं आपको छोटी सी गणना बताता हूं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की उत्पादन क्षमता अस्सी लाख टन है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आपका क्या आकलन है? क्या यह 2,500 करोड़ रुपये है। टिस्को का आधुनिकीकरण चल रहा है, इस की 1.80 लाख टन क्षमता होगी। इसकी आधुनिकतम गणना क्या है? जापानी गणना अथवा दस्तूर गणना को छोड़ दीजिए। इनकी आम गणना क्या है? इसके लिए 6,500 करोड़ रु० निवेश करने की आवश्यकता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अस्सी लाख टन क्षमता के साथ यह 30,000 करोड़ रुपये होगा। हम यह मानते हैं कि यह उत्पादक परिसंपत्तियों का परिवर्तिनीय मूल्य है। इसकी प्रदत्त पूंजी कुछ भी हो सकती है, जिसके आधार पर आप गणना करते हैं।

मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि जिन व्यक्तियों को शेयर बेचने का कार्य सौंपा गया था उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई अनुभव नहीं है कि इसे कैसे किया जाए। लेकिन उन्हें यह पता था कि आरक्षित पूंजी को उपहार स्वरूप में कैसे दिया जाए। वास्तव में आरक्षित पूंजी उपहार के रूप में दी गई है। वे इसे छः या सात सौ बार पार कर चुके हैं क्या आपने 'टिस्को' शेयर के शेयर बाजार मूल्य के बारे पढ़ा है? नियन्त्रण हटाये जाने के तुरन्त बाद, केवल एक दिन में हीं, केवल 24 घंटो में इसमें 40 रुपये बढ़ गये। उन्होंने इसके लिए इन्तजार नहीं किया इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर को हुआ। लेकिन उन्होंने जल्दी में स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की इक्युटी का अपनिवेश कर दिया। तेल क्षेत्र...(व्यवधान)...

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़): इस मामले में, लाभार्थी कौन हैं?

श्री रूपचन्द पाल: मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं महोदय, वह एक भूतपूर्व मंत्री है; वह सत्तापार्टी के नेताओं में से है। उन्हें दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, हर व्यक्ति ने मुचुअल फण्ड में धन नहीं लगाया है। लाभ केवल निवेशकर्ताओं को ही मिलता है। कितने निवेशकर्ता है? 88 करोड़ की जनता में वे लोग कितने प्रतिशत है जिन्हें राष्ट्र की कीमत पर लाभ होगा? दूसरा, नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अन्ततः इन सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण हो जायेगा। तब लाभ का उपार्जन कौन करेगा। और वह लाभ किसे मिलेगा? कृपया इसका उत्तर दीजिए। जब पब्लिक सेक्टर के शेयरों का अपनिवेश कर दिया जायेगा तो केवल थोड़े से निवेशकों को इसका लाभ मिलेगा न कि राष्ट्र को।

अब, मैं नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पर आऊंगा। यदि आप इसे पूरी तरह से लागू करना चाहो तो इसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकेगा क्योंकि कर्मचारी और श्रमिक इसका जमकर विरोध करेंगे जैसा कि सरकार ने 16 जून को देख लिया है। फिर प्राइवेट सेक्टर भी है। अब, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि आपको धन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपने प्राइवेट सेक्टर में अपनिवेश क्यों नहीं किया। आप कह सकते है कि इसमें तो उनका स्वामित्व है। आपको किसने कहा है? क्या आप जानते हैं?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही: श्री रूपचन्द पाल?

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, वह स्वराज पाल का हवाला दे रहे हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसी का स्मरण उन्हें करा रहा हूं महोदय, मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं। श्री स्वराज पाल जब वे 'एसाकोट' के संबंध में भारत में आये थे तो उन्होंने टिप्पणी की थी "क्या भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर भी है?" 250 करोड़ रुपये निवेश करके प्राइवेट सेक्टर जनता के धन का लगभग 30,000 करोड़ रुपया इस्तेमाल कर रहा है।

टाटा की कम्पनियों में टाटा का अपना कितना पूंजीनिवेश है क्या मैं सदन को बता सकता हूं कि उनका कितना शेयर है? टाटा की कम्पनियों में टाटा के 3.5 प्रतिशत शेयर हैं। बिरला की कम्पनियों में बिरला के कितने शेयर हैं? यह केवल 1.8 प्रतिशत है और बाकी के शेयर राष्ट्र के हैं, वित्तीय संस्थाओं के हैं। आपने इसका अपनिवेश क्यों नहीं किया? मफतलाल के कितने शेयर है। उनके केवल 6.6 प्रतिशत शेयर हैं? सिंघानिया ग्रुप मे सिंघानिया के कितने शेयर है?

सभापति महोदय: क्षमा कीजिए, कृपया उनके नामों का उल्लेख न कीजिए। आप स्वराज पॉल तथा अन्य लोगों के नाम ले रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, वे सब कम्पनियों के नाम हैं। टाटा, बिरला आदि ये सब कम्पनयों के नाम हैं, बड़े घरानों के नाम है।

महोदय, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का अपनिवेश क्यों नहीं किया था। आपने 'टिस्को' का अपनिवेश क्यों नहीं किया। जबकि टाटा का उसमें थोड़ा सा हिस्सा है बाकी राष्ट्र की सम्पत्ति है और वित्तीय संस्थाओं का उसमें काफी बड़ा हिस्सा है। लेकिन ऐसा न करके आपने हमारी स्वदेशी क्षमता को कम कर दिया है। आपने हमारे बुनियादी ढांचे को कमजोर कर दिया है। सरकार ने हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति को म्युचुअल फण्ड या अन्य साधनों के रूप में प्राईवेट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम के एकाधिकारवादी घरानों तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप दिया है।

महोदय, यह मेरी टिप्पणी नहीं है बल्कि यह जानकीरमण समिति की रिपोर्ट में आया है कि वे दलालों से मिले हुए थे मुझे कहना चाहिए कि वे सरकारी क्षेत्र और सरकार में नेताओं के एक वर्ग से मिले हुये थे आप कह सकते हैं कि एक समिति नियुक्त की गई है श्री वी० कृष्णामूर्ति समिति। जब मैंने यह नाम लिया तो वे हंस रहे हैं। श्री वी० कृष्णामूर्ति समिति को अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना है कि क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं। मैं नहीं जानता कि वे योजना आयोग के अभी भी सदस्य हैं या नहीं। पेपर में क्या आया है? पहले राजनीतिक शिकार हुये—आप उनका नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्या वे इस सदन के माननीय सदस्य थे; वह अभी भी इस सदन के सदस्य हैं। श्री वी० कृष्णामूर्ति इस महत्वपूर्ण समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अपनिवेश का अध्ययन करके यह सुझाव देना है कि यह किस रूप में किया जाये, भविष्य में सरकारी क्षेत्र के बारे में हमें क्या करना है। योजना आयोग के एक सदस्य श्री वी० कृष्णामूर्ति एफ०एफ०एस०एल० के संस्थापक निर्देशक हैं जो मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को ले डूबेंगे।

सभापति महोदय: योजना आयोग के सदस्य बनने से पहले ऐसा हुआ था। अतः उनका नाम लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यहां स्वयं का अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल: वह संस्थापक निर्देशक हैं और उनका शेयर कितना है? मैं जानकीरमण समिति और सी०बी०आई० की रिपोर्टों का हवाला दे रहा हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा उपलब्ध रिकार्ड से यह ज्ञात हुआ है,—यह सुनी सुनाई बात नहीं है बल्कि जब्त रिकार्डों के अनुसार, कि 20010 शेयर संस्थापक निर्देशक के थे। अब उनके बारे में बहुत सी बातों का पता चला है। लेकिन वे कहते हैं कि वह भविष्य के लिए मार्गनिर्देश देंगे। उनकी विदेशी एजेन्सियों से मिलीभगत है कि किस तरह से हमारे देशी की नींव को कमजोर किया जाये।

किस तरह से हमारी स्वदेशी क्षमता को कमजोर बनाया जाये, देश को कैसे बेचा जाये आई०एम०एफ० और विश्व बैंक के इशारों पर औद्योगिकरण समाप्त करना कैसे शुरू किया जाये। वे कहेंगे कि उन्हें बन्डल तैयार किये हैं। बन्डल क्यों? चूंकि कुछ शेयरों को लोगों द्वारा नहीं खरीदा गया—लोगों की उन शेयरों में रुचि नहीं थी। अतः उन्हें कई बन्डल बनाये हैं। बन्डलों का क्या परिणाम हुआ?

मैं केवल 10 रुपये वाले शेयर की बात कर रहा हूं जिनको बेचा गया था। इसे 30 रुपये में या थोड़ा ऊपर नीचे करके बेचा गया था। यदि आप इसे 40 रुपये में भी खरीदते हैं तो इसका बाजार मूल्य क्या था? बाजार मूल्य 250 था। इसे 29 रुपये, 30 रुपये या 35 रुपये में बेचा जा रहा था। क्या वे नहीं जानते हैं कि बाजार मूल्य क्या है? हर रोज बाजार मूल्य के ब्यौरे उनके पास आ रहे हैं। स्टील के मूल्य विनियंत्रित होने के बाद नये इक्यूटी धारकों को सभी लाभ प्राप्त हो जायेंगे। यह उनके लिए तो तोहफा है। तेल मूल्यों के परिवर्तनों से पहले वे इसे बेच देंगे और उसके बाद वे मूल्य के बारे में निर्णय लेंगे जिसे तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा। पब्लिक सेक्टर किस प्रकार आया? ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ सोवियत रूस में हो रहा है केवल उससे प्रेरित होकर हुआ है। यह योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और स्वतन्त्रता के आन्दोलन के दिनों से ही जो कुछ हमें विरासत में मिला उसी का परिणाम है। मैं नहीं जानता कि क्या कांग्रेस आई के लोगों ने अपना इतिहास स्वयं पढ़ा है। 1930 के दशक में एक चर्चा हुई थी और योजना की अवधारणा का निष्कर्ष निकला था। श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी और जो सिफारिशें की गई थीं हम उसके बारे में जानते हैं। केन्द्रीय योजना की अवधारणा स्वतन्त्रता आन्दोलन की देन थी। यह स्वतन्त्रता संग्राम के उद्देश्यों के साथ विश्वासघात है कि किसी शासनादेश के बिना, किसी अथारिटी के बिना तथा लोगो की राय जाने बिना, किसी जनमत संग्रह के बिना संसद से परामर्श किये बगैर इस सरकार ने तेल तथा स्टील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनिवेश की नीति लागू की और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप दिया है। यह स्वतन्त्रता संग्राम के साथ विश्वासघात है और मैं क्या कह सकता हूं? अब घपला सामने आ गया है। पब्लिक सेक्टर बोण्ड के डीलरों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभागीय मैनेजरों तथा दलालों के बीच संबंधों का अब पता चला है ये लोग अपनिवेश मूल्यांकन का तरीका निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत थे।

6.00 म०प०

महोदय, इस सरकार ने विनाश का पथ चुन लिया है हमने पिछले दशकों में जो कुछ प्राप्त किया है ये उसको नष्ट करने जा रही है। अन्यथा एक ही रात में अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र के शेयर बेचने का क्या औचित्य है और वो भी संदेहास्पद ढंग से, गुप्त रूप से और सरकार के बाद के निर्णय जिनसे उस प्राइवेट सेक्टर की मदद की गई जिनके उनके पास इक्विटी शेयर थे। धन संग्रह करने के कई अन्य तरीके भी हैं। जैसे मैंने कहा है कि प्रत्यक्ष करों मे वृद्धि तथा अन्य और भी हैं। हम कई वर्षों से सुझाव देते आ रहे हैं कि देश में काफी काला धन है। यदि आपकी राजनीतिक इच्छा है, यदि आप काला धन को बाहर लाना चाहते हैं तो आप इसका पता लगा सकते हैं। लोग लगातार टैक्स की चोरी कर रहे हैं। आप उनके नाम जानते हैं; आपने हमें नाम दिये हैं। ये विकल्प हैं। लेकिन ऐसे अन्य विकल्प भी हैं। मैं एक अन्य विकल्प के बारे में भी कहूंगा। यह अजीब बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि लाभराशि के रूप में प्राप्त हो रही है। क्या आप इस राशि का उपयोग नहीं कर सकते परन्तु विडम्बना यह है कि सरकार एक ओर तो इन उपक्रमों से उनका मुनाफा बरकरार रखने के लिये कह रही है और दूसरी ओर उनके सीमित इक्विटी आधार की व्यवस्था को समाप्त कर रही है। क्या सरकार पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को हो रहे लाभ की राशि आपातकालिक स्थिति के समय भी या जैसी स्थिति आज है इस्तेमाल नहीं करेगी? हम नहीं मानते कि कोई आज ऐसी कोई खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह सीधा-सीधा समर्पण सा मामला है। उन्होंने कहा है कि वे वित्तीय घाटे को पांच प्रतिशत तक कम करना चाहते हैं। बजट भाषण में 2,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य की घोषणा की

थी और यह अब 3,000 करोड़ रुपये या इसके आसपास तक हो गया है आपने धन का क्या किया है? क्या सरकार ने इस धनराशि का उपयोग रुग्ण उद्योगों का पुनः का नवीकरण करने तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम को, जहां 65,000 श्रमिक फालतू घोषित करके नौकरी से निकाल दिये गये हैं, ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया है? क्या सरकार ने इस धनराशि का उपयोग उन 4.5 लाख श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया है जिसके लिए सरकार गोल्डन हैंड शेक योजना लागू करने का विचार कर रही है? नहीं।

सभापति महोदय: क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं? मैं माननीय सदस्यों को केवल याद दिलाने के लिए यह कह सकता हूं कि हमने गैर-सरकारी सदस्यों के लिए समय 6 बज कर 10 मिनट तक के लिए बढ़ाया है क्योंकि हमने दस मिनट देर से कार्यवाही शुरू की है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय एक सुझाव दिया गया है लेकिन यह सुझाव हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। दो दिन पहले, 15 जुलाई को एक प्रश्न के उत्तर में, सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन द्वारा दिया गया था। माननीय मंत्री द्वारा यह कहा गया था:

> "अगस्त 1990 में बोर्ड की मीटिंग में 'स्कोप' ने एक सुझाव दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अपनिवेश द्वारा उपलब्ध धनराशि को विशेषतया सरकारी उपक्रमों नवीकरण उनकी उन्नति तथा आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा बजट संबंधी घाटे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

सरकार ने सुझाव पर गौर किया था परंतु उसका क्या परिणाम निकला? वर्ष 1992-93 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 1992-93 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली 1,000 करोड़ रुपये की राशि नवीकरण कोष में दिये जाने का विचार है जिसका उपयोग उन कामगारों के पुनःप्रशिक्षण, पुनः रोजगार प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास आदि के लिये किया जाएगा जो आधुनिकीकरण और युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण प्रभावित हुए हैं।

वे अपनी समिति की ही बात नहीं सुनते और उनका यह उत्तर है। वे कितने निर्लज्ज हो सकते हैं? वे करते हैं कुछ और कहते हैं कुछ और। जैसाकि उन्होंने बजट भाषण में कहा है कि आर्थिक घाटे को कम करने के लिये 2,500 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और जो एक हजार का प्रस्ताव है उसका भी उपयोग इस स्थिति को सुधारने के लिये नहीं होगा। यह राशि भी आपके चालू व्यय में ही समाप्त हो जायेगी। वह इस तरह से व्यवहार करते हैं।....(**व्यवधान**) 3,038 करोड़ रुपये की राशि से उन्होंने केवल 1,000 करोड़ रुपये का जिक्र किया है। आप को याद होगा, आपने बजट भाषण में कहा था कि 2,500 करोड़ रुपये वर्तमान व्यय के लिये उपयोग में लाया जाएगा। संस्कृत में एक उक्ति है:

ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत।

लेकिन यह और भी अधिक गंभीर बात है। वे तो स्वयं आनंद उठाते रहेंगे। वे देश को बेच रहे हैं। वे उद्योगों को बेच रहे हैं। वे देश के बुनियादी ढांचे को बेच रहे हैं। वे प्रमुख क्षेत्रों को बेच रहे हैं।

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन):—महोदय, हम देश को बेच नहीं रहे हैं। हम देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस आरोप का खंडन गंभीरतापूर्वक करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आपको समय मिलेगा।

[**व्यवधान**]

सभापति महोदय: कृपया बीच में न टोकें।

[**व्यवधान**]

[व्यवधान]

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल, आप अपनी बात जारी रखें। आपने अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है।

[व्यवधान]

श्री रूपचन्द पाल: भारत निर्धन नहीं, एक धनी देश है। विगत वर्षों में हमने जो कुछ संजोया है वह अभी तीसरी दुनिया के कई देश नहीं कर पाए हैं।.....(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): लेकिन आप जैसे जिम्मेदार सदस्य के द्वारा ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है?

श्री रूपचन्द पाल: मुझे यह कहने के लिये विवश होना पड़ रहा है कांग्रेस (इ) के लिये मुझे यदि इतने कटु वचन नहीं बोलने पड़ते तो मुझे खुशी होती, कांग्रेस (इ) ने अपना इतिहास भुला दिया है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र के प्रति अपनी वचनबद्धता को भुला दिया है।......(व्यवधान) आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुस्तक मुल्य 1,13,234 करोड़ रुपया है लेकिन प्रतिस्थापन मूल्य करीब सौ गुना अधिक है। यदि हम इसका हिसाब लगाएं तो इस 85 या 86 करोड़ की आबादी वाले देश में प्रत्येक भारतीय के पास प्रति व्यक्ति एक लाख से अधिक की परिसंपत्ति बैठती है।

सभापति महोदय: माननीय रूप चन्द पाल, आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं क्योंकि समय अब समाप्त हो गया है।

अब सभा दूसरा विषय लेगी अर्थात् संसदीय कार्य मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद का वक्तव्य।

सभा का कार्य

6.11 म०प०

संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 20 जुलाई, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:—

(क) रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1992

(ख) वायु निगम (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) विधेयक, 1992

(ग) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक, 1992

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब सदस्यों के निवेदनों पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय सम्मिलित करें :

1. करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केन्द्र तीर्थराज पुष्कर के अस्तित्व की रक्षा हेतु उसमें जाम मिट्टी एवं रेत को निकलवा कर उसके प्राकृतिक स्रोतों को खोला जाये और सर्वांगीण विकास हेतु वृहद योजना पर्यटन विभाग की ओर से बनायी जाये।

2. सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी नसीराबाद था तीर्थराज पुष्कर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना कर एस॰टी॰डी॰ से जोड़ा जाये।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई): महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें:

1. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वर्ण रेखा परियोजना के स्वीकृति में विलम्ब के बारे में।

2. केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही निकास नीति के कारण देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के संबंध में।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें:

1. कोयले पर रायल्टी को और बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जो कि उड़ीसा एवं देश के अन्य कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों के लिये अति महत्वपूर्ण हो गया है।

2. उड़ीसा के तूफान पीड़ितों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता के संबंध में।

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलोर): महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें:

1. किसी भी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में उसी जिला के 50 प्रतिशत लोगों के लिये रोजगार आरक्षित करने के लिये एक नीति तैयार करने के संबंध में जहां उद्योग स्थित है।

2. कर्नाटक के सभी लम्बित पड़े विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा मंगलोर सुपर ताप विद्युत परियोजना को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने के संबंध में।

सभापति महोदय : अब सभा राज्य मंत्री श्री एम॰एम॰ जैकब के वक्तव्य को लेगी।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): सभापति महोदय, गृह राज्य मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन हमें पूर्व सूचना दिये बिना ही यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनको पहले से सूचना देनी चाहिये थी। ताकि सदस्य उस समय अधिकाधिक उपस्थित रह सकें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): यह कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष विचार के लिये है।

6.13 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

म्यांमार सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): 15 जुलाई, 1992 को किए गए वायदे के अनुसार, मैं बताना चाहता हूं कि म्यांमार सेना के कार्मिकों द्वारा मिजोरम में की गई घुसपैठ के संबंध मे अब कुछ ब्यौरे प्राप्त हुए हैं।

म्यांमार से सशस्त्र कार्मिकों द्वारा सामान्य रूप से अपने कुछ नागरिकों तथा विद्रोही समूहों की खोज करने या पीछा करने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसने की कुछ घटनाओं का पता चला है। इस संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दुर्गम क्षेत्रों से गुजरती है तथा इसे पूर्ण रूप से सील करना आसान नहीं है।

घुसपैठ के मसलों को म्यांमार सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर उठाया गया है। उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि उनके सशस्त्र कार्मिकों द्वारा हमारे क्षेत्र में, हाल ही में हुई घुसपैठ की घटनाओं और हमारे सीमावर्ती गांवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उनके द्वारा परेशान किए जाने की घटनाओं को हम बहुत गम्भीरता से लेते हैं। उनसे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

इसी बीच, सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने अपनी गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। इस मामले को फील्ड कमाण्डर स्तर की सीमा—सम्पर्क बैठकों में उठाया गया है और इस पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी।

6.15 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

सभापति महोदय: हमारे पास एक पूरक कार्य सूची है। श्री दलबीर सिंह।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 10/22/90-अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ जो 17 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उन व्यक्तियों को भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, भारत लौटने पर विदेशों में उनके घटित विदेशी मुद्रा आस्तियों को अभ्यर्पित करने के दायित्व से देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०]

सभापति महोदय: सभा 20 जुलाई, 1992 को 11.00 पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

6.17 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 जुलाई 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पी॰एल॰एस॰—48/13/8/92 (एन॰)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।